लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price: Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

अंक 22, बुधवार, 22 मार्च 1978/1 चैत्र, 1900 (शक)
No. 22, Wednesday, March 22, 1978/Chaitra 1, 1900 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*तारांकित प्रश्न संख्या 407 से 412 और 414 से 416	*Starred Questions Nos. 407 to 412 and 414 to 416	1—15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	Short Notice Question No. 2.	15—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 406, 413 और 417 से 426	Starred Questions Nos. 406, 413 and 417 to 426	21—27
अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 से 3901, 3903 से 3941, 3943 से 3949 और 3951 से 4073	†Unstarred Questions Nos. 3874 to 3901, 3903 to 3941, 3943 to 3949 and 3951 to 4073	27—142
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	143—145
कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति की संयुक्त बैठक- कार्यवाही—सारांश	Joint Sitting of Business Advisory Committee and Rules Committee— Minutes	145
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
64वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Sixty-fourth Report presented	145
उड़ीसा में रेंगली बांध परियोजना के बारे में याचिका	Petition Re. Rengali Dam Project in Orissa	145—146
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rule 377—	
(एक) उड़ीसा में सीमेंट, उर्वरक और लोहे की कथित कमी—	(i) Reported shortage of cement, Fertilisers and Iron in Orissa.	
श्री सरत कार	Shri Sarat Kar	146
(दो) भारत की पूर्वी सीमा पर चीन द्वारा एक पक्की सड़क की कथित निर्माण—	(ii) Reported construction of a Pucca road by China on the eastern border of India—	
श्री एस० एस० सोमानी	Shri S.S. Somani.	146

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign †marked above the name of a Member indicated that the questtion was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब किस्म के गेहूं की कथित सप्लाई	(iii) Reported supply of bad quality of wheat by Food Corporation of India	
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya. .	146
(चार) प्रधान मंत्री के निवास के सामने प्रदर्शनकारियों पर कथित हमला—	(iv) Reported attack on Demonstrators in front of Prime Minister's Residence—	
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe. . .	146
हिन्दुस्तान ट्रेक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—	Hindustan Tractors Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar .	148
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi. .	149
श्री राम किशन	Shri Ram Kishan . .	149
श्री जार्ज फर्नान्डीस	Shri George Fernandes .	150
खण्ड 2 से 36 और 1	Clauses 2 to 36 and 1	
पास करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री जार्ज फर्नान्डीस	Shri George Fernandes.	152
पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना तथा प्रकीर्ण) उपबन्ध विधेयक—	Public Sector Iron and Steel Companies (Restructuring) and Miscellaneous Provisions bill—	
विचार करने का प्रस्ताव -	Motion to consider—	
श्री ए० के० राय	Shri A.K. Roy . . .	152
श्री राम विलास पासवान	Shri Ram Vilas Paswan. .	153
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi. .	153
श्री आर० एल० पी० वर्मा	Shri R.L.P. Verma .	154
श्री युवराज	Shri Yuvraj .	154
श्री बीजू पटनायक	Shri Biju Patnaik	154
खण्ड 2 से 6	Clauses 2 to 6	
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwari	155
श्री ए० के० राय	Shri A.K. Roy	157
स्थगन प्रस्ताव—	Motion for Adjournment—	
लखनऊ में 17-3-1978 को कुछ संसद् सदस्यों और अन्य व्यक्तियों पर कथित लाठी चार्ज	Alleged lathi charge on some M.Ps. and others at Lucknow on 17-3-1978.	158
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe. . .	159
श्री गौरी शंकर राय	Shri Gauri Shankar Rai .	160
श्री सौगत राय	Shri Saugata Roy . .	161
डा० मुरली मनोहर जोशी	Dr. Murli Manohar Joshi .	161
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M.N. Govindan Nair . .	162

विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
श्री समर गुहा	Shri Samar Guha . .	162
श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी	Shri Madhav Prasad Tripathi .	162
डा० वी० ए० सईद मुहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad .	163
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar .	163
श्री पी० राजगोपाल नायडू	Shri P. Rajgopala Naidu	164
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	164
आधे घण्टे की चर्चा	Half- an-hour Discussion—	
मंत्रियों के दौरों पर खर्च में मितव्ययिता—	Economy in expenditure on tours by Ministers—	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	167
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	168
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu .	168
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P.G. Mavalankar . .	168
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai .	169

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 22 मार्च, 1978/1 चैत्र, 1900 (शक)

Wednesday, March 22, 1978/Chaitra 1, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

*407. **श्री विजय कुमार मलहोत्रा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में सोच रही है जो साबुन, जूते, माचिस, चाकलेट, टूथपेस्ट, बिस्कुट आदि जैसी गैर-प्राथमिकता वाली उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में लगी हुई हैं जैसा कि कोकाकोला के मामले में किया गया था ;

(ख) भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन-कौन सी हैं और वे किन-किन देशों की हैं तथा भारत में रुपये में बिक्री तथा उत्पादन की दृष्टि से कितने प्रतिशत मार्किट उनके नियन्त्रण में हैं ; और

(ग) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा बड़े भारतीय उद्योगों को 10 वर्षीय चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बन्द करने को बाध्य किया जाये जिससे उनका उत्पादन विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को अन्तरित किया जा सके।

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) कम प्राथमिकता वाली उपभोक्ता की वस्तुओं के उत्पादन में लगी विदेशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अनुसार अपनी विदेशी धारिता को कम करके 40 प्रतिशत तक लाने की जरूरत होगी। जब तक वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन जारी किए गए अनुदेशों का पालन करती रहेंगी जब तक वे अपने कार्यकलाप जारी रख सकती हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। कोका-कोला का मामला सर्वथा भिन्न है। उन्हें भी उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपने गैर-निवासी हितों को 40 प्रतिशत से अधिक न रखने पर भारत में कार्य करने की भी अनुमति दी गई थी। कंपनी ने समाप्त करने का निर्णय वास्तव में अपनी सामूहिक नीति के आधार पर लिया था। सरकार के किसी निदेश के फलस्वरूप नहीं।

(ख) कंपनी कार्य विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में साबुन, जूते, दियासलाई, चाकलेट. टूथपेस्ट और बिस्कुट जैसी उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली विदेशी कंपनियों के नाम तथा उनके देश निम्न प्रकार हैं :—

कंपनी का नाम और उसके औद्योगिक कार्यकलाप	धारक/मूल कंपनी का नाम व देश
साबुन	
1. हिन्दुस्तान लीवर लि० .	यूनि लीवर लि० यू० के०
जूते	
1. बाटा इंडिया लि०	लीडर ए० जी० एस० टी० मौरिटज स्विटजरलैण्ड
दियासलाई	
1. विमको लि०	स्वीडिस दियासलाई कम्पनी स्वीडेन
चौकलेट	
1. कैडबरी फ्राई इण्डिया प्रा० लि० . .	कैडबरी स्वीहप्सग्रोवरसीज लि० यू० के०
टूथ पेस्ट	
1. बीचम (इंडिया) प्रा० लि०	बीचम ग्रुप लि० यू० के०
2. हिन्दुस्तान लीवर लि० . .	यूनि लिवर लि० यू० के०
3. कोलगेट पैमोलिव (इंडिया) प्रा० लि०	कोलगेट पैमोलिव कंपनी यू० एस० ए०
4. कीबा जीजी आफ इण्डिया लि०	कीबा जीजी लि० स्विटजरलैण्ड
बिस्कुट्स	
1. ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लि०	एशोसिएटेड बिस्कुट्स इन्टरनेशनल लि० यू० के०

भारत के बाजार में रुपयों में होने वाली बिक्री तथा उत्पादन की मात्रा में उसके अंश के बारे में ब्यौरेवार जानकारी केन्द्रित रूप में उद्योग मंत्रालय में नहीं रखी जाती है ।

(ग) विदेशी कंपनियों और बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में सरकार की नीति 23 दिसम्बर, 1977 को सदन के समक्ष रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी विवरण में स्पष्ट कर दी गई है । उपभोक्ता वस्तुओं का प्रावस्थावद्ध रूप में उत्पादन करने हेतु ऐसी कंपनियों को बाध्य करने के लिए अभी तक कोई भी समयबद्ध योजना नहीं बनाई गई है ।

Shri Vijay Kumar Malhotra : May I know how the Government propose to gradually divert the multinationals from dealing with consumers goods that can be manufactured by cottage and small scale industries. If these are prevented from manufacturing these items how many lakhs of persons could be provided employment ?

Shri George Fernandes : No time bound scheme has been formulated in this regard as yet. The industrial policy announced on 23rd September, 1977 contained that in future this sector would not be allowed to increase their capacity and the items that can be undertaken by cottage and small scale industries would be kept for them. But where these items are being dealt by these foreign companies, we are asking them to gradually withdraw themselves. Instead of consumers goods they should manufacture items of High technology or of capital intensive. But no time bound programme has been drawn.

Shri Vijay Kumar Malhotra : I welcome the statement of the Hon. Minister that foreign companies have been asked to withdraw from manufacturing the consumer goods which can be manufactured in small scale sector. Janta Party has included in its economic programme that the multinationals would have to give up most of the consumer goods in ten years. I want the hon. Minister to assure the House that this economic programme of Janta Party will be implemented. So far as the question of Brand names of multinations is concerned that would be gradually dispensed with so that cottage industries may develop in India. Is the Hon. Minister prepared to give statutory protection to cottage and small Industries that the items manufactured by them would not be manufactured by big industries.

Shri M. Ram Gopal Reddy : Hon. member is speaking faulty Hindi. He is using English words.

Shri George Fernandes : So far as the ten year programme of the Janta Party is concerned, I am sure it will be definitely implemented. So far as Brand names are concerned this is at present under consideration and soon a decision would be taken. So far as giving of statutory protection to consumer's industries is concerned, it does not arise for the present as we have decided that big and foreign companies would not be permitted to increase the capacity of small items. There is question of phasing out. We are having discussion. But so far we have not drawn a time bound programme.

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मैं विमको माचिस उद्योग का उल्लेख कर रहा हूं । मंत्री महोदय ने बताया कि वह माचिस उद्योग को कुटीर उद्योग के लिए रखना चाहते हैं । विमको के अनुसार उन्होंने एक हजार व्यक्ति नियुक्त किए हुए हैं । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विमको फैक्ट्री के शैयरों को खरीदेगी तथा इसे सहकारी आधार पर चलायेगी जिससे कि वहां कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों का संरक्षण हो सके ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : उक्त फैक्ट्री को समाप्त करते समय एक समस्या वर्तमान कर्मचारियों की है और इस प्रश्न पर चर्चा आवश्यक है । श्रीमान, माचिस उद्योग का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है अतएव इस पर चर्चा की आवश्यकता है । देश में 70 प्रतिशत माचिसें कुटीर, घरेलू तथा लघु उद्योग क्षेत्र में तैयार होती हैं । 30 प्रतिशत माचिसें अंतर्राष्ट्रीय कम्पनी 'विमको' द्वारा तैयार होती है । उनकी एक फैक्ट्री मद्रास में, एक बम्बई के निकट तथा एक उत्तर प्रदेश में है । इसमें 15000 व्यक्ति कार्य करते हैं । मुझे पता है कि विमको को माचिस का धंधा छोड़कर दूसरा धंधा अपनाने को कहा गया है । माचिसें बनाने के लिए हम 15000 के स्थान पर 250000 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। परन्तु विमको में कार्य कर रहे 15000 व्यक्तियों की समस्या है । इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है ताकि किसी को भी कठिनाई न हो ।

Shri Kalyan Jain : According to the policy of Janta party consumers goods ought to be manufactured by cottage industries. The Hon. Minister would remember that soap has not been declared as a small scale industry item. Will the Hon. Minister directed that Vanaspati manufactures should stop making soap. Is the Hon. Minister prepared for that ?

Is there any plan to provide market for small and cottage industries and to increase the excise so that small and cottage industries might get protection ?

Shri George Fernandes : So far as soap is concerned washing soap has been reserved for small industries but toilet soap has not been reserved as such. As I have said we are not in a position to do it by issuing a directive as so many problems are linked with it. The matter is under consideration and I hope that some way out could be found.

So far as vanaspati ghee is concerned Hindustan Lever is intensively working in this field and there are many other companies working in this sphere. I agree that this can be manufactured in small industries sector. But this is a question of phasing out. We would have to find out a way by discussing with persons concerned.

So far as the question of giving excise protection is concerned this matter is not likely to be solved by excise protection. There are a number of problems of small industries like marketing, money and management. Apart from that there are other problems that in which sector it may be "installed and how it should operate" we hope that with the policy we are acting, we shall be able to solve the problems and in case it is necessary to give any relief in excise we are prepared to do that we would look into it when it comes up.

Shri Lalu Prasad: Is it a fact that the Commerce Minister has permitted the Sharpedge Limited, to use foreign name 'Erasmic' for a consumer item like blade when it is the policy of the Government that no foreign company could do that in respect of consumer goods. If it is so would the foreign companies not use it ?

Shri George Fernandes : For that I require a notice.

श्री पी० गोपाल नायडु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विमको के हिस्से उसके कर्मचारियों तथा इंजीनियरों को बेचने को तैयार है ।

श्री जार्ज फर्नांनडिस : 'विमको' का स्वामित्व सरकार के पास नहीं है, हिस्सेदारों के पास है ।

गुजरात में नई बिजली परियोजनाओं के लिए बिजली के जेनरेटरों का आयात

*408. **श्री अहसान जाफरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले बिजली के जनरेटर विदेशी जनरेटरों जैसे अच्छे नहीं हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार है कि नई बिजली परियोजनाओं के लिए विदेशों के बने जनरेटर आयात किये जायें ; और

(ग) क्या गुजरात सरकार ने अपनी नई बिजली परियोजनाओं के लिए विदेशों के बने बिजली के जनरेटर आयात करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा बनाए जाने वाले बिजली के जेनरेटर विदेशों से आयात किए जाने वाले जेनरेटरों की बराबरी के हैं ।

(ख) देश में बनाए जाने वाले यूनिटों के कार्य-निष्पादन के कारण से, नई परियोजनाओं के लिए जेनरेटर उपस्कर का निर्यात करने पर सरकार विचार नहीं कर रही है ।

(ग) अपनी बानकबोरी विस्तार परियोजना के लिए आयात किए जाने के संबंध में विचार करने का सुझाव गुजरात सरकार ने दिया है ।

Shri AhsanJafri : Is the Gujaart Government proposal for import of new units is likely to be accepted ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक बानकबारी विस्तार योजना का सम्बन्ध है गुजरात सरकार ने तीन यूनिटों के लिए 300 मैगावाट का अनुमान लगाया था जिसकी विभाग द्वारा तथा सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई । बाद में उन्होंने 300 मैगावाट के दो यूनिटों का सुझाव दिया जोकि आयातित उपकरणों द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं और तब यह बताया गया कि उससे ऊपर की क्षमता 500 मैगावाट की है । इसलिए हमने सुझाव दिया कि वे 500 मैगावाट का प्रस्ताव भेज सकते हैं परन्तु अभी तक 500 मैगावाट की विस्तृत परियोजना प्राप्त नहीं हुई ।

Shri Ahsan Jafri : I have asked whether central Government is thinking of giv in such permission for import from abroad. g

श्री पी० रामचन्द्रन : कतिपय हालात में आयात पर विचार किया जाता है । आयात के प्रश्न पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता, अन्य मामलों पर विचार किय बिना आयात की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्योंकि बी० एच० ई० एल० ऐसी सभी वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम है। बी०एच०ई०एल० की निर्माण क्षमता पर विचार करने के बाद ही आयात पर विचार किया जाता है ।

श्री हितेन्द्र देसाई : आयात के लिए गुजरात सरकार ने क्या कारण बताये हैं और भारत सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : कुछ वर्गों के आयात की अनुमति दी जाती है । उदाहरणार्थ बिजली उत्पादन उपकरणों जैसे प्रतिवर्ती पम्प टर्बाइन यूनिटों तथा बल्ब टाइप यूनिटों, जिनके लिए स्वदेशी टैक्नोलोजी अभी तक विकसित नहीं हुई है गैस टर्बाइन संयंत्र जिनकी टैक्नोलोजी अभी तक देश में उपलब्ध नहीं है, का आयात करना पड़ता है । इसके इलावा जब सिविल कार्य तैयार होते हैं मैटर स्वदेशी उपकरणों के निर्माण में ज्यादा समय लगता है हमें कुछ उपकरण आयात करने पड़ते हैं। जब बी०एच०ई०एल० उपकरणों की पूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं तब आयात की बात सोची जाती है ।

श्री हितेन्द्र देसाई : आयात के लिए गुजरात सरकार ने क्या कारण बताये हैं ।

श्री पी० रामचन्द्रन : उन्हें 300 मैगावाट यूनिटों की आवश्यकता है अतएव आयात की आवश्यकता पड़ी। हमने उन्हें बताया कि सरकार 300 मैगावाट की दर पर विचार नहीं कर रही अतएव उन्हें 200 मैगावाट अथवा 500 मैगावाट में से चयन करना चाहिए । हमारे पास उनसे 500 मैगावाट की विस्तृत परियोजना प्राप्त हो गई है ।

प्रो० आर०के० अमीन : वित्त मंत्री ने अपनी आयात नीति में घोषणा की है कि किस प्रकार के उपकरण बिजली के उत्पादन के लिए आयातित किये जा सकते हैं। हमारी विदेशी मुद्रा का रिजर्व लगभग 3000 करोड़ रुपए था। क्या बी०एच०ई०एल० अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पायेगा अथवा नहीं। गुजरात सरकार की मांगों को स्वीकार करने में कौनसी बात रुकावट डालती है। क्या बी०एच०ई०एल० के तथा आयातित उपकरणों के उत्पादन मूल्यों में अंतर है अथवा बी०एच०ई०एल० की पूरी निर्माण क्षमता पर विचार करने पर ही आयात पर विचार किया जायेगा।

श्री पी० रामचन्द्रन : वह स्थिति अभी नहीं आई जब आयात पर विचार किया जाये। 500 मैगावाट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने पर हम यह निर्णय कर सकेंगे कि क्या बी० एच०ई०एल० इसका सम्भरण कर सकेगी।

नरोरा में परमाणु बिजली संयंत्र

*409. **डा० बलदेव प्रकाश** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजना में मथुरा के समीप नरोरा में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना का प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है ;

(ग) उसे वास्तव में कब तक आरम्भ किया जाएगा ; और

(घ) क्या यह सच है कि उसमें कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई है तथा संयंत्र का भविष्य अनिश्चित हो गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) नरोरा में एक परमाणु बिजलीघर निर्माणाधीन है।

(ख) तथा (ग) इस परियोजना की स्थापना से सम्बद्ध प्रारम्भिक कार्य पूरा किया जा चुका है और मुख्य संयंत्र भवन के निर्माणकार्य में गति आ गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

श्री बलदेव प्रकाश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आणविक उर्जा के लिए अपेक्षित सामग्री अर्थात् गुरूजल जिसका कि नांगल उर्वरक संयत्र में उप उत्पाद के रूप में प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, क्या सरकार का विचार पंजाब में भी एक आणविक ऊर्जा संयत्र स्थापित करने का है ?

श्री मोरार जी देसाई : पहले हम उन संयंत्रों को पूरा करेंगे जिन पर कार्य चल रहा है बाद में नए सयंत्रों की स्थापना पर विचार किया जाएगा ।

डा० बलदेव प्रकाश : क्या सरकार देश में आणविक संयंत्रों की स्थापना को हतोत्साहित कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है । प्रधान मंत्री ने कहा है जिन संयंत्रों पर कार्य हो रहा है पहले उन्हें पूरा किया जाएगा ।

श्री मोरार जी देसाई : हम किसे हतोत्साहित कर रहे हैं। सरकार ही इन संयंत्रों की स्थापना कर रही है। इसका यह अर्थ हुआ कि सरकार ही सरकार को निरूत्साहित कर रही है ।

डा० बलदेव प्रकाश : नीति प्रोत्साहन देने की है या न देने की है ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि नरोरा आणविक संयंत्र में कितने मैगावाट बिजली पैदा होगी तथा इस पर अनुमानता कितनी लागत आएगी और इस संयंत्र में पैदा होने वाली बिजली की लागत प्रति यूनिट कितनी होगी ।

श्री मोरारजी देसाई : इस संयंत्र पर लगभग 209.9 करोड़ रुपये की लागत आएगी, 29 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी इसमें शामिल है । इसमें कितने मैगावाट बिजली पैदा होगी इस बारे में मुझे जानकारी । 34.29 करोड़ रुपये हम इस पर व्यय कर चुके हैं। दिसम्बर 1982 तक इसका पहला चरण और दिसम्बर 1983 तक इसका दूसरा चरण पूरा हो जाएगा ।

श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी : इस संबन्ध में कोई कठिनाई न हो क्या इसके लिए समुचित ईंधन की सप्लाई की व्यवस्था की गई है ।

श्री मोरार जी देसाई : इस संयंत्र में गुरू जल की आवश्यकता पड़ेगी इसमें किसी अन्य ईंधन की आवश्यकता नहीं। गुरू जल की उपलब्धता पर ही सब कुछ निर्भर है। हम इसे बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि : जैसा कि सभी जानते है, तारापुर संयंत्र में यूरेनियम की अनुपलब्धता और बड़ौदा संयंत्र में विस्फोट के कारण इन आणविक संयंत्रों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इस पृष्ठ भूमि में मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उन्होंने क्या पूर्वोपाय किए हैं ताकि गुरू जल अथवा किसी अन्य कच्चे माल की कमी के कारण कार्य रुक न जाए । अन्य शक्तियों के सहयोग से क्या कार्यवाही की गई है ? क्या हम अपनी तकनीक का विकास कर रहे हैं ।

श्री मोरार जी देसाई : केवल गुरू जल की उपलब्धता के संबन्ध में कुछ कठिनाई हो सकती है अन्य कच्चे माल के संबन्ध में कोई कठिनाई नहीं होगी गुरू जल का भी देश में निर्माण हो रहा है और बाहर से भी मंगाया जा रहा है। लेकिन इन संयंत्रों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता जैसे कि बड़ौदा संयंत्र में दुर्घटना हो गई लेकिन कोई भी संयंत्र बनाने से पहले हम सभी बातों पर अच्छी तरह विचार करके और समन्वय स्थिति का अवलोकन करके ही संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू करते हैं।

दिल्ली में यातायात में बाधाएं

*410. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजधानी में यातायात में अनेक बाधाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने गत 6 महीनों में क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) गत वर्ष में यातायात पुलिस के विरुद्ध सरकार को कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) इस संबन्ध में कितने अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० डी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विकासशील नगर में यातायात के कुछ संकीर्ण स्थान अपरिहार्य हैं। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षो में जनसंख्या के साथ मार्गों पर अनेक प्रकार के वाहनों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। बढ़ते हुए यातायात से निपटने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है तथा सुधारा जा रहा है और चुने हुए स्थानों पर ऊपरी पुल बनाए जा रहे हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:--

1. अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में एक तरफा यातायात लागू किया है।

2. कुछ घंटों के दौरान वाहनों को ठहरने की मनाही करना तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में माल लादने उतारने में पाबन्दी लगाना।

3. कुछ सड़कों पर भारी परिवहन वाहनों को चलाने पर प्रतिबन्ध लगाना।

4. कुछ क्षेत्रों में साईकिल रिक्शा को छोड़कर सभी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना।

5. चलते फिरते न्यायालयों की संख्या में वृद्धि करके 3 से 5 करना।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान 64 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) एक सब-इन्सपैक्टर, एक हैड कान्सटेबल और एक कान्सटेबल मुअत्तिल किए गए हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whatever the hon. Minister has stated, carries weight. This is a very complicated matter. At several places in Delhi, traffic remains jam for many hours. Last year the Home Minister had convened a meeting of all the organisations, including D.M.C., D.D.A. and Police. A scheme was formulated by them. It will cost Rs. 187 crores. I want to know the details of the scheme and by when will it be implemented and what progress has been made in this regard.

I also want to know what action the Government has taken to make people aware of the 66 traffic rules.

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : An integrated mass public transport scheme is being considered by the Planning Commission. It will cost about Rs. 170 crores with this measure. This problem will be solved to some extent but by then population increased by another twenty lakhs, then another scheme will have to be formulated in this regard. I have no information regarding the scheme referred to by the hon. member. I require prior notice in this regard.

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दें। प्रश्न यह है कि लोगों को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री चरणसिंह : इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : शिक्षा के प्रश्न पर भी ? शायद मेरा प्रश्न स्पष्ट नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में यातायात की समस्या के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ।

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य स्वयं दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें सार्वजनिक बैठकें बिठानी चाहिएं और लोगों को इस बारे में शिक्षा देनी चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Hon. Minister mentioned about the steps taken during the 6 months. I want to know the number of slow moving and fast moving vehicles in Delhi. At the same time I want to know how many accidents took place ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए एक ही नहीं बल्कि कई नोटिसों की आवश्यकता होगी।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह कहते हैं कि मोटर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है । धीरे चलने वाली तथा तेज चलने वाली मोटर गाड़ियों की कितनी संख्या है। साथ ही कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उन दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई है।

Shri Charan Singh : The number of vehicles has increased four times.

Shri M. Ram Gopal Reddy : In how many days ?

Shri Charan Singh : Within 18 years only. In 1957 the total number of vehicles was 21,904 and now it is 3,41,282. There has been 8-3/4 time increase in the number of heavy vehicles. At that time there number was 2717 and now it is 23939. The increase in traffic will result more accidents. Although no question has been asked about accidents, even then I give the number thereof. The total number complaints received was 64. Out of them 49 cases proved wrong. 7 cases are under investigation. In 8 cases the guilty persons have been sentenced. If there have been only 64 accidents in a big city like Delhi, it can not be said a alarming situation.

Shri Ram Gopal Reddy : The Minister has just now stated that the number of accidents have gone down. Does he mean that there should have been more accidents ?

Shri Hukam Chand Kachwai : The traffic problem which is in Delhi exists in all metropolitan cities like Bombay, Calcutta, Nagpur etc.

अध्यक्ष महोदय : हम दिल्ली की बात कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know what measures are being adopted to solve the problem of accidents taking place due to traffic difficulties. Traffic rules in metropolitan cities are not being abide by the people to reduce the number of accidents. To some extent these rules are followed in Delhi, but the taxi and scooter drivers very often quarrel with passengers and charge higher fare due to recent hike in petrol price. When the passengers coming from outside agree to pay the taxi or scooter drivers according to their demand only then they allow them to sit in their vehicles....*(idterruption)*. I want to know whether steps will be taken to prevent taxi or scooter drivers to charge over fare and stop the accidents.....*(interruption)*.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है।

सीमेंट निर्माताओं को रियायतें

*411. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमेंट का उत्पादन बढाने के लिए देश के सीमेंट निर्माताओं को कुछ रियायतें देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रियायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सीमेंट निर्माताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) सरकार सीमेंट उद्योग की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति करने पर सक्रियरूप से विचार कर रही है । अन्य विषयों के साथ-साथ प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषयों में अतिरिक्त क्षमता के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घावधि अभ्युपाय भी सम्मिलित होंगें । सरकार विद्यमान क्षमता से अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु लघु कालीन प्रोत्साहनों के कतिपय प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है । अभी इन प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

Shri Ahmed M. Patel : I want to know from the Hon. Minister by what time this high level committee will be set up and this proposal will be given final shape.

Shri George Fernandes : This Committee must be set up within next 4, 6 weeks. This committee will comprise representatives from this industry and from all the Ministries concerned with this industry. The committee will consider measures to increase cement production, to control its prices and find out measures to arrange capital to invest in new factories.

So far as the solution of immediate problems is concerned, we will take some decision within few days. Power shortage is one of the biggest problem. Due to shortage of power the cement production at some places has gone down and it is not being produced as much as it should have been produced. We are asking the cement factories to set up captive plants. We are thinking to offer certain concessions in this regard, but the decision is yet to be taken.

Similarly we have asked the cement factories to manufacture slag and Posolonic cement and some people are engaged in it, but there are certain difficulties involved in it. So far as financial assistance is concerned, we are actively thinking on it and we would be able to take some decision within few days time.

We are considering to offer some concessions for setting up mini cement plants.

श्री बयालार रवि : प्रश्न काल के दौरान मंत्री जी नीति वक्तव्य नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह पहले ही नीति वक्तव्य दे चुके हैं ।

श्री जार्ज फर्नांडिस : मैं किसी प्रकार का नीति वक्तव्य नहीं दे रहा हूं । मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि ये विभिन्न क्षेत्र हैं जहां तत्काल राहत देने का विचार किया जा रहा है और राहत देने के सम्बन्ध में घोषणा करने में कुछ दिन लगेंगे ।

Shri Ahmed M. Patel : Will the Minister give an assurance that the crisis of cement will be over after the proposals are finalised ?

Shri George Fernandes : It will take sometime to over come the shortage of cement. Our production capacity is hardly 22 million tonnes whereas the requirement is more than that. A scheme to increase our capacity by 15 million tonnes more is under implementation. But it wili take time to install new cement plants. In order to over come the shortage of cement during this period we are importing cement.

Shri Chhabi Ram Argal : The cement manufacturers are adulterating cement, as a result of which inferior quality of cement is being supplied to the people. There is wide spread black marketing in cement. One bag of cement is being sold for rupees forty. Cement is not at all available in the rural areas. Most of the cement is consumed in urban areas. Will the Minister make arrangements so that cement is available in the rural areas to the minimum requirements of farmers ?

Shri George Fernandes : The cement companies sell cement through their dealers. There are about 24,000 dealers in the country. Allotment of cement is the responsibility of each state Government. If there are any specific cases of adulteration of cement, we will take every necessary step. So far as the question of making cement available in the rural areas is concerned, we will ask the State Governments to remove this difficulty. But as I have said that we are removing this shortage by importing it, this difficulty will be removed in a few days. We shall ask the state Government to rush cement in rural areas.

श्री आर० वेंकटरमन : मंत्री महोदय को पता है कि लघु सीमेंट कारखानों में यह प्रयोग किये गये हैं भारत सरकार ने वास्तव में तामिलनाडु के अरियालुर स्थित सीमेंट के कारखाने को अपने अधिकार में कर लिया है और उस पर कार्य किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति के निदेश पदों में सम्भाव्यता की जांच तथा लघु और बड़े सीमेंट कारखानों की समस्याओं की जांच करने का काम भी शामिल होगा ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : जी नहीं। इस समिति में लघु सीमेंट कारखानों तथा इस क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ मिनी (लघु) सीमेंट कारखानें इस समय कार्य कर रहे है । कुछ और कारखानों की स्थापना करने का विचार है । 100 मीटरी टन की क्षमता वाले कारखानों को मिनी (लघु) सीमेंट कारखानों के रूप में माना जा रहा है । हमारा यह प्रयास है कि आगामी महीनों में ऐसे अधिकाधिक कारखानों की स्थापना करने के काम को प्रोत्साहन दिया जाये।

टेलीविजन की आयातित पिक्चर ट्यूबों के वितरण का आधार

*412. **श्री पी०के० कोडियन** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन की आयातित पिक्चर ट्यूबें वितरित करने का आधार गत वर्ष से लाइसेंस क्षमता के स्थान पर उत्पादन क्षमता कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी विवरण क्या है और इसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि नीति के इस परिवर्तन से छोटा इलेक्ट्रानिक उद्योग संकट में पड़ गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी विवरण क्या है और क्या पहले वाली नीति ही फ़िर अपनायी जायेगी ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं श्रीमान।

(ख) से (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पी० के० कोडियन : मुझे "जी नहीं, श्रीमान" उत्तर सुनकर आश्चर्य हुआ है। यहां टेलीविजन की आयातित पिक्चर ट्यूबों के वितरण के बारे में प्रश्न किया गया है । अपने प्रभाव से अधिक से अधिक पिक्चर ट्यूब प्राप्त करने वाले विशेष एककों को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति के फ़लस्वरूप टेलीविजनों का निर्माण करने वाले अनेक लघु एककों को अपना काम बन्द करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, और फ़िर भी माननीय प्रधानमंत्री यही कहते है कि नीति में परिवर्तन नहीं किया गया है ।

मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि 20,000 की अधिकतम लायसेंस क्षमता वाले कुछ एककों ने 40,000 टेलीविजनों का उत्पादन कैसे किया है ? यह कैसे हुआ ?

श्री मोरारजी देसाई : नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा केवल यह सुनिश्चित करने के लिए ही किया गया है कि बड़े उत्पादकों को ही सभी लाभ उपलब्ध न हों। अतः सभी को समान रूप से वितरित की गई हैं।

छोटे एकक अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह अच्छी बात है।

श्री पी० के० कोडियन : क्या टेलीविजन की इन पिक्चर ट्यूबों का अपने देश में ही उत्पादन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ? इस मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा इन ट्यूबों के आयात पर निर्भरता को अधिकाधिक रूप से कम करने की दृष्टि से क्या व्यावहारिक कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : इनका देश में उत्पादन हो रहा है। इनका देश में अधिक निर्माण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री सौगत राय : टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों के आयात के बारे में प्रश्न किया गया है। बंगलौर स्थित भारत इलैक्ट्रानिक्स पहले ही टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों का निर्माण कर रहा है तथा इनका निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र के कुछ उद्योगों को भी लायसेंस दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में देश में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या प्रधान मंत्री आगामी पांच वर्ष के लिए टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों के आयात पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रहे हैं ताकि देश का इलैक्ट्रानिक्स उद्योग जीवित रह सके ?

श्री मोरारजी देसाई : हम अभी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं और इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। ज्योंही हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने लगेंगे हम आयात पर प्रतिबन्ध लगा देंगे।

डा० बंसन्त कुमार पण्डित : क्या टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों के देशी निर्माताओं ने सरकार को ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं कि पुर्जों या सामान का विदेशों से आयात करने के बजाय वे सुविकसित प्रौद्योगिकी से देश में संयुक्त क्षेत्र में ही निर्माण कर सकते हैं। यदि हां, तो ऐसे कितने प्रस्ताव सरकार के सम्मुख हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : मुझे पता नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का ऐसा प्रस्ताव है तो वह मुझ से मिल सकता है।

दस वर्षीय विद्युत योजना

*414. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फ़ेडरेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि बजाय 5 वर्ष की अवधि के, जैसा कि अब होता है, 10 वर्ष की अवधि के आधार पर विद्युत योजना तैयार की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है कि विद्युत विकास के लिए योजनाएं दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में बनाई जानी चाहिएं। तदनुसार आगामी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संबन्ध में 1978-83 की अवधि के लिए विद्युत विकास हेतु एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और इसके बाद के पांच वर्ष 1983-88 की अवधि में विद्युत विकास का स्वरूप निर्दिष्ट कर दिया गया है। हाल ही में अन्यों के साथ-साथ आल इंडिया इंजीनियर्स फ़ेडरेशन ने भी इसी प्रकार का मार्ग अपनाने का सुझाव दिया है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी: 10 वर्ष की अवधि में प्रत्येक वर्ष बिजली उत्पादन में वृद्धि की दर क्या होगी ?

श्री पी० रामचन्द्रन: मेरे पास वर्ष-वार के आँकड़े नहीं हैं लेकिन अगले पाँच वर्षों में हम 18,500 मेगावाट क्षमता और पैदा कर लेंगे । बाद में 20000 मेगावाट से अधिक क्षमता पैदा हो सकेगी । लेकिन मेरे पास पूरा विवरण नहीं है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या यह हमारी जरूरतों के लिए पूरी होगी ।

श्री पी० रामचन्द्रन : अगले पाँच वर्षों में जो माँग होगी उसी को ध्यान में रख कर हम यह आँकड़े दे रहे हैं ।

डा० कर्ण सिंह: विद्युत संबंधी योजना तभी प्रभावी होगी जब वह पर्याप्त मात्रा में पैदा की जा सकेगी । सलाल परियोजना पर 10 या 12 वर्ष से कार्य चल रहा है क्या उसे 1978-83 की योजना के प्रथम चरण में पूरा करके चालू कर दिया जायेगा । अधिक विलम्ब होने से लागत बहुत बढ़ जायेगी जो राष्ट्रीय हित में नहीं है ।

श्री पी० रामचन्द्रन: पिछले कुछ वर्षों से सलाल परियोजना में असाधारण विलम्ब हो रहा है । हमने उसे आगामी 5 वर्षों में पूरा करने हेतु पर्याप्त उपाय कर लिए हैं ।

श्री द्वारिका नाथ तिवारी: मंत्री जी ने अभी 18,500 मेगावाट के आँकड़े दिये हैं । क्या इस विद्युत का मुख्य भाग ऐसे क्षेत्रों को दिया जायेगा जहाँ बिजली की कमी है जैसे कि उत्तर बिहार का क्षेत्र ।

श्री पी० रामचन्द्रन : विभिन्न राज्यों में जो असंतुलन है योजना तैयार करते समय उसका ध्यान रखा गया है । लेकिन राज्य सरकारों को भी अपनी क्षमता का विकास करना चाहिये । लेकिन केन्द्र इस असंतुलन को शीघ्र ठीक करना चाहेगा ।

Shri O.P. Tyagi : Whether our industrial production has been heavily affected and if so will he consider the proposal to give certain concession to private units and factories if they generate power ?

श्री पी० रामचन्द्रन : जहाँ तक रक्षित विद्युत एककों का संबंध है उन्हें गुण-दोष के आधार पर मंजूरी दी जायेगी । यदि निजी उद्योगपति भी रक्षित संयंत्र लगाने की पेशकश करेंगे तो उन पर भी इसी आधार पर विचार किया जायेगा ।

श्री के० लकप्पा: श्री जार्ज फर्नांडिस ने सीमेंट निर्माण की क्षमता में वृद्धि के लिए उच्च स्तरीय योजना की बात कही है लेकिन बिजली की कमी के कारण उसे भी आरम्भ नहीं किया जा सका है । इनमें परस्पर सम्बन्ध है । दक्षिणी राज्यों में पन बिजली तैयार करने की बहुत गुंजाइश है लेकिन वहाँ काम पिछड़ रहा है । उदाहरण के लिए इद्दीक्की परियोजना पिछले वर्ष पूरी होनी चाहिये थी । कर्नाटक में ओरही और बेरती परियोजनाएं शुरू ही नहीं हुई हैं । यदि इद्दिक्की परियोजना समय पर पूरी हो जाती तो उससे न केवल कर्नाटक वरन् तमिलनाडु को बिजली मिलने लगती । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है । मुझे इस विषय में स्पष्ट उत्तर चाहिये । सरकार की योजना त्रुटिपूर्ण है ।

श्री पी० रामचन्द्रन: यदि योजना गलत है तो उसका उत्तरदायित्व पिछली सरकार पर है । इस सरकार ने सत्ता में आते ही स्थिति पर पुनर्विचार किया । हम देश में बिजली की क्षमता में वृद्धि

करना चाहते हैं । इसी उद्देश्य से हमने व्यापक कार्यक्रम बनाया है । जहाँ तक कर्नाटक या किसी अन्य राज्य का सम्बन्ध है राज्य सरकारों को भी अपने राज्यों पर बिजली पैदा करने के कार्यक्रम के लिए अधिक धन देना चाहिये । मैंने पहले ही कहा है कि देश में बिजली की माँग बढ़ रही है और हम भी उसी गति से चलना चाहते हैं । 1978-79 में हम वर्तमान क्षमता में 3000 मेगावाट और जोड़ना चाहते हैं । इस वर्ष 2000 मेगावाट और बिजली पैदा करने के प्रयास हो रहे हैं । आगामी वर्ष कुल 4000 मेगावाट क्षमता जुड़ जायेगी । अतः प्रत्येक वर्ष माँग के अनुसार बिजली की क्षमता बढ़ाई जायेगी । कम से कम समय में माँग पूरी करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri Yuvraj : Sir, the installed capacity of the country is 21,590.7 MW and we are generating 7483 MW only. We have installed imported machinery at our power stations like Thermal Powr Station in Barauni which has become sick resulting in power crisis. May I know what steps the hon'ble Minister propose to take to get them alright ?

श्री पी० रामचन्द्रन : मशीनें चाहे आयातित हैं या देश में निर्मित हैं जहाँ पर भी वे लगी हैं उनमें यदि कोई खराबी आ गई है तो उसे हमने शीघ्रातिशीघ्र दूर करने के लिए कदम उठाये हैं । हमने विभिन्न स्थानों पर बहु अनुशासनात्मक दल भेजे हैं ताकि उन मशीनों की जाँच करके दोष का पता लगाया जा सके और उन्हें दूर किया जा सके । इन उपायों का आगामी कुछ मास में परिणाम सामने आयेगा ।

Construction of Arrah-Mohania Road

*415. **Shri Chandradeo Prasad Verma :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether construction work on Arrah-Mohania road, a part of national highway 30, has been lying suspended for years together; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) & (b) The project of constructing the 115 Km long direct link between Arrah and Mohania on N.H. No. 30 in replacement of the existing narrow and substandard Arrah-Piro-Bikramganj-Sasaram road stands sanctioned at an estimated cost of Rs. 6.54 crores. The progress on the various components was slow till December 1976 because of delay in land acquisition, difficult accessibility, remoteness of stone quarries, dearth of contractors etc. The progress has picked up from December, 1976. About five bridges and a few culverts remain to be sanctioned and for these estimates are being got expedited from the Govt. of Bihar.

Shri Chandradeo Prasad Verma : I have seen that road. No work has been started there. I want to know whether work will be started there immediately ?

Shri Chand Ram : This road was sanctioned in 1971. An amount of Rs. 3.50 crores have already been spent on it and Bihar Government is constructing it. Government has given funds to Bihar Government with the instructions to complete the road at the earliest. I and our Chief Engineer have also written to our counterparts. Hon. member can get it expedited by the Bihar Government. Central Government can only provide money.

Shri Chandradeo Prasad Verma : Whether Government propose to double the road between Danapur and Behta on National Highway No. 30, because accidents take place there almost daily ?

Shri Chand Ram : Bihar Government have informed that the whole project is 613 Km. long. I don't know, whether Danapur falls in it or not, but they have stated that work will be finished by 1979.

Shri Hukamdeo Narain Yadav : It has been said that Government have asked the Bihar Government to expedite the work. But when they will not provide them sufficient funds in time how can it be expedited. This is not the only road in Bihar which is under construction. Why sufficient money is not provided to Bihar in time ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इससे नहीं उठता । कृपया अलग से सूचना दें ।

Increase in Heinous Crimes in Delhi

*416. **Shri Raj Keshar Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item "heinous crimes on the increase in Delhi" which appeared in the Indian Express dated the 21st February, 1978;

(b) if so, the reasons for 261.4 per cent increase in serious crimes in January, 1978 as compared to the figures for the corresponding period of last year; and

(c) the steps being taken to check them ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil) : (a) Yes, Sir.

(b) There has been increase in crime in January, 1978 as compared to the corresponding period last year. However, for obvious reasons comparison of crime figures should be with the pre-emergency year 1974. During January, 1978, there has been a decline in the number of murders and attempts to murder as compared to corresponding period 1974. There has been some increase in the cases of robbery in January, 1978. This is mainly on account of the activities of a particular gang which has since been smashed. This gang was reportedly involved in 35 incidents. However, the period of one month is too short for drawing meaningful conclusion about the trend in crime. Among the important reasons for increase in crime are-free registration of cases, release of bad characters after the revocation of the emregency, increase in population and coming up of new resettlement colonies.

(c) The following steps has been taken to check the crime sitution :—

(i) Intensive foot and mobile patrolling both during day and night, is being done to intercept robbers/thieves.

(ii) Armed pickets are being often detailed at strategic points to check movements of criminals at ood hours.

(iii) Surveillance over the known criminals is being strengthened and records of criminals updated.

(iv) Externment proceedings against criminals are being stepped up.

(v) Proposals for augmentation of the police and setting up of new Police Stations/ Posts are under active consideration.

Shri Raj Kishore Singh : It is correct that crime of murder and other crimes have decreased but the cases of dacoity and highway robbery have increased and this has created a sense of terror and fear among people. Whether Government will take steps to stop such cases and the inspectors and police of those areas will be held responsible for the same ?

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : It is not based on facts to say that crimes in Delhi are increasing. It may be possible that crimes might have increased in one month, but they might have decreased or increased in the second or third month.

Question is about January, 78. The comparative figures for months of December, 77 January, 78 and February, 1978 show that only cases of docoity have increased. So, it will not be correct to come to a conclusion on one month's figiures.

The comparative figures for the year 1970, 1974 and 1977 regarding serious crimes are as follows :

	per lakh population		
	1970	1974	1977
Decoity . . .	.7	.6	.3
Murder . . .	3.0	3.5	3.1
Attempt to Murder .	3.3	5.7	3.5
Robbery . .	8.8	7.8	6.08
Roits . . .	4.9	5.7	2.52
Burglary . .	87.8	56.2	45.88
Theft . .	434.2	416.1	372.38
Misc. . .	219.1	194.4	136.5
Total	762.0	690.3	725.9

These figures are for three years.

श्री सौगत राय : हमें इस पर एक घंटे की चर्चा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध किए जाने पर विचार किया जाएगा ।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2 के बारे में
Re : Short Notice question No. 2

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2 लेंगे ।

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हाँ ।

(ख), (ग) और (ङ) जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों का मुख्य काम·····

अध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बा वक्तव्य है इसे आप सभा पटल पर रख सकते हैं ।

श्री धनिक लाल मंडल : यह एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है, कृपया उन्हें पढ़ने दें (**व्यवधान**)

श्री सौगत राय : हम उनका वक्तव्य देख चुके हैं । विकास अधिकारियों के साथ समझौता नहीं हो रहा है, वे हड़ताल पर हैं····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि वे इसे पढ़ना चाहते हैं तो वे पढ़ें । वक्तव्य के लम्बा होने के कारण मैंने ऐसा कहा था····· (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा अनुरोध है कि तारांकित प्रश्नों के समान अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर के लम्बा होने पर उसे नोटिस आफिस में उपलब्ध कराया जाए । इससे समय की बचत होगी ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किया जाएगा मंत्री महोदय कृपया पढ़ें ।

श्री के० लकप्पा : इसमें बहुत समय लगेगा ····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि सदस्यों को प्रतियाँ नहीं मिली हैं अतः उत्तर पढ़ने दिया जाए ।

कृपया व्यवधान को कार्यवाही में शामिल न किया जाए ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के डेवलपमेंट आफिसरों द्वारा हड़ताल

डा० मुरली मनोहर जोशी :

श्री आर० के० मट्टालगी :

श्री राम धारी शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कई हजार डेवलपमेंट आफिसर हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि उक्त हड़ताल एक महीने तक चलेगी,

(ख) यदि हाँ, तो 8 मार्च, 1978 से उनके हड़ताल पर रहने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या ऐसी बातचीत भंग हो जाने के परिणामस्वरूप हुआ है और यदि हाँ, तो वे मुख्य बातें क्या-क्या हैं जिन पर सहमति नहीं हो सकी, और

(घ) इस हड़ताल को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हाँ ।

(ख), (ग) और (घ) जीवन बीमा निगम के डेवलपमेंट आफिसरों का मुख्य कार्य एजेंटों के जरिए जीवन बीमा व्यवसाय प्राप्त करना है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक डेवलपमेंट आफिसर की वार्षिक औसत परिलब्धियाँ 25,000 रुपए से अधिक बैठती हैं, ये कर्मचारी अच्छा वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं । इनके काम के स्वरूप और पालिसीहोल्डरों के हितों के अनुरूप एक युक्तिसंगत लागत पर कार्य करने की निगम की आवश्यकता को देखते हुए यह जरूरी है कि डेवलपमेंट आफिसर जो नया व्यवसाय प्राप्त करें वह काफी हो और यह व्यवसाय उस पर आने वाली लागत को देखते हुए तर्कसंगत हो । यद्यपि लागत को सीमित रखने की बात डेवलपमेंट आफिसरों के काम का मूल्यांकन करने की व्यवस्था में जो राष्ट्रीयकरण के बाद लागू की गई थी, समाविष्ट की गई थी, लेकिन कुछ वर्ष के बाद इस व्यवस्था में ढील दे दी गई और 1971 में निगम ने डेवलपमेंट आफिसरों के साथ एक समझौता किया जिसके अधीन लागत मानदंडों की बात के बिना नए व्यवसाय के न्यूनतम मानदंड निर्धारित कर दिए गए । लेकिन निगम ने जल्दी ही यह पाया कि इस समझौते के बाद डेवलपमेंट आफिसरों के काम में गिरावट आ गई है । कई डेवलपमेंट आफिसर घाटे के स्तर पर काम कर रहे थे । वर्ष 1974-75 में कुल 8000 डेवलपमेंट आफिसरों में से 2000 आफिसर ऐसे थे जिनका लागत अनुपात 35 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से भी अधिक था और इनमें से 195 डेवलपमेंट आफिसर ऐसे थे जिनका लागत अनुपात शत-प्रतिशत से भी अधिक था अर्थात् उनकी लागत उनके द्वारा लाई गई प्रीमियम की रकम से भी अधिक थी । इस संतोषजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जीवन बीमा निगम ने डेवलपमेंट आफिसरों के पारिश्रमिक को उनके द्वारा किए गए काम से जोड़ देना जरूरी समझा । लागत संबंधी विभिन्न बन्धनों के विचार से निगम ने यह महसूस किया कि किसी डेवलपमेंट आफिसर द्वारा प्राप्त किए गए नए व्यवसाय से जो प्रीमियम की आमदनी होती है वह कम से कम उस पर आई लागत से पाँचगुनी होनी चाहिए । अत: 1976 में निगम ने लागत मानदंडों की एक योजना शुरू की जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी डेवलपमेंट आफिसर का लागत अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि लागत अनुपात 15 प्रतिशत के उस लागत अनुपात मानदंड की तुलना में उदार है, जिसकी सिफारिश 1969 में मोरारका समिति ने की थी ।

डेवलपमेंट आफिसरों से लागत मानदंड समाप्त करने और स्वतः वेतनवृद्धि दिए जाने पारिश्रमिक की सुरक्षा और सेवा की सुरक्षा से संबंधित गारंटियों को बहाल करने के बारे में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम ने स्थिति की समीक्षा की और लागत मानदंड के मूल विचार को बनाए रखते हुए इन मानदंडों को लागू करने में बरती जाने वाली कड़ाई को कम करने के विचार से कई रियायतें देने की पेशकश की है। उदाहरण के तौर पर निगम ने मानदण्ड को पूरे एक वर्ष के लिए लागू करना स्थगित करने की बात मानली है ताकि डेवलपमेंट आफिसर अपने काम को सुधार सके। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में संशोधन कर दिया गया है कि उन डेवलपमेंट आफिसरों के मामले में, जिन्हें किसी वर्ष विशेष में कम काम के कारण परिलब्धियों में कमी बर्दाश्त करनी पड़ेगी यह कटौती बहाल कर दी जाएगी यदि बाद के वर्षों में उनके कार्य में सुधार हो जायगा।

इन रियायतों के दिये जाने के बावजूद डेवलपमेंट आफिसर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वे लागत मानदंड के किसी नए विचार पर केवल तब ही बातचीत करेंगे जब निगम द्वारा सेवा की सुरक्षा, स्वतः वेतनवृद्धि और वेतन की सुरक्षा से संबंधित सभी गारंटियों का आश्वासन दे दिया जाए। डेवलपमेंट आफिसरों ने अपनी माँगें मनवाने के लिए हड़ताल कर दी है और उन्होंने ऐसा इस महीने में इसलिए किया है क्योंकि निगम का 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक वार्षिक नया व्यवसाय इसी महीने में प्राप्त होता है और वर्ष के इस समय हड़ताल के कारण जीवन बीमा निगम के व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

सरकार का यह निश्चित मत है कि डेवलपमेंट आफिसरों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लागत मानदंड की योजना का होना बहुत जरूरी है। जाहिर है कि इसे देखते हुए, मौजूदा हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी, यदि डेवलमेंट आफिसर लागत मानदंड के सिद्धांत को स्वीकार कर लें, तो सरकार किसी भी ऐसे उचित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है जो डेवलपमेंट आफिसरों के लिए न्यायसंगत होने के साथ-साथ जीवन बीमा निगम के पालिसी होल्डरों के उचित हितों की भी रक्षा करता हो।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मंत्री महोदय ने एक लम्बा वक्तव्य दिया है इसलिये मुझे कुछ अधिक समय दिया जाये।

1976 का यह आदेश भी आपात्तकालीन स्थिति की उन ज्यादतियों में से एक है जिसके द्वारा 1971 का समझौता रद्द किया गया था। मंत्री महोदय ने बहुत बातें बताई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों ने क्या जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी महासंघ से 1971 के समझौते को रद्द करने से पहले वार्ता करने की पेशकश की थी कि इसे रद्द किया जाये या नहीं। यदि कोई पेशकश नहीं की गयी और कोई वार्ता नहीं की गयी तो इस मामले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पर आयें।

डा० मुरली मनोहर जोशी : इन्होंने विकास अधिकारियों के लागत अनुपात का भी जिक्र किया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह लागत अनुपात किस प्रकार निश्चित किया जाता है और उन विकास अधिकारियों का अनुपात क्या है जिनका लागत अनुपात 20, 30 अथवा 40 प्रतिशत से बढ़ता है और क्या जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों की कार्यक्षमता में 1971 के समझौते के बाद कमी आयी है अथवा जीवन बीमा निगम के व्यापार में वृद्धि हुई है और ये लागत मापदंड किस सीमा तक एकपक्षीय हैं अथवा पालिसी होल्डरों के पक्ष में है, जैसे कि मंत्री ने कहा है।

श्री एच० एम० पटेल : यह प्रश्न बहुत लम्बा है लेकिन जीवन बीमा निगम ने फैडरेशन से बातचीत किये बिना समझौते को रद्द नहीं किया है। समझौता 1973 में रद्द हुआ। उसके बाद जीवन बीमा निगम ने पुनः योजना बनाने तथा बातचीत करने का प्रयास किया और इन्हें 1974-75 में सरकार को भेजा ।

मैंने विकास अधिकारियों के कार्यों की चर्चा भी की है। मैं इसके बारे में कुछ सूचना दूंगा। **(व्यवधान)** ।

लागत से नीचे काम करने वाले विकास अधिकारियों की संख्या जो 1973-74 में 33.2 प्रतिशत थी कम होकर 1975-76 में 24.3 प्रतिशत हुई अर्थात् केवल 2 वर्ष के अंदर 9 प्रतिशत कम हुई इसी अवधि के अन्दर 20 और 40 प्रतिशत लागत अनुपात में काम करने वालों की लागत अनुपात बढ़कर 33 से 37 हुई और 40 प्रतिशत से ऊपर काम करने वालों के मामले में 15 से 21 प्रतिशत वृद्धि हुई । 1974-75 के दौरान 195 विकास अधिकारियों का लागत अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक था । यह भी देखा गया है कि 1972-73, 1973-74 तथा 1974-75 के दौरान 47 प्रतिशत विकास अधिकारी 20 प्रतिशत या इससे कम लागत अनुपात पर काम कर रहे थे, जिन्होंने 68 प्रतिशत व्यापार निगम को दिया जबकि शेष 53 प्रतिशत विकास कर्मचारियों ने 33 प्रतिशत का काम निगम को दिया। अतः विकास अधिकारियों को एक आर्थिक स्तर पर काम करने के लिये कुछ स्तर निर्धारित करना ज़रूरी समझा गया । **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभापति तालिका के सभापति नियमों को जानते हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मंत्री महोदय ने कहा है कि यह एकपक्षीय निर्णय नहीं था । लेकिन मेरे विचार में जीवन बीमा निगम का मामला यह रहा है कि इसे एकपक्षीय रूप से रद्द किया गया । मैं यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है ।

चूंकि सरकार इस प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय एक ऐसे त्रिपक्षीय सम्मेलन करने के लिये तैयार हैं जिसमें जीवन बीमा निगम के सदस्य विकास फैडरेशन, जीवन बीमा प्रबन्ध तथा मंत्रालय के लोग भाग लें ताकि ऐसा समाधान निकाला जा सके जो सबके लिये लाभदायक हो। क्या वह इसके लिये तैयार हैं अथवा नहीं ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं वक्तव्य में कह चुका हूं कि सरकार बातचीत करने के लिये तैयार है । **(व्यवधान)** ।

लागत नियम स्वीकार किये जाने चाहियें। यह एक पहलू है। यदि यह स्वीकार्य नहीं तो कोई भी लाभप्रद बातचीत नहीं हो सकती। क्या विपक्ष के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जीवन बीमा निगम घाटे की लागत पर काम करे ताकि पालिसीधारी को कुछ न मिले ।

मैं यह कहता हूं कि यह निर्णय भूतपूर्व सरकार द्वारा लिया गया ।

(व्यवधान)

श्री सौगत राय : यह भी एक आपातकालीन ज्यादती है।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सरकार बतचीत करने के लिये तैयार है लेकिन शर्त यह है कि उन्हें लागत नियम के सिद्धांतों को स्वीकार करना होगा ।

श्री आर० के० महालगी : उत्तर के आखरी भाग को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने कल विकास अधिकारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले । क्या यह बातचीत लाभदायक सिद्ध होगी ?

श्री एच० एम० पटेल : आज सुबह विकास अधिकारियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि क्या मैं उनका ज्ञापन लूंगा ? उन्होंने मुझे एक पृष्ठ का ज्ञापन दिया । वे बातचीत करना चाहते थे और रोजगार की सुरक्षा आदि चाहते थे । मैंने कहा कि उस प्रकार की शर्तें मंजूर नहीं और लागत नियम के सिद्धांत स्वीकार किये जाने चाहिये जो पालिसिधारियों के लिये लाभदायक हैं और विकास अधिकारियों के लिये यह अनुचित नहीं होगा । मैंने कहा कि यदि आप सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो मैं आगे बातचीत करने के लिये तैयार हूं । इसके अलावा मैं और क्या कर सकता था ।

Shri Ram Dhari Shastri : I want to know whether the Minister will consider clause 6 of the bilateral agreement inforce from 1971 to 1978 regarding amendments after discussion between the two parties ?

Secondly, due to this strike a loss of ten crores of rupees is being incurred daily and uptill now the total loss incurred is Rs. 2,000 crores and since the date of this agreement L.I.C's business has increased more than Rs. 2,000 crores. Keeping in view all these facts, will you abide by this bilateral agreement ? Are you prepared to have a tripartite agreement in order to call off this strike. The Morarka Committee made its recommendations in 1969 which were not accepted by Government in 1971. Keeping in view the whole situation, will you consider this matter and avoide a loss of rupees thousands of crores ?

श्री एच० एम० पटेल : जीवन बीमा निगम का बिजनेस बढ़ गया है । किन्तु साथ ही बिजनेस की लागत भी बढ़ गई है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं प्रतिनिधियों से मिलने तथा बातचीत करने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि वे लागत की बात को स्वीकार कर लें जो कि पोलिसीधारियों के लिए उचित है और विकास अधिकारियों के लिए अनुचित नहीं होगी ।

Shri Ram Dhari Shastri : Sir, my question has not been replied to. The Morarka Committee mooted out a principle regarding work in 1969 and made recommendation, which was not accepted by the Government in 1971. Are you ready to consider that recommendation with open heart without putting any condition or without quoting any condition before them ?

श्री एच० एम० पटेल : श्रीमान, नहीं मैं यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं । केवल उस शर्त पर तैयार हूं जिसका मैंने उल्लेख किया है । माननीय सदस्य को जानना चाहिए कि मोररका समिति की सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी। किन्तु विकास अधिकारियों ने प्रतिरोध किया और इसलिए उस समय जीवन बीमा निगम ने अनुभव के पश्चात् इसे त्याग दिया। उसके पश्चात् उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश विकास अधिकारियों के काम में काफी गिरावट आ रही है।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : The Hon. Minister in his reply said that the present cadre of development officers will become uneconomic. The agreement was reached at in 1971. It has been said that thereafter the business of L.I.C. has increased. While scraping the agreement, the representatives were not consulted. How for the recommendations of Morarka Committee were implemented ? I want to quote from a letter of L.I.C.

"राष्ट्रीकरण के पश्चात् निगम ने एक क्षेत्र संगठन का ढांचा अपनाया जिसमें विकास अधिकारियों का संवर्ग भर्ती, मार्ग दर्शन और ऐजेंटों के आये दिन की गतिविधियों पर पर्यवेक्षण करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निगम के बिजनेश के बढ़ जाने के कारण लगभग 5,300 वेतनभोगी निरीक्षकों का तबादला निगम में कर दिया गया और यह अपनी गतिविधियों को देश के विभिन्न भागों में फैला रहा है। इसलिए विकास अधिकारियों का संवर्ग आवश्यक समझा गया है।

निगम के कार्य में कुछ वर्षों से हुई वृद्धि विकास अधिकारियों की संख्या में होने वाली वृद्धि के समरूप रही है तथा नीचे दिखाई गई तालिका में यह देखा जा सकता है। मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता । एक विकास अधिकारी का औसत उत्पादन 1958 में 65 लाख रुपये था जिसमें 1975-76 में 23.6 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।"

Since the business is increasing, there was no reason to scrap the agreement. The Government hod no right to reduce the pay-scales of those employees whose pay-scales were fixed.

श्री एच० एम० पटेल : मुझे यह देखकर हर्ष हुआ है माननीय सदस्यों ने उन लोगों के बारे में बहुत उत्सुकता दिखाई है, जिनकी कुल परिलब्धियां 2000 रुपये हैं। किन्तु आप यह नहीं चाहते कि वे पूरे दिन संतोषजनक काम करें ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि जीवन बीमा निगम का विजनेश बढ़ गया है। ठीक है, विजनेश बढ़ता ही रहता है। यह सही है। यदि विजनेश चार गुना बढ़ा है तो विकास अधिकारियों की लागत में 6 गुना वृद्धि हुई है।

Dr. Laxmi Narain Pandeya : The question has not been fully answered. The agreement took place in 1971. Has there been any talk with them at the time of scrapirg the agreement. If there was no negotiation; what are the reascns thereof ?

श्री एच० एम० पटेल : श्रीमन् मैं यह नहीं जानता। किन्तु इतना मैं अश्वय जानता हूं कि जीवन बीमा निगम ने फेड्रेशन के समक्ष ये बातें रखी हैं, यद्यपि फेड्रेशन का कहना है कि औपचारिक रूप से कोई बातचीत नहीं हुई है। अनौपचारिक रूप से कुछ बातचीत हुई थी और जीवन बीमा निगम चाहता था कि उन्हें लागत सिद्धांत को भी सम्मिलित करना चाहिए। यही बात उनसे की गई ।

श्री हितेन्द्र देसाई : श्रीमान इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे जीवन बीमा निगम के हजारों कर्मचारियों का सम्बन्ध है, और इस सभा के सभी वर्गों के संसद् सदस्यों का उनका समर्थन प्राप्त है, क्या मंत्री महोदय इस मामले के बारे में संसद् सदस्यों से बातचीत करेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय सदस्य की यह सही बात नहीं है कि उनकी मांगों का इस सभा के सभी वर्ग समर्थन करते हैं । मैं कहता हूं (**व्यवधान**) कि सभा के समस्त वर्ग एक इस मांग का अवश्य समर्थन करते कि विकास अधिकारियों के साथ बातचीत की जाये । मैं पूरी तरह इस बात का समर्थन करता हूं बशर्ते कि वे लागत सिद्धांत की इस शर्त को स्वीकार कर लें (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बार-बार क्यों उठ रहे हैं । मैं सभी दलों को बोलने का अवसर दे रहा हूं । चार सदस्य पहले ही बोल चुके हैं । श्रीमती पार्वती कृष्णन् ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : श्रीमान मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने फील्ड अधिकारी काम कर रहे हैं ? सामान्य लागत सिद्धांत से उनका क्या मतलब है ? क्योंकि कोई भी जानता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कार्य कितना सीमित है । मैं जानना चाहती हूं कि मंत्री जी उनसे मिलकर बातचीत क्यों नहीं कर सकते और बजाय कोई शर्त रखने के उनकी स्थिति का पता क्यों नहीं लगाते । इसमें विलम्ब करने से तो जीवन बीमा निगम को और अधिक घाटा होगा ।

श्री एच० एम० पटेल : सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने उनसे मिलने के लिए कभी भी इन्कार नहीं किया है । मैं उन्हें आज सुबह मिला हूं.... (**व्यवधान**)

मेरी शर्त यह है कि वे समुचित मात्रा में कार्य करें । विकास अधिकारियों को बिजनेस की रक्षा करनी होती है । यदि बिजनेस के काम में कमी हो रही हो तथा लागत बढ़ रही हो तो फिर यह स्पष्ट है कि वे अपना कार्य समुचित रूप से नहीं कर रहे हैं ।

माननीय सदस्या ने पूछा है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही सिद्धांत लागू किया जायेगा ? जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन पर यह अवश्य लागू होगा । बातचीत

के समय यह स्पष्ट किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि उनके कार्य को इस ढंग से परखा जायेगा जो कि उनके लिए तथा पालिसीधारियों के लिए अनुचित नहीं होगा । इस मामले में न केवल विकास अधिकारी ही बल्कि बड़ी संख्या में पालिसीधारी भी अन्तर्गस्त हैं ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : श्री पटेल बहुत मृदु स्वभाव के व्यक्ति हैं । उन्होंने यह स्वीकार कर लिया है कि यदि वे लोग यह शर्त स्वीकार कर लें तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूं । फेड्रेशन तथा कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि हमें कार्य के नापतोल पर कोई आपत्ति नहीं है । यह बात उन्होंने 1971 के समझौते में स्वीकार कर ली थी । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पालिसीधारियों की शर्तें आदि भी अधिक सख्त बन गई हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बातचीत में लागत सिद्धांत और उसके क्षेत्र को भी सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री एच० एम० पटेल : अवश्य । लागत सिद्धांत क्या होगा, इस पर बातचीत की जायेगी ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मंत्री जी ने मुख्य प्रश्न के उत्तर में जो विस्तृत विवरण दिया है तथा विभिन्न अनुपूरक प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं, उनसे वर्तमान सरकार की नीति स्पष्ट हो जाती है । किन्तु उन्होंने समूची स्थिति की व्याख्या नहीं की है ।

मेरा प्रश्न यह है कि यह विशेष निर्णय भूतपूर्व सरकार ने आपातस्थिति के दौरान विकास अधिकारियों को विश्वास में लिए बिना एकतरफा ढंग से लिया था और चूंकि वर्तमान सरकार गैर-तानाशाही प्रवृत्ति के प्रति बचनबद्ध है, इसलिए क्या सरकार इस पर बिना किसी शर्त के बातचीत करेगी ? अब जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को पालिसीधारियों के हितों को प्रभावित किए बिना कतिपय लेखा सिद्धातों को ध्यान में रख कर काम करना पड़ता है । क्या ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे कि जीवन बीमा निगम इन तमाम वर्षों में यह सब कुछ नहीं कर रहा था और केवल आपातस्थिति के दौरान उन्होंने विकास अधिकारियों को उपेक्षा करके ऐसा किया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री एच० एम पटेल : मैं यह बात दोहरा दूं कि मैं बिना किसी शर्त के बातचीत करने के लिए तैयार हूं । मेरी शर्त केवल यह होगी (**व्यवधान**) यह मेरे लिए बिल्कुल आसान है... (**व्यवधान**) मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि इस सभा के माननीय सदस्य बिजनेस को गैर बिजनेस की तरह चलाना चाहेंगे । मुझे इस सभा के विचारों की पुष्टि करने में हर्ष होता है । विपक्षी दल के लोग सोचते हैं कि जीवन बीमा निगम के कार्य को गैर-बिजनेस ढंग से चलाने के लिए हमें समझौता करना चाहिए । मैं इस तरह का समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं (व्यवधान) मैंने कहा है कि हम निश्चित ही उनसे बातचीत करेंगे । यदि वे नए सिरे से बातचीत करना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है..... (व्यवधान) उनकी तरफ से भी कोई शर्त नहीं होगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

Promotion of S.C. and S.T. in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

*406. **Chowdhury Balbir Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes had written to the management of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi for promotion, etc. of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in accordance with the rules;

(b) if so, full details of the action taken by Khadi Bhavan management thereon and the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees promoted under the quota reserved for them; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) Yes, Sir.

(b) The Staff Selection Committee recommended to give promotion to Skri Lalta-Prasad, Lower Division Clerk, as Upper Division Clerk but the same could not be effected due to the interim order passed by the Asstt. Labour Commissioner (Centre) asking the management of the Khadi Gramodyog Bhavan not to give any promotion till the case filed by the Khadi Gramodyog Bhavan Workers Union is decided. In the meanwhile the post also lapsed due to having remained vacant for more than six months. However, action to revive the post was taken immediately and on receipt of communication from the Asstt. Labour Commissioner vacating the stay order, Shri Lalta Prasad was promoted as Upper Division Clerk.

(c) Does not arise.

Uniformity in Levy of Electricity Tax

†*413. **Shri Sukhendra Singh** : Will the **Minister of Energy** be pleased to state :

(a) whether with a view to encourage rural electrification, Central Government propose to bring about uniformity in the country in regard to levy of electricity tax in all the States;

(b) If so, the details thereof; and

(c) whether Central Government propose to issue guidelines to the State Governments in this regard ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

श्रीलंका को फिल्मों के निर्यात में कमी

*447. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका को हिन्दी और तमिल फिल्मों का निर्यात कम हो गया है ;

(ख) क्या श्रीलंका द्वारा भारतीय फिल्मों के लिए दिये जाने वाले मूल्य में भी 75 प्रतिशत की कमी हो गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसार मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं ;

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

उपभोक्ता समितियों के माध्यम से कागज का वितरण

*418. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएसन आफ प्रिंटर्स, पब्लिशर्स एंड लिथोग्राफर्स ने हाल ही में सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि देश के सभी कागज मिलों के उत्पादन को एक केन्द्रीय

पूल में लाया जाये और उसका उपभोक्ता समितियों या नागरिक पूर्ति विभाग के माध्यम से सीधा वितरण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय मिलों द्वारा 2750 रु० प्रति मी० टन की निर्धारित दर पर केवल सफेद छपाई का कागज सप्लाई किया जाता है तथा इसका वितरण सरकार के निदेशों के अनुसार किया जाता है । सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि कागज की सभी किस्मों के वितरण पर नियंत्रण रखा जाये या उस पर उचित दरें निश्चित की जायें ।

पुलिस अधिकारियों के दिल्ली में और वहां से बाहर स्थानान्तरण

*419. **श्री डी० बी० चन्द्रगोडा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बहुत से पुलिस अधिकारी लाये गये हैं और बहुत से वरिष्ठ और अधीनस्थ अधिकारी अन्य राज्यों को स्थानान्तरित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत एक वर्ष में स्थानान्तरित किये गए तथा अन्य राज्यों से दिल्ली में लाये गये अधिकारियों की संख्या का विवरण क्या है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): (क) तथा (ख) : संभवतः प्रश्न का संबंध अन्य राज्यों से दिल्ली पुलिस में और दिल्ली पुलिस से अन्य राज्यों में पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से है । दिल्ली पुलिस का कोई अधिकारी अन्य राज्यों में न तो प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है और न स्थानान्तरित किया गया है । संघ शासित क्षेत्र संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का अन्य संघ शासित क्षेत्रों को स्थानान्तरण और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में उनकी प्रतिनियुक्ति एक सामान्य बात है । गत वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी अपने मूल राज्य को वापस भेजा गया था जबकि तीन को केन्द्रीय पुलिस संगठनों में नियुक्ति के लिए कार्यमुक्त किया गया था इस समय भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारी दिल्ली पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

Setting-up big Industry in Jaipur

*420. **Shri Nathu Singh** : Will the **Minister of Industry** be pleased to lay a statement showing :

(a) whether Government propose to set-up some big industry in Jaipur (Rajasthan);

(b) if so, when and the outlay involved therein together with the capacity thereof;

(c) whether the State Government has also approached the Centre for the purpose; and

(d) the names of places in Rajasthan where the State Government or industrialists propose to set up industries for which they have sought permission ?

Minister of Industry (Shri George Fernandes) : (a) to (c) The Central Government do not have any proposal for setting up of any big industry in Jaipur under the Central Sector. The State Government desire that some Central Public Sector Project may be set up in Rajasthan. Decisions on the location of Public Sector Projects, however, are based on techno-economic considerations.

(d) The details of Letters of Intent & Industrial Licences, including names of the party and location of the project, are published in "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences" and "Monthly Lists of Letters of Intent and Industrial Licences". Copies of these publications are available in the Parliament Library. According to the information furnished by the State Government, industries are proposed to be set up at Alwar, Kota, Swaimadhopur, Udaipur, Jodhpur, Ajmer, Jaipur, Bhilwara, Pali and Bundi Sirohi.

साम्प्रदायिक दंगे

*421. **श्री अब्दुल अहमद वकील :**

श्री चित्त बसु :

क्या **गृह मंत्री** निम्नलिखित की जानकारी दर्शानेवाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात् देश में कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं ;

(ख) साम्प्रदायिक दंगों के कारण क्या हैं, उनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितनी सम्पत्ति की हानि हुई ;

(ग) दंगों के लिये कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया एवं उन पर मुकदमा चलाया गया तथा वे किस किस सम्प्रदाय के थे तथा न्यायालयों में वे मामले किस अवस्था में हैं ;

(घ) क्या मृतकों के आश्रितों को कोई राहत दी गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) अप्रैल से अक्तूबर, 1977 तक की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक दंगों की 9 घटनाएं हुई । अक्तूबर, 1977 के बाद की अवधि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) ये साम्प्रदायिक दंगे पूजा के स्थानों से संबंधित विवादों, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और धार्मिक जलूसों जैसे विभिन्न कारणों से हुए । इन दंगों में 14 व्यक्तियों की जानें गईं और लगभग 2.58 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति की क्षति हुई । अक्तूबर 1977 के बाद की इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि

*422. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में विद्युत उत्पादन में 2250 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता बढ़ी है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 1245 मेगावाट की क्षमता चालू की जा चुकी है । 31 मार्च, 1978 तक 760 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता चालू किए जाने की संभावना है जिससे कुल क्षमता लगभग 2000 मेगावाट हो जाएगी ।

अब तक निम्नलिखित यूनिटें चालू की गई हैं :—

(क) ताप विद्युत

	मेगावाट
1. ओबरा विस्तार (यूनिट-9)	200
2. हरदुआगंज 'ग' (यूनिट-दो)	60
3. अमरकंटक विस्तार (यूनिट-एक)	120
4. कोठागुडम (यूनिट-8)	110
कुल	490

(ख) जल विद्युत

	मेगावाट
1. ब्यास (देहर यूनिट-एक) .	165
2. लोअर सिलेरू (यूनिट-एक)	100
3. पोंग बिजली घर यूनिट-एक और दो	120
4. नागार्जुनसागर .	110
5. लोअर झेलम (यूनिट-एक)	35
6. कुंडाह बिजली घर चरण-चार (यूनिट-एक)	60
7. ब्यास देहर (यूनिट-दो)	165
जोड़	755 मेगावाट

जोड़ : (ताप विद्युत + जल विद्युत) = 1245 मेगावाट

ताप विद्युत और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उच्च-स्तरीय निर्माण मानीटरिंग यूनिटें हैं । विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और समस्याओं संबंधी सूचना वे निरन्तर लेती रहती हैं और परियोजनाओं के चालू करने में शीघ्रता लाने तथा लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से, अड़चनों को दूर करने में ये सहायता करती हैं ।

Providing Jobs to persons who became unemployed due to MISA

*423. **Dr. Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether many persons detained under MISA during emergency have been rendered unemployed;

(b) if so, whether Government have a policy to provide employment to the members of their families; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) to (c) The services of a large number of employees of Government, public sector undertakings and private enterprises were terminated as a consequence of their detention during the Emergency under the Maintenance of Internal Security Act. Instructions were issued on the 10th May, 1977 for the reinstatement of all such employees of the Government. The Ministry of Labour also advised all undertakings, both in the public and private sector, to reinstate all such employees.

There have also been cases where prolonged detention has led to dislocation in private vocations and business, causing serious financial distress. State Governments have been advised to accord priority in the sanction of assistance under the existing schemes for those imprisoned for political reasons under the Maintenance of Internal Security Act or the Defence and Internal Security of India Rules during the period of Emergency for a period of six month or more.

Appointment of Hindi Officers in Ministries

*424. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a scheme was drawn up in 1988 regarding appointment of Hindi officers in various Ministries; and

(b) if so, whether a copy thereof will be laid on the Table ?

Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : (a) & (b) Model Uniform Recruitment Rules for the posts of Hindi Officers in various Ministries/Departments were issued in 1968. A copy of which is being placed on the table of the House. [Placed in Library *See* No. L.T.—1884/78].

टेलीविजन कार्यक्रमों में सुधार

*425. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के टेलीविजन उद्योग में टेलीविजनों के बहुत ज्यादा जमा हो जाने के समाचार की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को टेलीविजन कार्यक्रमों की घटती हुई लोकप्रियता की भी जानकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) देश में टेलीविजन रिसीवर उद्योग में कोई भरमार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : श्रोताओं की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए दूरदर्शन केन्द्रों के लिए समय समय पर श्रोता अनुसंधान सर्वेक्षण किए जाते हैं । ये सर्वेक्षण यह नहीं दर्शाते कि कार्यक्रम अलोकप्रिय होते जा रहे हैं ।

कोयले के समान मूल्य

*426. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सम्पूर्ण देश में कोयले के मूल्यों में समानता न होने के कारण कोयला-क्षेत्रों से अधिक दूरी पर स्थित कुछ ऐसे राज्यों पर अतिरिक्त और परिहार्य भार पड़ता है जिन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयला खरीदना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देशभर में कोयले के मूल्यों में समानता लाने का है और यदि हां, तो किस प्रकार और कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) कोयले और कोक का विक्री मूल्य अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होता है । यह जिन कोयला खानों से कोयला अथवा कोक प्राप्त किया जाता है उनसे बिक्री के स्थान की दूरी पर तथा प्रयोग में लाए गए परिवहन के साधन पर निर्भर करता है ।

(ख) और (ग) इस समय सारे देश में कोयले के मूल्यों में समानता लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इसका कारण यह है कि कोयले के मूल्य निर्धारण के वर्तमान तरीके से प्रमुख उपभोक्ताओं को अपने यूनिट कोयला क्षेत्रों के निकट ही स्थापित करने का प्रोत्साहन मिलता है और इस प्रकार परिवहन प्रणाली पर कोयला ढुलाई का भार बहुत कम हो जाता है ।

वैरिएबिल एनर्जी साइक्लोट्रोन परियोजना के वैज्ञानिकों की आत्महत्या

3874. **श्री राज कृष्ण डान** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी० ई० सी० परियोजना के एक या दो वैज्ञानिकों ने आत्म हत्या की थी ;

(ख) क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणाली में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अमरीका भेजे गए वी० ई० सी० के एक वैज्ञानिक ने स्वदेश लौटने से इन्कार कर दिया और उसके स्थान पर भजे गये दूसरे वैज्ञानिक ने वी० ई० सी० से त्यागपत्र दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने आत्महत्या की और उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जो एक वैज्ञानिक के स्थान पर अमरीका भेजा गया था ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन परियोजना के एक वैज्ञानिक श्री एस० मुखर्जी की मृत्यु उनके निवास-स्थान पर बिजली का करंट लग जाने से हो गई थी । वे एक फोड़े से बहुत लम्बे समय से पीड़ित थे और उस बीमारी की वजह से उन्हें प्रायः मानसिक अवसाद के दौरे पड़ा करते थे ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उनकी जगह किसी और व्यक्ति को भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

Ceiling Prices of Cloth

3875. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have achieved any success in fixing the ceiling prices of cloth by reducting considerably the varieties of cloth and fixing the ceiling prices of cloth on the basis of the counts of yarn; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) & (b) There is at present no statutory scheme for variety reduction in the production of cotton textiles and the question of fixation of ceiling prices in that context does not arise.

Blackmarket of Cotton sold by C.C.I. to M/s. J.M. Textile Mills

3876. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2251 on the 1st December, 1977 and note :

(a) whether it is a fact that the cotton supplied by the C.C.I. to M/s. J.M. Textile Mills during the past three years, was sold in black market by the Mills; and if so, whether the matter is proposed to be inquired into by Government; and

(b) the quantity of cotton consumed by the said mill at present and the parties from which the same is purchased ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Government is not aware of any mill by the name of J.M. Textile Mills.

(b) Does not arise.

वर्ष 1978-79 में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिये किया गया नियतन

3877. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शिक्षा, सामाजिक उत्थान तथा सांस्कृतिक विकास हेतु वर्ष 1977-78 के लिये आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिये धनराशि का नियतन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को सापेक्ष अनुदान अथवा सहायता के रूप में राशि दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मंत्रालय ने वर्ष 1977-78 में तथा छठी पंचवर्षीय योजना के लिये आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिये क्या योजनायें तैयार की हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) (क) से (ग) : 1977-78 के दौरान लगभग 7.30 करोड़ रुपए की धन राशि विभिन्न राज्यों के शिक्षा तथा अन्य सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित की गई थी । 1978-79 के लिए प्रस्तावित राशि लगभग 10.50 करोड़ रुपए हैं । विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि राज्यों को अनुपूरक अनुदान के रूप में दी जाती है ।

यमुना पार क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की कठिनाइयां

3878. **श्री किशोर लाल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना पार क्षेत्र में, वहाँ से आपात स्थिति के दौरान लगभग दो लाख झुग्गी झोंपड़ी निवासियों के भेजे जाने के पश्चात् अब लगभग कितनी जनसंख्या है ;

(ख) क्या यमुना नदी पर बने पुल दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र और दिल्ली के व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काफी हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो व्यक्तियों की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) 1971 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली के यमुना-पार क्षेत्र की आबादी 4,62,241 थी। चार स्थायी पुल पहले ही विद्यमान हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल के निकट एक और पुल बनाने की योजना बनाई गई है ।

एकाधिकार गृहों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार

3879. **श्री ए० बाला पजनोर**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार गृहों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के विस्तार तथा उनकी गतिविधियों में भारी कटौती करने के लिये एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता के बारे में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में कही गई बातों का अध्ययन किया है; और

(ख) इस संबन्ध में सरकार का विचार कब तक कोई स्पष्ट नीति बना लेने का है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) और (ख) सरकार ने पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री का बजट वक्तव्य देख लिया है। उद्योग मंत्री 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के सामने औद्योगिक नीति विवरण रख चुके हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कम्पनियों के कार्यकलापों के विनियमन से संबन्धित सरकार की नीति को स्पष्ट करता है। विवरण के पैरा 17, 18 और 19 में सरकार की बड़े औद्योगिक गृहों के विस्तार से संबन्धित नीति की व्याख्या की गई है। विवरण के पैरा 24, 25 और 26 में विदेशी निवेश और विदेशी कम्पनियों से संबन्धित नीति को स्पष्ट किया गया है।

Supply of Coal to Power Stations

3880. **Shri Govind Ram Miri**: Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) whether Government are awere of the increasing demand for electricity in the country which can be met only by setting up new thermal power stations or by expanding the existing ones by the State Electricity Boards;

(b) the steps being taken by Government to ensure Coal supply for new power stations for implementing the power generation programmes; and

(c) the steps being taken to locate the coal deposits in absence of which the power projects are being delayed?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran): (a) Sir, Yes,

(b) The Standing Linkage Committee set up by the Government in January '73 meets regularly to review the coal supplies to existing and new thermal power stations to match the power generation programme. The Committee comprises representatives of the Ministry of Railways, Central Electricity Authority, the Planning Commission, the Coal producing organisations, the Department of Coal, the Department of Industries and Civil Supplies, Central Fuel Research Institute, Central Mine Planning and Design Institute. Besides the regular periodical meetings of the Standing Linkage Committee special meetings are also being held as and when necessary to give clearance to the new thermal power stations from coal availability angle.

(c) Government has already taken necessary steps for exploring coal reserves in the country, especially for meeting the requirements of thermal powar generation. No power station has been held up for want of coal.

Appointments of Harijans and Adivasis in Services

3881. **Dr. Ramji Singh**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Harijans and Adivasis appointed on Class I, Class II, Class III and Class IV posts in the Central Government during 1976-77 and 1977-78; and

(b) whether Government propose to appoint more Harijans and Advasis on senior posts during the current year ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) A statement showing the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates appointed under the Central Government in Classes I, II, III and IV (excluding sweepers) posts during the calendar year 1976 is attached. Similar information in respect of the calendar year 1977 is due and will be available from the Ministries/Departments only after the 31st March, 1978.

(b) Reservations are already available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in various posts, including senior posts, in accordance with the relevant orders on the subject. The appointing authorities are required to take all the prescribed steps to secure Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates against vacancies reserved for them including the reservations carried forward from the previous years. These steps will continue to be taken during the current year also. In addition, the following further steps have recently been taken with a view to augmenting the intake of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services :—

(i) Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including vacancies 'carried forward') is generally subject to the ceiling of 50% of the total number of vacancies in a year. It has since been decided, however, that wherever there is 'carry forward' of unfilled reserved vacancies, there need be no objection to going beyond the limit of 50% of the total vacancies in a year by way of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, provided the overall position of representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the particular grade or service is found to be not adequate (i.e. it is less than 15% and 7½% respectively).

(ii) Instructions have also been issued to the effect that where the number of appointments to be made on the basis of 'deputation' is fairly substantial in any Ministry/Office, the appointing authority should endeavour to see that a fair proportion of such posts is filled by employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, subject of course to the availability in the feeder cadres, of qualified persons belonging to these communities.

Statement

Statement showing the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates appointed under Central Government in Classes I, II, III and IV posts during the year 1976.

Class	Number of Scheduled Castes appointed	Number of Scheduled Tribes appointed
I	243	67
II	423	74
III	17356	6584
IV	13261	9194

(Excluding sweepers)

Promotion of Officers in Army

3882. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the names of the persons promoted from Colonel to Brigadier and from Brigadier to Major General in the Army during the last two years and the dates of their appointment on these posts; and

(b) whether it is a fact that these appointments have not been made on seniority basis ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Names of officers promoted from Colonel to Brigadier and from Brigadier to Major General during the years 1976 and 1977 and the dates of their appointment to these posts are given in the attached statement. [Placed in Library. *See* No. L.T.–1885/78].

(b) The appointments are ordinarily made according to the order in which these are approved for promotion by the Selection Board in the General Cadre or within each respective Corps or Service. Inter-se-seniority is protected for substantive promotion to the rank irrespective of the date of assumption of the higher acting rank.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों को राष्ट्रीय आधार पर मान्यता

3883. **श्री पायस टिर्की** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों को राज्य के बजाय राष्ट्रीय आधार पर मान्यता देने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जन जातियाँ राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के संबन्ध में विनिर्दिष्ट की गई हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अखिल भारतीय सूची के लिए उपबन्ध बनाने के लिए इन अनुच्छेदों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों की कोई सूची नहीं बनाई हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र के रूप में घोषित करना

3884. **श्री महेन्द्र सिंह सैयावाला** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को सरकार ने पिछड़े क्षेत्र घोषित किया है क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र पाकिस्तान के साथ हुए सभी युद्धों में सदैव पीड़ित रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या फिरोजपुर जिले को भी इसमें शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमावर्ती जिलों के कुछ क्षेत्रों को राज्य सरकार ने पिछड़े क्षेत्र घोषित किया है परन्तु इस कारण नहीं कि उन्हें युद्धों में हानि उठानी पड़ी है ।

(ख) उसके कुछ भाग को, अर्थात् सतलुज के केवल बेत क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एलप्पी स्थित आकाशवाणी केन्द्र को एक पूर्ण केन्द्र में बदलना

3885. **श्री वी० एम० सुधीरन :**
श्री वयालर रवि :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एलप्पी तथा त्रिचूर स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में सुधार करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या एलप्पी केन्द्र को एक प्रसारण केन्द्र में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ; और

(ग) त्रिचूर केन्द्र पर सुविधायें बढ़ाने तथा युवावाणी कार्यक्रम शुरू करने संबन्धी प्रस्ताव क्या है और उन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एलप्पी के रिले केन्द्र को एक पूर्णरूपेण प्रसारण केन्द्र में बदलने के प्रश्न पर विचार किया गया था, परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसको पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में से हटा लेना पड़ा ।

(ग) त्रिचूर पहले ही एक पूर्णरूपेण रेडियो स्टेशन है और यह प्रतिदिन लगभग 5 घंटे के कार्यक्रम मूलरूप से तैयार करके प्रसारित करता है । इस केन्द्र पर सुविधाओं में और वृद्धि करने या 'युवावाणी' कार्यक्रम चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ध्वनि प्रसारण के बारे में भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच करार

3886. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच ध्वनि प्रसारण में सहयोग के बारे में हाल ही में कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) सांस्कृतिक करार की छत्र छाया में, भारत सरकार और जर्मन जनवादी गणतन्त्र के बीच 13 जनवरी, 1978 को नई दिल्ली में ध्वनि प्रसारण के क्षेत्र में एक गौण करार हुआ था।

करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :--

1. सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास के विभिन्न पहलुओं का चित्रण करने वाली रेडियो सामग्रियों का आदान-प्रदान ;

2. दोनों देशों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रस्तुत करने वाले रेडियो रिपोर्ताजों और रेडियो नाटकों का आदान-प्रदान ;

3. दोनों पक्षों के राष्ट्रीय दिवसों को उन अवसरों पर रेडियो पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करके मनाना ;

4. सभी शैलियों के संगीत और ध्वनि प्रसारण से संबन्धित तकनीकी साहित्य का आदान-प्रदान ;

5. अन्य देश के संवाददाताओं और रिपोर्टिंग टीमों की सहायता; और

6. अनुभव का आदान प्रदान करने, कार्यक्रमों को तैयार करने और प्रशिक्षण के लिए स्टाफ के सदस्यों की यात्राएं।

तीन मूर्ति से ओखला तक का दिल्ली परिवहन निगम का बस मार्ग

3887. **श्री यू० एस० पाटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के तीन मूर्ति से ओखला तक और ओखला से तीन मूर्ति तक बरास्ता लाजपत नगर और बरास्ता सरोजनी नगर, सफदरजंग अस्पताल आदि से कुतुबमीनार तक दिल्ली परिवहन निगम की सीधी बस सेवा नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि साउथ ऐवेन्यू/तीन मूर्ति से नार्थ एवेन्यू होकर दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली सीधी दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा नहीं है तथा भिन्न गाड़ियों में जाने के इच्छुक यात्रियों को बहुत कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी, हाँ। परन्तु, तीन मूर्ति क्षेत्र के अन्तर्गत अनेक रूट हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है और जो शहर के विभिन्न इलाकों में जाने के लिए सुविधाजनक बदल स्थानों की व्यवस्था करते हैं।

रूट नं०	से	तक
200	तीन मूर्ति	मोरी गेट
620	आई० आई० टी० गेट	प्लाजा
640	केन्द्रीय सचिवालय	बसन्त बिहार
680	केन्द्रीय सचिवालय	मदनगीर
710	केन्द्रीय सचिवालय	धौला कुआँ
720	केन्द्रीय सचिवालय	जनकपुरी

मिनी एम० 36 आई० आई० टी० गेट नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

(ग) निगम के रूट-ढांचे में अब दिशा-मूलक सेवाओं की व्यवस्था है। शहर के सभी इलाकों को सीधी सेवाओं द्वारा जोड़ना व्यवहार्य नहीं है ; परन्तु बदल-सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

हिन्दी सहायकों की पदोन्नति

3888. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1959 में संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की गई भर्ती के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सहायकों और हिन्दी सहायकों के, अलग-अलग द्वितीय श्रेणी के अराजपत्रित पदों पर कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से अनेक सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है और वरिष्ठता तथा स्वस्थता के आधार पर उन्हें ऊंचे ग्रेडों पर आगे और पदोन्नति दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी सहायकों को वरिष्ठता तथा स्वस्थता के आधार पर अगले ग्रेड में पदोन्नति नहीं दी जाती है ; और

(घ) क्या इस भेदभाव को दूर करने और हिन्दी सहायकों के रूप में पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील): (क) 1959 में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई भर्ती के आधार पर सहायकों तथा हिन्दी सहायकों के पदों पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:--

केन्द्रीय सचिवालय सेवा का सहायक ग्रेड

अप्रैल, 1959 परीक्षा	30
मई, 1959 परीक्षा	150

हिन्दी सहायक

जून, 1959 परीक्षा	46

जबकि अप्रैल, 1959 तथा मई, 1959 की परीक्षाओं में, जिनके जरिए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में नियुक्त किया गया था, सम्पूर्ण देश के सभी पात्र स्नातकों को बैठने की छूट थी और जून, 1959 की परीक्षा, जिसके जरिए हिन्दी सहायकों को नियुक्त किया गया था, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उन उच्च श्रेणी लिपिकों। अवर श्रेणी लिपिकों तक सीमित थी, जो हिन्दी का एक विषय लेकर स्नातक थे और जिनकी 1-1-1959 को उक्त ग्रेड में कम से कम एक वर्ष की सेवा हो चुकी थी।

(ख) जी हाँ, श्रीमान, जहाँ तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति का सम्बन्ध है, उच्चतर ग्रेड में पदोन्नतियों को गुणावगुण के आधार पर किया जाता है।

(ग) तथा (घ) हिन्दी सहायकों के पदों को मंत्रालयों/विभागों में अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद के कार्य के लिए मंत्रालयों/विभागों में पृथक संवर्ग-बाह्य पदों के रूप में सृजित किया गया था। चूंकि ये पद किसी संगठित सेवा का अंश नहीं है इसलिए संबन्धित मंत्रालयों/विभागों में इन पदों के पदधारियों को किसी उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता। परन्तु उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए हिन्दी के प्रयोग से संबन्धित कार्य के लिए सृजित हिन्दी अधिकारियों, अनुसंधान सहायकों (हिन्दी), आदि जैसे श्रेणी-I (जूनियर) तथा श्रेणी-II के उच्चतर पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई थी। हिन्दी कार्य के लिए सृजित विभिन्न पदों को एक संगठित सेवा में लाए जाने के प्रश्न पर पहले ही कार्यवाई आरम्भ हो चुकी है और इस कार्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी

3889. **श्री निहार लास्कर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश संवर्ग से भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी पांच वर्ष से अधिक समय से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में काम कर रहे हैं ; और

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में ऐसे अधिकारियों के सेवाकाल में कितनी वृद्धि की गई और उत्तर प्रदेश/अन्य राज्यों से भारतीय पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों को बारी-बारी से उनके स्थान पर रखने संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उत्तर प्रदेश संवर्ग से भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी लगातार पांच वर्ष से अधिक से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और मई, 1978 तक समय वृद्धि की गई है । उसकी वापसी पर किसी भी राज्य के संवर्गों से उपयुक्त एवजी का चयन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में पन बिजली संयंत्र के विकास के लिए आवंटन

3890. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने के लिए पन बिजली संयंत्र का विकास करने हेतु योजना के कुल आवंटन में से मध्य प्रदेश को कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) इससे अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश को जिन मौजूदा जल-विद्युत केन्द्रों से लाभ प्राप्त होता है, वे हैं :—

(1) गांधीसागर	115 मेगावाट
(2) राणा प्रताप सागर	172 मेगावाट
(3) जवाहर सागर	99 मेगावाट

ये केन्द्र चम्बल बहुद्देशीय परियोजना के भाग हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की गई थी और लागत तथा लाभों में दोनों राज्यों की बराबर-बराबर की साझेदारी है। मध्य प्रदेश ने चम्बल कम्पलैक्स में लगभग 37.5 करोड़ रुपए लगाए हैं और विद्युत लाभों में इसका हिस्सा 193 मेगावाट है ।

निर्माणाधीन 180 मेगावाट की पेंच परियोजना ही ऐसी जल-विद्युत परियोजना है जिससे मध्य प्रदेश को लाभ प्राप्त होगा । यह महाराष्ट्र के साथ एक संयुक्त परियोजना है । इस परियोजना की लागत और लाभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच 2/3 : 1/3 के अनुपात में बांटे जा रहे हैं । परियोजना की लागत में मध्य प्रदेश का हिस्सा 41.04 करोड़ रुपए है जिसमें से 1977-78 के अंत तक 18.82 करोड़ रुपए खर्च होंगे । इस परियोजना के लिए वर्ष 1978-79 को मध्य प्रदेश को वार्षिक योजना में 8.7 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया है । यह परियोजना 1981-82 तक पूरी की जानी है ।

भारतीय पटसन निगम को घाटा

3891. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पटसन निगम के प्रबंध निदेशक ने अनेकों बार बोर्ड के निर्णयों की अवहेलना की है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक निर्णय यह था कि 'पटसन फसल के बाद निकाला जाये' परन्तु प्रबंध निदेशक ने इस निर्णय के विरुद्ध कार्य किया, नेशनल कंपनी के साथ पक्षपात किया ; और 1.5 करोड़ रुपए की हानि उठाई ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइति) : (क) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा करपोरेशन के निदेशक मंडल द्वारा लिये गये किसी भी निर्णय को बदलने का कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) और (ग) यद्यपि यह सच है कि ऐसा निर्णय तो लिया गया था कि 1976-77 में प्राप्त जूट को सामान्य रूप से गैर मौसम के अलावा नहीं बेची जानी चाहिए फिर भी इससे पहले बिल्कुल बिक्री न की गई हो ऐसा भी एकदम नहीं था। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन नेशनल कंपनी का प्रबंध हाथ में लिया गया था, तथा सबसे अधिक बिक्री वाले सीजन में कच्चे जूट की सप्लाई करने के बारे में अध्यक्ष तथा जूट कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के बीच इस आधार पर चर्चा के बाद सहमति प्रदान की गयी थी कि कंपनी अपनी पूरी आवश्यकता जूट कारपोरेशन आफ इंडिया से खरीदकर पूरी करेगी। सोचा यह गया था कि इस से गारन्टी भुगतान की शर्तों पर जूट को 2.5 लाख से अधिक गांठों की बिक्री के लिए निश्चित मार्ग खुल जायगा तथा जूट कारपोरेशन आफ इंडिया की भंडारण की समस्या बहुत कुछ आसान हो जायेगी।

इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल कंपनी को 180.50 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से (कलकत्ता के लिये नियत न्यूनतम मूल्य) सर्वाधिक बिक्री के सीजन में 50,200 क्विन्टल कच्चे जूट की सप्लाई की गई थी। चूंकि जिस समय यह सप्लाई की गई थी, उस समय बाजार में मंदी चल रही थी, और यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वाधिक बिक्री के मौसम में बिक्री पर भुगतान उठाना पड़ा था।

अपने संसाधन बढ़ाने हेतु दिल्ली नगर निगम से प्रस्ताव

3892. **चौ० ब्रह्म प्रकाश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दिल्ली नगर निगम से निगम के संसाधन बढ़ाने के संबंध में कतिपय प्रस्ताव मिले हैं ;

(ख) जो प्रस्ताव मिले हैं उनका स्वरूप क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने अपने साधनों को बढ़ाने के लिए सीमाकार की दरों में परिवर्तन, बिजली की दरों में तबदीली तथा शिक्षा उपकर लगाने के संबंध में प्रस्ताव किए थे। सीमा कर तथा बिजली की दरों के बारे में प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन द्वारा पहले ही अनुमोदित किये जा चुके हैं। शिक्षा उपकर लगाने का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

जेलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता

3893. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जेलों के आधुनिकीकरण के बारे में राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्देशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जेलों के सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को अनुदान दिए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सहायता का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) 'जल' राज्य का विषय है । गृह मंत्रालय राज्यों को तकनीकी मार्ग-दर्शन तथा सलाह देता है और सामाजिक सुरक्षा तथा सुधारात्मक प्रशासन में आधुनिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए जेलों में सुधार करने के लिए उनके प्रयासों में समन्वय लाता है । इस संदर्भ में मंत्रालय द्वारा नियुक्त जेल संबंधी कार्यकारी दल (1972–73) द्वारा की गई सिफारिशें, जिनमें अनेक उपयोगी सुधारों का सुझाव दिया गया था, कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेजी गई थीं । रिपोर्ट की प्रतियां 23 अक्तूबर, 1974 को संसद भवन के पुस्तकालय को भी दी गई थीं ।

(ग) तथा (घ) जी हां, श्रीमन्, राज्य सरकार को जेलों के सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष (1977–78) के लिए गृह मंत्रालय के बजट अनुदान में 2 करोड़ रुपये की रकम की व्यवस्था की गई थी । इस रकम में से उन सभी राज्यों को धनराशि आवंटित कर दी गई है जिन्होंने उन योजनाओं के लिए उसकी मांग की थी जिनका उद्देश्य सफाई स्वास्थ्य, जल प्रदाय, विद्युतीकरण, भीड़-भाड़ कम करना और कृषि तथा उद्योगों का आधुनिकीकरण समेत जेलों में रहन-सहन की दशा सुधारना था । राज्यों को स्वीकृत की गई धनराशि का विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1886/78]**

नारियल जटा बोर्ड का पुनर्गठन

3894. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड को और अधिक प्रतिनिधित्व वाला बोर्ड बनाने की दृष्टि से उनका पुनर्गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) (क) और (ख) यह मामला विचाराधीन है ।

नेशनल केडेट कोर के पुनर्गठन के बारे में महाजनी समिति की सिफारिशें

3895. **श्री के० टी० कोशलराम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल केडेट कोर के पुनर्गठन के बारे में महाजनी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय केडेट कोर अधिकारियों के रूप में पूर्णकालिक रोजगार पर कितने प्राध्यापकों को नियुक्त किया गया है ;

(ग) कितने आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पूरे समय के लिए नियुक्त किया गया है ;

(घ) वर्ष 1976–77 के दौरान कितने सीनियर डिवीजन यूनिटों को बन्द किया गया ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार नेशनल केडेट कोर में अनियमित अधिकारियों के स्थान पर नियमित अधिकारियों को रखने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) राष्ट्रीय केडेट कोर के पुनर्गठन के लिए महाजनी समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है । इनमें से कुछ सिफारिशों पर सरकारी निर्णय को क्रियान्वित कर दिया गया है और कुछ अन्य सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(ख) 77

(ग) जिन भूतपूर्व आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों को राष्ट्रीय केडेट कोर में कमीशन प्रदान किया गया है और अब पूर्णकालिक आधार पर कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या 619 है ।

(घ) पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, 7 ग्रुप मुख्यालयों और 191 सीनियर डिवीजन यूनिटों को फालतू पाया गया था और इसलिए उन्हें इन दो वर्षों में बंद कर दिया गया। परन्तु 25 नई यूनिटें स्थापित कर दी गई थीं । इस प्रकार कुल 7 ग्रुप मुख्यालयों और 166 सोनियर डिवीजन यूनिटों को कमी हुई है ।

(ङ) इस बारे में महाजनी समिति की सिफारिश पर सरकार ने विचार किया था । यह महसूस किया गया कि चूंकि सेवाओं के पास अपनी ही आवश्यकता से कम अफसर हैं इसलिए वे राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए अफसरों को सारी जरूरत पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगे और इस प्रकार राष्ट्रीय कैडेट कोर में अफसरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साथ-साथ अन्य प्रबंध भी जारी रखने होंगे ।

दिल्ली और नई दिल्ली से गुम हुए बच्चे

3896. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 में दिल्ली और नई दिल्ली से कितने बच्चे गुम हुए बताए गए हैं ;

(ख) उनमें से अब तक कितने बच्चों का पता लग गया है ; और

(ग) अभी तक गुम हुए बच्चों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) वर्ष 1977 में राजधानी से गुम हुए बताये गये 4043 बच्चों में से अब तक 3400 बच्चों का पता लगा लिया गया है ।

(ग) गुम हुए बच्चों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

1. सारे भारत में पुलिस अधीक्षकों को गुम हुए बच्चों की विस्तृत हुलिया देते हुए वायरलैस संदेश भेज दिये गये हैं कि यदि कोई ऐसा बच्चा मिल जाय तो उसकी सूचना दें ।
2. गुम हुए बच्चों के नाम आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रसारित किये जाते हैं और दिल्ली पुलिस के बुलैटिनों में प्रकाशित किये जाते हैं ।
3. बस स्टाप, रेलवे स्टेशनों, होटलों, धर्मशालाओं, पूजा के स्थानों, इत्यादि पर तलाश किया जा रहा है ।
4. आम जनता में इश्तिहार बांटे गये हैं ।
5. जैसे ही कोई सूचना प्राप्त हुई है, बच्चों को तलाश करने में अन्य राज्य पुलिस दलों की सहायता मांगी गई है ।

6. जिन स्थानों पर ऐसे बच्चों की मिलने की संभावना होती है वहां अधिकारियों को भेजा जाता है ।

7. बच्चों के नाम, उनके पूर्ण ब्यौरे तथा फोटो अपराध आसूचना गजट में प्रकाशन के लिए भेजे जाते हैं ।

8. पुलिस अधीक्षक, अपराध तथा रेलवे के प्रभार में एक विशेष कक्ष "गुमशुदा व्यक्ति दस्ता" (मिसिंग पर्सन्स स्क्वाड) विद्यमान है । गुम हुए बच्चों का पता करने के लिए राजधानी और अन्य राज्यों में भी विशेष छापे मारे जाते हैं ।

Modernisation of Carriery and Tannery sections of the Ordnance Equipment Factory, Kanpur

3897. **Shri Hargovind Verma** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a scheme was formulated for the modernisation of carriery and tannery section of the Ordnance Equipment Factory, Kanpur;

(b) if so, whether modernisation has been done; and

(c) if so, the total expenditure incurred thereon and whether the expenditure is not more than the required extent ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) and (b) Only in case of Tannery Section and there also Vegetable tannery was taken up for modernisation under a scheme sanctioned in 1971. The project has since been completed.

(c) Total expenditure incurred is as follows :—

Civil Works	.	Rs. 5.67 lakhs
Plant & Machinery	.	Rs. 4.721 lakhs
TOTAL		Rs. 10.391 lakhs

The expenditure is as per requirement.

सैनिक स्कूलों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

3898. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों का वर्ष 1962 से पुनरीक्षण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इससे अध्यापकों में असंतोष पैदा हुआ है; और

(ग) अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां । सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई भत्ता उन्हीं दरों पर दिया मंजूर किया गया है जिन दरों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है ।

(ख) और (ग) वेतन संशोधन के मामले में सैनिक स्कूल के कर्मचारियों में निःसन्देह कुछ असंतोष है परन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण उनके वेतन-मान संशोधित नहीं किये जा सके हैं। सैनिक स्कूलों की आय का मुख्य स्रोत राज्य सरकारों तथा छात्रवृत्ति मंजूर करने वाले अन्य प्राधिकारियों से मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि है। छात्रवृत्ति की दर बढ़ाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। छात्रवृत्ति मंजूर करने वाले प्राधिकारी जब छात्रवृत्ति का अंशदान बढ़ाने के लिए सहमत हो जाएंगे और स्कूल अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करने की स्थिति में होंगे तो सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन-मान संशोधित करने पर विचार किया जाएगा।

नेशनल केडेट कोर तथा प्रादेशिक सेना में अधिकारियों के लिए पूर्णकालिक संवर्ग आरम्भ करना

3899. **श्री के० लकप्पा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल कैडेट कोर और प्रादेशिक सेना में अधिकारियों के लिए पूर्ण-कालिक संवर्ग आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अधिकारियों को पेंशन का लाभ देने का सरकार का यदि कोई प्रस्ताव है तो वह क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्णकालिक अफसरों का पहले ही एक संवर्ग है। परंतु इन अफसरों को इस समय 55 वर्ष की आयु तक सेवा में वृद्धि के लिए एक बार में 3 वर्ष की मंजूरी दी जाती है। चूंकि इन अफसरों में से कुछ अफ़सरों ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में काफी लम्बी और लगातार सेवा कर ली है, इसलिए इनमें से जिन अफसरों का सेवा रिकार्ड अच्छा है उन्हें स्थायी कमीशन देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रादेशिक सेना के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि प्रादेशिक सेना में जिन अफसरों को भर्ती किया जाता है उनके बारे में सामान्यतया यह आशा की जाती है कि वे लाभप्रद सिविल नौकरियों पर लगे हुए होते हैं और उन्हें आमतौर पर राष्ट्रीय आपात की स्थिति में अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए ही सेवा में बुलाया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के जिन पूर्णकालिक अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है उन्हें पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने का प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

प्रादेशिक सेना के अफसरों को एक प्रकार से अंशकालिक सेवा होती है इसलिये उन्हें पेंशन देने का कोई सामान्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु जिन अफसरों ने विविध कारणों से 20 वर्ष अथवा अधिक की सेवा कर ली है उन्हें तदर्थ तथा व्यक्ति विशेष के आधार पर पेंशन देने का प्रस्ताव है।

3900. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान ने सीमेंट के उत्पादन के लिये चूनापत्थर के स्थान पर तापीय विद्युत् केन्द्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश तथा इस्पात संयंत्रों से निकलने वाली गाद का उपयोग करने की प्रौद्योगिकी खोज निकाली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमेंट के उत्पादन में उपरोक्त बेकार सामग्री का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) जी हां।

(ख) सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने तापीय विद्युत केन्द्रों से पलाई ऐश का उपयोग करके भारतीय मानक संस्था की विशिष्टियों के अनुसार पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का निर्माण करने के लिये तकनीकी अवधि की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की थी। संस्था ने सीमेंट बनाने के लिये लोकार्वन फरोक्रोम स्लैग के भी महत्व का पता लगाया है। संस्था में दिसम्बर 1976 में 'टेकनालॉजी आफ मैन्यूफैक्चर आफ ब्लेन्डेड सीमेंट' नामक एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया था।

(ग) देश का सीमेंट उद्योग पोर्टलैंड ब्लास्ट फरनेस स्लैग सीमेंट तथा पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का उत्पादन पहले से ही कर रहा है। वर्ष 1977 की अवधि में हुए 191 लाख मी० टन के कुल उत्पादन में से पोर्टलैंड ब्लास्ट फरनेस स्लैग सीमेंट तथा पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का उत्पादन क्रमशः 32.9 लाख मीट्रिक टन तथा 19.8 लाख मीट्रिक टन हुआ है। सरकार पोजलाना युक्त सामग्री की पिसाई हेतु उपलब्ध पिसाई क्षमता का उपयोग कर विद्यमान क्षमता से अतिरिक्त उत्पादन कर देश के बाजार में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाकर सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन देने के कुछ प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

पुलिस मैडलों का प्रदान किया जाना

3901. **श्री रोबिन सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972--75 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के कितने आई० पी० एस० अधिकारियों को पुलिस मैडल प्रदान किये गये; और

(ख) जब उन्हें पुलिस मैडल प्रदान किये गये, उस समय उनके पदनाम क्या थे और वे किन स्थानों पर तैनात थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) 1972-75 की अवधि के दौरान दो आई० पी० एस० अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा मैडल तथा 6 आई० पी० एस० अधिकारियों को प्रशंसनीय सेवा के लिए पुलिस मैडल प्रदान किए गए। उन अधिकारियों की एक सूची जिन्हें मैडल प्रदान किए गए सभा पटल पर रखी जाती है।

विवरण

उन अधिकारियों की सूची जिन्हें 1972—1975 की अवधि में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा मैडल प्रदान किया गया है।

राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा मैडल

1. श्री रोनाल्ड एनल मूर, वरिष्ठ पुलिस उप आयुक्त, कलकत्ता सशस्त्र पुलिस, पश्चिम बंगाल।
2. श्री विभूति भूषण चक्रवर्ती, पुलिस उप आयुक्त, गुप्तचर विभाग, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।

पुलिस मैडल

1. श्री पन्चू गोपाल मुखर्जी, पुलिस अधीक्षक बर्दवान, पश्चिम बंगाल।
2. श्री एन० एन० मजूमदार, पुलिस उप आयुक्त, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
3. श्री कमल कृष्ण गुह, पुलिस अधीक्षक, मालदा, पश्चिम बंगाल।
4. श्री उमा शंकर बंदोपाध्याय, कमांडेंट, राज्य सशस्त्र पुलिस, 5वीं बटालियन, पश्चिम बंगाल।
5. श्री सदानन्द चक्रवर्ती, पुलिस अधीक्षक, बंकुरा, पश्चिम बंगाल।
6. श्री सत्यव्रत वसु, उप पुलिस महानिरीक्षक, आसूचना शाखा, पश्चिम बंगाल।

UPSC Examinations for IAS, IPS, IFS

3903. **Shri Surendra Jha Suman** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of persons selected for I.A.S., I.P.S., I.F.S., and other allied services as a result of the examinations held by the Union Public Service Commission in 1976 and 1977;

(b) the number of persons out of them belonging to the rural areas and those belonging to the urban areas; and

(c) the number of persons out of them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil) : (a) The Union Public Service Commission recommended 681 candidates, for appointment to I.A.S., I.P.S., I.F.S. and Central Services, Group 'A' and Group 'B' on the final results of the I.A.S. etc. Examination, 1976. As regards 1977 Examination, the final results recommending candidates for appointment to the aforesaid Services are yet to be announced.

(b) According to the information furnished by the candidates interviewed as a result of the 1976 Examination, out of 681 candidates recommended for appointment, 177 came from villages, 128 from towns and 370 from cities; six candidates have not furnished the required information.

(c) Out of 681 candidates recommended for appointment to these Services on the results of the 1976 Examination, 104 candidates belonged to the Scheduled Castes and 41 to the Scheduled Tribes.

Facilities for preparation of TV programmes at various Centres

3904. **Shri T.S. Negi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the names of T.V. Centres for which programmes are being prepared in Delhi at present; and

(b) the reasons for preparing programmes in Delhi only and not making available this facility at other Centres ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani): (a) The programmes for Jaipur, Raipur transmitters and Amritsar Kendra are at present being produced in Delhi.

(b) Jaipur, Raipur and Amritsar T.V. Centres were not envisaged as fulfledged units initially and therefore, arrangements were made at Delhi for production of programmes for these centres. Other T.V. Centres have limited resources for programme production which is largely in the concerned regional language.

लद्दाख में रूपशू में नमक की संभावनाएं

3905. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में रूपशू में नमक की बहुत सम्भावनायें हैं; और

(ख) इसके विकास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) 106,000 मी० टन सोडियम सल्फ़ेट, 9,500 मी० टन थिनारडाइट (सोडियम सल्फेट का एक प्रकार) तथा लगभग 80 लाख

मी० टन कुल नमक (सोडियम और पोटाशियम) झील के पानी के नीचे नमक की परत से तथा लगभग 660 लाख मी० टन एलीमेंटल सोडियम लद्दाख में रूपशु के ब्रीन झील के खारे पानी से प्राप्त होता है।

सीमेंट के नए एककों के लिए भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच समझौता

3906. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने और चेकोस्लोवाकिया के धातुकर्म और भारी इंजीनियरी मंत्री ने हाल में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तीन बड़े सीमेंट एककों के लिए एच० ई० सी० द्वारा बनाए जाने वाले उपकरणों का प्रयोग देश में नए संयंत्रों की स्थापना में किया जाएगा अथवा उनका तीसरे देशों को निर्यात किया जाएगा; और

(ग) दोनों मामलों में उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) चेकोस्लोवाकिया के धातु कर्म और भारी इंजीनियरी मंत्री के साथ दिल्ली में हाल ही में हुई बातचीत में इस बात पर सहमति हुई है कि चेकोस्लोवाकिया भारी इंजीनियरी निगम (एच० ई० सी०) रांची की औद्योगिक क्षमता के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रोलिंग मिल के लिए उपकरण व कोक ओवन बैट्रियों का आयात करेगा और ज्यादा क्षमता के सीमेंट संयंत्रों के निर्माण में एच० ई० सी० को सहायता देगा। संविदा की विस्तृत शर्तों पर बातचीत चल रही है। पावर जनरेटिंग सैटों के लिए उपकरणों की सप्लाई तथा ट्राली बसों का उत्पादन करने में चेकोस्लोवाकिया व भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच सहयोग के और विकास का आधार बनाने के लिए भी सहमति हुई थी। चेकोस्लोवाकिया को इंजीनियरी सामान विशेष रूप से इस्पात तथा निर्माण परियोजनाओं के लिए टावर क्रेनों की सप्लाई करने का भी पता लगाया गया था। तीसरे देशों में परियोजनाओं के सहयोग और कार्यान्वयन मुख्यतः जिसका संबंध सीमेंट संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों तथा क्रुड आयल रिफाइनरियों से है को दोनों देशों के सम्पूरक उत्पादनों के आधार पर चुना गया था।

ज्यादा क्षमता के सीमेंट संयंत्रों के लिए एच० ई० सी० द्वारा बनाये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों का उपयोग देश में नये सीमेंट संयंत्रों की स्थापना में किया जायेगा और क्रयादेश मिलने पर तीसरे देशों को निर्यात भी किया जायेगा।

पलानी में विग कारखाने की स्थापना

3907. **श्री के० ए० राजू** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार इस तथ्य से अवगत है कि समूचे देश के तीर्थयात्री पलानी की यात्रा करते हैं और उसे अपने सिर के केश अर्पित करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या मानवीय केश की बड़ी मात्रा में उपलब्धि को देखते हुए वहां एक बड़ा विग कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष है ताकि विदेशों को टांपों का निर्यात किया जा सके और सरकार विदेशी मुद्रा कमा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) भारतीय व्यापार निगम मद्रास में एक विग कारखाना चला रहा था जिसे बाद में बंद कर दिया गया क्योंकि इसका संचालन लाभप्रद नहीं था। भारत सरकार का बड़े स्तर पर विग कारखाना स्थापित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात और अन्य राज्यों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय

3908. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के लिए गुजरात तथा देश के अन्य राज्यों के लिए वार्षिक योजना क्या है;

(ख) गुजरात तथा अन्य राज्यों ने, राज्यवार, कितनी राशि की मांग की है;

(ग) गुजरात तथा अन्य राज्यों के लिए योजना आयोग ने कितनी राशि मंजूर की है;

(घ) आबंटन में कटौती किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यह राशि आबंटित करने के लिए क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा 1977-78 की अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए प्रस्तावित परिव्ययों और योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परिव्ययों का विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) राज्य योजनाएं अलग-अलग राज्यों द्वारा प्रस्तावित परिव्ययों में कुछ समरूप कमी पर आधारित नहीं होतीं। कुछ मामलों में, जिनमें परिव्ययों के लिए अन्तिम रूप से सहमति होती है वे राज्य सरकारों द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित धनराशियों से भी अधिक होते हैं। अनेक विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना परिव्यय निर्धारित किए जाते हैं। इनमें राज्यों और केंद्र सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता, किस स्थिति में सतत् परियोजनाएं और कार्यक्रम पहुंच गए हैं, क्षेत्रीय प्राथमिकताएं और कार्यान्वयन की संभाव्यता शामिल है । केन्द्रीय सहायता सामान्य अनुदान और ऋणों के रूप में दी जाती है । इसलिए इसको छोड़कर कोई शर्तें निर्धारित नहीं की जाती है कि प्राथमिकता वाली परियोजनाओं तथा स्कीमों के परिव्यय और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के परिव्यय निश्चित होते हैं, जिससे कि उनको कहीं और नहीं लगाया जा सके ।

विवरण

वार्षिक योजना, 1977-78

राज्य	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	35793	36875
2. असम	10299	11939
3. बिहार	31990	30694
4. गुजरात	30575	29158
5. हरियाणा	14534	15440
6. हिमाचल प्रदेश	6504	5635
7. जम्मू व कश्मीर	9486	8968
8. कर्नाटक	25600	24150
9. केरल	13112	14152
10. मध्य प्रदेश	38050	35577
11. महाराष्ट्र	62049	66180
12. मणिपुर	3198	2319

1	2	3
13. मेघालय . . .	3068	2446
14. नागालैंड . . .	2128	1927
15. उड़ीसा . . .	18235	15400
16. पंजाब .	26950	26550
17. राजस्थान .	16800	17530
18. सिक्किम . .	1451	1247
19. तमिल नाडु .	26088	26012
20. त्रिपुरा . .	2243	1578
21. उत्तर प्रदेश . .	81892	65475
22. प० बंगाल	31212	31592
जोड़ सभी राज्य	491257	470844

बंगाल की खाड़ी में केट्रिनापोत का डूब जाना

3909. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के लिए माल ले जाते हुए केट्रिना नामक पोत को, जिसके बंगाल की खाड़ी में डूब जाने के समाचार मिले थे, किसी अन्य बन्दरगाह की ओर मोड़ दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) माल तथा उसकी लागत का ब्यौरा क्या है तथा नौवहन कंपनी से माल की लागत वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) इस पोत के बारे में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Introduction of F.M. Broadcasting

3910. **Shrimati P. Chavan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of Stations and Time Schedule for introduction of F.M. broadcasting in next five years ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : It is proposed to introduce F.M. Broadcasting at Bombay, Calcutta and Delhi during next five years. The schemes for installation of F.M. broadcasting service at Calcutta and Bombay are under implementation as part of Fourth Plan, while the scheme for setting up of a similar service at Delhi is still under consideration.

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती

3911. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा उन सहित कुल कितने कार्मिक भर्ती किये, (जो प्रशिक्षण में हैं)

(ख) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में ग्रामीण/क्षेत्रीय लोगों को भर्ती न करने के क्या कारण हैं और मुख्य कार्यालय द्वारा बहुत संख्या में कार्मिक क्यों भर्ती किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में ग्रामीण और क्षेत्रीय लोगों के लिए (के० औ० सु० ब० के लिए) एक भर्ती कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :

(क) वर्ष	भर्ती किये गये कार्मिकों की कुल संख्या (उनको मिलाकर जो प्रशिक्षण में हैं।)
1975	5082
1976	4182
1977 . . .	2495
जोड़ . .	11,759

(ख) उपर्युक्त में से केवल 358 मुख्यालय पर भर्ती किए गए थे और शेष 11401 विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों से आनुपातिक रूप से राज्य/क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों में से भर्ती किए गए थे।

(ग) तथा (घ) विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों में नियुक्त चयन मंडलों, जिनमें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी होते हैं, विभिन्न राज्यों में विभिन्न केन्द्रों पर जब आवश्यकता होती है तो भर्ती करते हैं। ऐसी भर्ती के लिए उन रोजगार कार्यालयों द्वारा उम्मीदवार भेजे जाते हैं जिनसे आवश्यक मांग की जाती है । ये केन्द्र भर्ती के पृथक-पृथक केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं।

जोरहाट के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना की जांच करने वाले आयोग का प्रतिवेदन

3912. **श्री हरि विष्णु कामथ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नवम्बर में प्रधान मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों को ले जा रहे भारतीय वायुसेना के विमान की जोरहाट के निकट हुई दुर्घटना की जांच के लिए नियुक्त जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे सभा पटल पर रखा जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जांच अदालत के निष्कर्षों की इस मंत्रालय में जांच की जा रही है ।

Rising price of salt in Bihar

3913. **Shri Ramjiwan Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that supply of salt exceeds the demand in Bihar; and

(b) if so, the reasons for shortage of salt and considerable increase in its price in Bihar in recent months ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) As against the estimated annual demand of 3.96 lakh tonnes of salt for Bihar, 4.54 lakh tonnes were moved into the State during the year 1977. However, some shortage of salt was reported in January 1978 from certain areas of Bihar, like, Patna and Muzaffarpur as a result of speculative cornering of stocks and movement into adjoining States. As against the normal monthly quota of 33,000 tonnes, 57,000 tonnes were moved into the State during January 1978 to eliminate the temporary shortage.

Manufacturing of cloth by rural powerlooms in U.P.

3914. **Shri Rajendra Kumar Sharma** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state whether Government have formulated any scheme for manufacturing cloth by rural powerlooms, with a view to make rural areas in Uttar Pradesh self-sufficient provide employment to the labourers in rural areas and to decentralize industries and if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : No, Sir. The Central Government have formulated no such scheme.

Import of Cotton

3915. **Shri Dharmasinhbhai Patel**: Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the varieties of cotton imported during the last three years year-wise indicating the value and quantity thereof imported in each case;

(b) the value of the cotton proposed to be imported in 1977-78 indicating the quantity and the variety thereof in each case as also the quantity thereof imported so far and remaining to be imported;

(c) the reasons for importing cotton at higher cost from foreign countries in spite of cotton of fine quality and higher grade being produced in the country as also the reasons for the imported cotton being given to the mill owners on lower rates; and

(d) the quantity of cotton proposed to be imported in 1978-79 indicating the value and varieties thereof to be imported ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The Cotton Corporation of India was authorised to import 14 lakh bales during 1976-77 cotton season. Of this quantity, 8.18 lakh bales valued at about Rs. 228 crores had been received till 31st August, 1977. About 1.84 lakh bales had been received subsequently up to 15th February, 1978. The balance quantity is expected to be received during the remaining part of the current cotton season 1977-78. The information regarding the value, variety and quantity of cotton expected to be imported during 1977-78 is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) During 1976-77 there was acute shortfall in cotton supply position. The import programme during 1976-77 was aimed at mainly to bridge the gap between supply and demand of cotton in the country and also to stabilise cotton prices. As imported cotton was procured at higher prices, Government decided to sell it at subsidised rates comparable to the domestic prices of equivalent varieties.

(d) Government has not yet considered the question of import of cotton during 1978-79 cotton season.

Sale of Cement in black market

3916. **Shri Ganga Bhakt Singh :**

Shri Sukhendra Singh :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether, while addressing the officers and employees of his department in the first week of January, 1978, he had admitted that cement worth about Rs. 25 crores is sold in black-market every year;

(b) if so, who are the people indulging in black-marketing; and

(c) measure being adopted to check this black-marketing and action being taken against the people indulging in it ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) It is correct that while addressing the officers and staff of the Ministry of Industry in January, 1978 the Minister for Industry referred to the reports of black marketing in the sale of cement all over the country and the amount of about Rs. 25 crores being realised by the various interests in the process. The above figure was esse ti lly an approximate estimate based on reported premia of varying amounts in different States on the sale of about 10 million tonnes of cement in the open market through private stockists.

(c) To end black marketing, the only way is to increase the availability of cement in the market and convert the market from a sellers' market into a buyers' market. Government are implementing several measures aimed at increasing production by the existing units, installing additional capacity and for the conservation and better utilisation of cement. The more important steps include the installation of pre-calcinators and greater use of slag, fly ash and other pozzolanic material, setting up of new cement plants at the location of steel plants to utilise local slag and limestone, establishments of mini cement plants to utilise smaller limestone deposits and also expediting the construction scheduled of new units and expansions. Government have also decided to import about 1 million tonnes of cement to augment the availability of cement in the domestic market. Government are watching the impact of the imported cement at the market and will continue to import further quantities, if necessary, in an attempt to bring down the selling price of cement to the level fixed by the Government. Government are also contemplating the appointment of a high level body to undertake a fresh comprehensive study of the industry with a view to determining the present constraints in the way of increasing capacity and the remedial action necessary in that connection.

रूई का मूल्य

3917. **श्री जी०एस० रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई का मूल्य फरवरी, 1978 में और भी कम हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो क्या उसका मूल्य अब अलाभप्रद स्तर पर आ गया है ।

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप रूई का उत्पादन करने वाले बहुत से किसान अन्य फसलों की पैदावार करना प्रारम्भ करने वाले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन किसानों को सहायता के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) उत्तर भारत के बाजारों में रूई की कीमतें जो काफी बढ़ गई थीं तथा 1976-77 की कीमतों के समान स्तर तक पहुंच गई थीं,

उनमें फरवरी, 1978 से मामूली सी गिरावट दिखाई दी। 1976-77 के रूई मौसम में देश में रूई का उत्पादन कम होने के कारण कीमतें असामान्य स्तर तक बढ़ गई थी। वर्ष 1977-78 में 66 लाख रूई की गांठों का उत्पादन होने का अनुमान है जो 1976-77 के उत्पादन से 6.5 लाख गांठें अधिक है। इसके अलावा पंजाब तथा हरियाणा में हुई अनुमानित फसल का लगभग 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा फरवरी, 1978 तक बेच दिया गया है तथा बकाया भंडार मुख्यतः तीसरी चुनाई का है। इसके फलस्वरूप बकाया भंडार की प्रचलित कीमतें क्या हों इस पर उसकी किस्म तथा मांग को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा।

फिर भी प्रचलित कीमतें सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन कीमतों से कहीं अधिक है अतः सरकार को यह आशा नहीं है कि कृषक अन्य फसलों की खेती करना प्रारम्भ करेंगे।

Repairs to Roads in Delhi

*3918. **Shri M.A. Hannan Alhaj :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) since when the repairs of the roads adjoining Session Courts, Tis Hazari which are in a very bad condition, have not been carried out;

(b) whether Government have considered the question of repairing these roads; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram): (a) to (c) Roads and pavements within Tis Hazari Courts are being maintained by the Delhi Administration Public Works Department. Information given by them indicates that the original roads have been constructed with cement concrete pavement and have further been given bituminous carpet treatment which is considered to be satisfactory. It was renewed in April, 1976 in part portions including the road in front of the Sessions Court. The Local Administration are also taking up other portions for re-surfacing. The Delhi Municipal Corporation who are responsible for approach roads to the Tis Hazari Courts (viz. Mori Gate Marg, Gokhale Marg and Boulward Marg) have reported that these roads are being maintained properly and are in satisfactory condition.

असम में राजपथ

3919. **श्री समर गुहा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में सभी राजपथों की दशा अत्यन्त दयनीय है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री का भी यही अनुभव रहा है जिन्होंने हाल में असम का दौरा किया था और सीमावर्ती राज्य में इन राष्ट्रीय राजपथों की अनुपयुक्तता के बारे में सार्वजनिक रूप से शिकायत की थी;

(ग) क्या अन्य मंत्रियों तथा संसद सदस्यों ने जिन्होंने असम का हाल में दौरा किया असम में राष्ट्रीय राजपथों के बारे में सार्वजनिक रूप से शिकायत की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सीमावर्ती राज्य असम में राष्ट्रीय राजपथों के विस्तार एवं मरम्मत के लिए समुचित एवं त्वरित उपाय करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ङ) जी नहीं। असम में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास/ रखरखाव उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उचित रीति से किया जा रहा है। परन्तु, कुछ क्षेत्र, जहां ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों की बाढ़ अधिक आती है, पर कभी-कभी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और उन पर भी ध्यान दिया जाता है।

चौथी योजना के प्रारम्भ से, लगभग 19,00 करोड़ रुपये की लागत से 200 कार्य, जिनके अन्तर्गत पटरियों को चौड़ा और सशक्त करना; कमज़ोर या तंग पुलों/पुलियों व उपमार्गों का निर्माण/पुनर्निर्माण आते हैं, स्वीकृत किए गए हैं। चौथी योजना के प्रारम्भ से लेकर मार्च 1977 तक 15.35 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं और 4.00 करोड़ रुपये की इस वित्तीय वर्ष में व्यय करने की संभावना है। सुधार कार्यों को भी अगले योजनावधि में जारी रखने की संभावना है जो इस योजना के लिए निश्चित किए गए कार्य क्षेत्र एवं परिव्यय तथा वर्षानुवर्ष उपलब्ध कराए गए आबंटनों पर निर्भर करता है। उपर्युक्त मूल कार्यों के अलावा, रखरखाव और मरम्मत संबंधी सामान्य कार्य, बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों को पुनः ठीक करने के कार्य तथा गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए क्षेत्रों की विशेष मरम्मत के कार्य भी किए जाते हैं। चौथी योजना के प्रारम्भ से मार्च, 1977 तक रखरखाव पर 8.44 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इस वर्ष के दौरान, इस कार्य के लिए 1.80 करोड़ रु० दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति की ओर विशेष ध्यान देने के लिए गोहाटी में मेरे मंत्रालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के सही सुधार एवं अनुरक्षण के लिए राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ संपर्क स्थापित करेगा और उसकी सहायता करेगा। यह कार्यालय पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष से कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

Profit earned by big industrial houses

3920. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state the annual profit earned and the percentage of increase in the capital of the big industrial houses during 1975-76 and 1976-77 separately ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : The year 1975 is the latest year for which information on profits earned by big industrial houses on the basis of registrations of undertakings under section 26(2) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969, has been compiled. A statement is annexed showing the profits before tax for the year 1975 of the top 45 industrial houses and their average annual percentage increase in assets from the year 1972 to 1975.

Statement

Profit before tax of the top 45 large industrial houses for the year 1975 and their average annual percentage increase in assets from the year 1972 to 1975.

Sl. No.	Name of the Industrial House	Profit in 1975 (Rs. in Crores)	Average annual increase in Assets from 1972 to 1975 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tata	75.45	14.4
2.	Birla	83.99	16.7
3.	Mafatlal	22.16	11.0
4.	J.K. Singhania	16.38	24.2
5.	Thapar	26.69	15.1
6.	Scindia	16.80	23.3
7.	I.C.I.	22.88	10.6

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Shri Ram	5.38	12.5
9.	A.C.C.	10.21	6.4
10.	Bangur	8.39	11.1
11.	Kirloskar	13.93	17.3
12.	Larsen and Toubro	11.47	24.7
13.	Walchand	4.34	9.1
14.	Khatau (Bombay)	16.66	28.9
15.	I.T.C.	10.19	18.7
16.	Macneill & Magor	7.26	2.6
17.	Mahindra & Mahindra	1.80	31.7
18.	Sarabhai	2.46	10.1
19.	Kasturbhai Lalbhai	15.52	12.5
20.	T.V.S. Iyengar	13.36	34.3
21.	Hindustan Lever *	10.73	8.9
22.	Bajaj *	8.01	22.0
23.	Modi *	6.03	22.2
24.	Parry	3.26	11.8
25.	Dunlop	9.43	37.9
26.	Bhiwandiwala *	3.89	30.7
27.	Caltex	0.07	56.9
28.	James Finlay	6.85	1.7
29.	G.K.W.	6.29	15.3
30.	Union Carbide	11.64	15.0
31.	Bird Heilgers	6.04	13.4
32.	Killick (Kapadia)	(—)5.69	15.1
33.	Naidu G.V.	3.17	12.2
34.	Brooke Bond	8.28	11.7
35.	Godrej	5.20	20.4
36.	Chowgule	7.13	1.8
37.	Rallis	3.68	28.9
38.	V.S. Dempo *	8.23	61.4
39.	Philips	5.25	(—)2.2
40.	Simpson	6.12	11.8
41.	Madura Coats	1.80	21.1
42.	Escorts	7.34	11.9
43.	United Breweries	5.08	15.2
44.	Kamani	(—)3.96	(—)2.8
45.	Ashok Leyland	9.94	24.3

* P.B.T. for the year 1974 in respect of following 5 companies *viz.* (i) Great Eastern Shipping Co. Ltd., (Bhiwandiwala), (ii) Modi Rubber Ltd. (Modi), (iii) Hindustan Lever Ltd. (Hindustan Lever), (iv) Mukand Iron & Steel Works Ltd. (Bajaj) and (v) Dempo Bros. Pvt. Ltd. (V.S. Dempo) has been repeated in the *year* 1975, in conformity with the statement furnished in reply to Lok Sabha Unstarred Qn. No. 170 answered on 21-2-78.

सेवाओं में आरक्षण कोटा

3921. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं में आरक्षण कोटा 1961 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर नियत किया जाता है अथवा 1971 के आंकड़ों के आधार पर;

(ख) यदि 1961 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है तो ऐसा क्यों हैं;

(ग) 1971 के आधार पर कौन इसको कार्यान्वित नहीं करना चाहता; और

(घ) ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जो इसे कार्यान्वित न करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की प्रगति में रुकावट हैं; सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अखिल भारतीय आधार पर भर्ती में और क्षेत्रीय अथवा स्थानीय आधार पर भर्ती में भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण की विद्यमान प्रतिशतता 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता पर पहले से ही आधारित है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन एम्पलाइज यूनियन की शिकायतें

3922. **श्री भगत राम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन, चंडीगढ़ के यूनियन नेताओं द्वारा क्रमिक अनशन के बारे में 7 दिसम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 315 और 27 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5139 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि 27 जुलाई, 1977 और 7 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा में दिये गये आश्वासन के बावजूद सेन्ट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आर्गेनाइजेशन एम्प्लाइज यूनियन की शिकायतों को दूर करने के लिए अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है; और

(ख) इस मामले में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (के० वै० उ० सं०) के कर्मचारियों की शिकायतों से सम्बन्धित निर्णय संगठन द्वारा कार्यान्वित किए गए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Promotion of S.C. and S.T. in Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi

3923. **Chowdhury Balbir Singh** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the total number of posts filled by seniority and selection by the Management of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi during the period from 1975 to 1977;

(b) the number of posts out of them, filled from among the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(c) if the reply to part (b) above be in negative, the basis on which it has been done and when and how Government propose to fill the posts reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The details of the posts filled in during the period from 1975 to 1977 are indicated below :

(i) By Seniority	10 posts
(ii) By Selection	31 posts

(b) Four

(c) Does not arise.

Concentration of Power in the Secretariat

3924. **Shri Ram Deo Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the pattern adopted by British Government to run the administration in the country is still being adopted by Government;

(b) whether the Concentration of power in the Secretariat is still in the same manner as was during the British rule; and

(c) if the answers to above parts be in the affirmative, whether Government propose to take some action in this regard and if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S.D. Patil) : (a) to (c) There have been fundamental changes in the working of Government after independence. While the British governed the country as a colony and important decisions were taken at the white Hall, the present government consists of elected representatives of the people and is fully responsible to the legislatures. The administration is really to serve the people. The present emphasis is on decentralisation of administration and to involve the people as much as possible in the actual administration.

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हिन्दी में लिया जाना

3925. **श्री पी० एस० राजलिंगम्** :

श्री के० मायथेवर :

श्री पी० कानन :

श्री ए० बाला पजनौर :

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

श्री रागावलू मोहनरंगम :

श्री सी० एन० विश्वनाथन :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि विदेश मंत्री ने भोपाल में बताया है सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हिन्दी में लेने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्दी न जानने वाले प्रतियोगियों की बाधायें दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) (क) तथा (ख) भर्ती नीति तथा चयन पद्धति के संबंध में कोठारी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

के लिए प्रस्तावित सिविल सेवाएं परीक्षा में संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी का वैकल्पिक माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया है कि वह इस के कार्यान्वयन के लिए समुचित कदम उठाये ।

आकाशवाणी पर शाह आयोग की कार्रवाही के प्रचार के लिये दिया गया समय

3926. **श्री बसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी पर समाचारों तथा विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से शाह आयोग तथा अन्य आयोगों की कार्यवाहियों के प्रचार के लिए अब तक अनुमानतः कितने घन्टे का समय दिया जा चुका है;

(ख) इस सम्बन्ध में अधिकारियों को जारी की गई सरकारी नीति निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कार्यवाहियों समाचारों को अत्यधिक समय दिये जाने का क्या औचित्य है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त शाह आयोग तथा अन्य आठ जांच आयोगों को दिए गए समय के सम्बन्ध में अप्रैल, 1977 और फरवरी, 1978 के बीच आकाशवाणी, दिल्ली से प्रसारित चार मुख्य समाचार बुलेटिनों के अध्ययन के आधार पर, कुल समय की प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है; [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--1887/78]

(2) समाचार बुलेटिनों में कवर करने के अलावा, जब शाह आयोग अपनी सार्वजनिक सुनवाईयां करता है, तब उसकी सुनवाईयों की दस-दस मिनट की समीक्षाएं भी प्रतिदिन हिन्दी और अंग्रेजी में सारित की जाती है । एक अन्य विवरण, जिसमें फरवरी, 1978 तक शाह आयोग को कार्यवाहियों की इस प्रकार की समीक्षाओं को दिया गया समय दिया गया है, भी सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न आयोगों की कार्यवाहियों को कवर करने के लिए आबंटित किया गया समय सरकार द्वारा किसी प्राधिकारी को दिए गए किसी निर्देश के आधार पर नहीं है, बल्कि यह समाचार के महत्व तथा इन आयोगों की कार्यवाहियों में और आपातस्थिति की ज्यादतियों, अधिकार के दुरुपयोग, अनियमितताओं, कानून की उलट-पलट, आदि के रहस्योद्घाटन में जनता की अधिक दिलचस्पी के आधार पर है ।

हिन्दी शिक्षण योजना

3927. **श्री डी० जी० गवई** :

श्री शिव सम्पत्तिराम :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के लिये हिन्दी शिक्षण योजना पर, प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको गत पांच वर्षों में हिन्दी में प्रशिक्षण दिया गया था और एक वेतन वृद्धि भी दी गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि उनमें से कोई भी कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में नहीं करता है और केवल अंग्रेजी में कागजात प्रस्तुत किये जाते हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है कि हिन्दी जानने वाले सभी व्यक्ति अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करें ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) पिछले पांच वर्षों में हिन्दी शिक्षण योजना पर किया गया व्यय निम्नलिखित है :—

1973-74	30,26,000
1974-75	44,61,000
1975-76	48,04,600
1976-77	49,63,000
1977-78	43,02,243 (जनवरी, 78 तक)

(ख) पिछले पांच वर्षों में, लगभग 87,200 केन्द्रीय कर्मचारियों ने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत विभिन्न परीक्षाएं पास की । ऐसे कर्मचारियों को, निर्धारित हिन्दी परीक्षा पास करने पर कुछ शर्तों के साथ 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर, व्यक्तिगत वेतन स्वीकृत किया जाता है। यह वेतन वृद्धि अपने-अपने मंत्रालयों/विभागों द्वारा कर्मचारियों को दी जाती है और इस पर किया गया व्यय उनके द्वारा ही वहन किया जाता है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । हिन्दी में प्रशिक्षण लेने के बाद सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केवल अंग्रेजी में अपना सरकारी काम नहीं करते हैं ।

(घ) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में अपना सरकारी कार्य करने का विकल्प है । सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए सरकार की नीति को ध्यान में रखकर, उन कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन देने के लिए अक्तूबर, 74 में एक योजना बनायी गयी थी जो संघ के सरकरी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग करते हैं । यह हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में लागू होता है।

इसके अलावा, राजभाषा नियमों में व्यवस्था है कि जो कर्मचारी हिन्दी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे कानूनी या तकनीकी किस्म के दस्तावेजों को छोड़कर अन्य दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवान न मांगे । इसके अतिरिक्त आलेखन तथा मसौदा तैयार करने के प्रयोजनों के लिए हिन्दी प्रयोग करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है ।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान रखते हैं उनको अधिसूचित किया जाना चाहिए और इन कार्यालयों में से कुछ को नियम 8(4) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया जाए जहां कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता रखते हैं, वहां उनसे केवल हिन्दी में टिप्पणी तथा मसौदा आदि तैयार करने के लिए कहा जाएगा।

सरकार ने अपने कर्मचारियों से यह भी आग्रह किया है कि वे जहां आवश्यक हो, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का साधारण हिन्दी में प्रयोग करें। इस नीति से अधिक से अधिक सरकारी कर्मचारियों को अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिला है ।

Recognition of Film Industry as an Industry

3928. **Shri Shyam Sunder Das** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the Central Government or the State Governments have not recognised film industry as an industry; and

(b) if so, whether Government propose to recognise it as an industry ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) and (b) Film production is an industry in the sense that it is a systematic economic activity. It is, however, considered to be a high-risk low-priority industry. In view of the competing demands from priority sectors like agriculture, irrigation, power projects etc., on the resources available, it has not been possible to extend the facilities of institutional finances to this industry. The Central Government has set up the Film Finance Corporation to finance the production of good quality low budget films on purposeful themes as well as for the purchase of cinema equipment. Some of the State Governments have also set up their own Film Development Corporations to encourage film industry in their respective territories.

Survey of Minerals for setting up Small Scale Industries

3929. **Shri Shyamlal Dhurve** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to conduct survey of districts rich in raw materials such as minerals and forest products with a view to find out suitable places for setting up respective small scale and cottage industries;

(b) if so, details thereof; and

(c) if not, the reasons for which the scheme has not been formulated for the purpose so far ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Almost all the districts have been surveyed with a view to setting up small scale and cottage industries on the basis of local resources, local skills and local demand. Under the programme of District Industry Centres which would cover all the districts in the country in the shortest period possible, these surveys would be reviewed for encouraging existing small-scale and cottage industries and for setting up new industrial activities.

(b) and (c) Do not arise.

Implementation of Provisions of official Language Act, 1968

3930. **Shri Ram Prasad Deshmukh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether his Ministry/Department has informed their attached and subordinate offices of the provisions of Official Languages Act, 1968 and June, 1976 rules made thereunder and whether they have been asked to implement them;

(b) if so, whether the Ministry/Department have answered that the above provisions and rules are being implemented fully; and

(c) if not, the reasons therefor and the steps being taken to ensure full implementation of the said rules ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The provisions of the Official Languages Act, as amended, and the Official Languages (Use for Official purposes of the Union) Rules, 1976 are being implemented to the extent possible. The main reasons for not implementing the provisions of the said Act and rules fully are lack of adequate translation facilities, Hindi Typists, etc. and most of the officers/employees being not proficient or accustomed to work in Hindi. The following steps are being taken to ensure compliance of the provisions of the said Act and rules :—

(i) The quarterly progress reports regarding use of Hindi received from various attached and subordinate offices of the Ministry are scrutinised and deficiencies where noticed are brought to the notice of the concerned offices for remedial action.

(ii) The Official Languages Implementation Committee of the Ministry at its periodical meetings discuss various aspects relating to the use of Hindi and lays emphasis on implementation of various orders regarding use of Hindi.

(iii) Some posts of Hindi Translators, Hindi Typists, etc. have recently been created in some of the offices of the Ministry and the proposals for creation of such posts in some other offices are under process.

(iv) In-service training in Hindi/Hindi Typewriting/Hindi Stenography is being imparted to the employees.

दिग्विजय सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेंट की चोरबाजारी

3931. **श्री समर मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिग्विजय और उसकी सहायक कम्पनियां बम्बई में आयातित कोरिया सीमेन्ट की चोर-बाजारी कर रही हैं और स्थानीय सीमेन्ट का उत्पादन बहुत अधिक घट गया है; और

(ख) यदि हां तो चोरबाजारी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा भाईति) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में आयातित सीमेंट की चोरबाजारी की कोई विशिष्ट घटना नहीं आई है ।

मैसर्स दिग्विजय सीमेंट कंपनी की सीवरी ग्राइन्डिंग यूनिट को, प्रतिमास 16667 मी० टन की क्षमता के लिए लाइसेंन्सीकृत किया गया है । इसमें से 1978 में निम्नलिखित उत्पादन हुआ है :—

जनवरी	21,289 मी० टन०
फरवरी	16,027 मी० टन०
मार्च	11,816 मी० टन० (14-3-1978 तक)

मैसर्स दिग्विजय सीमेन्ट कम्पनी को बम्बई में आयातित सीमेंट को उठाने व वितरण के लिए सीमेंट का प्रबंध करने वाले अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया गया है । उनकी जहाज से सीमेंट उतारने की दर प्रतिदिन लगभग 2000 मी० टन है, जब कि न्यूनतम उतराई प्रतिदिन 1,000 मी० टन निर्धारित की गई है । उतारी गई मात्रा क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक के निदेशानुसार मैसर्स दिग्दिजय सीमेंट कंपनी द्वारा सीमेंट स्टाकिस्टों के साथ-साथ मोचन-आदेश (रिलीज आर्डर) धारियों को भेज दी गई है । उनके गोदाम में बिना बिकी सीमेंट जरा भी नहीं रखी है ।

स्थायी तट-रक्षा संगठन की स्थापना

3932. **श्री अधान सिंह ठाकुर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की तटीय सीमाओं की रक्षा के लिए स्थायी तट-रक्षा संगठन स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां तो यह संगठन संभवतः कब तक स्थापित हो जायेगा; और

(ग) उस संगठन में कितने कर्मचारी होंगे तथा इसके दायित्व क्या होंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) तट रक्षा संगठन चालू वर्ष में स्थापित हो जाने की प्रत्याशा है । इस बारे में ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

Persons Living Below Poverty Line

3933. **Shri S.S. Somani** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained the State-wise number of persons living below the poverty line; and

(b) if so, the details thereof and the scheme formulated with a view to improving their lot ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) State-wise estimates of poverty are available only for 1964-65. These are given in the Annexure I.

(b) It has been decided that the primary objectives of the next phase of development plan should be :

(i) removal of unemployment and substantial underemployment within approximately 10 years;

(ii) provision of basic services (drinking water, primary education and health care) to the 40 per cent of the population in the lowest income group over the same period;

(iii) A significant reduction in the present disparities of income and wealth.

The programmes and policies needed to achieve these ends are being worked out; some indications have been given in the Draft Five year Plan (1978--83).

ANNEXURE I

Prof. V.M. Dandekar and Shri N. Rath have suggested that to ensure a national minimum level of consumption, it will be necessary that the average per capita monthly consumption expenditure should be Rs. 27 in rural areas and Rs. 40.50 in urban areas at 1968-69 prices. Official consumer expenditure data based on the 19th round of the National sample survey are available for the year 1964-65. Making adjustments for the price rise between 1964-65 and 1968-69, the per capita monthly expenditure of Rs. 20 in the rural areas and Rs. 30 in the urban areas at 1964-65 prices would be necessary to ensure a minimum level of living. On this basis the approximate number and proportion of the population living below the poverty line in different States and Union Territories in 1964-65 are estimated as follows :

State-wise Population below Poverty Line (1964-65)

Sl. No.	States	Rural (000)	Proportion*	Urban (000)	Proportion*
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	15,331	48.50	3,976	57.61
2.	Assam	2,206	18.30	535	48.51

1 2	3	4	5	6
3. Bihar	19,600	42.80	2,533	55.55
4. Gujarat	7,261	45.59	3,701	54.48
5. Haryana	1,474	21.16	719	48.11
6. Jammu & Kashmir	825	26.63	393	61.38
7. Kerala	9,498	60.82	1,889	66.36
8. Madhya Pradesh	13,953	46.32	2,857	54.73
9. Madras	13,229	50.94	5,395	55.16
10. Maharashtra	14,422	47.02	5,552	43.93
11. Mysore	9,642	48.99	3,065	51.81
12. Orissa	10,977	62.04	736	57.58
13. Punjab	2,154	22.69	1,272	43.39
14. Rajasthan	6,156	35.29	1,890	51.41
15. Uttar Pradesh	28,820	41.61	6,572	62.56
16. West Bengal	14,446	50.19	3,877	40.18
17. Union Territories	2,360	33.24	870	24.12
18. All India	179.793	44.57	45,832	51.34

* Percentage to total population in each case.

Supply of Power to M.P. from Rihand Power Station

†3934. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the share of Madhya Pradesh in electricity produced by Rihand Power Station;

(b) whether Uttar Pradesh has supplied to Madhya Pradesh its share of power after the commissioning of Rihand Power Station;

(c) the period for which power was actually supplied to Madhya Pradesh by Uttar Pradesh;

(d) the actual share of power due to Madhya Pradesh and how Uttar Pradesh is compensating Madhya Pradesh for not supplying its share of power; and

(e) whether Uttar Pradesh has discontinued supply of power from August, 1977 and if so, the efforts made by Central Government to ensure the supply of power to which Madhya Pradesh is entitled ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) Madhya Pradesh has a share of 15% of the saleable energy from Rihand Power Station on year to year basis, the maximum demand ceiling being upto 37.5 MW.

(b) to (e) The Rihand Power Station was commissioned in March 1962. It was not possible for Madhya Pradesh to avail supply of power from March, 1962 to August 1967 as no transmission facilities for evacuating the power were created during this period. The question of compensation to be made to Madhya Pradesh State Electricity Board for this period has not yet been settled.

The Madhya Pradesh State Electricity Board did not receive supply for the periods noted below and the details of the difference of power to be compensated are also shown against the respective periods :

Period	Difference of power to be compensated
1-9-1967 to 15-11-1968	1500 KW
16-11-1968 to 31-12-1968	1000 KW
1-1-1969 to 15-5-1969	250 KW

It has been agreed in principle to compensate to Madhya Pradesh on the basis of assuming a load factor of 40% and adopting a rate of 9.5 paise/kWh. The Madhya Pradesh State Electricity Board received the following quantum of power for the periods as indicated below :

16-11-1968 to 31-12-1968	500 KW
1-1-1969 to 15-5-1969	1250 KW

During the period 16-5-1969 to 30-9-1974, the Madhya Pradesh State Electricity Board did not draw its full share and the qnestion of compensation to Madhya Pradesh State Electricity Board is under negotiation by both the State Electricity Board.

U.P. State Electricity Board started supplying power from Rihand to Madhya Pradesh State Electricity Board from November, 1975 towards their 15% share in the saleable energy available from Rihand. Madhya Pradesh is reported to have overdrawn power to the extent of 25 MU upto November, 1977. The U.P. State Electricity Board disconnected power supply in August 1977 for adjusting the overdrawals. Supply was afforded for a few days in February, 1978.

In December, 1977, the Central Government took up with U.P. Government the question of restoring Madhya Pradesh's share of power, after the over-drawals are adjusted from the current generation from Rihand. The matter is still being pursued with the U.P. Government.

Enforcement of S.C. and S.T. Orders (Amendment) Act, 1976 in Madhya Pradesh

3935. **Shri Shiv Sampati Ram** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the reasons why the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, which abolishes area restrictions within a State is not being enforced in Madhya Pradesh;

(b) the reasons why the 'Dhobi' caste has not been declared as Scheduled Caste throughout the State whereas it is recognised as such in Bhopal; Raisen and Sihor districts there; and

(c) whether 'Dhobi' caste which was declared as Scheduled Caste in Ajmer district only is now recognised as such throughout the State of Rajasthan ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 was enforced with effect from the 27th July, 1977 in all the concerned States including Madhya Pradesh.

(b) The said Act itself provides that the Dhobi community shall be treated as a Scheduled Caste in Bhopal, Raisen and Sehore districts only of Madhya Pradesh.

(c) Yes, Sir.

Confirmation of officers in Hindi Teaching Scheme

3936. **Shri Roop Nath Singh Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether confirmation of the incumbents of the permanent posts of regional officers (now Deputy Directors) under the Hindi Teaching Scheme in the Official Languages Department has been pending since 1968;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of meetings held by the Departmental Promotion Committee to decide the issue from 1968 to date ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Three meetings of the Departmental Promotion Committee were held from 1968 to date.

Relaying of Hindi News by A.I.R. in Tamil Nadu

3937. **Shri R.L.P. Verma** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Hindi news from the All India Radio, Delhi, are not relayed from A.I.R. Station in Tamil Nadu; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasing (Shri L.K. Advani) : (a) Hindi News Bulletins at 0800 and 2045 hours are relayed by all Stations of All India Radio in Tamil Nadu. Besides, All India Radio Madras also relays the Hindi version of World News Bulletin at 0600 hours and Hindi News Bulletin at 1100 hours daily.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति

3938. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है;

(ख) समिति द्वारा जारी किये गये चैक कितनी बार बिना भुनाये लौटा दिये गये;

(ग) क्या यह भी सच है कि वित्तीय संकट के कारण उक्त समिति अपने बहुत से स्टोरों पर बिक्री के लिये बेचे जाने हेतु माल पहले भी वसूल नहीं कर सकी है और अब भी वसूल नहीं कर सकती है ;

(घ) क्या यह सच है कि कमजोर आर्थिक हालत के बावजूद समिति ने 1977-78 के दौरान अपने कर्मचारियों को कुछ पदोन्नतियां की है और यदि हां, तो इन पदोन्नतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समिति के घाटे में चलते रहने पर भी इन पदोन्नतियों और इन पदों की आवश्यकता का औचित्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) समिति की वर्तमान वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है।

(ख) केवल 3 अवसरों पर, परन्तु बाद में शीघ्र ही उन्हें भुना दिया गया था।

(ग) जी नहीं श्रीमान। खरीददारी, सप्लायरों के पास मदों की उपलब्धता तथा स्टोरों पर अनुमानित आवश्यकताओं के अधीन की जाती है ।

(घ) तथा (ङ) समिति ने 1977-78 के दौरान कुछेक पदोन्नतियां की थीं, जिनके ब्यौरे विवरण में दिए जाते हैं।

ये पदोन्नतियां विद्यमान रिक्तियों पर की गई थीं और कोई नया पद सृजित नहीं किया गया था। यह महसूस किया गया था कि जिस सीमा तक ये पद खाली रहते हैं, उस तक समिति को आवश्यक

प्रबन्धकीय सहायता करने से इन्कार किया जा रहा था। इस प्रकार इसके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति, लि० नई दिल्ली द्वारा की गई पदोन्नतियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नाम	पदनाम	पद पर पदोन्नत
1.	श्री आर० पी० कपूर	प्रबन्धक	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक
2.	श्री बी० एन० गोयल	मुख्य रोकड़िया	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक
3.	श्री पी० एस० वर्मा	सहायक लेखाकार	सहायक क्रय अधिकारी
4.	श्री बी० के० वर्मा	सहायक लेखाकार	सहायक क्रय अधिकारी
5.	श्री ओ० सम्यूल	मुख्य लिपिक	अधीक्षक
6.	श्री टी० एन० शर्मा	मुख्य लिपिक	अधीक्षक
7.	श्री गुर्दित्त सिंह	वरिष्ठ लिपिक	मुख्य लिपिक
8.	श्री जे० आर० मित्तल	रोकड़िया	मुख्य रोकड़िया
9.	श्री भगवान दास	सीनियर सेलमैन	प्रबन्धक
10.	श्री सतीश कुमार	लेखा लिपिक	सहायक लेखाकार
11.	श्री एम० सी० ठाकुर	लेखा लिपिक	सहायक लेखाकार
12.	श्री आर० के० अग्रवाल	लेखा लिपिक	सहायक लेखाकार

'रोलिंग प्लान' में कृषि के लिए परिव्यय

3939. **श्री के० मालन्ना**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने प्रथम पंचवर्षीय 'रोलिंग प्लान' की मूलरूप रेखा का अनुमोदन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके आकार का ब्यौरा क्या है और क्या कृषि पर भी, जहां तक परिव्यय का संबंध है, कोई विशेष ध्यान दिया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हां।

(ख) 1978—83 के लिए अनुमानित समग्र योजना का आकार 116,240 करोड़ रुपये होगा। इसमें से सरकारी क्षेत्र परिव्यय 69,380 करोड़ रुपये होगा जो कुल योजना परिव्यय का 59.7 प्रतिशत होगा। कृषि और सिंचाई क्षेत्रों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, इसका परिव्यय 18,250 करोड़ रुपये होगा। छोटे और मझौले किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आवंटन की दृष्टि से, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के लिए कुल सरकारी क्षेत्र परिव्यय का 43.1 प्रतिशत रखा गया है।

आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करने के लिये नियुक्त आयोग

3940. **श्री महीलाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न आयोगों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक आयोग पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) ये आयोग अपने प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) आपातस्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल एक जांच आयोग (शाह आयोग) नियुक्त किया गया है। यह आयोग 25-8-1977 को नियुक्त किया गया था। आयोग की वर्तमान अवधि 30-6-1978 तक स्वीकृत है और 31-1-1978 तक आयोग पर 25,58,600 रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ख) आयोग ने 13 मार्च, 1978 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

तटदूर अचल ड्रिलिंग एवं प्लेटफार्मों का बनाया जाना

3941. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तटदूर अचल ड्रिलिंग एवं प्लेटफार्मों आदि बनाने सम्बन्धी परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक मझगांव डौक लिमिटेड बम्बई को तीन तटदूर प्लेटफार्म बनाने के आदेश दिए हैं । इन प्लेटफार्मों का निर्माण कार्य जनवरी 1978 में शुरू हो गया है ।इसके साथ-साथ इस तरह के विभिन्न प्रकार के बहुत से प्लेटफार्मों को बनाने के लिए सुविधाएं जुटाने का कार्य भी संतोषप्रद ढंग से चल रहा है ।

Policy in Respect of Administrative Appointments in All India Radio

3943. **Shri Mritunjay Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the policy and procedure followed by Government in respect of administrative appointments and promotions in the All India Radio and the Television Centre;

(b) whether prominent literatures of the various Indian languages are appointed as producers or programme executives; and

(c) the number of persons taken from the IAS and IPS against the higher posts such as Director General, Director of the Centre etc.; and number of persons of them who were or are literatures also and the number of literatures or artists who were appointed from outside ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) Akashvani and Doordarshan are the attached Offices of the Ministry of Information and Broadcasting. The policy and procedure in respect of administrative appointments and promotions in these offices in civil posts are the same as those in the various Departments of the Government of India.

(b) Both Producers and Programme Executives perform more or less identical functions and are responsible for planning and production of programmes. Recruitment to

these cadres is made in accordance with the prescribed recruitment rules. Prominent literatures of the various Indian languages can be appointed as Producers or Programme Executives, provided they fulfil the qualifications as prescribed and are selected in terms of the recruitment rules.

(c) During the preceding five years, four persons from the IAS and two from IPS were taken against the post of Director General, Deputy Director General and Director in Akashvani and Doordarshan. These persons were not appointed on the consideration that they were literatures. No literatures or artists were appointed to these administrative posts in Akashvani and Doordarshan from outside during the preceding five years.

Setting up of Industries in Eastern Parts of Bihar

3944. **Shri Ram Sewak Hazari** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is the policy of the new Government to accord priority to setting up of industries in backward areas;

(b) whether there is any scheme to set up industries in Samastipur and in the eastern part of Darbhanga District of Bihar State ;

(c) whether the setting up of industries in the eastern part of the said district will provide traffic to proposed Sakari-Hasanpur railway line; and

(d) if so, whether Government propose to prepare such a scheme soon ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) Yes, Sir.

(b) Old Durbhanga district (since trifurcated into three new districts of Durbhanga, Samastipur and Madhubani) is covered under the Centrally sponsored scheme of Rural Industries Projects. Old Durbhanga district has also been selected as one of the industrially backward districts of Bihar State to qualify for both the concessional finance scheme as well as the Central Scheme of Investment Subsidy. A Central project for Intensive Handloom Development is also located in that area covering the new districts of Durbhanga and Madhubani.

(c) Setting up of industries in the area will provide traffic to proposed Sakari-Hasanpur railway line.

(d) It is proposed to take up construction work on this line after the lines which are already in hand make substantial progress.

सशस्त्र सेनाओं में टीका लगाने के अनिवार्य तरीके

3945. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेनाओं में अनिवार्य टीका लगाने के परम्परागत तरीके लागू होते थ;

(ख) यदि हां, तो क्या वैकल्पिक देशीय चिकित्सा इलाज के साथ-साथ इस टीके को वैकल्पिक बनाने हेतु कोई परिवर्तन अथवा छूट का मामला विचाराधीन है ;

(ग) क्या जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी नई नीति सशस्त्र सेनाओं पर लागू की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सशस्त्र सेनाओं में अनिवार्य टीका लगाने के आधुनिक तरीके लागू होते हैं।

(ख) जी नहीं;

(ग) और (घ) जनता के स्वास्थ्य संबंधी नई नीति को सशस्त्र सेनाओं पर लागू करने का प्रश्न इस समय विचाराधीन नहीं है।

Grades on which S.C. and S.T. persons working in Khadi and Village Industries Bhavan, New Delhi

3946. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the total number of posts or grades in Khadi and Village Industries Bhavan, New Delhi;

(b) the posts or grades among them separately on which persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are working; and

(c) whether Government propose to complete the quota reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the rules ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) The details are indicated below :—

Sl. No.	Designation	Total Number of posts	Number of Posts Held by S.C./S.T.
1.	Section Incharge	9	..
2.	Salesman I (Grade)	4	..
3.	Salesman II (Grade)	22	..
4.	Salesman III (Grade)	38	1
5.	U.D.C.	36	2
6.	L.D.C.	46	..
7.	Helper/Packer, Peon, Sweeper etc.	62	10

(c) Yes, Sir.

भारतीय जहाजों के लिए व्यापार की व्यवस्था

3947. **श्री प्रद्युम्न बल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों के साथ समुद्री करार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) (क) और (ख) भारत ने यू० एस० एस० आर०, पोलैण्ड, मिश्र, पाकिस्तान और बलगारिया के साथ द्विपक्षीय नौवहन करार किए हैं । परन्तु, बलगारिया के साथ करार कुछ औपचारिकताओं के पूरा न होने में अभी लागू नहीं हुआ है । यद्यपि, भारत और जी० डी० आर० के बीच कोई द्विपक्षीय नौवहन करार नहीं हुआ है, तथापि 1968 में भारत और जी० डी० आर० के बीच एक दूसरे को भेजे गए पत्रों के अनुसरण में, दोनों देशों के बीच नौवहन सेवाएं चलाई जाती है।

आम तौर से इन करारों में से अधिकांश करारों का कार्यशील पहलू यह है कि दो देशों के बीच आने-जाने वाला एक राष्ट्र का माल 50:50 के आधार पर बाँटा जाता है और इस माल को ले जाने पर एक देश के जहाजों की भाड़ा कमाई पर दूसरे देश में कर नहीं लगता ।

एच० एफ० 24 विमान के सुधरे हुए रूप में परिवर्तन

3948. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एच० एफ० 24 विमान के सुधरे हुए रूप में परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) सितम्बर, 1964 से उपरोक्त प्रस्ताव पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है; और

(ग) पर्याप्त दूरी तक मार करने वाला विमान बनाने की परिचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) लगभग 620 लाख रुपए।

(ग) संक्रियात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने विमान की परास में सुधार लाने के लिये लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इस बारे में आगे और ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं है ।

Production of Textiles, Leather Shoes and Soaps

3949. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether according to the election manifesto of Janata Party small scale industry does not mean small investment only but it means an industry employing particular technical skill; and whether it is proposed to redefine small scale industry accordingly;

(b) whether Government are giving a serious thought to the question of entrusting production of cotton textile, leather shoes and soap to this small scale industry and resolving unemployment problem thereby; and

(c) the production of above mentioned three items in the country and the extent to which they are still produced by big industries ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) As per the statement on Industrial policy which had considered the contents of the election manifesto of Janata Party and which was laid on the Table of the House, existing definition of small scale industry will remain ; within the small scale sector special attention will be given to units in the tiny sector.

(b) In the Industrial Policy Statement, it has been clearly specified that the Government will not permit any expansion in the weaving capacity in the organised mill and powerloom sector. The Government will enforce the existing reservation and further extend it to other items. Manufacture of leather footwear and soap is already reserved for the small scale sector since 1967-68.

(c) The estimated production of the three items in the country and the extent to which they are produced in large industries are given below :

Item	Year	Unit	Total production in large scale and registered small scale sectors	Large industry
(i) Textiles (khadi, handloom, power loom and mill sectors).	1976-77	million meter cotton cloth	8283	4164*
(ii) Shoes (leather footwear)	1977	million pairs	34.27	14.27
(iii) Laundry soap	1977	tonnes	6,52,100	2,92,100

*Excludes powerloom.

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कलर्कों की भर्ती

3951. **श्री पी० कानन :**

श्री ए० मरूसन :

श्री अरविन्द बाला पजनौर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन अभ्यार्थियों का चयन न करने के बारे में कर्मचारी चयन आयोग की नीति के पीछे क्या तर्क आधार हैं जो कलर्कों की भर्ती की परीक्षा में दो बार बैठ चूके हैं; और

(ख) बेरोजगारी की बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए उक्त अभ्यार्थियों के लिए रोजगार के क्या अवसर हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनू सिंह पाटिल) : (क) अवसरों की संख्या का प्रतिबंध केन्द्रीय सचिवालय सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिपिक ग्रेड की भर्ती पर लागू होती है । इस ग्रेड में भर्ती के लिए तथा कुछ अन्य संवर्गों की भर्ती के लिए भी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक संयुक्त परीक्षा ली जाती है । दो अवसरों का प्रतिबन्ध लोक सेवाएं (भर्ती के लिए अर्हता) समिति, 1956 की सिफारिशों पर आधारित है । इस समिति ने यह विचार व्यक्त किया था कि किसी उम्मीदवार के मानसिक गुणों तथा उसके दृष्टिकोण की भी एक अथवा अधिक से अधिक दो परीक्षाओं में सब से अच्छी तरह परखा जा सकता है और जो उम्मीदवार दो अवसर में असफल रह जाता है वह परीक्षा की तकनीक में प्राप्त केवल अनुभव के आधार पर भी बाद में सफल हो सकता है ।

(ख) सरकार बेरोजगारी समस्या से पूर्णतः अवगत है । यह एक सामान्य विषय है जिसे व्यापक संदर्भ में निपटना होगा। लिपिक संवर्ग में किसी वर्ग विशेष के पदों क संबंध में अवसरों की संख्या के बारे में प्रतिबन्ध से बेरोजगारी समस्या पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है ।

Marking Attendance by suspended Employees of B.H.E.L. Bhopal

3952. **Shri Madan Tiwari :**

Shri Sharad Yadav :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the "Standing Orders" of the employees of Bharat Heavy Electricals Ltd., Bhopal, it has been provided that the employees suspended from their service should mark their attendance daily in the office of the Chief Security Officer of the factory;

(b) if so, whether there is a provision for marking attendance in the office of the Chief Security Officer by the employees suspended for their participation in Labour agitation in November and December, 1977 and January, 1978; and

(c) if not, reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Tribal Population in Andaman and Nicobar Islands

3953. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the tribe-wise population in the Andaman and Nicobar Islands at present;

(b) whether it is a fact that the tribal population in the islands is constantly declining: if so, the reasons for the decline; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) A statement showing the population of Scheduled Tribes in Andaman and Nicobar islands according to 1951, 1961 and 1971 censuses is annexed.

(b) and (c) A declining, trend is observed in the case of the Andamanese, Jarawas and Onges. This seems to be attributable to several factors like low fertility, high mortality and unfavourable sex-ratio etc. Medical, health and sanitary facilities are being improved and steps taken to improve the economic conditions.

Statement

Statement showing the population of the individual Scheduled Tribes of Andaman and Nicobar Islands from 1951—1971

Tribe	1971	1961	1951
1. Andamanese including Chariar or Chari, Kora, Tabo or Bo, Yere, Kede, Bea, Balawa, Bojigiyab, Juwai and Kol	24	19	23
2. Jarawas	275*	500*	50*
3. Onges	112	129	150*
4. Sentinelese	82*	50*	..
5. Nicobarese	17,874	13,903	11,902
6. Shom Pens	92	71	20*
Total	18,459	14,672	12,145

*Estimates by Directorate of Census Operations.

तमिलनाडु मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को टेलीविजन पर दिखाया जाना

3954. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ पर गतवर्ष घटनास्थल पर चुनाव परिणाम और मन्त्रियों के शपथ ग्रहण समारोह टेलीविजन पर दिखाने की व्यवस्था की गई थी :

(ख) क्या गत विधानसभा के चुनावों के बाद तमिलनाडु में शपथ ग्रहण समारोह टेलीविजन पर दिखाया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार व्यवस्था किसी भी राज्य में नहीं की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रकार की घटनाओं को घटनास्थल पर टेलीकास्ट करने की दूरदर्शन की प्रथा नहीं है।

कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये ग्राम विकास पर खर्च किया गया धन

3955. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये कूटीर उद्योगो को प्रोत्साहन देने हेतु ग्राम विकास पर खर्च किये गये धन का, प्रतिशत के रूप में, ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में हाल ही में कोई नई नीति लागू की है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) गत दो वर्षों अर्थात 1976-77 तथा 1977-78 में ग्रामीण क्षेत्रों को लघु क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु तथा बेरोजगार व्यक्तियों को बरोजगार देने की व्यवस्था करने पर व्यय किये गये राजस्व का विवरण निम्न प्रकार है :—

(रु० करोड़ों में)

ग्राम तथा लघु उद्योग	1976-77 वास्तविक	1977-78 पुर्वानुमान
1. लघु उद्योग	26.26	41.06
2. औद्योगिक बस्तियां	4.50	6.99
3. खादी ग्रामोद्योग	31.26	46.90
4. हथकरघा उद्योग	25.53	35.48
5. शक्तिचालित करघा	0.25	0.45
6 रेशम उद्योग	5.26	8.85
7. हस्त शिल्प	3.29	8.68
8. कयर उद्योग	2.12	1.42
केन्द्र द्वारा प्रयोजित		
9. ग्रामीण उद्योग प्रायोजनाएं	3.96	6.00
10. ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम	0.18	0.30
योग	102.61	156.13

प्रतिशत निम्न प्रकार है

1976–77—25.6 प्रतिशत

1977–78—28.8 प्रतिशत

(ख) जी हाँ, हाल ही में प्रारंभ की गई नई औद्योगिक नीति 23 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रख दी गई थी।

खादी और हथकरघों के माध्यम से स्टैण्डर्ड कपड़ा बनाया जाना

3956. **श्री टी० ए० पाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और हथकरघों के माध्यम से स्टेण्डर्ड कपड़ा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब तक लिया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) तथा (ख) खादी या हथकरघों के माध्यम से स्टैंडर्ड कपड़ा बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, 2 अक्तूबर, 1976 से कमजोर वर्ग के लोगों को सहायता प्राप्त कीमत पर कपड़ा उपलब्ध कराने की दृष्टि से हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा नामक नियंत्रित कपड़े की किस्मों के उत्पादन की एक योजना 11 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को प्रारम्भ किये जाने से लेकर मार्च, 1978 के अंत तक 7 से 8 करोड़ मीटर उत्पादन होने का अनुमान है।

Enclosure of certificate re. availability of ground water for rural electrification Schemes

3957. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether it is necessary for State Electricity Boards to enclose a certificate of availability of ground water with the schemes of rural electrification and minimum need programme which are sent for approval to the Rural Electrification Corporation;

(b) if so, the period for which such a certificate is necessary; and

(c) whether it is possible to accept the certificates submitted on the basis of pumps energised at the end of 5th year of the Rural Electrification Scheme?

The Minister of Energy (Shri P. Remachandran) : (a) State Electricity Boards are required to send along with the scheme reports submitted by them for financial assistance by the Rural Electrification Corporation, a certificate to the effect that ground-water is available to support the number of pumpsets proposed to be energised under the scheme.

(b) and (c) The certificate required by the Corporation refer only to the potential of ground water available in the scheme area to support the pumpsets proposed for energisation. It does not relate to any specific period.

जिला मुख्यालयों में लघु उद्योग केन्द्रों की स्थापना]

3958. **श्री शरत कार**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु देश में प्रत्येक जिला मुख्यालय नगर के स्तर पर कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हाँ।

(ख) लघु, ग्रामीण त ा कुटीर उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में अवस्थाबद्ध रूप में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का विचार है। जिला उद्योग केन्द्र के एक ही स्थान पर लघु, और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अपेक्षित सभी सेवाएं व सहायता प्रदान की जाएंगी। इनमें,

जिले में कच्चे माल और अन्य संसाधनों की आर्थिक जाँच, मशीनों व उपकरणों का संभरण, कच्चे माल की व्यवस्था, साख-सुविधा का प्रबन्ध विपणन हेतु प्रभावी व्यवस्था करना व किस्म नियंत्रण, अनुसंधान और विस्तार हेतु एक प्रकोष्ठ की स्थापना करना शामिल है। केन्द्र में लघु उद्योगों से भिन्न कुटीर एवम् घरेलू उद्योगों की विशेष आवश्यकताओं की देख-रेख करने के लिये एक अलग स्कन्ध होगा। जिला उद्योग केन्द्रों को पर्याप्त उत्तरदायित्व एवम् अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है। ताकि वे प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान कर सकें और इस बात का सुनिश्चिय कर सकें कि एक ही स्थान पर सभी प्रकार की अनापत्तियाँ दी जा रही है और प्रक्रियागत औपचारिताओं का पता लगा लिया गया है। जिला उद्योग केन्द्रों का प्रबन्ध महाप्रबन्धक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा उसकी सहायता उन सात कार्य-प्रबंधकों द्वारा की जाएगी जो अपने-अपने क्षेत्र के कार्यों और नियमों के बारे में काफी अनुभव रखते हैं। यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका क्रियान्वयन राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाना है। कि इस योजना के 1 मई, 1978 से शरू किये जाने की आशा है।

सरकारी विभागों के कार्यकरण के बारे में मागदर्शी सिद्धांत

3959. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार में सचिवों की संख्या में कमी करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने विभागों के कार्यकरण के संबंध में सचिवों को विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों से प्रशासन की अकुशलता को दूर करने और मामलों का शीघ्र निपटान करने में कहाँ तक सहायता मिली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील): (क) तथा (ख) नई सरकार द्वारा बागडोर संभालने के बाद यह निर्णय किया गया था कि सरकार में कार्यकुशलता तथा किफायत लाने के लिए एक अभियान के एक अंश के रूप में, सरकार में वरिष्ठ पदों की संख्याओं की पुनरीक्षा की जाए। तदनुसार, एक पुनरीक्षण किया गया था और सचिव/अपर सचिव के स्तर के कुछ पदों को समाप्त/निम्नग्रेड किया गया था।

(ग) तथा (घ) प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के सचिवों के साथ विचार विमर्श करने और सभी स्तरों पर प्रशासन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता पर बल देने और सरकारी कार्य कुशलतापूर्वक तथा समय पर निपटाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए 14-4-77 तथा 2-2-78 को दो बार ई उनकी बैठकों में भाग लिया था। इन विचार विमर्शों के दौरान प्रधान मंत्री ने सामान्यतया प्रशासनिक तंत्र को विशेषकर पहली अप्रैल, 1978 से आरम्भ होने वाली नई योजना के संदर्भ में, मजबूत करने तथा उसमें सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने जनता की शिकायतों से निपटने और उनकी शिकायतों को दूर करने के प्रबन्ध किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया था।

मध्य प्रदेश में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए भर्ती

3960. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में, जो एक सरकारी उपक्रम है, भर्ती के लिये स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती न कर मध्य प्रदेश से बाहर के कर्मचारियों की भर्ती की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके परिणाम-स्वरूप स्थानीय लोग रोजगार के अवसर से वंचित रह रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उपक्रम को बाहर से कर्मचारियों की भर्ती रोकने और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) मध्य प्रदेश में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० में होने वाली सभी रिक्तियों को स्थानीय रोजगार दफ्तरों को अधिसूचित किया जाता है और उनके द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से भर्ती की जाती है। बाहर से भर्ती तभी की जाती है जब ये रोजगार दफ्तर समुचित व्यक्ति नहीं दे पाते। यह बात खास तौर से ऐसे पदों पर लागू होती है जिनमें विशेषज्ञता तथा तकनीकी कौशल और योग्यताओं की आवश्यकता होती है।

प्रतिभा पलायन

3961. **श्री ए० के० राय** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभा पलायन रोकने और विदेशों में रह रहे प्रतिभावान भारतीयों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उपयुक्त स्थान का आश्वासन देकर आकृष्ठ करने की जनता सरकार की नीति है ;

(ख) यदि हाँ, तो ब्योरेवार तथ्य क्या हैं, विदेशों में कितने भारतीय विशेज्ञ हैं और आपातस्थिति के बाद कितने लौटे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जो भारतीय विशेषज्ञ विदेशों से लौटे हैं उनके साथ देश में अच्छा वर्ताव नहीं किया जाता और हाल ही में प्रधान मंत्री ने ऊर्जा मन्त्रालय को ऐसा मामला सौंपा था; और

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों से भारतीय विशेषज्ञों को यहाँ आने के लिये आकृष्ट करने और उन्हें रोजगार देने के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति की घोषणा करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रवासी भारतीय विशेषज्ञों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, योग्यता सम्पन्न प्रवासी भारतीय पेशेवरों के नाँमाकन के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (वै० औ० अ० प०) भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक के राष्ट्रीय रजिस्टर के अन्तर्गत एक अनुभाग 'प्रवासी भारतीय' विदेशों में रहने वालों के लिए चलाती है। नामांकन ऐच्छिक है 1-1-78 को, रजिस्टर में नामांकित 10,586 भारतीय पेशेवर विदेशों में थे।

आपातकाल के बाद लौटने वाले पेशेवर, जिनका नाम रजिस्टर में था, की संख्या 270 थी।

(ग) जी, नहीं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित मुझे निर्दिष्ट विशेष सम्बन्ध में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा गठित समिति ने सुझाव दिया है कि सम्बन्धित व्यक्ति को 2000 रु० प्रतिमास के समेकित शुल्क पर एक वर्ष की अवधि के लिए कुछ प्रकार के कोयले के दक्ष उपयोग के लिये परामर्श सम्बन्धी प्रस्ताव दिया जाय। तदनुसार भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।

(घ) विदेशों से लौटने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, इत्यादि को रोजगार प्रदान करने के लिये भारत सरकार कुछ कदम उठा चुकी है—सूची संलग्न है।

विवरण

भारतीय वैज्ञानिकों एवं तकनीकी कार्मिकों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये भारत सरकार द्वारा किये गये उपाय

1. राष्ट्रीय रजिस्टर का एक विशेष अनुभाग "प्रवासी भारतीय" विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का पंजीकरण करने के लिये चलाया जाता है। निर्धारित निदेशिकों के के रूप में भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघीय एवं राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी उद्योगों, और बड़े निजी प्रतिष्ठानों में उनके विवरण प्रसारित किये जाते हैं। ऐसे कार्मिकों के विवरण वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (वै०औ०अ०प०) की मासिक पत्रिका "टैक्नीकल मैन पावर" में प्रकाशित किये जाते हैं। इस पत्रिका की प्रतियां तीन हजार संगठनों को निशुल्क वितरित की जाती हैं।

2. संघीय लोक सेवा आयोग और बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग इस बात पर सहमत हो गये हैं कि राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में जिन प्रत्याशियों के विवरण हैं, को उनके द्वारा विज्ञापित पदों के लिये "व्यक्तिगत संपर्क" के प्रत्याशियों के रूप में माना जायेगा।

3. किसी कार्य के लिये बगैर किसी आश्वासन के विदेशों से लौटने वाले उच्च योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों को सी०एस०आई०आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिक पूल में अस्थाई रोजगार दिया जाता है।

4. मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों में अधिसंख्यक पदों का निर्माण किया जा सकता है जिन पर विदेशों में अध्ययनरत या कार्यरत वैज्ञानिकों में से कुछ को अविलम्ब अस्थाई नियुक्तियां प्रदान की जा सकती हैं।

5. विदेशों के उत्पादन एककों (कारखानों) में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों को भारत वापिस आने और यहां अपने उद्योग, विशेष कर जिस क्षेत्र की उत्पादन प्रौद्योगिकी में उन्होंने कौशल प्राप्त किया है, उस क्षेत्र में उद्योग प्रारंभ करने की दिशा में उनको आकर्षित करने के लिये "एक मुश्त योजना" स्वीकृत की गई है।

6. वै०औ०अ०प० ने अनुसंधान एसोसिएट और "आतिथि वैज्ञानिक" नियुक्त करने के लिये एक योजना प्रारम्भ की है, जिसमें प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों को जो थोड़े समय के लिये भारत भ्रमण पर आते हैं वै०औ०अ०प० संगठन में नियुक्ति प्रदान की जा सकती है विशेषकर उन मामलों में जहां उनकी योग्यताएं संगठन से मेल खाती हैं।

7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक आयोजना का श्रीगणेश किया है जिसमें प्रवासी भारतीय छात्रों को उनके मेडिटिकल अवकाश के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में अल्पावधि नियुक्तिय प्रदान की जा सकती हैं।

8. विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों की भारत वापसी और स्थाई रूप में उनको यहां बसाना, प्रोत्साहित करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि ऐसे वैज्ञानिक जब विदेशों से लौटेंगे, उनको पचास हजार रुपये कीमत तक व्यावसायिक वैज्ञानिक उपस्कर और उपकरण नये या पुराने प्रयोग किए हुए आयात करने की आज्ञा प्रदान की जायेगी बशर्ते (क) कि संबंधित वैज्ञानिक दो वर्षों से विदेश में रह रहा हो, (ख) आयातित उपकरणों का प्रयोग उसके द्वारा भारत में किया जायेगा, (ग) वैज्ञानिक की विदेश में कमायी गई अपनी विदेशी मुद्रा से उपकरण खरीदा गया है।

कर्मचारियों की मांगें

3962. **श्री मकुन्द मण्डल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों ने आर्थिक आधार पर हड़ताल की थी अथवा नियामानुसार कार्य किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटोल) : (क), (ख) तथा (ग) हालांकि केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों/स्थापनाओं/उपक्रमों में "नियमानुसार कार्य" अथवा सांकेतिक हड़ताल आदि जैसी इक्की दुक्की घटनाएं हुई हैं, किन्तु केन्द्रीय सरकार अथवा इसके उपक्रमों के अधिकांश कर्मचारियों द्वारा किसी संगठित कार्यवाही अथवा बड़ी हड़ताल किए जाने की कोई घटना नहीं हुई है । विभिन्न मामले, जो सामान्यतः वैयक्तिक कार्यालयों/स्थापनाओं/उपक्रमों के कर्मचारियों से संबंधित हैं, इन इक्की-दुक्की घटनाओं का कारण रहे हैं और ऐसे मामलों पर समय समय पर समुचित प्राधिकारी अपना ध्यान देते रहे हैं ।

Number of Atomic Reactors in the Country

3963. **Shrimati Chandravati** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state the number of atomic reactors in the country and their annual budget and the purposes for which they have been used and how they will prove helpful in the industrial development or security of the country ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : The annual budget provision for the 3 power reactors and 4 research reactors sought for 1978-79 is :—

Power Reactors :

(i) Tarapur Atomic Power Station . (2 reactors)—Rs. 29.69 crores

(ii) Rajasthan Atomic Power Station (1 reactor)—Rs. 18.16 crores

Research Reactors :

(i) Cirus (ii) Apsara (iii) Zerlina	Rs. 74.00 lakhs
(iv) Purnima .	. Rs. 2.50 lakhs

The power reactors generate electricity (on a commercial scale) which is essential for industrial and agricultural development. The research reactors are used for experiments in various disciplines as well as for production of isotopes required for industrial, agricultural and medical applications.

Correspondence in Hindi in Small Scale Industries Services Institution

3964. **Shri Sharad Yadav** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the names of the cities in Hindi speaking States where there are small Industries Services Institutes;

(b) whether institutes in these cities are sending all the letters in Hindi to the people and offices of the State Government in accordance with official language rules, 1976 and if not, the measures being taken for proper compliance of these rules; and

(c) the percentage of letters sent in Hindi by the office of the Development Commissioner of Small Scale Industries to its attached offices, which are situated in Hindi speaking areas, during the last 3 months and if this percentage falls short of the target fixed by Government; the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) The names of the cities in Hindi speaking States are Patna, Indore, Jaipur, Kota and Kanpur.

(b) As the Institutes located in the Hindi speaking States are not sending all the letters in Hindi to the people and offices of the State Government, they have been instructed to comply with the provisions of official languages Rules, 1976; and

(c) The percentage in respect of quarter ending March, 1978 has not yet been worked out.

छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन

3965. **श्री सूरज भान** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1 मई, 1976 के बाद, जिस दिन से छावनी बोर्ड के कर्मचारियों के मामले में पेंशन तथा उपदान योजना लागू की गई थी, सेवा निवृत होने वाले छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनको पेंशन का शीघ्रता से भुगतान करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) यह सूचना मिली है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त 319 मामलों में से 155 मामलों में अनन्तिम पेंशन मंजूर कर दी गई है। शेष मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। इन मामलों को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने तथा अनंतिम पेंशन मंजूर करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

संबंधित सांविधिक नियमों में संशोधन कर दिए जाने के बाद अंतिम पेंशन मंजूर की जाएगी। संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

जेलों में सुधार करने के लिय राज्यों को सहायता

3966. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में जेलों में सुधार करने के लिए हाल ही में 20 लाख रुपये उपलब्ध कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्य सरकारों को भी अपने राज्यों में जेलों में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान। तमिलनाडु के लिए 26.96 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकारों को रहन-सहन की दशा,

सफाई, स्वास्थ्य, जल प्रदाय, विद्युतीकरण, अधिक भीड़-भाड़ की और कृषि तथा उद्योगों के आधुनिककरण के बारे में जेलों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 1977-78 के गृह मंत्रालय के अनुदान में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। विभिन्न राज्यों को स्वीकृत की गई धनराशि का विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1888/78]**

(ग) जेलों में कृषि तथा उद्योगों के आधुनिकीकरण से संबंधित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के लिए एक सापेक्ष अंशदान देना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि में से कोई आवर्तक व्यय खर्च नहीं किया जाता है। ऋण 25 किस्तों में वापस देने होते हैं और $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज वहन करना होता है। ये शर्तें सभी राज्यों पर लागू होती हैं।

कर्नाटक के गुलबर्ग तथा रायचूर जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण

3967. **श्री राजशेखर कोलूर**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के गुलबर्ग तथा रायचूर जिलों के गांवों में विद्युतीकरण कार्य की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इस धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) कर्नाटक में वर्ष 1978-79 में कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन): (क) गुलबर्ग और रायचूर जिलों के गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति नीचे दी गई है:—

जिला	गांवों की कुल संख्या	31-3-77 तक विद्युतीकृत गांव	1977-78 के दौरान (28-2-78 तक) विद्युतीकृत गांव
रायचूर	1387	625	20
गुलबर्ग	1304	611	27

इन जिलों के लगभग 50 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड का कार्यक्रम कर्नाटक में 1978-79 के दौरान 650 गांवों का विद्युतीकरण करने का है।

सीमा सड़क विकास बोर्ड के असैनिक कर्मचारियों की शिकायतें

3968. **श्री पूर्णो सिन्हा**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क विकास बोर्ड की सेवा में लगभग 50,000 असैनिक कर्मचारियों को तेजपुर, सिल्चर तथा अन्य केन्द्रों पर, जहां जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स तैनात है, बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स में असैनिक व्यक्ति वर्षों से नैमित्तिक कर्मचारी हैं और उन्हें मजदूर संघ बनाने के लिये नौकरी देने वाले अधिकारियों को भी संयुक्त अभ्यावेदन भेजने का अधिकार नहीं है यद्यपि रक्षा मंत्री ने अगस्त, 1977 में समाचार पत्रों में प्रकाशित अपने वक्तव्य के माध्यम से रक्षा सेनाओं में असैनिक कर्मचारियों को मजदूर संघ बनाने के अधिकार प्रदान कर दिये थे; और

(ग) क्या यह सच है कि मुख्यालय डी०जी०बी०आर० पत्र संख्या 69543 डी०जी०बो०आर०-पर्स० 1 दिनांक 26 अप्रैल, 1965 और संख्या 69546/7-डी०जी०बी०आर०ई०आई०ई० दिनांक 25 अप्रैल, 1975 के बावजूद जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा नियुक्त असैनिक कर्मचारियों की मंजूरी से अनधिकृत रूप से कटौतियां की जा रही हैं और अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध अपीलों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स पर सेना अधिनियम और सैनिक नियम लागू होते हैं इसलिए वे न तो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और न ही उनसे संबंध रख सकते हैं। परन्तु कर्मचारियों की शिकायतें सुनने और उनका निराकरण करने के लिए अन्य उपायों की व्यवस्था है।

(ग) जी नहीं।

Compensation to Victims of Pak armed Infiltration in J & K

3969. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due compensation has not been paid to the people who suffered as a result of the infiltration of armed Pakistanis in the Border areas in Jammu and Kashmir;

(b) whether it is also a fact that people in Hiranagar border area have been terrorised by the incidents of thefts, dacoities and cattle lifting indulged in by Pakistan;

(c) whether it is also a fact that a shopkeeper was seriously wounded by Pakistanis recently in Gho Brahamana village; and

(d) if so, how long would it take to train the people living in the Border areas in the use of arms for their security and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal): (a) No such compensation was paid.

(b) No, Sir. According to the State Government, there were only two incidents of theft reportedly committed by Pak intruders, and these are under investigation.

(c) One shopkeeper was injured, but not seriously, on the night between 4th and 5th January, 1978 in the border village of Gho Brahamana by two persons suspected to be Pak nationals;

(d) The State Government feels that the situation does not warrant arms training on a large scale. However, people living on the border, who are ex-servicemen, have been issued rifles for self-defence.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को छात्रवृत्तियों पर प्रतिबन्ध

3970. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांग्रेस शासन में आपातकाल के दौरान यह प्रतिबन्ध लगाया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दो से अधिक बच्चे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं;

(ख) क्या 6 मास पूर्व उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि जो भी प्रतिबन्ध लगाया गया था उसका पुनरावलोकन किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो पुनरावलोकन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या पर इस सीमा का प्रभाव पड़ रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) इस प्रतिबन्ध को लगाने के आदेश आपात स्थिति के लगाने से पहले, 17-9-1974 को जारी किए गए थे जब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना का युक्तिकरण किया गया था और निर्वाह भत्ते की दरें पर्याप्त रूप से बढ़ाई गई थीं।

(ख) से (घ) मामले का पुनरावलोकन किया गया है और शर्त में ढील देना संभव नहीं हुआ है क्योंकि उपलब्ध वित्तीय साधनों द्वारा योजना से परिवारों की अधिक संख्या को लाभ होना चाहिए। सरकार इससे सहमत नहीं है कि ऐसे प्रतिबन्ध से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं।

फरक्का सुपर थर्मल स्टेशन के लिय कोयले की ढुलाई

3971. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का सुपर थर्मल स्टेशन के लिए स्थल की उपयुक्तता, सम्पर्क माध्यमों और कोयले की ढुलाई के बारे में कोई जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) क्या कोयले की ढुलाई के लिए राजमहल से फरक्का तक नई रेल लाइन के बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार और बिहार सरकार ने इस प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहीत कर ली है और उपलब्ध कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हां, व्यवहार्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप-विद्युत निगम द्वारा तैयार की गई है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के तकनीकी व आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की गई है।

(ख) राजमहल कोयला क्षेत्रों से फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र तक कोयले की ढुलाई के लिए एक कैप्टिव रेल लाईन के निर्माण के लिए प्रस्ताव की परिकल्पना व्यवहार्यता रिपोर्ट में की गई है।

(ग) और (घ) अभी तक नहीं। रेल-लाईन के लिए भूमि अधिगृहोत करने के मामले पर कार्रवाई विस्तृत सर्वेक्षण के पूरे हो जाने के बाद शुरू की जाएगी।

फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के लिय नियम

3972. **डा० बापू कलदाते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्यों के लिये नियम अथवा मानदण्ड निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ये नियम क्षेत्रीय (रीजनल) बोर्ड के लिये भी लागू होते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) से (ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार, फिल्म सेंसर बोर्ड और इसके सलाहकार पैनलों का सदस्य होने के मापदण्ड हैं कि वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो योग्य और उपयुक्त हों और केन्द्रीय सरकार की राय में वे फिल्मों के जनता पर प्रभाव को आँकने में समर्थ हों।

टेलीविजन-प्रतियोगी एजेंसियों की स्थापना

3973. **श्री यशवन्त बोरीलः** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीविजन प्रोड्यसर्स गिल्ड आफ इंडिया ने देश में टेलीविजन की प्रतियोगी एजेंसियों की स्थापना करने के लिए माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) और (ख) टेलीविजन प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स गिल्ड आफ इंडिया ने हाल ही में दूरदर्शन महानिदेशक से, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में बातचीत करने का अनुरोध किया है:—

(क) स्वतन्त्र निर्माताओं को मान्यता देना;

(ख) स्वतन्त्र कार्यक्रम कम्पनियों/एजेंसियों को मान्यता देना; और

(ग) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के लिए काम करने वाले फुटकर कैमरामेनों को मान्यता देना।

सरकार बातचीत के निष्कर्षों की रोशनी में दृष्टिकोण अपनायेगी।

एम० ए० एम० सी० में भ्रष्टाचार और लेखों में धोखाधड़ी

3974. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदार** :क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि खनन तथा सहायक मशीनरी निगम लिमिटेड 'एम०ए०एम०सी०' दुर्गापुर कुप्रबंध और भ्रष्टाचार तथा लेखों की धोखाधड़ी के कारण गम्भीर संकट में है;

(ख) यदि हाँ, तो एम०ए०एम०सी० के बचाव के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मईती) : (क) कम्पनी के लेखों की कानूनी आडिट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा की जाती है। कम्पनी के कार्यकरण से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट आदि सहित, संसद में भी रखी जाती है, जैसा कम्पनी अधिनियम के अधीन अपेक्षित है। ये रिपोर्ट कम्पनी की वित्तीय स्थिति का गलत निवारण या किसी भारी अनियमितता को व्यक्त नहीं करती है।

यह सही है कि कम्पनी के सामने कुछ संचालन संबंधी और वित्तीय समस्याएं हैं। ये समस्याएं निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई हैं :--

(क) कोयला खनन उद्योग द्वारा बड़ी संख्या में क्रयादेश रद्द करना/आस्थगित करना;

(ख) 1977-78 और 1978-79 में निष्पादन के लिए उपलब्ध पर्याप्त क्रयादेशों की कमी।

(ख) तथा (ग) कम्पनी की संचालन और वित्तीय समस्याओं को हल करने हेतु अधिक क्रयादेश प्राप्त करने में इसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :--

(1) कोयला खनन उद्योग लगभग उन सभी क्रयादेशों को फिर से चालू करने को सहमत हो गया है जो 1978-79 में डिलीवरी के लिए इसने आस्थगित कर दिए थे और अनिष्पन्न क्रयादेशों की देय राशि चूकाने को सहमत हो गया है।

(2) भारत सरकार ने इस वर्ष कम्पनी को 91.27 लाख रु० की राशि संतुलित सुविधाएं लगाने से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए दी है।

(3) नगद ऋण सीमा में और 3 करोड़ रुपये तक की वद्धि करने के लिए कम्पनी वित्तीय संस्थाओं से बातचीत कर रही है।

(4) कोयला खनन उद्योग से कहा गया है कि वह 1978-79 और 1979-80 में अपेक्षित उपकरणों का निर्धारण करें और एम०ए०एम०सी० को क्रयादेश दे जिससे इन वर्षों के लिए एम०ए०एम०सी० अपने उत्पादन कार्यक्रमों की योजना बना सके।

(5) ग्राहकों की विशिष्टियों और डिलीवरी की निर्धारित अवधियों के अनुरूप एम०ए०एम०सी० द्वारा जिन उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है सरकार उनके आयात की अनुमति नहीं देती है।

(6) सरकार ने एम०ए०एम०सी० को इसके प्रौद्योगिकी के आधार को मजबूत करने और इसकी निर्माण रूपरेखा में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध विदेशी पार्टियों के साथ नये सहयोग करार करने के लिए भी प्रोत्साहन दिया है।

Dismissal of the Employees of BHEL

3975. **Shri Y.P. Shastri** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the management of Bharat Heavy Electricals Ltd., Bhopal had issued orders for the dismissal of 6 employees and suspension of 12 employees in the months of December, 1977 and January, 1978;

(b) if so, whether it is also a fact that no charge sheet or notice was given to these employees before their dismissal or suspension nor were they allowed to represent their case; and

(c) if so, whether Government have issued any directive to the management of Heavy Electricals Ltd., Bhopal to re-instate these employees by revoking this action ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) It is true that during the months of December, 1977 and January, 1978, six employees were dismissed from service of BHEL, Bhopal on charges of grave misconduct including assault and manhandling of officers. However, the number of employees suspended on similar charges during the above period in BHEL, Bhopal is 8 and not 12.

(b) The dismissal of employees was in terms of the provisions of Standing Orders of the Company. In cases of suspension, charge sheets have been issued. The delinquent

employees will be afforded full opportunity to defend themselves before the enquiry officer, for the charges levelled against them.

(c) The question of Government interference does not arise at all.

Production of Cloth, Jute and Sugar

3976. **Shri Ugrasen** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state the progress so far achieved in the production of cloth, jute and sugar in 1977-78 ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : The production of cloth, jute and sugar in 1977-78 estimated on the basis of current trends is likely to be :

(1) Cloth		
(a) Cotton	7,663	Million Metres
(b) Synthetic	1,350	Million Metres
(c) Silk .	50	Million Metres
(d) Woollen	N.A.	
(2) Jute & Mesta .	70	Lakhs Bales
(3) Sugar .	57.77	Lakh tonnes

Development of Rural Areas by Volunteers, Businessmen, Philanthropists and Banks

3977. **Shri Chaturbhuj** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether certain people, businessmen, volunteers Philanthropists, banks and other institutions have offered to work selflessly for the development of rural areas by making use of advanced technology and whether certain guidelines have been laid down for such persons who have volunteered to contribute their mite for this task of national importance; and

(b) the nature of help proposed to be provided by Government to these persons and institutions for the said work and the names and addresses of the Officers and departments who will provide necessary facilities, equipment, material, literature etc. to these persons so that they may contact them for the purpose and go ahead with the work in the rural areas expeditiously ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b) Yes, Sir.

The Central Govt. has with a view to encouraging companies and cooperative societies to involve themselves in the work of rural welfare and uplift, inserted section 35 CC in the Income-Tax Act 1961 by the Finance (No. 2) Act. 1977, which provides for the deduction, in the computation of taxable proficts, of the expenditure incurred by them on any programme of the rural Development. In this connection, Guidelines have been issued vide Public Circular—Circular No. 231 (F. No. 203/201/77-ITA II dated 14-11-77) (Copy enclosed) [Placed in Library. *See* No. L.T.–1889/78] from the Ministry of Finance, Deptt. of Revenue.

Use of Foreign Money in Recent Elections

3978. **Chaudhury Ram Gopal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have made any assessment of the use of foreign money in the recent elections to Assemblies;

(b) if so, the observations in regard thereto; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : (a) No instance of foreign money having been utilised in the recent elections to Assemblies has come to the notice of Government.

(b) and (c) Do not arise.

Visit by Officers of Science and Technology Abroad

3979. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state :

(a) the number of times officers of Department of Science and Technology paid visits to foreign countries during the last three years and the name of each officer and full details in this regard;

(b) the number of officers of the said Department who have not paid visit to foreign countries so far;

(c) whether besides the Secretary special treatment has been shown to another officer of the said Department in this regard when none of the Central Government officer of his status is given such treatment; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard and the steps being taken to ensure that such wrong action is not taken in future ?

The Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) A statement is attached—Annexure I. [Placed in Library. *See*. No. 1890/78].

(b) A statement is attached—Annexure II. [Placed in Library. *See* No. 1890/78].

(c) Selection of officers for attending the various Inter-governmental/Scientific Conference and meetings of Joint Commissions has always been based on the field of specialization involved, the level of participation required, the delegate's capacity to make effective contribution to the deliberations of the international scientific forums and the nature of the responsibilities and duties assigned to the officer in the Department and the suggestiton, if any, of the organisation concerned.

(d) It is a fact that some officers have gone more than once but this has been for reasons mentioned above and not for any special treatment to any particular officer.

सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय पाबन्दी का पालन किया जाना

3980. **श्री विनायक प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति के समाप्त किए जाने के बाद अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी प्रातः के समय और दोपहर के भोजन के बाद दोनों में समय पाबन्दी का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) तथा (ख) समय की पाबन्दी और दोपहर के भोजन के समय का कड़ाई से पालन किए जाने के संबंध में अनुदेश 1965 तथा 1968 में जारी किए गए थे और इन्हें समय समय पर दोहराया जाता रहा है ये अनदेश, आपातस्थिति समाप्त किए जाने के बाद भी लागू हैं। सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है

कि इन अनुदेशों का अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पालन किया जाता है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को इन अनुदेशों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। फिर भी, समय की पाबन्दी का बड़ाई के साथ पालन करने के संबंध में दिनांक 23-4-68 के परिपत्र पर जोर दिया जायगा।

'संचेतना' पत्रिका को दिए गए विज्ञापन

3981. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आपातकाल के दौरान हिन्दी पत्रिका 'संचेतना' को विशेष दर पर विज्ञापन दिए गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) और (ख) आपातस्थिति से पहले प्रकाशन को प्रति पृष्ठ 325 रु० (250 रु० + 30 प्रतिशत अतिभार) मिल रहे थे। आपातस्थिति के दौरान 1-2-1977 से लागू दर-ढांचे के अनुसार प्रकाशन 3 रु० 45 पैसे प्रति एकल कालम सेंटीमीटर की दर पर 110.25 रुपए प्रति पृष्ठ का हकदार था, किन्तु उसको 6 रु० प्रति एकल कालम सेंटीमीटर की दर का विशेष उपलक्षधन (वेटेज) दे कर 330 रु० प्रति पृष्ठ देने की अनुमति दी गई।

कपड़ा मिलों के रुग्ण होने के कारण

3982. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कभी इस आशय से जाँच की है कि देश में कपड़ा मिल रुग्ण क्यों होती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को पता चला है कि विभिन्न कपड़ा मिलें प्रबंधकों की असफलताओं के कारण ही रुग्ण हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में की गई जाँच का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइती) : (क) और (ख) देश में कपड़ा मिलों की रुग्णता के कारणों की कोई वैज्ञानिक तथा पूर्णस्तरीय जाँच नहीं की जा रही है। कपड़ा मिलों की रुग्णता अथवा बन्द होने के मुख्य कारणों में से प्रबंधकों की असफलता भी एक कारण हो सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Production of coal by Bharat Coking coal and eastern coal fields Ltd.

3983. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the quantity of coal produced by the Bharat Coking Coal and the Eastern Coalfield (India) Ltd. in 1974-75, 1975-76 and 1976-77 and the production cost thereof and the profit earned or loss incurred during the last three years;

(b) if loss has been incurred the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government to ensure that loss is not incurred in this regar in future ?

The Minister of Energy (Shri P. Ramachandran) : (a) The Statement below gives the figures of coal production, per tonne production cost and loss incurred by the Bharat Coking Coal Ltd. and Eastern Coalfields Ltd. during the years 1974-75 to 1976-77 :

Year	Coal production in million tonnes	Cost (in rupees) per tonne	Loss/ Profit (Rs. in lakhs)
Bharat Coking Coal Ltd.			
1974-75 . . .	20.19	70.79	—2604
1975-76 . . .	22.26	79.64	—1663
1976-77 . . .	22.64	82.12	—2152
Eastern coalfields Ltd.			
1974-75 . . .	23.11	65.07	—3257*
1975-76 . . .	26.18	Audited statement of	
1976-77 . . .	26.47	accounts not yet available.	

*Provisional.

(b) The main reasons for the loss are as follows :—

(i) The national coal wage agreement resulting in substantial increase in the wage bill of the company was effective from 1st January, 1975 but the price of coal was revised only from 1st July, 1975;

(ii) While revising the price of coal from 1st July, 1975, the Govt. allowed a price increase of Rs. 17.50 per tonne only, against the recommended increase of Rs. 21.80 per tonne on the basis of the cost of production.

(iii) During 1976-77, the cost of production went up on account of payment of ex-gratia amount in lieu of bonus and rise in the cost of stores, power, machinery and other inputs.

(c) In view of the impact of any rise in the price of a basic fuel like coal, Govt. has decided not to revise the price of coal at present. Steps are, however, being taken to effect economics, improve efficiency and reduce the cost of production.

बड़ौदा भारी जल संयंत्र की दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट

3984. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा**;

श्री शरद यादव :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अन्य आसूचना एजेंसियों ने ऐसे कुछ विदेशी तत्वों का पता लगाया है जिनके बारे में बताया जाता है कि उनका बड़ौदा स्थित भारी जल संयंत्र में हुई दुर्घटना में हाथ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से बचने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म निर्माताओं पर विदेशों में शूटिंग करने के लिए प्रतिबन्ध

3985. **श्री सौगत राय : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय उन फिल्म निर्माताओं पर, जो अनावश्यक रूप से विदेशों में अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और परिणामस्वरूप भारी विदेशी मुद्रा की बरबादी कर रहे हैं, कुछ प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार किसी विशेष समिति के जरिए इस बारे में जाँच करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसरण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (ग) भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा विदेशी स्थलों पर फिल्मों की शूटिंग के सभी प्रस्तावों की पूरी तरह छानबीन की जाती है। विदेशी स्थलों पर फिल्मों की शूटिंग के प्रस्ताव की सरकार द्वारा मंजूरी तथा विदेशी मुद्रा तभी रिलीज की जाती है जब वह इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि प्रस्तावित फिल्म विषय/कहानी के लिए विदेशी स्थलों की शूटिंग आवश्यक है तथा विदेशों में भेजे जा रहे व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है। सरकार द्वारा स्वीकृत इस प्रकार के प्रत्येक मामले में, निर्माता के लिए शूटिंग के लिए रिलीज की गई धनराशि से चार गुना तथा यात्रा पर व्यय की गई धनराशि से दो गुना धनराशि से बराबर विदेशी मुद्रा के इस देश में प्रत्यावर्तन का वचन देना भी आवश्यक है। इस प्रकार किसी भी निर्माता के लिए अदावश्यक रूप से विदेशों में अपनी फिल्मों की शूटिंग करने और परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बरबादी करने की गुंजाइश नहीं है। अतः इस मामले में कोई जाँच करने की जरूरत नहीं है।

गलीचा उद्योग का गैर-विद्युत क्षेत्र के लिए आरक्षण

3986. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गलीचा उद्योग का गैर विद्युत क्षेत्र के लिए आरक्षण करने का प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उससे सम्भावित रोजगार के बारे में मंत्रालय के पास कोई आंकड़े हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइती) : (क) हाथ से बने गलीचों के उत्पादन को बढ़ावा देने की युक्तियुक्तता तथा अधिक रोजगार प्रदान करने की इसकी क्षमता को देखते हुए मशीनों से बनाये जाने वाले गलीचों का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए पद

3987. **श्री भगवान दास राठोर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की है कि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में पदों पर नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए नियत कोटा भरा जाये।

(ख) श्रेणीवार पदों की सूची क्या है और कितने पदों पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है; और

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से भरे जाने वाले पदों की पद-वार संख्या क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हाँ। अनसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की भर्ती में बकाया था। इस बकाये को निपटाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) दिल्ली परिवहन निगम ने निश्चय किया है कि भर्ती/पदों में प्रोन्नति के मामले, जिनमें अभी बकाया है, में अबसे प्रत्येक श्रेणी में जब तक बकाया पूरा नहीं किया जाता, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में से 45 प्रतिशत भर्ती की जाये।

(2) निगम इस बात पर राजी हो गया है कि प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को एक वर्ष तक के अनुभव के बारे में जब तक कि पद/श्रेणी में बकाया पूरा न हो जाए, छूट दी जाए।

(3) उक्त (1) के अनुसार, निगम द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की 45 प्रतिशत नियुक्ति करने के लिए अनन्य रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से विज्ञापनों के जरिये और रोजगार कार्यालयों को माँगपत्र भेजकर आवेदन पत्र माँगे गए हैं।

(ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना क्रमशः अनुबन्ध 'क' तथा 'ख' में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी०-1891/78]

फोटोग्राफी व्यापार में संकट की स्थिति

3988. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मों तथा कैमरों की भारी कमी के कारण फोटोग्राफी व्यापार संकट की स्थिति से गुजर रहा है; और

(ख) फिल्मों तथा कैमरों की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइयती) : (क) से (ख) रोल फिल्में :—1977-78 में 140.5 लाख रोल फिल्मों की अनुमानित माँग की तुलना में हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस ने फरवरी, 1978 के अन्त तक 93.2 लाख रोलों का उत्पादन किया और मार्च, 1978 के अन्त तक 105.0 लाख रोलों का उत्पादन कर सकेगा शेष 35.5 लाख रोलों को आयात करने की अनुमति दी गई है। आयातों के पहुंचने में विलम्ब के कारण कुछ अस्थाई कमी आई है।

कैमरा :—इस समय बाक्स कैमरा का आयात प्रतिबंधित है। सभी अन्य प्रकार के कैमरों को व्यावसायिक फोटोग्राफरों/स्टूडियों आदि के द्वारा आयात करने की अनुमति है। अव्यवसायिक तथा व्यवसायिकों दोनों के लिए और रक्षा, पुलिस, अनुसंधान प्रयोगशालाएं आदि के लिए भी अच्छी किस्म के कैमरों के उत्पादन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में प्रति वर्ष 65000 नग 35 एम०एम०लेन्स शैटर कैमरे तथा प्रतिवर्ष 3000 नग सिंगल लैन्स रिफ्रेक्ट 35 एम०एम० कैमरों के उत्पादन करने के लिए मैसर्स नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लि०, कलकत्ता की योजना को स्वीकृत किया है। सरकार द्वारा जर्मनी के केसर्स रेगुला बेर्क से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। 35एम०एम० लेन्स शेटर कैमरों का उत्पादन आरम्भ हो चुका है और अन्य प्रकार के कैमरों का उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

नाविकों के बीच कार्यरत संघों को मान्यता देना

3989. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नाविकों के बीच कार्यरत संघों को मान्यता देने के लिए श्रम मंत्रालय से कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गुप्त मतदान के जरिए नाविकों के संघों की मान्यता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी गढ़वाल में कागज उद्योग की स्थापना

3990. **श्री जगन्नाथ शर्मा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पता है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में कागज बनाने हेतु कच्चे माल की बड़ी मात्रा विद्यमान है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, संयंत्रों की स्थापना करने और कागज बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों के लिये वैज्ञानिकों को सम्बद्ध करने का है ; और

(ग) क्या सरकार ने पौड़ी गढ़वाल जिले में इस प्रकार की परियोजना की स्थापना करने के लिये कुछ स्थानों का चयन किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) तथा (ख) सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यमान कच्चे माल के संसाधनों के आधार पर कागज/लुगदी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों से प्राप्त कुछ प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है । निस्सन्देह योग्य तकनीकी व्यक्तियों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, संयंत्रों को लगाने करने तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों में लगा दिया जायेगा । सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से "कागज तथा अखबारी कागज तैयार करने के लिए वैकल्पिक कच्चे माल का पता लगाने तथा जांच करने" के लिए एक योजना के अन्तर्गत देहरादून तथा सहारनपुर में अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएं तथा पायलट संयंत्र स्थापित कर रही है ।

(ग) जी नहीं ।

Vacant post in U.P.S.C.

3991. **Shri Hukmdeo Narain Yadav :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is no Hindi scholar among the Members of the UPSC and the post has been lying vacant for many years;

(b) whether it is proposed to fill the post early and the reasons for keeping it vacant; and

(c) whether Government propose to do away with compulsory English in Commission's examinations and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri S. D. Patil) : (a) and (b) Neither the Chairman nor any of the Member of the Union Public Service Commission is a Hindi scholar. The Commission has a sanctioned strength of nine including the Chairman. There are at present two vacant posts. One of these posts became vacant only recently, i.e. on the 14th March, 1978. The posts on the Commission are filled as and when required and suitable persons are available.

(c) There is at present no proposal to do away with the compulsory paper on "English/General English" in the Commission's examinations. Such a course of action is not considered advisable at this stage since it is felt that the candidates should have some knowledge of English.

Open looting of Government and business

†3992. **Shri Bharat Bhushan** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news item appearing in the 'Nav-Bharat Times' dated the 8th March, 1978 under the caption "Sarkar Va Vyavasay Ki Khuli Loot" (an open loot of Government and business); and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Apart from launching surprise drives to detect cases of clandestine use of private cars as taxis in contravention of the provisions of the Motor Vehicles Act, the Unions of Taxi Operators, particularly, and members of the public generally are, exhorted from time to time to cooperate with the staff in checking this malpractice. During the period from 1st January, 1978, till 18th March, 1978 prosecutions have been launched by the Delhi Administration in 22 such cases of violations.

उड़ीसा के लिये पुलों की स्वीकृति दिया जाना

3993. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के लिए वर्ष 1977-78 में अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व तथा केन्द्रीय सड़क आरक्षित निधि के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सड़कों और पुलों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और जारी की गई और अब तक उस राज्य ने कितनी धन धनराशि का उपयोग किया ;

(ग) गुनुपुर, कोरापुट के निकट वंसधारा पुल पर उस राज्य ने कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(घ) वंसधारा पुल के बारे में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यक्रम है और उसमें क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) उड़ीसा में 1977-78 में भारत सरकार द्वारा, अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत

केन्द्रीय सड़क निधि से किसी पुल की स्वीकृति नहीं की गई । परन्तु, जनवरी 1977 में उड़ीसा में निम्नलिखित दो पुलों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता की मंजूरी दी गई :—

पुल का नाम	स्वीकृत ऋण (रु० लाख में)
(1) आनंदपुर —भद्रक सड़क पर बैतरनी पुल	90.00 लाख
(2) राज्य राज मार्ग 4 पर बन्सधरा पुल	108.00,,

(1) के अनुमान की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जानी है क्योंकि इसकी लागत 1 करोड़ रु० से कम है तथा राज्य सरकारों को एक करोड़ रु० से कम लागत के अनुमानों की स्वीकृति देने का अधिकार है । जहां (2) का प्रश्न है राज्य सरकार को शीघ्र ही सर्वेक्षण और जांच के पूरा होने और डिजाइनों को अंतिम रूप देने के बाद विस्तृत अनुमानों की स्वीकृति को अन्तिम रूप देने की संभावना है।

दिल्ली से पड़ौसी राज्यों को कोयले की तस्करी

3994. **श्री यादवेन्द्र दत्त :**
श्री सौगत राय :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 मार्च, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली से हरियाणा तथा अन्य पड़ौसी राज्यों को कोयले की तस्करी हो रही है तथा वहां उसे दिल्ली की तुलना में दुगने मूल्य पर बेचा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तस्करी तथा कृत्रिम कमी पैदा करने की इन गतिविधियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामाचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली कोयला नियंत्रण आदेश की व्यवस्थाओं के अधीन दिल्ली में कोयले का आयात तथा दिल्ली से कोयले का निर्यात दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किए गए परमिट के अनुसार किया जा सकता है । दिल्ली कोयला नियंत्रण आदेश की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करता है । कोल इंडिया लि० ने कोयला सरलता से मिलने के बारे में व्यापक प्रचार किया है जिसके फलस्वरूप आशा है कि कोयले की कृत्रिम कमी दूर हो जाएगी ।

निर्यात का माल

3995. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे प्रमुख पत्तनों पर निर्यात के कितने वैगन माल रेलवे द्वारा लाया ले जाया गया और इस समय भारत के वार्षिक निर्यात का कितने प्रतिशत माल रेलवे द्वारा देश के विभिन्न केन्द्रों से पत्तनों पर लाया जाता है ;

(ख) पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में ये आंकड़े क्रमशः क्या थे ; और

(ग) माल का पत्तनों पर सुगमतापूर्वक पहुंचना सुनिश्चित कराने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या उपाय किये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) :

(क) पत्तन	1976-77 के दौरान रेल पद्धति द्वारा निर्यात वैगन लौड की धरा उठाई की संख्या	अन्तर्देशीय केन्द्रों से रेल द्वारा पत्तनों को ढोए गए वार्षिक निर्यात की अनुमानित प्रतिशतता
कलकत्ता . .	70,000	50.9
बम्बई .	49,086	24.0
मद्रास	1,08,987	75.8

(ख) पहली योजना के अन्तिम वर्ष में			तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष	
रेल पद्धति द्वारा धरा उठाई किए गए निर्यात वैगनों की संख्या	अन्तर्देशीय केन्द्रों से पत्तनों को ढोए गए वार्षिक निर्यात की अनुमानित प्रतिशतता		रेल पद्धति द्वारा धरा उठाई गई किए गए, निर्यात वैगनों की संख्या	अन्तर्देशीय केन्द्रों से पत्तनों को ढोए गए वार्षिक निर्यात की अनुमानित प्रतिशतता
कलकत्ता	1,46,000	72.6	1,38,000	69.6
बम्बई	28,239	30	34,023	29.0
मद्रास	उपलब्ध नहीं है	71.2	65,623	83.4

(ग) माल यातायात की शीघ्र ढुलाई को सुनिश्चित करने के लिए रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) लोह अयस्क जैसे भारी निर्यात को सर्किटों में ट्रेन लोड्स में ढोया जाता है । किरिनढुल-विजाग, बाराजामदा-पारादीप-बाराजाम्दा-हल्दिया तथा होस्पेट-मद्रास केन्द्र उदाहरण हैं।

(2) कोयले सहित इस भारी माल के निर्यात की ढुलाई को सुनिश्चित करने के लिए पत्तनों से निकट समन्वय स्थापित किया जाता है जिससे लदान और परिवहन आवश्यकताएं अनुकूल हो सकें।

(3) सभी निर्यात माल की ढुलाई के लिए उच्चतर प्राथमिकता दी जाती है और सामान्यतः परिचालनात्मक प्रतिबन्ध यदि कोई हो, तो उससे छूट दी जाती है ।

विवरण

श्रेणीवार स्वीकृत संख्या, हाजिरी रजिस्टरों में कर्मचारियों की संख्या और पद जो 28-2-1978 को भरे नहीं गये की संख्या को सूचित करने वाला विवरण

अनुबन्ध 'घ'

पदों की संख्या	स्वीकृत संख्या	हाजिरी रजिस्टर में कर्मचारियों की संख्या	पद जो अभी भरे नहीं गये की संख्या
1	2	3	4
समूह 'क'	38	29	9
समूह 'ख'	144	98	6

1	2	3	4
समूह 'ग'			
(1) अनुसचिवीय, स्टोर और यातायात पर्यवेक्षक स्टाफ	2305	2083	222
(2) ड्राईवर	4737	4642	95
(3) कन्डक्टर	6180	6111	69
(4) मरम्मत और रखरखाव अधीनस्थ कर्मचारी	2448	1816	632
समूह 'घ'			
(स्वीपरों को छोड़कर)	3423	2591	832
समूह 'घ'			
(स्वीपर) . .	150	109	41

विवरण

28-2-78 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार ब्यौर सूचित करने वाला विवरण

पद की श्रेणी	निम्नलिखित के लिये आरक्षण		हाजिरी रजिस्टर में कर्मचारियों की संख्या		भरे जाने वाले पदों की संख्या	
	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति	अनु-सूचित जाति	अनु-सूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
समूह 'क' .	5	2	—	—	5	2
समूह 'ख' .	14	7	1	—	13	7
समूह 'ग'						
(1) अनुसचिवीय स्टोर और पर्यवेक्षी स्टाफ .	237	121	221	—	41	96
(2) ड्राईवर	696	348	321	83	375	265
(3) कन्डक्टर . . .	917	458	736	27	181	431
(4) मरम्मत और रखखाव अधीनस्थ स्टाफ	266	132	129	—	137	132
समूह 'घ'						
(स्वीपर को छोड़कर) . . .	384	193	509	4	आरक्षण का कोई बकाया नहीं।	138
समूह 'घ'						
(स्वीपर)	16	8	109	—	-यथोक्त-	8

आम उपभोग की वस्तुओं का लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन

3996. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के लघु उद्योग क्षेत्र में आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने की नीति को अपनाया है ;

(ख) क्या इस समय आम उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बड़े उद्योग गृहों को अधिक पूंजी "कोर" क्षेत्र के सामान उत्पादन आरम्भ करने के लिए कहने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में बनाई जाने वाली आम उपभोग की वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर बड़े गृहों की प्रतिक्रिया क्या है और प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) तथा (ग) जी हां, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित 504 वस्तुओं की सूची 23-12-1977 को जब कि संसद् में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी सभा पटल पर रखी गई थी।

(ख) तथा (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को गैस टरबाइनों की सप्लाई

3997. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को गैस टरबाइन सप्लाई किए जाने के बारे में निर्णय लेने में विलम्ब हुआ है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप बम्बई हाई से प्राप्त होने वाली बड़ी मात्रा में गैस बेकार हो जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो शीघ्रता से निर्णय लेने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) यद्यपि गैस टरबाईन को प्रतिष्ठापन करने संबंधी महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन कार्यान्वियन हेतु कर दिया गया था तथापि टेंडर मंगाए जाने के फलस्वरूप प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करने में कुछ समय लगा । इसी दौरान, इन टरबाईनों से संभावित प्रदूषण संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने 60-60 मेगावाट की चार यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने संबंधी अपने पिछले प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का फैसला किया।

(ख) बम्बई हाई से गैस पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है और मई, 1978 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है । उर्वरकों के उत्पादन के लिए गैस का उपयोग पोषक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाने को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । बम्बई हाई से उपलब्ध गैस की मात्रा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के ट्राम्बे फर्टिलाइजर यूनिटों को तथा दो नयी बृहत् फर्टिलाइजर परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी । विद्युत उत्पादन के लिए गैस की सप्लाई केवल उस समय तक के लिए ही एक अन्तरिम उपाय समझा जा रहा है जब तक कि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया को ट्राम्बे यूनिटों के लिए गैस का इस्तेमाल करने की सुविधाएं नहीं बन जातीं और दो नयी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित नहीं हो जातीं ।

(ग) संभावित प्रदूषण के खतरे को कम करने तथा परियोजना के लिए आवश्यक निधियों की व्यवस्था करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र सरकार 60-60 मेगावाट की चार यूनिटों के स्थान पर केवल दो यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने के लिए परियोजना रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव कर रही है ।

गाजियाबाद और बुलन्दशहर का कृषि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में सर्वेक्षण

3998. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और बुलन्दशहर जिलों के अन्तर्गत आने वाले यमुना पार क्षेत्र कृषि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कब किया जाएगा ; और

(ग) वहां कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइती) : (क) जी, हां । तकनीकी, आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यमुनापार क्षेत्र कृषि-औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकास के उपयुक्त है ।

(ख) जी नहीं । राज्य सरकार का इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मेरठ (जिसमें गाजियाबाद शामिल है) और बुलन्दशहर जिलों के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पहले ही किये जा चुके हैं।

(ग) सर्वेक्षण के आधार पर प्रोत्साहित किए जा रहे उद्योगों में कृषि पर आधारित, इंजीनियरी उपभोक्ता वस्तुओं और मांग पर आधारित उद्योग शामिल हैं ।

"फ्राम दा हाउस आफ विल्स ए सुपरस्टार इज बोर्न" विल्स सिगरेट का ब्रांड नाम

3999. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि 15 जनवरी, 1978 के "इलस्ट्रेटेड वीकली" में प्रकाशित एक विज्ञापन के अनुसार, सुपर स्टार सिगरेट कंपनी के मालिक ने विल्स सिगरेके के ब्रांड नाम का फायदा उठाने अथवा अबोध भारतीय जनता को धोखा देने के उद्देश्य से अपना विज्ञापन "फ्राम द हाउस आफ विल्स ए सुपर स्टार इज बोर्न" के रूप में दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम का गलत ढंग से फायदा उठाने अथवा धोखा देने के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइती) : (क) तथा (ख) सरकार को यह मालूम है कि आई टी सी लिमिटेड ने एक विज्ञापन निकाला है जो इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया के कुछ अंकों में प्रकाशित हुआ है । ट्रेड मार्क "विल्स" आई टी सी लि० का है तथा ट्रेड मार्क "विल्स सुपरस्टार" का ट्रेड तथा मर्चेन्डाइज मार्क्स अधिनियम के अन्तर्गत, पंजीकरण, करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों की सहायता अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम के प्रयोग के संबंध में केवल उन मामलों में ली जाती है जिनमें उसके प्रयोग के लिए कुछ प्रतिफल निहित होता है । इन प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए यहां कानून के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन होता प्रतीत नहीं होता ।

फिरोजपुर-फाजिल्का में परमाणु बिजली घर की स्थापना

4000. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्र के विकास तथा वहां नये उद्योग आरम्भ करने को ध्यान में रखते हुए फिरोजपुर-फाजिल्का क्षेत्र में परमाणु बिजली घर स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह इस क्षेत्र के औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर विचार करेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) परमाणु बिजलीघरों के संबंध में योजना बनाने के काम का ताल-मेल बिजली के उत्पादन की अन्य परियोजनाओं के साथ बैठाना होता है । उत्तरी क्षेत्र, जिसमें पंजाब भी आता है, के संबंध में इस प्रकार के ताल-मेल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार राजस्थान बिजलीघर की स्थापना कर चुकी है तथा नरोरा में परमाणु बिजलीघर लगाने का काम चल रहा है । इस क्षेत्र में तीसरा परमाणु बिजलीघर लगाना अभी जरूरी नहीं पाया गया है ।

मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन

4001. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज पदार्थ सब से अधिक होते हुए भी मध्य प्रदेश पर्याप्त बिजली अभाव में आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सका है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य में और अधिक बिजली का उत्पादन करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या इस संबंध में योजना आबंटन की राशि पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) पर्याप्त विद्युत का न होना मात्र ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के वर्तमान स्तर का कारण नहीं कहा जा सकता ।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश राज्य में प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और इस समय यह क्षमता लगभग 1015 मेगावाट है । राज्य में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं/हाल ही में स्वीकृत की गई हैं :—

	मेगावाट
(1) अमरकण्टक ताप विद्युत विस्तार (यूनिट-2)	—1 × 120
(2) सतपुड़ा यूनिट 6 और 7	—2 × 200
(3) सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार यूनिट 8 और 9	—2 × 210
(4) कोरबा पूर्व ताप विद्युत	—1 × 120
(5) कोरबा पश्चिम ताप विद्युत	—2 × 210
(6) पेंच जल-विद्युत (मध्य प्रदेश का भाग)	—106

इन परियोजनाओं को अगली पंच वर्षीय योजना में उत्तरोत्तर पूरा करने का कार्यक्रम है । इसके अतिरिक्त सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण का अनुमोदन कर दिया है । इस चरण की प्रतिष्ठापित क्षमता 1100 मेगावाट है । इस परियोजना से 1982-83 तक 400 मेगावाट का लाभ प्राप्त होने की संभावना है । इस परियोजना से लाभ का एक भाग मध्य प्रदेश राज्य को मिलेगा । प्रत्येक परियोजना के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था की जा रही है ताकि विभिन्न परियोजनाएं योजना में निर्धारित समय-सूची के अन्दर पूरी हो सकें ।

Restrictions regarding issue of import of material for defence production

4002. **Shri Sukhendra Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have imposed certain restrictions in regard to issuing new licences for the import of material required in public sector undertakings for defence productions; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Defence (Shri Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

नारियल जटा उद्योग में मशीनीकरण

4003. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि नारियल जटा उद्योग में कार्यरत सभी मजदूर संघ इस उद्योग में मशीनीकरण की सरकारी नीति के विरुद्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मांगों को सरकार किस सीमा तक पूरा करने के लिये तैयार है जो मशीनीकरण के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो जायेंगे ;

(ग) सरकार ने मशीनीकरण की अपनी योजना किस सीमा तक लागू की है और नारियल जटा उद्योग स्थापित करने के लिये किस-किस को लाइसेंस दिये हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार की इस नीति के बारे में केरल सरकार को गम्भीर आपत्तियां हैं ; और

(ङ) इस मामले में नारियल जटा बोर्ड की क्या स्थिति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माइती) : (क) से (ङ) मशीनीकरण के संबंध में नीति प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर निर्भर करते हुए अभी तक केवल चयनात्मक रही है । हाल ही में मशीनों से कयर उत्पाद बनाये जाने के संबंध में विभिन्न हितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनसे ऐसी धारणा बनती है कि सरकार द्वारा हाल ही में कयर उद्योग में मशीनीकरण के लिये जारी किये गये लाइसेंस से उद्योग के काफी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिये खतरा पैदा हो गया है । वास्तविक स्थिति यह है कि क्या उत्पादों के निर्माण हेतु मशीनों का आयात करने के लिये उत्पादन के 75 प्रतिशत तक निर्यात के दायित्व सहित एक फर्म को 1973 में ही एक लाइसेंस जारी किया गया था । हाल ही में केरल सरकार तथा अन्य व्यक्तियों से अभ्यावेदन मिलने पर मामले की समीक्षा की गयी तथा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि इस प्रकार की लाइसेंसिंग से देश के उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़ने पाये, निर्यात दायित्व को शत प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है ।

उद्योग के चटाईयां तथा विद्यमान बुनाई क्षेत्र में लगभग 20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से "कील मेंट", बनाने के काम में केवल 1750 के लगभग लोग लगे हुए हैं । चूंकि 50 प्रतिशत से

अधिक चटाइयां देश के अन्दर इस्तेमाल के लिये बनाई जाती हैं, इसलिये कर्मचारियों पर यदि कोई प्रभाव पड़ा भी तो वह बहुत मामूली होगा ।

मशीनीकरण का गैर-मशीनकृत क्षेत्र पर रोजगार के सम्बन्ध में पड़ने वाला प्रभाव, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के बारे में इस समय समूचे शीमनीकरण के प्रश्न की ही समीक्षा की जा रही है। तथा सरकार सभी संगत पहलुओं पर विचार कर लेने के बाद ही अन्तिम निर्णय करेगी ।

उड़ीसा में आदिवासी विकास के लिए उपयोजना के अन्तर्गत परियोजनावार आबंटन

4004. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप-योजना के अन्तर्गत आदिवासी विकास एजेंसियों सहित वर्ष 1977-78 में उड़ीसा सरकार द्वारा आई० टी० डी० पी० की परियोजनावार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ;

(ग) परियोजनावार इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन पर कितनी राशि खर्च की गई हैं ;

(घ) आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ङ) क्या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग न करके इस राज्य द्वारा राज्य की और केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) 1977-78 के लिए राज्य योजना से समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं और आदिवासी विकास एजेंसियों के लिए प्रारम्भिक रूप से आबंटित की गई धनरशि और विशेष केन्द्रीय सहायता से आवंटनों का विवरण संलग्न है।

(ग), (घ) तथा (ङ) संमेकित आदिवासी परियोजनाओं में प्रशासन तथा विकास पर खर्च की गई धनराशि का पता वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही लग सकेगा । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अभी तक उप-योजना से गैर-योजना क्षेत्र में धनराशि का कोई विचलन सूचित नहीं किया गया है।

विवरण

1977-78 के लिए राज्य योजना से 19 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं और 4 आदिवासी बिकास एजेंसयों के लिए प्रारम्भिक रूप में नियत परिव्यय और उनको आबंटित विशेष केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	समेकित आदिवासी विकास/परियोजना/आदिवासी एजेंसी का नाम	राज्य योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
समेकित आदिवासी विकास परियोजना			
1.	कोरापट	160.20	48.45
2.	नोरंगपुर	149.03	52.80

1 2	3	4
3. जैपोर	333.24	30.11
4. मालकांगिरी . .	72.23	41.74
5. रायगढ़ . . .	95.23	26.07
6. बेरीपांडा . . .	155.56	58.16
7. करनजिआ . .	73.71	29.80
8. कपटीपाडा . .	232.37	19.22
9. रायरेंगपुर .	240.49	37.45
10. सुन्दरगढ़	184.20	20.52
11. पेनपोश	79.47	23.75
12. वोनाई	60.90	27.73
13. कोज्जर	46.38	21.58
14. छंपुआ	49.86	19.39
15. कुचिन्दा	45.22	24.87
16. नीलगिरी	27.31	13.64
17. धरामपुर	140.72	50.84
18. फूलबनी .	108.18	19.48
19. जो उदयागिरी	69.05	29.14
आदिवासी विकास एजेन्सी		
20. बलिगुडा .	47.73	18.75
21. पालखेमुंडी . .	47.32	11.33
22. गुनुपुर . .	89.87	5.53
23. भुवानपोर और जौंगपीर	223.31	5.77
योग	. *2838.43	636.12
	आरक्षित	121.88
		758.00

*संचार क्षेत्रों और बन्दोबस्त कार्यों के अधीन 106.85 लाख रु० की राशि की व्यवस्था शामिल है।

उड़ीसा में आदिवासी उप-योजना क्षेत्र के लिए नियत राशि

4005. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार के किन विभागों ने वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिये धनराशि नियत की है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान और बड़ी परियोजनाएं उप-योजना सिद्धांत के अन्तर्गत आती हैं ;

(ग) इनमें से वास्तव में कितनी परियोजना क्षेत्रों के आदिवासियों और पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक उत्थान के लिए हैं ; और

(घ) उनके मंत्रालय ने इस बारे में धन के नियतन के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) सभी विकासात्मक विभागों ने वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए उड़ीसा में आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए परिव्यय नियत किया है।

(ख), (ग) तथा (घ) सारे राज्य को लाभ पहुंचाने वाली बड़ी परियोजनाएं आदिवासी उपयोजनाओं के लिए विकलनीय नहीं है । परन्तु कुछ राज्यों में आदिवासी उप-योजना के लिए कुल परिव्यय का परिकलन करते समय कुछ बड़ी परियोजनाओं से होने वाले अनुपातिक लाभ के लिए भी ऋण लिया जाता है । जो परियोजनाए आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं किन्तु उनके लाभ गैर-आदिवासी क्षेत्रों को होते हैं, इसलिए उनकी उनके स्थित होने के विचार पर ही यह न समझा जाए कि उप-योजनाओं में उनका लाभ होता है ।

अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों से चमड़ा उद्योग को हुआ लाभ

4006. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों से कितने बड़े तथा छोटे इंजीनियरी, तैयार वस्त्र, चमड़ा तथा चमड़ा-निर्माता उद्योग (जूता उद्योग सहित) लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) इन उद्योगों में सरकार तथा गैर-सरकारी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के नाम क्या हैं तथा इनका वित्त-पोषण कैसे होता है ;

(ग) क्या विशेष रूप से लघु क्षेत्र के उद्योगों तथा बड़े उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनुसंधान तथा विकास केन्द्र हैं ; और

(घ) भारत के औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कर्मचारियों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा अनुसंधान तथा विकास कर्मचारियों की कुल संख्या में इन तीन उद्योगों का कितना हिस्सा है ?

उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) से (ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्र के काफी उद्योगों के पास अनुसंधान तथा विकास संबंधी सुविधायें उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन काफी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें अनुसंधान तथा विकास कार्य कर रही हैं । वर्ष 1977 की अवधि में केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास तथा केन्द्रीय मैकेनिकल इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर द्वारा दी गई सहायता निम्न प्रकार है :—

चमड़ा उद्योग

(केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान सस्थान द्वारा दी गई सहायता)

	पार्टियों की संख्या
(क) जारी की गई प्रक्रियायें	5
(ख) आरम्भ किया गया प्रायोजित कार्य	4
(ग) दी गई परियोजना/संभाव्यता रिपोर्ट	18
(घ) प्रदर्शन विस्तार तथा परामर्श देने वाली सेवाओं की व्यवस्था	125
(ङ) की गई पूछताछ की संख्या	1800

इन्जीनियरी उद्योग

(केन्द्रीय मकैनिकल इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई सहायता)

	पाटियों की संख्या
(क) जारी की गई प्रक्रियायें	1
(ख) आरम्भ किया गया प्रायोजित कार्य	18
(ग) दी गई परामर्श सेवायें	16
(घ) की गई पूछताछ की संख्या	375

इन संस्थानों के लिये वित्त व्यवस्था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुदानों में से की जाती है तथा इनसे बड़े, मध्यम तथा छोटे उद्योगों की आवश्यकता पूरी की जाती है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा प्रक्रियाएं प्रकाशित की जाती है जिन्हें उद्योगों को इनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ।

(घ) 1-4-76 को औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास कार्य में लगे कार्मिकों की कुल संख्या 14,000 थी जिनमें से 8,000 कार्मिकों को प्रश्न में उल्लिखित तीन प्रकार के उद्योगों में रोजगार दिया गया है।

कपड़ा धोने का साबुन, नहाने का साबुन, टूथ पेस्ट, माचिसों और जूतों का उत्पादन

4007. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कपड़ा धोने के साबुन और नहाने के साबुन, टूथ पेस्ट, माचिसों और जूतों का कुल कितना उत्पादन हुआ और उक्त अवधि में उनके उत्पादन में लघु उद्योगों का कितना योगदान था ;

(ख) देश में माचिसों और जूतों का उत्पादन करने वाले बड़े एककों के मालिकों के क्या नाम हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान साबुन, टूथ पेस्ट (जैसी कि 22 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 345 के उत्तर में सूचना दी गई है) और माचिसों तथा जूतों का निर्माण करने वाले प्रत्येक बड़े उद्योग के बारे में वार्षिक उत्पादन आंकड़े क्या हैं और इन वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन में उनके योगदान की प्रतिशतता कितनी है ; और

(घ) इन बड़े उद्योगों में से प्रत्येक उद्योग में (ऋण तथा साम्य पूंजी सहित) कुल कितनी पूंजी लगी है और उनमें कुल कितने कर्मचारी लगे हुए हैं और लघु उद्योग क्षेत्र में इन मदों का निर्माण करने वाले एक औसत एकक के लिए तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) देश में संगठित क्षेत्र में कपड़ा धोने और नहाने के साबुन, टूथ पेस्ट दियासलाई और जूतों का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

	इकाई	1975	1976	1977
	मी० टनों में			
(1) कपड़े धोने और नहाने का साबुन		2,70,082	2,69,816	2,92,100
(2) टूथ पेस्ट .		4,139	6,917	8,432
(3) दियासलाईयां	(दस लाख डिबियां)	3,734	3,941	3,913
(4) जूते (चमड़ा, रबड़ और कैनवस)	(दस लाख जोड़े)	55.57	55.67	57.12

लघु उद्योगों के उत्पादन के आंकड़े नहीं रखे जाते । अतः देश के उत्पादन में उनके अंश का हिसाब नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) देश में जूतों और दियासलाइयों का उत्पादन करने वाले बड़े एककों के मालिकों के नाम दिखाने वाला एक विवरण (अनुबंध-1) संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी०-1892/78]

(ग) साबुन, टूथ पेस्ट, जूते और दियासलाई (टूथपेस्ट के बदले जैसा कि प्रश्न में उल्लेख है) का उत्पादन करने वाले प्रत्येक बड़े उद्योग के वार्षिक उत्पादन के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण (अनुबंध-2) संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1892/78]

(घ) प्रश्न में मांगी गई जानकारी सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है ।

लघु क्षेत्र के उद्योगों के वार्षिक आंकड़े

4008. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पी० जी० टी० ओ० एककों में अपनायी जाने वाली प्रणाली की तुलना में लघु क्षेत्र के उद्योगों में वार्षिक आंकड़े एकत्र करने की वर्तमान प्रणाली क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत एककों के मामले में एककों द्वारा मासिक उत्पादन आंकड़े तकनीकी विकास के महानिदेशालय को भेजे जाते हैं । मासिक आंकड़ों से वार्षिक योग प्राप्त किये जाते हैं । लघु स्तर की फैक्टरी एकक उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या के अनुसार या तो गणना या नमूने के आधार पर भारत सरकार के सांख्यकीय विभाग के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत आते हैं ।

नौन फैक्टरी एकक तथा फैक्टरी एकक राज्य उद्योग निदेशालयों में स्वैच्छिक आधार पर पंजीकृत किये जाते हैं । इन सभी पंजीकृत एककों को आधारित आंकड़ों के बारे में वार्षिक विवरणियां भेजनी पड़ती हैं । राज्य लघु एककों से वार्षिक आंकड़ों को प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये प्रयत्नशील है परन्तु आंकड़े एकत्रित करने वाले कर्मचारियों के अभाव के कारण कोई प्रगति नहीं कर सके हैं । लघु क्षेत्र में उत्पादन के सूचकांक का संकलन करने के लिये 1976 में लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा लघु उद्योग एककों के लघु नमूने पर मासिक आंकड़ों के एकत्रित करने की पद्धति चलाई गई थी। सूचकांक के प्रकार

को सुधारने के लिए नमूने के आकार को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । आंकड़ों के अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य उद्योग निदेशालयों में कर्मचारी रखकर उन्हें बढ़ाया जा रहा है ताकि 1973-74 में की गई लघु उद्योगों की गणना में एकत्रित किये गये आंकड़ों को अद्यतन बनाकर 1978 तथा 1979 में एक सर्वेक्षण कर वार्षिक उत्पादन विवरणियों की प्राप्ति में निरन्तर तेजी लायी जा सके ।

शाहदरा, दिल्ली में सड़क की हदबन्दी

4009. **श्री रामधारी शास्त्री :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपातकाल (1975-76) के दौरान शाहदरा में सड़क नं० 65 की हदबन्दी और मंजूरी इसलिए दी गई थी जिससे कि कुछ कालोनियों को गिराया जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वर्तमान सरकार ने इस योजना को छोड़ दिया है अथवा पिछली सरकार की तत्कालीन नीति का पालन कर रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पास के अधिग्रहीत क्षेत्र से इस सड़क को ले जाने का है जिससे परिवारों को कम से कम हानि हो ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (घ) सड़क नं० 65 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर, 1975 में अनुमोदित की गई परन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसकी हदबन्दी और मंजूरी देने के पीछे कोई विशेष उद्देश्य था क्योंकि इस सड़क के संरेखन का अनुमोदन नगर और देहात योजना संगठन के 29-5-74 के नक्शे पर आधारित था जो कि आपातकाल की घोषणा से पहले का है ।

इस योजना को छोड़ा नहीं गया है और जी०टी० रोड से सड़क नं० 66 के जंकशन तक के सड़क के भाग का निर्माण चल रहा है ।

इसको मोड़ने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। अनुमोदित संरेखन को मंजूर किया गया है ताकि सड़क के असुविधाजनक मोड़ों से बचा जा सके जो एक मास्टर प्लान सड़क है ।

छठी योजना में अतिरिक्त बिजली के उत्पादन के लिए परियोजनाएं

4010. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजली बोर्ड और ऊर्जा विभाग ने अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने के लिए कोई परियोजनाएं तैयार की हैं जिन्हें छठी योजना में शामिल किया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के लिए किसी योजना को छठी योजना में शामिल की जाने वाली योजनाओं में शामिल किया गया है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने कोई योजना केन्द्रीय बिजली बोर्ड को भेजी है; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की योजना पर आगे कार्यवाही करने के लिए अनुमति दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) एक विद्युत कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना 1978—83 में शामिल किए जाने पर विचार करने के लिए तैयार किया गया था। 1978—83 के दौरान संभावित लाभों के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1893/78]**

(ग) जी, हाँ।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) 1978--83 के दौरान लाभ के लिए मध्य प्रदेश की निम्नलिखित परियोजनाएं हाल ही में स्वीकृत की गई हैं:—

(1) कोरबा पूर्वी ताप-विद्युत परियोजना	120 मेगावाट
(2) कोरबा पश्चिमी ताप-विद्युत परियोजना	420 मेगावाट
(3) सतपुड़ा ताप-विद्युत परियोजना विस्तार (8वीं और 9वीं यूनिटें)	420 मेगावाट

विद्युतचालित करघा चलाने के लिये दिये गये लाइसेंस

4011. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि में राज्यवार विद्युतचालित करघा चलाने के लिये कितने परमिट दिये गये;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि पाँचवीं योजना अवधि में कोई नया परमिट नहीं दिया गया;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश सहकारिता के विभाग के अधिकारियों के आश्वासन पर नये परमिटों के लिये कपड़ा आयुक्त को बड़ी संख्या में आवेदन पत्र दिये गये थे तथा ट्रेजरी चालान के द्वारा आवश्यक शुल्क जमा कर दिया गया था;

(घ) क्या यह भी सच नहीं है कि आपात स्थिति के दौरान बड़ी संख्या में आवेदकों को इस आधार पर आवेदन पत्र वापस लेने के लिये विवश किया गया था कि आवेदक विद्युतचालित करघा लगाना नहीं चाहता; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार अब ऐसे आवेदकों को नये परमिट देना आरम्भ करेगी?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आबंटित विद्युतचालित करघों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) पावरलूम बुनकर सेवा संघ बरहानपुर ने 64 विद्युतचालित करघे लगाने के लिये धरोहर राशि सहित 33 आवेदन पत्र भेजे थे। चूंकि मध्य प्रदेश का कोटा समाप्त हो चुका था, इसलिये इन आवेदन पत्रों पर और आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी थी। आवेदकों से राशि लौटाई जाने के दावे प्राप्त होने पर आवश्यक शुल्क लौटा दिया जायेगा।

(घ) किसी भी आवेदक द्वारा विद्युतचालित करघा लगाने का विचार न होने के आधार पर आवेदन पत्र वापस लिये जाने हेतु विवश किये जाने के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

चौथी योजना की अवधि के कोटे में से आबंटित किए गए विद्युतचालित करघे।

क्र० सं०	राज्य	आबंटित किए गए विद्युतचालित करघों की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	10,325
2	आन्ध्र प्रदेश	12,400
3	केरल	23,900
4	मैसूर	4,300
5	तमिलनाडु	12,500
6	पाण्डिचेरी	600
7	गुजरात	3,200
8	राजस्थान	3,350
9	पश्चिम बंगाल	6,000
10	विहार	7,000
11	आसाम	10,250
12	उड़ीसा	4,250
13	महाराष्ट्र	7,300
14	मध्य प्रदेश	4,700
15	दिल्ली	500
16	पंजाब	2,150
17	हिमाचल प्रदेश	600
18	जम्मू और कश्मीर	1,800
19	त्रिपुरा	800
20	मणिपर	1,500
21	गोवा, दमन, दीव	100
22	दादरा और नगर हवेली	250
23	हरियाणा	1,400
24	चंडीगढ़	50
25	नागालैंड	1,000
26	नेफा	50
27	अण्डेमान और निकोबार	100
28	लक्षद्वीप और मिनिकाय	50
	योग	1,00,425

केडेटों से धन की वसूली

4012. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक (डी० जी० एन० सी० सी०) कैडेटों से धन वसूल कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार कैडेटों से ऐसी वसूली/चंदे बंद करने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर में कार्य कर रहे कैडेटों, अंशकालिक अफ्सरों और जूनियर कमीशन प्राप्त अफ्सरों/नान कमीशन अफसरों से रेजीमेंटल फंड के लिए केवल एक रुपए प्रति वर्ष का नाममात्र का अंशदान लिया जाता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर में कार्य करने वाले कमीशन प्राप्त अफसर भी इस फंड में अंशदान देते हैं। यह अंशदान कर्नल के पद तक 2 रुपए प्रति वर्ष और ब्रिगेडियर तथा उच्चतर पदों के अफसर के लिए 4 रुपए प्रति वर्ष है। रेजीमेंटल फंड के लिए यह अंशदान मुख्यत: कल्याणकार्यों, मनोरंजन और खेल की आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की गतिविधियों में सुधार करने के उद्देश्य से लिया जाता है। इसलिए इस फंड में अंशदान को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Sea Fare from Calcutta to Port Blair

†4013. **Shri O.P. Tyagi** : Will the **Minister of Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sea fare from Calcutta to Port Blair (Andaman Nicobar) is higher than air fare;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government will consider the question of reducing sea fare in the interest of poor people of Andaman-Nicobar; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) No Sir, not except for 4% of highest class passengers.

(b) Does not arise.

(c) & (d) Not possible, as the fares on this uneconomic service are much lower than the breakeven fares.

भारतीय रुई निगम द्वारा भुगतान में विलम्ब

4014. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रुई निगम बाजार में आने वाली कुल रुई में से केवल 50 से 70 प्रतिशत रूई की ही खरीद कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विक्रेता भुगतान में विलम्ब होने की शिकायत करते हैं, जिनमें तीन सप्ताह का समय लग जाता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो ये सभी कठिनाइयाँ दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) भारतीय रुई निगम राष्ट्रीय वस्त्र निगम की शाखाओं की आँशिक माँग को पूरा करने के लिए विभिन्न मंडियों से बाजार दर पर कपास

की खरीद कर रहा है। अतः इसके खरीद कार्य राष्ट्रीय वस्त्र निगम की शाखाओं द्वारा की गई विशिष्ट माँगों तक सीमित है।

(ख) और (ग) भारतीय रुई निगम का यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न रहता है कि कपास लेने के पश्चात् कपास उत्पादकों को खरीदी गई कपास के भुगतान एक सप्ताह की अवधि में हो जायें।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी का कलकत्ता से स्थानान्तरण

4015. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री सौगत राय :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनिज अधिकारियों ने कोल इंडिया लिमिटेड के कलकत्ता के कार्यालयों से उन्हें स्थानान्तरण करने के कदम के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसपर सरकार का क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी हाँ।

(ख) कलकत्ता स्थित कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कम्पनियों के कार्यालयों में वर्तमान कार्यभार की पुनरीक्षा से पता चलता है कि प्रत्यक्षतः इन कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं। किन्तु कर्मचारियों का कलकत्ते से बाहर धीरे-धीरे और इस प्रकार तबादला किया जाएगा कि संबद्ध व्यक्तियों को अनावश्यक कठिनाई न हो।

Incentives to Small Scale and Cottage Industries

4016. **Shri O.P. Tyagi :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government feel that it is necessary to provide incentives to the labour-oriented small scale and cottage industries with a view to remove unemployment from the country;

(b) if so, whether Government will take a decision to ensure that the essential commodities of daily use are as far as possible produced by the small scale industries; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) yes, Sir.

(b) Yes, Sir; there is sufficient indication of this in the Industrial Policy Statement laid on the Table of the House on 23rd December, 1977.

(c) Does not arise.

Vegetables Purchased for the Army in Ladakh

4017. **Shrimati Parvati Devi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the average quantum of vegetables purchased for the army deployed in Ladakh and the neighbouring areas and the rate at which vegetables are purchased and the rate at which potatoes were purchased last year and from where these were purchased;

(b) whether the purchase of most of the potato supply was made from Chandigarh and other places and whether these were purchased at higher rates and were transported to Ladakh from Chandigarh by air; and

(c) the reasons for not purchasing the best quality and most delicious potatoes of the World available locally in Ladakh in adequate quantity and at cheaper rates and wether due to non- purchase of potatoes by army in Ladakh these are given to cattle as fodder with the result that there is great frustration among potato-growers and the measures being taken by Government to provide assistance in this regard?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The average quantum of vegetables and potatoes purchased from January, 1977 to December, 1977 were as under :—

	Ex Leh Co-operative Marketing Society	Ex Chandigarh
Vegetables		
(i) Quantity .	162 Tonnes	856 Tonnes
(ii) Average rate	Rs. 89 per 100 Kgs.	Rs. 54 per 100 Kgs.
Potatoes		
(i) Quantity . .	108 Tonnes	382 Tonnes
(ii) Average Rate . . .	Rs. 100 per 100 Kgs.	Rs. 72 per 100 Kgs.

(b) and (c) The yearly consumption of Army in respect of potatoes in the area of Ladakh is approximately 500 tonnes whereas the total yearly yield ex-Leh Co-operative Marketing Society is only approximately 200 tonnes. The balance quantity, therefore. has to be transported from areas outside Ladakh. During 1977, 108 tonnes of potatoes whi ch conformed to ASC specification, were accepted from Leh Co-operative Marketing Societ y. The balance quantity of 382 tonnes which could not be locally procured was provisioned ex-Chandigarh and transported by air in the regular Air Force sorties to Leh. The purchase rate of potatoes at Chandigarh was cheaper than the local rate at Leh.

The maximum quanity of potatoes available conforming to ASC specifications, have been purchased locally for supply to the Army in Ladakh as tendered by this Society. Govt. is not aware as to how the balance quantity of potatoes if any left with the Co-operative Marketing Society at Leh were disposed of. However, no report has been made to Army authorities that the potatoes were used by locals as fodder due to non-purchase by the Army. Instructions to the local Army authorities already exist that maximum local production ex Leh Co-operative Marketing Society should be first accepted for the consumption of the Army in Leh area and only the short-falls be made up by utilising the available air lift from Chandigarh to Leh in IAF aircraft.

लद्दाख में लघु तथा कुटीर उद्योग

4018. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में ऊन ट्वीड, ऊनी कंबल, पीतल के बर्तन और स्थानीय आभूषण आदि बनाने के लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : लद्दाख में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण सुविधाओं के अलावा अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ने लेह में ऊनी गलीचों का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण देने की एक योजना प्रारम्भ की है।

लद्दाख में उद्योग-विकास

4019. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लद्दाख में उद्योग-विकास के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : ग्रामीण तथा लघु उद्योगों, जो आमतौर पर निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं, के विकास के लिए सरकार की योजनाएँ मुख्यतः संवर्धनकारी है। इनमें तकनीकी परामर्श, प्रशिक्षण सुविधाएँ, वित्तीय सहायता, कच्चे माल का संभरण आदि शामिल है। लद्दाख क्षेत्र में ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1978-79 वर्ष के लिए 7.64 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव है। लद्दाख में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए इसे औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है जिससे इसे रियायती वित्त प्राप्त हो सके और केन्द्र की परिवहन सहायता योजना भी इसे प्राप्त है।

2. सरकार लद्दाख के खनिज स्रोतों का पता लगाने की कोशिश कर रही है इनका इस क्षेत्र के उद्योग के विकास में योगदान हो सकता है। राज्य का भूगर्भ तथा खान विभाग लद्दाख क्षेत्र के डास तथा कारीगल क्षेत्रों में स्वर्ण, क्रोमाइट, निकिल, कोबाल्ट की संभावनाओं पर खोज सर्वेक्षण कर रहा है। दि जम्मू एण्ड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड लद्दाख की पग्गा घाटी गरमस्रोतों से पोटास, सुहागा तथा सल्फर निकालने तथा उनके परिशोधन का कार्य कर रहा है। दि जिओलोजिकल सर्वे आफ इंडिया लद्दाख ग्रेनाइट कम्पलेक्स के क्षेत्र में सर्वेक्षण और मानचित्रण का तथा लाभप्रद खनिज निक्षेपों के खोजने का भी कार्य कर रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट आफ जियोलाजी और माइनिंग तथा जूलोजिकल सर्वे आफ इंडिया की गतिविधियों से लद्दाख के उद्योग विकास को योगदान प्रत्याशित है।

मटन-चर्बी का आयात

4020. **श्री अमरसिंह वी० राठवा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में साबुन बनाने में मटन-चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस मात्रा का ब्यौरा क्या है जिसका इसके निर्माण में प्रयोग किया जा रहा है तथा उन कम्पनियों के नाम क्या है और किन ब्रांड के साबुनों में इसका प्रयोग किया जा रहा है ;

(ग) क्या मटन-चर्बी और ऐसी ही अन्य चीजों का प्रयोग अन्य वस्तुओं तथा सामग्रियों के बनाने में भी किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ;

(ङ) गत तीन वर्षों में इसका कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का आयात हुआ और किन देशों से इसका आयात किया जाता है;

(च) क्या जनता और कुछ संगठनों द्वारा इसका आयात बन्द करने लिए मांग की गई है ; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का निर्णय क्या है और यदि उसका आयात बन्द कर दिया जाता है तो साबुन और अन्य वस्तुओं के मूल्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां।

(ख) साबुन बनाने के लिये संगठित क्षेत्र के एककों को चर्बी का आयात करने की अनुमति नहीं है। मूलतः लघु उद्योग में कपड़े धोने के साबुन बनाने में चर्बी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश

लघु एकक कपड़े धोने का साबुन बनाने के लिये चर्बी का उपयोग करते हैं तथा उनमें से बहुत से एकक बिना विशिष्ट ब्रांड नाम के ही अपना साबुन बेच देते हैं। कम्पनियों के नामों तथा उनके ब्रांड नामों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां, चर्बी युक्त एसिड (ओस्टियेरिक, ओलेइक एसिड आदि) तथा उनके नमक, ग्रीस, पालिश, चमड़ा परिशोधन वस्त्र उद्योग आदि।

(ङ) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 की अवधि में देशवार, आयातित की गई चर्बी का परिमाण तथा मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध)।

(च) और (छ) कुछ समय पूर्व देश में चावल की भूसी से तेल निकालने वाले उद्योग के विकास के हित में चर्बी का आयात बन्द करने के लिए साल्वेन्ट एक्सट्रेक्टस एसोशियेशन आफ इंडिया ने सरकार से अनुरोध किया था। अन्य उद्योगों में चर्बी की आवश्यकताओं के कारण चर्बी का बिल्कुल आयात बन्द कर दिया जाना वांछनीय नहीं है। तथापि, संगठित क्षेत्र में साबुन बनाने में उपयोग करने के हेतु चर्बी का आयात करने पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। लघु क्षेत्र तथा ग्रीस चर्बी का आयात करने की अनुमति दी जाती है। केवल मटन-चर्बी के आयात से ही साबुन तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण नहीं होता, अपितु मूल्य विभिन्न निकिष्टियों की लागत जो समय-समय पर बदलती रहती है, पर निर्भर करते हैं।

विवरण

वर्ष 1974-75 से 1976-77 की अवधि में चर्बी अनरेन्डर्ड बोवीन केटल भेड़, अथवा बकरी की चर्बी का आयात।

मूल्यों लाखों में
परिमाण-हजार किलोग्राम में

क्रम सं० वस्तु का विवरण/देश	आर०आई० टी०सी० कोड नं०	1974-75		1975-76		1976-77	
		परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1 **मटन चर्बी**	411.3201						
आस्ट्रेलिया		1001	48.08	188	6.33	2000	68.58
2. **चर्बी, अनरेन्डर्ड बोवीन केटल, भेड़, बकरी तथा मटन चर्बी के अतिरिक्त**	411.3209						
आस्ट्रेलिया		—	—	5406	149.61	22297	776
जर्मन संघ गण-राज्य		—	—	—	—	नेग	0.04
ग्रेट ब्रिटेन		—	—	—	—	7	0.88
अमरीका		46977	2075.51	—	—	18677	661.44
योग (2)		46977	2075.51	5406	149.61	40981	1438.78

नोट :—आंकड़े अनन्तिम तथा समीक्षाधीन हैं।

स्रोत 1 वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के लिये डायरेक्टोरेट जनरल आफ कमर्शियल इन्टेलीजेन्स एंड स्टेटिस्टिक्स, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मन्थली स्टेटिस्टिकस आफ फोरेन ट्रेड आफ इंडिया, खंड-II (आयात) ।

2 डायरेक्टर जनरल आफ कमर्शियल इन्टेलिजेन्स ऐण्ड स्टेटिस्टिक्स, कलकत्ता के कार्यालय से वर्ष 1976-77 के लिये आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय के कार्यालय में प्राप्त हुए अग्रिम आंकड़े ।

गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण

4021 **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य के प्रत्येक जिले में ऐसे गांवों के नाम और संख्या कितनी हैं जिनमें अब तक बिजली लगाई जा चुकी है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत चालू पंचवर्षीय योजना में कितने और किन-किन गांवों में बिजली लगाई जाएगी; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद गुजरात में कितने और कौन-कौन से गांव ऐसे बच जाएंगे जिनमें बिजली नहीं लग पाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) गुजरात में 18,275 गांव हैं । 31-12-1977 तक 7,828 गांव विद्युतीकरण किए जा चुके थे । विद्युतीकृत गांवों की संख्या का जिलेवार विवरण संलग्न है ।

प्रत्येक जिले में विद्युतीकृत गांवों के नामों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) 1978-79 के दौरान 1,200 गांव विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है ।

(ग) 1978-79 से 1982-83 की अवधि के कार्यक्रम को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

राज्य: गुजरात

31-12-1977 तक विद्युतीकरण गांव

क्र० सं०	जिला	गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांव
1	2	3	4
1.	बुलसर (वलसाड)	823	453
2.	सूरत	1,218	474
3.	डांगा	311	33
4.	भड़ौंच	1,137	361
5.	बड़ौदा (वडोदरा)	1,677	725
6.	पंचमहाल	1,903	298
7.	खेड़ा	957	733

1	2	3	4
8.	अहमदाबाद	674	429
9.	गांधीनगर	75	75
10.	साबरकांठा	1,386	562
11.	मेहसाणा	1,084	676
12.	बनासकांठा	1,351	345
13.	कच्छ	900	329
14.	राजकोट	859	484
15.	सुरेन्द्र नगर	648	233
16.	भावनगर	879	389
17.	अमरेली	595	333
18.	जामनगर	706	321
19.	जूनागढ़	1,092	575
	जोड़	18,275	7,828

आंकड़े 1971 की जनगणना के अनुसार हैं ।

अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम में परमिट से प्रवेश की प्रणाली

4022. **श्री रोबिन सेन**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में जाने वाले दर्शकों के लिए परमिट से प्रवेश करने की प्रणाली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे दर्शकों के लिए इस परमिट प्रणाली को समाप्त करने का है, जो दृश्य देखने आदि के लिये इन राज्यों की यात्रा करने का इरादा रखते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रानीगंज ग्रुप आफ रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरैमिक वर्कर्स यूनियन से मिली हड़ताल की सूचना

4023. **श्री रोबिन सेन**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रानीगंज ग्रुप आफ रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरैमिक वर्कर्स यूनियन, बर्न एण्ड कंपनी से कोई मांग-पत्र और उसके बाद हड़ताल की सूचना मिली है;

(ख) क्या रानीगंज रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरैमिक ग्रुप्स, बर्न एण्ड कंपनी में वेतनमान बहुत ही असंतोषजनक है और वी०डी०ए० पर वृद्धि की राशि केवल 0.55 पैसे है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में पड़ोसी उद्योगों की तुलना में उपरोक्त उद्योग में वेतनमान और वी०डी०ए० बहुत कम है;

(घ) क्या रानीगंज ग्रुप आफ रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरैमिक (बर्न एंड कंपनी) के श्रमिक गत कुछ वर्षों से वेतनमान तथा वी०डी०ए० में पुनरीक्षण के लिये आन्दोलन कर रहे हैं और प्रबंधकों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ङ) श्रमिकों में व्याप्त घोर असंतोष को ध्यान में रखते हुए सरकार श्रमिकों की उचित मांगों पर विचार करने हेतु क्या ठोस कार्यवाही करेगी ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) जी, हां । सरकार को रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरैमिक वर्कर्स यूनियन से एक अभ्यावेदन मिला था जिसमें बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड, रानीगंज एकक के कामगरों की शिकायतें और मांगे दी गई थी । सरकार को हड़ताल का नोटिस नहीं मिला था, लेकिन इस प्रकार का एक नोटिस 31 अक्तूबर, 1977 को कंपनी को मिला था ।

(ख) तथा (ग) पश्चिम बंगाल के अन्य रिफ्रेक्टरी एककों की तुलना में रानीगंज ग्रुप के श्रमिकों का वेतन-मान सबसे अधिक है । इस एकक में न्यूनतम दैनिक मजूरी इस प्रकार है---मूल वेतन 1.35 रु० एफ०डी०ए० 1.54 रु०, तदर्थ डी०ए० 0.77 रु०, एच०आर०ए० 0.19 रु०, और वी०डी०ए० 5.85 रु० इस प्रकार कुल 9.70 रु० दैनिक मजूरी बनती है ।

(घ) तथा (ङ) यूनियन और मैनेजमेंट के बीच अनेक बैठकें हुई हैं । कंपनी मजूरी बढ़ाने में असमर्थ है क्योंकि इसे हानियां होती जा रही हैं और अधिक वित्तीय भार सहन नहीं कर सकती है । पश्चिम बंगाल के रिफ्रेक्टरी एककों की तुलना में यह अपने श्रमिकों को सबसे ज्यादा मजूरी दे रही है । छोटे रिफ्रेक्टरी एककों द्वारा इसे मूल्य के मामले में मात दी जा रही है जो कम मजूरी देकर स्थिति का पूरा फायदा उठाते हैं और इस प्रकार बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड से कड़ी प्रतियोगिता करते हैं । पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री की मध्यस्थता में प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो रही है । पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह पश्चिम बंगाल में स्थित रिफ्रेक्टरी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने पर विचार करे ।

सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों द्वारा मत्स्य नौकाओं का निर्माण

4024. **श्री के० ए० राजन :**
श्री पी० के० कोडियन :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे सरकारी क्षेत्र के शिपयार्ड औरों की तुलना में कम पूंजी-निवेश और आयात मूल्यों की अपेक्षा प्रतियोगी लागत पर मत्स्य नौकाएं बना सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मत्स्य नौकाओं का देश में ही निर्माण आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) बिना किसी अतिरिक्त पूंजी निवेश के सरकारी शिपयार्डों की मत्स्य नौका बनाने की क्षमता है । परन्तु स्वदेश में तैयार करने की लागत आयात मूल्यों से अधिक होगी । उदाहरणार्थ एक स्वदेशी 23 मीटर की मत्स्य नौका की कीमत लगभग 48-51 लाख रु० होगी जबकि आयात मूल्य 41-45 लाख रु० के लगभग होगा ।

(ग) जी, हां ।

असम के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

4025. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा (तथा योजना आयोग द्वारा) जिलों एवं राज्यों को औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के उद्देश्य से "औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ" घोषित करने के बारे में किस नीति का पालन किया जा रहा है ;

(ख) क्या नीति देश भर पर लागू सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाती है (जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित करने के मामले में) और उक्त घोषणा के लिये विशेषरूप से असम जैसे कुछ राज्यों की कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या असम सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि शिवसागर, डिब्रूगढ़, दारंग तथा गोलपाड़ा जिलों को तथा सारे राज्य को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाये; और

(ङ) असम की विशेष प्रकार की स्थिति को देखते हुए उन्हें औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करने के इस प्रस्ताव पर क्या सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मयती) : (क) से (ङ) राज्यों के मुख्य मंत्रियों की राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसरण में योजना आयोग ने क्षेत्रीय असमानताओं के प्रश्न का सावधानी से अध्ययन करने के लिये 1968 में दो कार्यकारी दलों की स्थापना की थी । इनमें से एक दल का कार्य पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिये कसौटी की सिफारिश करना तथा दूसरे दल का कार्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिये राजस्व तथा वित्त संबंधी प्रोत्साहनों की सिफारिश करना था । पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिये बनाये गये कार्यकारी दल ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों (आसाम राज्य सहित) तथा संघ शासित क्षेत्रों का पता लगाने के लिये अन्य बातों के साथ-साथ एक कसौटी निर्धारित की थी । इस कार्यकारी दल ने औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का पता लगाने हेतु एक और कसौटी की सिफारिश की थी ताकि वे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिये जाने के हकदार बन सकें ।

2. राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति द्वारा सितम्बर, 1969 में हुई अपनी बैठक में इन कार्यकारी दलों की रिपोर्टों पर विचार किया गया था । इसने पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने वाले कार्यकारी दल को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों और संघशासित प्रदेशों का पता लगाने संबंधी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । समिति ने योजना आयोग से इसे वित्तीय संस्थानों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके हल करने की इच्छा प्रकट की थी । इसके अनुसरण में वित्तीय संस्थानों से परामर्श करके औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाने के लिये एक कसौटी निर्धारित की गई थी तथा इसे राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को भेज दिया गया था ताकि इन जिलों के आंकड़ों सहित जिलों का चयन करने के बारे में प्रस्ताव भेजने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाये जा सकें । इन जिलों के चयन के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रस्तावों के आधार पर अभी तक 247 जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े चुने गये हैं ताकि वे सावधिक ऋण दायी वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्त संबंधी सुविधा प्राप्त करने के पात्र बन सकें । इनमें से विशिष्ट संख्या में जिलों/क्षेत्रों (औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े माने गये प्रत्येक राज्य से 6 जिले/क्षेत्र और अन्य प्रत्येक राज्य के 3 जिले/क्षेत्र) को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र चुने गये हैं ताकि वे केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के भी योग्य बन सकें । तदनुसार, इस प्रयोजना के लिये 101 जिले/क्षेत्र चुने जा चुके हैं ।

3. आसाम सरकार के प्रस्तावों के आधार पर राज्य के 10 में से 7 जिलों (अर्थात् कछार, गोलपाड़ा, कामरूप, मिकिर हिल्स, उत्तरी कछार हिल, नोगांग तथा न्यू लखीमपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र चुना गया है ताकि वे रियायती वित्त संबंधी सुविधाओं के पात्र बन सकें । इन 7 जिलों में से 6 जिले (अर्थात् गोलपाड़ा, मिकिर हिल्स, कामरूप, नौगांग, कछार तथा न्यू लखीमपुर) को केन्द्रीय निवेश राज्य सहायता योजना के योग्य बनने के लिये भी चुना गया है ।

4. आसाम सरकार ने कुछ समय पहले प्रस्ताव किया था कि राज्य के बचे हुए 3 जिले (अर्थात् शिवसागर, डिब्रूगढ़ तथा दयांग) को भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र चुना जाना चाहिये । राज्य

सरकार को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा भेजे गये आंकड़ों के आधार पर ये जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले चुने जाने के योग्य नहीं हैं ।

राजनीतिक दलों के कार्यकरण के बारे में कानून

4026. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राजनीतिक दलों के कार्यकरण के बारे में कानून बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है यद्यपि सरकार का विचार है कि राजनीतिक दलों द्वारा धन एकत्र करने, उससे संबंधित लेखा रखने और उसकी लेखा परीक्षा तथा ऐसे लेखा परीक्षित लेखाओं के प्रकाशन से संबंधित मामले जांच के योग्य हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Closure of Industries in West Bengal

4027. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state whether in addition to closed industires in West Bengal and Calcutta due to strike the industrialists have also closed their industries because of shortage of raw material, money and power; if so, the action being taken by Government to meet the shortage thereof so that the closed industries can operate ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti): Closure of industrial undertakings in all the States including the State of West Bengal is not caused by any single identifiable factor, by but a combination of factors such as industrial unrest, bad management, shortage of raw materials, obsolete machinery, power shortage etc. However, information (State-wise) regarding closure of factories registered under the Factories Act, 1948 due to reasons other than industrial disputes, for short or long duration is given in standard tabulated form in the Indian Labour Journal, copies of which are available in the Parliament House Library.

Section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act provides for take over of management of those industrial undertakings, which have been lying closed for more than three months, under certain conditions. Action under this section is taken wherever it is deemed appropriate and is considered to be necessary in the public interest. So far as the State of West Bengal is concerned, during the financial year 1977-78, the management of Messrs. Khardah Company, Limited, Calcutta and National Rubber Manufacturers Ltd., Calcutta was taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act.

Government have constituted the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd., one of whose functions is to give financial assistance to units including those which are lying closed with a view to rehabilitating them. The Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd. has sanctioned reconstruction assistance aggregating Rs. 40.80 crores to 72 closed and sick industrial units in West Bengal. 47 units out of these were actully lying closed prior to the Corporation's assistance. Out of these 37 units, 33 could revive their operations with the Corporation's assistance and their employment level was reported around 29,000 persons. The Government also keep a close watch on the situation and take all possible remedial measures.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जाना

4028. **श्री के० ए० राजन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे देश में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 23 मार्च, 1978 को बड़े पैमाने पर धरना देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटिल) : (क) सरकार ने कुछ समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार देखे हैं कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के कुछ संघों के नेताओं ने 18 फरवरी, 1978 को हुई अपनी बैठक में 23 मार्च, 1978 को समूचे देश में धरना देने का निर्णय किया था।

(ख) समाचार पत्र की रिपोर्टों के अनुसार मांगों का संबंध निम्नलिखित से प्रतीत होता है :—

(क) महंगाई भत्ता —

अतिरिक्त किस्त और महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाया जाना।

(ख) सभी प्रकार के अत्याचारों को समाप्त करना।

(ग) वेतन के गतिरोध को दूर करना।

(घ) समूह 'ग' तथा 'घ' संवर्गों में भर्ती के प्रतिबन्ध को हटाना।

(ङ) नैमित्तिक श्रमिक का अनैमित्तिकीकरण।

सरकार ने 1-1-1978 से महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त मंजूर करने की घोषणा पहले ही कर दी है, जैसाकि 27-2-1978 को लोक सभा में वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि उसकी अदायगी किस प्रकार से की जानी चाहिये, इसका निर्णय संयुक्त परामर्श तन्त्र को राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पद के परामर्श से किया जायेगा। महंगाई भत्ते से संबंधित अन्य संगत पहलुओं पर भी उनके साथ परामर्श किया जायेगा।

सरकार अन्य मांगों पर जब उनके ब्यौरे स्पष्ट रूप से मालूम हो जायेंगे, विचार करेगी।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा मजूरी का पुनरीक्षण

4029. **श्री के० राममूर्ति**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, सलेम के कर्मचारियों के मजूरी पुनरीक्षण के प्रस्ताव सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो तथा सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब प्रस्तुत किया गया था तथा इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के सलेम एकक के कर्मचारियों के मजूरी में संशोधन का प्रस्ताव सितम्बर, 1977 में सरकार को प्राप्त हुआ था तथा कम्पनी तथा कम्पनी को अन्तिम रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये लिये स्वीकृति दे दी गई है।

Claims of Labourers of Burhanpur Tapti Mills

4030. **Shri Parmanand Govindjiwala** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether the labourers of Burhanpur Tapti Mills through the General Secretary of the representative Union put up a claim of Rs. twenty five lakhs before the Assistant Commissioner of Payments, Ahmedabad on 25h April, 1977;

(b) whether an intimation was given to the labourers of Tapti Mills through the General Secretary of the Union that the date of hearing will be informed ; and

(c) whether without hearing the party in question the Assistant Commissioner dismissed the claims of the employees?

The Minister of State in the Ministry of Industry : (Shrimati Abha Maiti) : (a) Yes, Sir. The claim was for Rs. 25,28,963.

(b) An acknowledgement card was sent stating that they will be duly informed when their claim is taken up for consideration.

(c) Yes, Sir. However, opinion of the Ministry of Law is being sought regarding the appropriateness or the scope for review of the order passed by the Assistant Commissioner.

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

4031. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन-कौन सी सिफारिशों को अभी तक क्रियान्विति नहीं की है; और

(ख) उक्त सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार से संबंधित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों, इन सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों को और उनके कार्यान्वयन को स्टेज को निर्दिष्ट करते हुए एक विस्तृत वितरण 17 नवम्बर, 1977 को सदन के पटल पर रख दिया गया था ।

Allocation of Funds to States

4032. **Shri Ramjiwan Singh** : Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) the Central funds allocated to each State under all the previous Five year Plans, separately; and

(b) whether this State-wise ratio of allocations is considered to be fair?

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : (a) A Statement showing Central assistance for State Plans in each Plan period is laid on the Table of the House. [Placed in Library See No. L.T.-1894/78].

(b) Central assistance for State Plans in difierent Plan periods has been given on certain definite principles. State-wise ratio of allocations has been quite fair.

दिल्ली परिवहन निगम को राजसहायता देना

4033. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली परिवहन निगम को कोई राजसहायता दी जाती है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कुल कितनी राजसहायता दी गई है ; और

(ख) क्या इस उपक्रम में हानियों को समाप्त करने के विचार से इसके कार्यकरण की जांच करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) श्री जे० बी० डी 'सूजा की अध्यक्षता में 1976 में सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम के वित्तीय ढांचे में सुधार करने की सिफारिशें कीं। इस संबंध में इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है। इस बीच, निगम ने अपने कार्यों के घाटों को पूरा करने के लिये नगर की बस सेवाओं के भाड़ा ढांचे में वृद्धि करने के प्रस्ताव तैयार किये हैं और इस समय उन पर सरकार विचार कर रही है। निगम अपने बेड़े के प्रयोग और सामान्य परिचालनात्मक कुशलता में सुधार लाने के लिये भी प्रयत्नशील है ताकि उसके राजस्व में वृद्धि हो। सरकार ने एक समिति का गठन भी किया है जो निगम के कार्यों के कुछ पहलुओं की जांच करें और उनमें सुधार लाने के लिये सुझाव दे जिससे घाटे में भी कमी हो सके।

Closure of Textile Mills in U.P.

4034. **Shri Rajendra Kumar Sharma :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether many textile mills in Uttar Pradesh are on the verge of closure;

(b) if to, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to take over these mills and if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) and (b There is no information available about the number of mills on the verge of closure in Uttar Pradesh.

(c) Does not arise.

Abolition of Octroi Duty

†4035. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Y.P. Shastri :
Shri Subhash Ahuja :
Shri Govind Ram Miri :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether octroi duty was abolished by various States on the basis of recommendations of the Zakaria Committee and Council of Local Self-Governments at the instance of the Centre, and if so, the names of such States;

(b) whether Central Government had given an assurance that 50 per cent of the loss so incurred by States would be compensated by the Centre;

(c) if so, the reasons for delay in making payment on this count; and

(d) whether Madhya Pradesh Government which had abolished octroi from 1st May, 1976 has made a demand to Central Government for making 50 per cent compensation thereof; and if so, the reasons for delay?

Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) Madhya Pradesh abolished octroi in its territory from 1-5- 1976.

(b) No, Sir.

(c) and (d) : The State Government have requested for reimbursement of 50% of a sum of about Rs. 16.58 crores paid by them to local bodies in the State as compensation from 1-5-1976 to 31-3-1977. As no assurance was given to the Madhya Pradesh Government for payment of compensation, the question of delay in taking a decision on the State Government's request does not arise.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये छुट्टी किराया रियायत योजना

4036. **श्री भगत राम :**
श्री के० मालन्ना :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी II, श्रेणी III तथा श्रेणी IV के कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने छुट्टी यात्रा रियायत योजना के अन्तर्गत जन्म स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान की यात्रा करने के लिये 1974-77 के चार वर्षों के ब्लाक के दौरान छुटटी यात्रा रियायत का लाभ उठाया;

(ख) क्या जाने तथा आने वाली यात्राओं के लिये प्रथम 400 किलोमीटर की यात्रा का व्यय स्वयं कर्मचारियों द्वारा वहन करने की शर्त को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के दावों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अलग रूप से तय किया जाता है । इस संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में समेकित सूचना उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित करके सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ख) इस संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार के दो गिरफ्तार किये गये सचिवों का चालान किया जाना

4037. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले गिरफ्तार किये गये सरकार के दो सचिवों का अभी तक चालान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इनका चालान करने में और कितना समय लगेगा ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार को उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनु सिंह पाटील) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन मामलों में अभी जांच चल रही है, जिनके संबंध में श्री बी०बी० बोहरा, सचिव, पैट्रोलियम मंत्रालय और श्री एस० एम० अग्रवाल भूतपूर्व सचिव, संचार मंत्रालय को गिरफ्तार किया गया था और बाद में निलम्बित कर दिया गया था । उनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर करने का प्रश्न केवल जांच पूरी हो जाने के बाद ही और उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही उठ सकेगा ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) इन अधिकारियों ने अपनी गिरफ्तारी/निलम्बन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये थे । श्री बी०बी० बोहरा के मामले में निलम्बन के आदेश को 2-3-1978 को रद्द कर दिया गया था और

उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया है । श्री एस०एम० अग्रवाल के अभ्यावेदनों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

गुजरात में कोयले की मांग और पूर्ति

4038. **श्री अहमद एम० पटेल**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष गुजरात में सोफ्ट कोक, हार्ड कोक और स्टीम कोयले की मासिक मांग कितनी रही ;

(ख) पिछले वर्ष कोयले की प्रतिमास कितनी सप्लाई की गई ;

(ग) क्या कम मात्रा में सप्लाई की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) गुजरात राज्य में वर्ष 1976-77 के दौरान साफ्ट कोक, हार्ड कोक और अन्य प्रकार के कोयलों की प्रायोजित जरूरतें निम्नलिखित थीं:—

साफ्ट कोक .	0.168 मिलियन टन
हार्ड कोक . . .	0.219 मिलियन टन
अन्य कोयले (स्टीम कोयले सहित)	5.082 मिलियन टन।

(ख) 1976-77 के दौरान माहवार सप्लाई की मात्रा इस प्रकार थी :—

	साफ्ट कोक	हार्ड कोक	अन्य कोयले (स्टीम कोयले सहित)
1	2	3	4
	(मिलियनों टनों में)		
अप्रैल, 76	0.002	0.015	0.346
मई	0.004	0.013	0.328
जून .	0.003	0.015	0.306
जुलाई .	0.002	0.015	0.316
अगस्त .	0.003	0.011	0.283
सितम्बर	0.002	0.012	0.268
अक्टूबर	0.002	0.016	0.335
नवम्बर	0.002	0.019	0.345
दिसम्बर	0.002	0.018	0.382
जनवरी, 77	0.002	0.014	0.344
फरवरी	0.005	0.019	0.325
मार्च .	0.002	0.012	0.392
कुल . .	0.031	0.179	3.970

(ग) व (घ) 1976-77 के दौरान मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त कोयला/कोक उपलब्ध रहा है । किन्तु वास्तविक खरीदारी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित जरूरतों के अनुसार नहीं हुई जिसके कारण खान मुहानों पर कोयला जमा हो गया । खान मुहानों पर 1-4-1976 को जो 11.84 मिलियन टन स्टाक जमा था वह 1-4-1977 को बढ़कर 14.51 मिलियन टन हो गया ।

ग्रामीण विद्युतकरण का लक्ष्य

4039. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में 31 दिसम्बर, 1977 तक कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) राज्यों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के आधार पर यह देखा जा सकता है कि देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण 1994-95 तक हो जाने की संभावना है ।

विवरण

विद्युतीकरण आबाद गांव—1971 की जनगणना

क्रम सं०	राज्य	गांवों की कुल सं०	31-12-1977 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	31-12-1977 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	27,221	13,963	51.3
2.	असम	21,995	2,093(क)	9.5
3.	बिहार	67,566	18,462(*)	27.3
4.	गुजरात	18,275	7,828	42.8
5.	हरियाणा	6,731	6,731	100.0
6.	हिमाचल प्रदेश	16,916	7,445	44.0
7.	जम्मू व कश्मीर	6,503	3,311(क)	50.9
8.	कर्नाटक	26,826	14,956	55.8
9.	केरल	1,268	1,222	96.4
10.	मध्य प्रदेश . . .	70,883	15,657	22.1

1 2	3	4	5
11. महाराष्ट्र .	35,778	20,935	58.5
12. मणिपुर	1,949	235(क)	12.1
13. मेघालय .	4,583	348	7.6
14. नागालैंड .	960	225	23.4
15. उड़ीसा	46,992	13,124	27.9
16. पंजाब	12,188	12,126(+)	100.0
17. राजस्थान .	33,305	8,937	26.8
18. सिक्किम	215	32	14.9
19. तमिलनाडु .	15,735	15,519	98.6
20. त्रिपुरा	4,727	367	7.8
21. उत्तर प्रदेश	1,12,561	33,808	30.0
22. पश्चिम बंगाल	38,074	11,476	30.1
जोड़ (राज्य)	5,71,251	2,08,800	36.6
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	4,685	1,175	25.0
जोड़ (अखिल भारत) . .	5,75,936	2,09,975	36.5

(*) ये आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(क) 30-1-1977 की स्थिति के अनुसार।

(+) 62 गांव गर-आबाद घोषित कर दिये गये हैं ।

बड़े उपभोक्ताओं के विरुद्ध कोल इंडिया लि० की बकाया राशि

4040. श्री के० राममूर्ति: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के बड़े उपभोक्ताओं की ओर कोल इंडिया लि० की 75 करोड़ रु० की राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के वैयक्तिक बड़े उपभोक्ताओं के क्या नाम हैं और उनकी ओर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क) व (ख) कोयले के बड़े उपभोक्ताओं के पास 1-2-78 को कोल इंडिया लि० की बाकी धनराशि निम्नलिखित है :—

(आंकड़े लाख रुपयों में)

उपभोक्ता का नाम	बकाया	कटौतियां	कुल
1. रेलवे	613	696	1309
2. बिजली	1998	935	2933
3. इस्पात	1834	1316	3150
कुल	4445	2947	7392

(ग) उपभोक्ताओं से बकाया रकम की वसूली के लिये कोल इंडिया लि० ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई हैं जो विवाद-ग्रस्त बकाया रकम की जांच और निपटारा करेंगी।

(2) कोयले की सप्लाई के लिये भुगतान की शर्तें तय करने के लिये उच्च स्तर पर बातचीत की गई है।

(3) बड़े बाकीदारों को नोटिस दे दिये गये है कि भुगतान में देर होने पर सप्लाई रोक दी जायेगी।

(4) बकाया धनराशि के शीघ्र भुगतान हेतु बड़े उपभोक्ताओं के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने वैयक्तिक सम्पर्क किये हैं।

लघु उद्योगों को विपणन सहायता

4041. श्री के० राममूर्ति :

श्री आर० के० महालगी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को वस्तुओं की बिक्री सहित विपणन सहायता देने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) कोई विलम्ब नहीं है। दिसम्बर, 1977 में संसद में औद्योगिक नीति के संबंध में दिये गये वक्तव्य के अनुसार स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित जिला उद्योग केन्द्रों से इसे सहबद्ध करने के लिये इस प्रस्ताव की संवीक्षा की जा रही है।

कोयला खनन कार्यों के लिए साज-सामान की खरीद

4042. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खनन कार्यों तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिय अतिरिक्त साज-सामान खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस देश से और किस लागत पर और इस साज-सामान से खनन प्रक्रिया कहां तक सुगम और सुरक्षित बनेगी; और

(ग) इस पर कितना खर्च आयेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पा० रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) वर्तमान उपकरण को बदलने के लिये अथवा नई कोयला परियोजनाओं के लिये उपकरणों की खरीद आवश्यकतानुसार प्रतिवर्ष की जाती है। इस प्रकार की खरीदों के लिये खर्च अपेक्षित उपकरणों की मात्रा और उनके बाजार भाव पर निर्भर करता है । उपकरण आयात करने का तथा उसका आयात किस देश से किया जाये इसका निर्णय तभी किया जाता है जब वह उपकरण देश में उपलब्ध नहीं होता । कुछ उपकरणों का तो सीधा संबंध कोयला खानों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने और कोयले के खनन को आसान बनाने से होता है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के महाप्रबंधक की यूरोपीय देशों की यात्रा पर व्यय

4043. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री श्याम सुन्दर गुप्त :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के महाप्रबन्धक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल हाल में कुछ यूरोपीय देशों की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिनिधि मण्डल ने किन देशों की यात्रा की ;

(ग) यात्रा का उद्देश्य क्या था तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) जी हां, यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग के आमंत्रण पर भारतीय इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद ने प्रतिनिधि मंडल का आयोजन किया था ।

(ख) प्रतिनिधि मंडल ने बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी, डेन्मार्क, फ्रांस तथा ब्रिटेन की यात्रा की।

(ग) यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था :

(i) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को भारत से इंजीनियरी सामान का निर्यात बढ़ाने के लिये व्यापार और उद्योग के साथ सम्पर्क स्थापित व सुदृढ़ करना :

(ii) उपकरणों की सप्लाई करने के लिये उप-संविदायें करने तथा तीसरे देशों में अन्य उप-संविदा कार्य की सम्भावनाओं का पता लगाना ।

प्रतिनिधि मंडल का सम्पूर्ण खर्च यूरोपीय आर्थिक समुदाय आयोग ने वहन किया था।

(घ) एक करोड़ रुपये के मूल्य के मशीनी औजारों के आर्डर बुक किये गये थे तथा इंजीनियरी सामान का आगे और निर्यात करने के लिये अनेक बार पूछ-ताछ की गई थी।

Action against Police Officers for Atrocities on Harijans

4044. **Shri Govind Ram Miri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of District Magistrates, Police Superintendents and Station House Officers in different States against whom strict action has been taken by holding them guilty for several atrocities committed on Harijans during the tenure of Janata Party indicating the names of the places at which these officers are posted?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Dhanik Lal Mandal) : District Magistrates and Police Officers of the State are subject to the discipline of their respective State Governments. It is for the State Governments concerned to take action against them wherever necessary. The Centre does not collect such data from the State Governments.

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सऊदी अरब, लीबिया, मलयेशिया से प्राप्त ठेके

4045. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड सउदी अरब, लीबिया, मलयेशिया तथा अन्य विकासशील देशों में अतिरिक्त ठेके प्राप्त करने में सफल हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती) : (क) तथा (ख) जी, हां। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मलयेशिया, सउदी अरब, लीबिया और अन्य विकासशील देशों में अनेक ठेके प्राप्त किये हैं । इन ठेकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 1895/78]

लघु उद्योगों के लिए मदों का आरक्षण

4046. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिये आरक्षित मदों की सूची में कोई एक जैसी ही मदें हैं; और

(ख) यदि हां, तो कोई ऐसी युक्तिपूर्ण सूची तैयार की जायेगी जिसमें उन्हीं मदों का दुबारा उल्लेख न हो ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : (क) और (ख) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही विकास करने हेतु कुछेक वस्तुओं का आरक्षण करने की नीति सर्वप्रथम वर्ष 1967 में प्रारम्भ की गई थी। वे तब से 10 वर्षों की अवधि के पश्चात् लघु उद्योग में आरक्षित करने के लिये 180 वस्तुएं शामिल की गई हैं । समय-समय पर आरक्षित की गई वस्तुओं में कतिपय उसी वर्ग की वस्तुएं शामिल हैं तथा अन्य मामलों में कुछ विशिष्ट अथवा अन्य वस्तुओं में विस्तार भी किया गया था । संसद के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में दिसम्बर, 1977 में बनाई गई सूची में जोड़ी गई वस्तुओं के बहुसंख्यक मामलों में भी ऐसा ही किया गया है ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के कोड का अनवर्तन कर औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाना तथा उनका पता लगाया जाना अधिक वैज्ञानिक प्रणाली होगी । मानक राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण की अपेक्षा कोड की यह प्रक्रिया जो लघु उद्योगों की गणना

(1972) के लिये भी अपनाई गई थी, वस्तुतः अधिक विस्तार में है । इसके अनुसार राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर प्रत्येक उत्पाद के कोड के माध्यम से आरक्षण सूची की सभी वस्तुओं का पता लगाया गया है और एक संशोधित सूची बनाई जा चुकी है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के सम्पादकों के वेतनमानों में संशोधन

4047. **श्री नवाब सिंह चौहान:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा स्वयं अपने लिये तथा अन्य मंत्रालयों के लिये किये जा रहे हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक पत्रिका की कितनी प्रतियां बिकती हैं ;

(ख) हिन्दी तथा अंग्रेजी की पत्रिकाओं के सम्पादकों के वेतनमान तथा ग्रेड क्या हैं ;

(ग) उक्त हिन्दी तथा अंग्रेजी पत्रिकाओं के सम्पादकों के वेतनमान तथा दर्जा नियत करते समय क्या कसौटी अपनाई गई और क्या इस समय उनके वेतनमानों तथा दर्जे में बहुत अधिक अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने तथा इस कारण कर्मचारियों को होने वाली हानि की पूर्ति करने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सम्पादकीय कर्मचारियों के वेतनमानों तथा ग्रेडों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	ग्रेड
1.	प्रधान सम्पादक	1500-1800 रु०	केन्द्रीय सूचना सेवा का जूनियर प्रशासनिक ग्रेड 1
2.	सम्पादक	1100-1600 रु०	केन्द्रीय सूचना सेवा का ग्रेड-1
3.	सह-सम्पादक	700-1300 रु० 650-1200 रु०	केन्द्रीय सूचना सेवा का ग्रेड-2/3
4.	उप-सम्पादक . . .	470-750 रु०	केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-4

(ग) और (घ) : प्रकाशन विभाग द्वारा निकाले जाने वाले विभिन्न पत्रिकाओं में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के सम्पादकीय कर्मचारी केन्द्रीय सूचना सेवा से सम्बन्धित हैं और उनके वेतनमान तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निश्चित किये गये हैं, भाषा के आधार पर वेतनमानों में कोई अन्तर नहीं है । इन पत्रिकाओं के प्रमुखों का दर्जा वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों के आधार पर निश्चित किया गया है ।

विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (प्रकाशन विभाग) द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में निकाले जाने वाले समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के नाम।

समाचार-पत्र पत्रिका का नाम	आवधिकता	भाषा	अनुमानित प्रसार संख्या
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से			
समाचारपत्र			
1. रोजगार समाचार .	साप्ताहिक	हिन्दी	50,000
2. एम्प्लायमेंट न्यूज	साप्ताहिक	अंग्रेजी	2,20,000
पत्रिकाएं			
1. आजकल .	मासिक	हिन्दी	4,000
2. बाल भारती .	मासिक	हिन्दी	61,000
योजना आयोग की ओर से			
1. योजना	पाक्षिक	हिन्दी	5,500
2. योजना .	पाक्षिक	अंग्रेजी	9,000
कृषि मंत्रालय की ओर से (ग्राम विकास विभाग).			
1. कुरुक्षेत्र .	मासिक	हिन्दी	4,000
2. कुरुक्षेत्र .	पाक्षिक	अंग्रेजी	9,000
सिंचाई मंत्रालय की ओर से (केन्द्रीय जल आयोग)			
1. भागीरथ (पत्रिका) . .	त्रैमासिक	हिन्दी	2,000
2. भागीरथ .	त्रैमासिक	अंग्रेजी	4,000
विदेश मंत्रालय की ओर से			
1. इंडियन एण्ड फारेन रिव्यू	पाक्षिक	अंग्रेजी	15,000

Employment in Government Service beyond 58 Years of Age

4048. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3797 on 14th December, 1977 and state:

(a) the reasons for appointing supervisory category of staff artists in the A.I.R. on long term contract;

(b) whether Government propose to follow the policy of a welfare State by retiring them at the age of 58 years and also by formulating rules in regard to granting pension to them; and

(c) if so, when it is likely to be done?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri L. K. Advani) : (a) Both supervisory and other categories of staff artists are employed in AIR on long-term contract upto the age of 58. Subject to review at the age of 58, they are allowed to go upto the age of 60 years.

(b) There is no proposal at present to retire staff artists also at the age of 58. Contract employees are not eligible for pension. They are entitled to Contributory Provident Fund benefits. Gratuity is also admissible, where specifically agreed, under the terms of contract.

(c) Does not arise.

Probe into Working of Transport Units Doordarshan

4049. **Shri Nawab Singh Chauhan :**
Shri T.S. Negi:

Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Q. No. 302 on 22nd February, 1978, and state :

(a) whether it is a fact that the answer given on 22nd February, 1978 was the same as was given to Unstarred Question No. 1368 on 22nd June, 1977 and to Unstarred Question No. 4156 on 20th July, 1977;

(b) if so the reasons for not completing this enquiry even in ten months; and

(c) whether the enquiry would be completed in the following one month ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) No, Sir. While in reply to Unstarred Q. No. 1368 dated 22-6-77 and No. 4156 dated 20-7-77, it was mentioned that action against all the 9 delinquent officials was under process, in reply to Unstarred Q. No. 302 dated 22-2-78, it was stated that action against one official had been completed and action against the remaining eight officials was under process.

(b) & (c) Departmental Proceedings being quasi-judicial in nature, are a time-consuming process. Although efforts are being made to complete the enquiries expeditiously, no specific time limit can be given.

Regular Appointments in A.I.R.

4050 **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the meeting of 16th December, 1977 of the Parliamentary Consultative Committee attached to the Ministry of Information and Broadcasting in reply to item 47 it was stated that regular appointments were being made in places of *ad hoc* appointments;

(b) if so, the stations where regular appointments have been made and whether regular and contract officers concerned with programmes are still working on *ad hoc* basis and if so, the names of stations where they are so working; and

(c) the reasons for delay in making regular appointments?

Minister of Information and Broadcasting (Shri L.K. Advani) : (a) Yes, Sir.

(b)& (c) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

4051. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपने निदेश पदों के अनुसार कार्यकलाप आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है अथवा वह शीघ्र ही पेश कर देगा ;

(ग) आयोग को प्रतिवेदन संभवतः कब मिल जायेगा ;

(घ) क्या आयोग अपनी बैठकें दिल्ली में कर रहा है अथवा देश में किस अन्य स्थान पर और क्या वह जनता से भी उसके विचार प्राप्त कर रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) आयोग ने अभी तक कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं दी है। अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की व्यवहार्यता आयोग के विचाराधीन है।

(ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग के विस्तृत निदेश पदों से उठने वाले मसलों की जांच करने के लिए विशेष सिफारिशें प्रस्तुत करने से पहले उसे पर्याप्त आंकड़े तथा आधार सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता होगी। इसमें समय लगेगा और इस अवस्था में यह बताना अभी संभव नहीं है कि आयोग किस तारीख तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(घ) तथा (ङ) आयोग ने राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों और कुछ पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। आयोग के सदस्यों ने देश में कुछ स्थानों का दौरा भी किया है और आयोग के कार्य से संबंधित विषयों पर स्थानीय प्राधिकारियों तथा अन्य लोगों के साथ विचार-विमर्श किया है। आयोग द्वारा 16.1.1978 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें जनता के विचार तथा सुझाव मांगे गए थे। और उसके उत्तर में आयोग को पुलिस की सेवा के स्तर और मानसिक दृष्टिकोण में सुधार के लिए जनता के विभिन्न वर्गों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं।

मंत्रियों द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग

4052. **श्री पी० जी० मावलंकर :**

श्री बयावार रवि :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल के स्तर के बहुत से मंत्रियों ने गत छः अथवा आठ महीनों में भारतीय वायु सेना के विमानों से पचास से भी अधिक उड़ाने की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ?

(ग) प्रधान मंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों का बार-बार प्रयोग किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) अतिविशिष्ठ व्यक्तियों द्वारा ऐसी विशेष सुविधाओं के कम से कम उपयोग करने का सुझाव देने संबंधी कई आदेश जारी किये हैं ; और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी नहीं। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों ने गत आठ महीनों में भारतीय वायु सेना के विमानों में केवल 36 उड़ाने की हैं। इन उड़ानों के बारे में विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्री सरकारी कार्य के लिए भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग कर सकते हैं।

(घ) इस प्रकार की विशेष सुविधाओं का कम से कम उपयोग करने के बारे में सुझाव देने के औपचारिक आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्रियों द्वारा गत आठ महीनों में (1 जुलाई 1977 से 28 फरवरी, 1978) भारतीय वायु सेना के विमानों में की गई उड़नों की सूची।

क्र० सं०	मंत्री का विवरण	उड़ान की तारीख	विमान की किस्म	यात्रा का स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	रक्षा मंत्री	06-8-77	चेतक	सफदरजंग (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र)–सफदरजंग	
2.	रक्षा मंत्री	28-8-77	एच०एस० 748	जोधपुर–दिल्ली	
3.	रक्षा मंत्री	08-9-77	टी०यू० 124	दिल्ली–ओजर	
		09-9-77	टी०यू० 124	ओजर–बंगलौर	
		10-9-77	टी०यू० 124	बंगलौर–दिल्ली	
4.	रक्षा मंत्री	11-9-77	टी०यू० 124	दिल्ली–चण्डीगढ़–दिल्ली	
5.	इस्पात मंत्री	07-10-77	चेतक	शिलांग–गोहाटी	
6.	सूचना और प्रसारण मंत्री	07-10-77	एम० आई 8	गोहाटी–शिलांग	
7.	रेल मंत्री	10-10-77	एच०एस० 748	दिल्ली–इलाहाबाद–दिल्ली	
8.	कृषि और सिंचाई मंत्री	13-10-77	एम०आई० 8	दिसपुर-बरपेटा-गोहाटी–मझौली–धीमाजई–मोहनबाड़ी–नोवगोंग (हवाई सर्वेक्षण)	
9.	रक्षा मंत्री	17-10-77	एच०एस० 748	दिल्ली–ग्वालियर	
		18-10-77	एच० एस० 748	ग्वालियर–दिल्ली	
10.	गृह मंत्री	28-10-77	चेतक	गोबिन्दगढ़-अटारी-अमृतसर	
11.	पैट्रोलियम मंत्री	29-10-77	चेतक	देहरादून–कलसी–बरतल–पूरिया–टिहरी गढ़वाल देहरादून	

1	2	3	4	5	6
12.	पैट्रोलियम मंत्री	30-10-77	चेतक	देहरादून-पेथानी-चाकिसेन-तरपालीन थेलिसेन-अफरिकी-जोगिमारी-बेदीखाल-बारोखाल-घुमाकोट-रिखायखल-इक्शवर-चिलघाट-खिरसु	
13.	वित्त मंत्री	05-11-77	हेली	गोहाटी-शिलोंग	
		06-11-77	हेली	शिलोंग-गोहाटी	
14.	विदेश मंत्री	06-11-77	एच०एस० 748	दिल्ली-गोआ-बम्बई	
15.	कृषि तथा सिचाई	5-11-77	एच०एस० 748	दिल्ली-ढाका-लखनऊ-दिल्ली (भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के नेता)	
16.	रेल मंत्री	17-11-77	एच०एस० 748	मद्रास-त्रिचनापल्ली-मद्रास (बाढग्रस्त क्षेत्र)	
17.	पैट्रोलियम मंत्री	18-11-77	एच० एस० 748	मद्रास (बाढग्रस्त क्षेत्र) मद्रास	
18.	रक्षा मंत्री	19-11-77	एच० एस० 748	दिल्ली-अहमदाबाद	
		19-11-77	चेतक	अहमदाबाद-आनंद-अहमदाबाद	
		20-11-77	एच० एस० 748	अहमदाबाद-जोधपुर-दिल्ली	
19.	विदेश मंत्री	19-11-77	एच० एस० 748	दिल्ली-हाशिमारा	
		19-11-77	चेतक	हाशिमारा-थिम्पु	
		21-11-77	चेतक	थिम्पु-बारो-बागडोगरा	
		21-11-77	एच० एस० 748	बागडोगरा-दिल्ली	
20.	रक्षा मंत्री	25-11-77	एच० एस० 748	दिल्ली-कन्नावरम	
		25-11-77	एम० आई० 8	विजयवाड़ा-मछलीपत्तनम-विजयवाड़ा	
		25-11-77	एच० एस० 748	कन्नावरम-हैदराबाद	
		26-11-77	एच० एस० 748	हैदराबाद-मद्रास (हवाई सर्वेक्षण)---मद्रास-हैदराबाद-दिल्ली	
21.	रक्षा मंत्री	02-12-77	एच० एस० 748	दिल्ली-बरेली-दिल्ली	
22.	रक्षा मंत्री	06-12-77	टी० यू० 124	दिल्ली-जैसलमेर-दिल्ली	
23.	सूचना और प्रसारण मंत्री	10-12-77	चेतक	दिमापुर-कोहिमा	
24.	रक्षा मंत्री	17-12-77	एच० एस० 748	दिल्ली-लखनऊ	
		17-12-77	हेलीकाप्टर	अमुसी-पेमोरा-लखनऊ	
		17-12-77	एच० एस० 748	लखनऊ-दिल्ली	
25.	रक्षा मंत्री	28-12-77	चेतक	दिल्ली-गुड़गांव-दिल्ली	
26.	गृह मंत्री	30-12-77	एच० एस० 748	दिल्ली-इलाहाबाद-दिल्ली	

1	2	3	4	5	6
27.	गृह मंत्री	09-1-78	एच० एस० 748	दिल्ली-अमृतसर-दिल्ली	
28.	रक्षा मंत्री	14-1-78	टी० यू० 124	दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली	
29.	विदेश मंत्री	17-1-78	एच० एस० 748	दिल्ली-जयपुर	
		18-1-78	एच० एस० 748	जयपुर-दिल्ली	
30.	गृह मंत्री	03-2-78	टी० यू० 124	दिल्ली बंगलौर-कोलोंबो	
		06-2-78	एच० एस० 748	कोलोंबो-मद्रास-बंगलौर (भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता)	
31.	विदेश मंत्री	06-2-78	एच० एस० 748	दिल्ली-चाकलाला (भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता)	
		08-2-78	एच० एस० 748	लाहौर-दिल्ली	
32.	रक्षा मंत्री	06-2-78	टी० यू० 124	कलकत्ता-मद्रास	
33.	रक्षा मंत्री	19-2-78	एम० आई० 8	सफदरजंग-तिलपत-सफदरजंग	
34.	गृह मंत्री	19-2-78	एम० आई० 8	सफदरजंग-तिलपत-सफदरजंग	
35.	वित्त मंत्री	19-2-78	चेतक	सफदरजंग-तिलपत-सफदरजंग (रक्षा सचिव के साथ उड़ान)	
36.	रक्षा मंत्री	25-2-78	टी० यू० 124	दिल्ली-आदमपुर	
		25-2-78	एम० आई० 8	आदमपुर-जालंधर-आदमपुर	
		25-2-78	टी० यू० 124	आदमपुर-दिल्ली	

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के लिए धन

4053. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्य सरकारों को अपर्याप्त वित्तीय सहायता तथा सम्बन्धित राज्य विद्युत बोर्डों के लिए केन्द्रीय धन दिए जाने के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निर्धारित कुछ कड़ी शर्तों के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में बाधा पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो समूचे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में तेजी लाने की दृष्टि से स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) : ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का वित्त-पोषण तीन स्त्रोतों से किया जाता है : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) से, (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसके लिए निधियां ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से दी जाती हैं और (ग) राज्य सरकारों द्वारा स्वयं।

क्रमागत पंचवर्षीय योजनाओं की अवधियों में धन आवंटन में वृद्धि होती रही है।

क्षेत्रीय चलचित्रों का निर्माण तथा निर्यात

4054. **श्री वसंत साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भाषा-वार कुल कितने चलचित्रों का निर्माण हुआ और गत वर्ष इस अवधि में हुए निर्माण की तुलना में यह कितना कम या अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि क्षेत्रीय चलचित्रों का निर्माण हिन्दुस्तानी भाषा में बनी फिल्म से कहीं अधिक है तथापि क्षेत्रीय चलचित्रों का निर्यात भारतीय चलचित्रों के कुल निर्यात का केवल 15 प्रतिशत ही है; और

(ग) यदि हां, तो क्षेत्रीय चलचित्रों के निर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क) क्योंकि फिल्म निर्माण निजी क्षेत्र में है, अतः निर्मित फिल्मों की संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक विवरण संलग्न है जिसमें 1976 तथा 1977 में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत फिल्मों की संख्या दी हुई है।

(ख) जी, नहीं। 1975-76 तथा 1976-77 में निर्यात की गई प्रादेशिक फिल्मों क्रमशः लगभग 36 प्रतिशत और 35 प्रतिशत थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, प्रादेशिक फिल्मों के निर्माण के मामले विभिन्न राज्य सरकारें इसको अनुदानों, इत्यादि के जरिए सक्रिय प्रोत्साहन देती हैं। फिल्म वित्तनिगम भी भाषा का विचार किए बिना अच्छी कोटि की फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण देता है। जहां तक निर्यात का सम्बन्ध है, हाल ही में मद्रास में हुए फिल्मोत्सव 1978 में भारतीय चलचित्र निर्यात निगम ने फिल्म बाजार और एक गोष्ठी का आयोजन करके विदेशी खरीदारों की प्रादेशिक फिल्मों में दिलचस्पी उत्पन्न की तथा 21 प्रादेशिक फिल्मों के निर्यात के लिए करार किए। तथापि बुनयादी रूप से निर्यातित फिल्मों को पसन्द करना अधिकतर खरीदार पर निर्भर करता है।

विवरण

1976 तथा 1977 के दौरान फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत फिल्मों की भाषा-वार संख्या इस प्रकार है :—

भाषा	1976	1977
असमिया	5	7
बंगला	32	31
अंग्रेजी	2	3
गुजराती	29	30
हिन्दी	106	134
कोकणी	1	1
मलयालम	84	91
मणिपुरी	1	—
कन्नड़	45	49
मराठी	10	19
उड़िया	6	11
पंजाबी	10	12
तामिल	81	66
तेलुगु	93	99
तुलु	2	2
भोजपुरी	—	2
योग	507	557

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और ग्रामोफान कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड (एच० एम० वी) द्वारा लाइसेंस संबंधी कानूनों का उल्लंघन

4055. **श्री बसन्त साठे** : क्या **इलैक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु स्तर के इलेक्ट्रोनिक एककों के प्रयासों द्वारा वर्षों तक पोषित एवं विकसित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी श्रवण उपकरण उद्योग पर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों--फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया (लिमिटेड) (एच० एम० वी०) द्वारा अपना आधिपत्य और एकाधिकार देश के लाइसेंस संबंधी कानूनों का उल्लंघन करके जमाया जा रहा है और ये कम्पनियां अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके बहुत बड़ी राशि स्वदेशों को भेज रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो इस बारे में महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लघु स्तर के एककों के हितों की रक्षा करने और प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के एकाधिकारवादी कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मैसर्स फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड तथा ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां लाइसेंस के अन्तर्गत तथा उसी के अनुसार उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी तथा श्रव्य-उपस्करों का निर्माण कर रही हैं तथा परिणामस्वरूप लाइसेंसों के कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

(ख) जी, हां । लघु-उद्योग के क्षेत्र में ध्वनि प्रवर्धकों (एम्पलीफायरों) के निर्माताओं ने इस आशय का अभ्यावेदन पेश किया है कि बड़े पैमाने पर रेडियो का निर्माण करने वाले एकक अपने अपने रेडियो के साथ उसके अनिवार्य पुर्जे के रूप में हाई-फाई तथा स्टीरियो एम्प्लीफायर भी मुहैया करते हैं तथा इस प्रक्रिया के कारण लघु क्षेत्र के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

(ग) लघु उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए संघ के वर्ष 1977-78 के बजट से 15 प्रतिशत का एक विभेदक उत्पाद-शुल्क लगाया गया है ।

रिंग रोड पर विद्युत-चालित ट्राली बसें चलाया जाना

4056. **श्री बसंत साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बहुत अधिक संख्या में लोगों के लिए सस्ती, सुरक्षित तथा तीव्र गति वाली यात्रा की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली में रिंग रोड पर लगभग 450 विद्युत-चालित ट्राली बसें चलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का महत्वपूर्ण ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ; और

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाओं की परिचालन कुशलता में आ रही गिरावट में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) 448 इलैक्ट्रिक ट्राली बसों का एक बेड़ा चलाया जाएगा।

(2) इलैक्ट्रिक ट्राली बस सेवा में प्रतिदिन 2,40,000 कि० वा० हार्स० की खपत होगी जिसमें अधिकतम मांग लगभग 24 एम वी ए है और घटिया किस्म के ऐसे 44,000 टन कोयले की वार्षिक खपत होगी जो दिल्ली क्षेत्र वाले थर्मल पावर प्लांट में जला हुआ हो ।

(3) कुल पूंजी परिव्यय का अनुमान 22.23 करोड़ रु० है जबकि परम्परागत डीजल बस सेवा के लिए 11.55 करोड़ रु० की आवश्यकता है जिससे उसी स्तर और प्रकार के यातायात की पूर्ति के लिए 525 डीजल बसों की आवश्यकता होगी । परन्तु 1.56 करोड़ रु० की अनुमानित वार्षिक परिचालन लागत में कमी कर देने से ब्याज और मूल्यह्रास की व्यवस्था करने के बाद अतिरिक्त पुर्जों के लिए 14.45% के निबल प्रतिलाभ की प्राप्ति होगी ।

(4) ट्राली बस प्रणाली से एक तीव्र और साफ सुथरी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध होगी जिससे वातावरण में वह प्रदूषण नहीं होगा जो आजकल डीजल बसों से होता है ।

(5) विद्युत शक्ति युक्त बसों से गति तेजी आने के कारण उचित शीर्ष भाग सहित दिए गए सड़क स्थान के ऊपर यात्री वहन क्षमता में वृद्धि करना और गाड़ियों को यथा प्रवृत्त अधिकतम गति सीमा के अन्दर ही सेवा की पुनरावृत्ति में वृद्धि करना संभव होगा ।

(ग) कार्यदल की रिपोर्ट, जिसमें दिल्ली में ट्राली बस सेवा चलाने की सिफारिशें हैं, पर विचार किया जा रहा है । हाल ही में संबंधित अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ था, जिसमें यह सहमति हुई कि 25 लाख रु० की लागत वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्य शुरु किया जाए जो 6 महीनों के अन्दर पूरा हो ताकि उसके बाद प्रस्तावित योजना की लागत और अन्य पहलुओं पर विशेष रूप से विचार किया जा सके । टी० सी० पी० ओ० ने एक प्रारूप ज्ञापन तैयार किया है और दिल्ली परिवहन निगम से अनुरोध किया गया है कि मामले में अगली कार्यवाही करें ।

(घ) यह सच नहीं है कि दिल्ली परिवहन निगम की सेवा की परिचालनात्मक कुशलता में गिरावट आ रही है । दूसरी ओर दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा में, बसों की संख्या बढ़ा देने, लगाये जाने वाले फेरों में वृद्धि करने, तय की गई किलो मीटर दूरी और ले जाये जाने वाले दैनिक यात्रियों में वृद्धि करने से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ।

सहायकों (असिस्टेंट्स) की अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति

4057. **श्री डी० जी० गवई :**

श्री शिव सम्पति राम :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सहायकों (असिस्टेंट्स) की संख्या कितनी है जो गत 20 वर्षों से अधिक समय से इसी ग्रेड में काम कर रहे हैं और जिनको अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन सहायकों को, जिनकी अच्छी गोपनीय रिपोर्टें मिलीं थीं और जो गत दो या तीन वर्षों से अनुभाग अधिकारियों के रूप में स्थानापन्न रूप में काम कर रहे हैं उनका भी अनुभाग अधिकारियों के रूप में काम करने के लिए अन्तिम रूप से चयन नहीं किया गया है ;

(ग) इस प्रकार की गतिबद्धता के विशेष कारण क्या हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है और क्या अनुभाग अधिकारियों के रूप में चयन के लिए प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनू सिंह पाटील) : (क) सहायकों का ग्रेड एक विकेन्द्रीकृत ग्रेड है । 1-4-1977 को एकत्रित सूचना के अनुसार, 456 ऐसे सहायक थे, जिन्होंने उस ग्रेड में 20 वर्ष अथवा इससे अधिक की सेवा कर ली थी । उनमें से 129 का हाल ही में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए अनुमोदन किया गया है । इस ग्रेड के विकेन्द्रीकृत होने के कारण यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितनों को वरिष्ठता के आधार पर और यहां तक कि अस्थायी तौर पर भी अनुभाग अधिकारी ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) लम्बी सेवा के सहायकों के कोटे के माध्यम से नियमित पदोन्नति के लिए चयन गुण व गुण के आधार पर किया जाता है। जिन सहायकों को केवल "अच्छी" रिपोर्ट मिली हो, उनका अतिक्रमण सेवा के बेहतर रिकार्ड वाले सहायकों द्वारा हो गया होगा । फिर भी, अस्थायी पदोन्नतियां वरिष्ठता और लम्बी सेवा अवधि के आधार पर की जाती हैं बशर्ते कि वे अनुपयुक्त न हों । "अच्छी" रिपोर्टों वाले व्यक्तियों को ऐसी पदोन्नतियों के लिए नजरअन्दाज नहीं किया जाता है ।

(घ) कोई पुनरीक्षा की जानी निर्धारित नहीं है ।

वार्षिक योजना, 1978-79 के लिए वैकल्पिक परिमाप

4058. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग न पंचवर्षीय अनवरत योजना के पहले वर्ष अर्थात् 1978-79 की वार्षिक योजना के लिए दो वैकल्पिक परिमापों पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दोहरे मानदंड के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1978-79 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया गया है और संसद् के सम्मुख बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अल्पावधि कमीशन प्राप्त नियमित अधिकारी

4059. **श्री महेन्द्र सिंह सैंयावाला** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पावधि कमीशन प्राप्त नियमित अधिकारियों ने एक ज्ञापन में अनुरोध किया है कि उन्हें वैकल्पिक नौकरियों में प्राथमिकता दी जानी चाहिये जबकि उनकी उपेक्षा की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बात को देखनें के लिये कदम उठाये जा रहे हैं कि जो व्यक्ति सक्षम हैं उन्हें नियमित रूप से खपाया जाये और अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में उन्हें आरक्षण तथा आयु संबंधी रियायतें दी जायें ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) भूतपूर्व अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों की ओर से अभी हाल में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इसमें उठाए गए मुद्दों की जांच की जा रही है ।

(ग) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त जो अफसर चाहते हैं और जिन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए उपयुक्त पाया जाता है, उन्हें पहले ही नियमित रूप से खपाया जा रहा है । औसतन 80 से 85 प्रतिशत ऐसे अफसरों को नियमित कमीशन प्रदान किया जा रहा है । भूतपूर्व अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों के लिए अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के लिए इस समय कोई आरक्षण तथा आयु सीमा की रियायत नहीं है । ऐसे अफसरों को आयु सीमा में रियायत देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

छोटे सीमेंट कारखानों सम्बन्धी प्रौद्योगिकी और उनकी स्थापना

4060. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने छोटे सीमेंट संयंत्र सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने देश में छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों में किन-किन राज्यों में छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ङ) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में चूने की बहुलता है ; और

(च) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों में राज्यों में कितने छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान ने वर्टिकल किल्नों पर आधारित मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है । वर्टिकल साफ्टकिल्न प्रक्रिया एक अर्धशुष्क प्रक्रिया है और इसमें अनिवार्य रूप से निम्नलिखित का समावेश रहता है :--

(1) चूने के पत्थर और एडिटिन्स (यदि आवश्यक हो) को माइनस (—) 15-20 एम एम आकार की चक्की (क्रशर) में परिसना ।

(2) कच्ची सामग्री और रा मिक्स डिजाइन पर आधारित ईन्धन का अनुपात में करके इच्छित बारीकी तक पीसना और अन्त में अपेक्षित सहशता का कच्चा माल प्राप्त करने के लिए ग्राउण्ड रा मिश्रण को मिलाना ।

(3) कच्ची सामग्रो में एक कणहीनुमा नोडयूलाइजर में पानी मिलाकर नोडयूल तैयार करना ।

(4) नोडयूल को किल्न में भरना जहां पर सुखाने, जलाकर चूना बनाने, चूर्ण बनाने और ठंडा करने की क्रिया सम्पन्न होती है क्योंकि नोडयूल किल्न के नीचे पहुंचते हैं और अन्ततोगत्वा किलंकर में बदल जाते हैं ।

(5) साधारण किस्म की पोर्टलैण्ड सीमेंट प्राप्त करने के लिए किल्कंर और जिप्सम को (4-5 प्रतिशत) मिल में पीसना ।

(ग) सरकार देश के विभिन्न भागों में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्तावों की जांच कर रही है।

(घ) मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 19 राज्यों में सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा मालूम किए गए 43 जीवाक्षम स्थानों की एक सूची अनुबन्ध 1 के रूप में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--1896/78]

(ङ) हिमाचल प्रदेश में चूने के पत्थरों का करीब 7548 लाख मी० टन का (सिद्ध और अनुमानित दोनों) भण्डार होने का अनुमान है।

(च) हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर सीमेंट अनुसंधान संस्थान धर्मकोट (जिला कांगड़ा) में एक मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम हाथ में ले रहा है।

दिल्ली परिवहन निगम के अधीन निजी बसों को वापस लेना

4061. **श्री दुर्गा चन्द**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम ने सरकार से कहा है कि राजधानी में दिल्ली परिवहन निगम के अधीन सभी निजी बसों को परिचालन से हटाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(घ) राजधानी की सड़कों पर किराये की कितनी बसें दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही हैं ; और

(ङ) दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1977 में और अब तक 1978 में इन निजी बसों के कारण कितनी हानि हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) 1978-79 से 1982-83 तक की अवधि में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा भेजे गये योजना प्रस्तावों में निगम के परिचालन के अधीन प्राईवेट बसों के 25% की दर से प्रगामी रूप से हटाये जाने का विचार है ताकि 1982-83 के अन्त तक इन्हें हटाने का कार्य पूरा हो सके। दिल्ली परिवहन निगम के लिए संबंधित अवधि में अस्थायी रूप से स्वीकृत परिव्यय मोटे तौर पर इन्हीं प्रस्तावों पर आधारित है।

(घ) आज दिल्ली परिवहन निगम द्वारा रखी गई प्राईवेट बसों की संख्या 898 है जिनमें 251 मिनी बसें शामिल हैं। 647 मानक आकार की बसों में से 643 बसें निगम ने किराये पर ली हुई हैं शेष 4 ऐसी बसें और सभी मिनी बसें ए० ओ० सी० सी० स्कीमों के अन्तर्गत चल रही हैं।

(ङ) 1976-77 में 3.59 लाख रु० और 1977-78 में 1-4-77 से 31-1-78 तक 67.18 लाख रु० (अनन्तिम आंकड़े) दैनिक यात्रियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम यदि अपेक्षित संख्या में बसें खरीदता तो निगम को और भी घाटा होता।

दिल्ली में बिजली की कमी

4062. **श्री दुर्गा चन्द** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन के क्षेत्रों में बिजली की कमी की सम्भावना की आशंका का पता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) राजधानी में बिजली की कमी की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) दिल्ली को बिजली की आवश्यकताएं दिल्ली के विद्युत केन्द्रों से उत्पादन करके पूरी की जा रही हैं। ये केन्द्र उत्तर क्षत्रीय विद्युत ग्रिड के साथ समेकित तरीके से कार्य करते हैं दिल्ली की पूरी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त प्रतिष्ठापित क्षमता है। एक अथवा दो ताप विद्युत उत्पादन यूनिटों की जबरन बन्दियों के मामले में उत्तरी क्षेत्र में पड़ोसी प्रणालियों से सहायता लेनी पड़ सकती है। बदरपुर की 210 मेगावाट की एक यूनिट अप्रैल-मई, 1978 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद स्थिति में और सुधार आ जाने की आशा है।

नरोरा परमाणु बिजली घर के लिये कृषि भूमि का अधिग्रहण

4063. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में नरोरा में एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने के लिये कुल कितने कृषकों की कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है या करने का विचार है और इन भू-स्वामियों को किस प्रकार मुआवजा दिया गया है/फिर से बसाया गया है ; और

(ख) उपरोक्त बिजली घर स्थापित करने के लिये अधिगृहीत भूमि पर निर्भर करने वाले भूमिहीन कृषकों की कुल संख्या कितनी है और भूमिहीन श्रमिकों को किस प्रकार मुआवजा दिया गया है/फिर से बसाया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) तथा (ख) नरोरा परमाणु बिजलीघर के लिए लगभग 400 कृषकों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। प्रभावित कृषकों को फिर से बसाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। परियोजना के लिए अधिगृहीत भूमि पर जो खेती होती थी, उस पर निर्भर भूमिहीन किसानों की संख्या परिवर्तनशील रही है तथा उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तथापि, परियोजना के अधिकारियों ने उस क्षेत्र के 250 से ज्यादा व्यक्तियों की सहायता उन्हें रोजगार देकर की है। इन व्यक्तियों में से अधिकांश, भूमि के अधिग्रहण से प्रभावित कृषक अथवा भूमिहीन मजदूर हैं।

कलकत्ता और बम्बई स्थित मैट्रो थियेटरों का अर्जन

4064. **श्री चित्त बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और बम्बई स्थित मैट्रो थियेटरों का अर्जन करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इस बीच कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क) से (ग) फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित/प्रायोजित फिल्मों के लिए पर्याप्त प्रदर्शन सुविधाएं उपलब्ध करने के संदर्भ में एक इस प्रस्ताव की कि बम्बई और कलकत्ता स्थित मेट्रो थियेटरों का अर्जन किया जाए जांच की जा रही है। इस प्रस्ताव में निहित प्रशासनिक वित्तीय तथा कानूनी पहलुओं को देखते हुए सरकार को किसी निश्चित निर्णय के लेने में कुछ समय लगेगा।

कलकत्ता में इलेक्ट्रोनिक्स आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

4065. **श्री चित्त बसु**: क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लाभ के लिये कलकत्ता में इलेक्ट्रोनिक्स आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इलेक्ट्रानिकी आयोग के सूचना आयोजना तथा विश्लेषण दल का एक क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ते में भी है जो वर्ष 1974 से कार्य कर रहा है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिकी आयोग का पुनर्गठन

4066. **श्री चित्त बसु**: क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी आयोग में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व देकर सरकार का इसका पुनर्गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं।

(ख) इलेक्ट्रानिकी आयोग एक सुसंगठित निकाय है जिसमें चार से कम तथा सात से अधिक सदस्य नहीं होते तथा आयोग की सदस्यता व्यक्तिगत आधार पर है न कि प्रतिनिधित्व के आधार पर। इस प्रकार यह उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी।

ग्रामीण उद्योगीकरण

4067. **श्री चित्त बसु**: क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने इस बीच ग्रामीण उद्योगीकरण के लिये रूपरेखा तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा मायती): (क) तथा (ख) ग्रामीण औद्योगीकरण का कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना 1978-83 का जिसे जल्दी ही अंतिम रूप दिये जाने की आशा है अंगभूत होगा।

पृथक शीर्ष आदिवासी क्षेत्रों की उपयोजना के अधीन बजट में नियत राशि का निर्धारण

4068. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने आदिवासी क्षेत्रों की उपयोजना के लिए राशि निर्धारित करने और उसे पृथक बजट शीर्ष में दिखाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से कहा है;

(ख) यदि हां तो उसके मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं, और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) विभिन्न विकासात्मक मंत्रालयों से 1978-79 से आरम्भ की जाने वाली अपनी योजनाओं में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष आबंटन तथा उस प्रयोजन के लिए उनको नियत करने के लिए अनुरोध किया गया है। उनसे "आदिवासी क्षेत्र के लिए योजनाएं" एक अलग से उपशीर्ष खोलने के लिए भी अनुरोध किया गया है जिसके अन्तर्गत यह राशि बजट में रखी जाए। राज्यों में यह राशि संबंधित क्षेत्र की "आदिवासी उपयोजना" उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य बजट में दी जानी चाहिये।

यह इन क्षेत्रों में वास्तविक निवेश पर नजर रखने में सहायता करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निदेशकों द्वारा ऋण की मांग

4069. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन निदेशकों ने सरकार से भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण दिलाने की मांग की है;

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इन संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर क्या होगी?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां। राज्य सरकारें और राज्य परिवहन उपक्रम भारतीय जीवन बीमा निगम लि० और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण सहायता के लिए अनुरोध करते रहे हैं।

(ख) सामाजिक हित वाले क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम के निवेश के अनुमोदित कार्य हैं, बिजली, मकान, जलपूर्ति और मल निकासी व्यवस्था, सहकारी चीनी कारखाने और औद्योगिक सम्पदा। यह भी निश्चय किया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की धनराशि ऐसे कार्यों के लिए प्रयुक्त न की जाए जो कानूनी रूप से राज्य सरकारों के बजट संसाधनों से करने होते हैं। प्रत्येक योजना अवधि के शुरू में ऐसे कार्य की किस्म के बारे में सोचना होगा जिसके लिए जीवन बीमा निगम द्वारा धन देने की संभावना हो। उपरोक्त स्थिति को तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जीवन बीमा निगम के पास उपलब्ध धन राशि प्राथमिकता वाले क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। यात्री सड़क परिवहन उद्योग को इस निगम द्वारा ऋण देने के लिए प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है।

फरवरी 1978 में हुए राज्य परिवहन उपक्रमों के पिछले वार्षिक सम्मेलन में इन उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने दबाव डाला था कि जीवन बीमा निगम को राजी किया जाए कि वे मामले पर पुनः विचार करे और परिवहन क्षेत्रों को ऋण दे। तदनुसार, इस मामले को वित्त मंत्रालय के बीमा पक्ष के माध्यम से उस निगम के साथ उठाये जाने का प्रस्ताव है।

आई० डी० बी० आई० छोटे सड़क परिवहन परिचालकों के लिए अपनी री-फायनांस योजना के अधीन राज्य वित्त निगमों और वाणिज्य बैंकों को फिर से वित्त पोषण करने की व्यवस्था करता है। इसके अलावा, प्राइवेट सड़क परिवहन परिचालकों और राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के लिए आई० डी०बी०आई० की बिल री-डिस्काउंटिंग स्कीम के अन्तर्गत सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(ग) जहां आई० डी० बी० आई० सीधे धन राशि स्वीकृत करता है, वहां ब्याज की दर प्रति वर्ष 11 प्रतिशत होगी ।

आई० डी० बी० आई० की बिल रि-डिस्काउंटिंग स्कीम के अन्तर्गत डिस्काउंट की दरें निम्न प्रकार हैं :—

विनियम पत्र /रिडिस्काउंट बचन पत्र का असामाप्त प्रयोग	हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में एस० आर० टी० और एस० ई० बी० के लिए रियायती दर	सामान्य रिडिस्काउंट दर
6 से 36 महीने तक	6.50	10.00
36 महीनों से अधिक		
60 महीनों तक	6.00	8.75
60 महीनों से अधिक	6.00	8.25

डिस्काउंटिंग बैंक जो आई० डी० बी० आई० से रिडिस्काउंटिंग सुविधाओं का लाभ उठा रहा हो को उपरोक्त रिडिस्काउंट दरों पर 1.60% की एक-सी वृद्धि करने की अनुमति है ।

आई० डी० बी० आई० के पुनर्वितपोषण के मामले में वाणिज्यिक बैंक और राज्य वित्त निगम एकल परिवहन परिचालकों से 11.5% और अन्य परिवहन परिचालकों से 12.5% प्राप्त करते हैं ।

Setting up of Transport Cities

†4070. **Shri Natwarlal B. Parmar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the present progress of the scheme for setting up transport cities in various places in the country; and

(b) the steps being taken by Government to accelerate the pace of progress of the scheme?

The Minister of Shipping and Transport (Shri Chand Ram) : (a) & (b) the implementation of the scheme of setting up of Transport Nagars at various places rests with the State Governments. The recommendations of the Transport Development Council for setting up of these Nagars in bigger cities has been brought to their notice. Since the Govt. of India are not directly concerned, information about the progress made in the setting up of Transport Nagars or the steps proposed to be taken by the State Govts. to accelerate the pace of work on the scheme is not available with this Ministry.

Crisis in the Cotton Textile Industry

4071. **Shri Ramanand Tiwary :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in "*Hindustan*" dated 9th February, 1978 under the caption 'Crisis in the Cotton Textile Industry; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the remedial measures being taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shrimati Abha Maiti) : (a) yes, Sir.

(b) There has been occasional complaints about the inadequate supply of coal to Cotton Textile Mills in Northern India even though the overall coal supplies to Textile units during the period April, 1977 to February, 1978 have averaged at 2.01 lakh tonnes per month against 1.89 lakh tonnes during the corresponding period of last year.

विभागीय कैंटीनों को राज सहायता और उनके कार्यकरण में सुधार करना

4072. **श्री डी० जी० गवई :**

श्री शिव सम्पति राम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक विभागीय कैंटीन को कुल कितना अनुदान और राज्य सहायता दी गई;

(ख) क्या ये कैंटीन अब भी घाटे में चल रही हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी प्रत्येक कैंटीन को कुल कितनी राशि का घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए इन में उनको बढ़िया किस्म की वस्तुएं बेची जाएं कोई निरीक्षक नियुक्त किया है;

(घ) क्या इन कैंटीनों की देखभाल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है किन्तु वे इस कार्य के लिए कोई समय नहीं दे पाते तथा वे अधिकांशतः प्रबन्धकों पर निर्भर करते हैं; और

(ङ) विभागीय कैंटीनों की स्थिति में और कार्य में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोनुसिंह पाटोल) : (क) विभाग द्वारा प्रबंधित आठ विभागीय कैन्टीनों के संबंध में सूचना को विवरण में दिया जाता है ।

(ख) जी हां श्रीमान् उक्त सूचना विवरण में दी गई है ।

(ग) तथा (घ) इन कैन्टीनों का, यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि उनमें बढ़िया किस्म की वस्तुएं परोसी तथा बेची जाती हैं, मुख्य कल्याण अधिकारी, कैन्टीन निदेशक सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा नई दिल्ली नगर पालिका के निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है।

(ङ) केन्टीनों की उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर विभागीय कैन्टीनों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है । इन उपायों में कैन्टीन के उपस्करों, फर्नीचर, बर्तन आदि की खरीद के लिए तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान, कुछ वर्ग के कर्मचारियों को वर्दी की व्यवस्था करने के लिए सहायता अनुदान तथा आर्थिक सहायता की मात्रा बढ़ाया जाना तथा प्रबन्धक समिति में स्टाक के अधिक प्रतिनिधियों का लिया जाना आदि शामिल है ।

22 मार्च, 1978 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4072 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की केन्द्रीय सचिवालय कैन्टीनों (नार्थ तथा साउथ ब्लाक) की गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकार की गई आर्थिक सहायता तथा अनुदान ।

वर्ष	आर्थिक सहायता	अनुदान
	रु०	रु०
1974-75	1,51,808.86	27,500.00
1975-76	1,64,907.11	कुछ नहीं
1976-77	2,10,240.65	96,800.00

22 मार्च, 1978 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4072 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

गृह मंत्रालय, नई दिल्ली की केन्द्रीय सचिवालय कैन्टीनों (नार्थ तथा साउथ ब्लाक) की गत तीन वर्षों के दौरान हुआ लाभ तथा हानि ।

वर्ष	हानि	लाभ
1974-75	1,918.96	शून्य
1975-76	शून्य	9,739.22
1976-77	14,859.18	शून्य
	संचित हानि रु०	11,253.89[1]

[1]इसमें वर्ष 1973-74 तक हुई रु० 4,214.97 पहले की संचित हानि भी शामिल है।

पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यकरण के बारे में प्रधान मंत्री की टिप्पणियां

4073. **श्री समर गुहः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यकरण के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध तथ्य क्या हैं ,

(ग) क्या समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने ऐसी टिप्पणियों पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 21-2-78 को हैदराबाद की उड़ान के दौरान आनंद बाजार पत्रिका के विशेष संवाददाता श्री बरुण सेनगुप्त के साथ मेरी मुलाकात के समय पश्चिम बंगाल में सी० पी० आई० (एम) के कार्य के संबंध में पूछे जाने पर मैंने कहा कि कई ऐसी बातें हैं जिनमें वे ठीक काम कर रहे हैं लेकिन कुछ बातें हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूं । ऐसी असहमति के क्षेत्र के बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं की और कहा कि इस तरह के विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता। मैंने संवाददाता से प्रकाशन के पूर्व "ट्रैनस्क्रिप्ट" दिखलाने के लिये कहा था । जब मैंने इस स्क्रिप्ट की जांच की तो मुझे पता चला कि यह दोषपूर्ण है इसलिये संवाददाता से कहा गया कि यह प्रकाशित नहीं किया जा सकता । लेकिन उन्होंने इस दोषपूर्ण "ट्रैनस्क्रिप्ट" के एक अंश की खबर अपने पेपर में दी।

(ग) और (घ) मैंने अपनी टिप्पणी पर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की किसी तीव्र प्रतिक्रिया की खबर नहीं देखी है, लेकिन यदि इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हुई है तो यह गलत रिपोर्ट पर आधारित है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्प्यूटर मैंटीनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार की प्रतिवेदन से सहमति के बारे में विवरण ।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कम्प्यूटर मैंटीनेस कारपोरेशन लिमिटेड, सिकन्दराबाद के 31 मार्च, 1977 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(2) यह बताने वाला एक विवरण कि उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार सहमत है और इसलिए कारपोरेशन के कार्यकरण की पृथक समीक्षा सभा पटल पर नहीं रखी जा रही है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 1855/78]

रक्षा सेवाओं के प्राक्कलन, रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगें

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रक्षा सेवाएं प्राक्कलन, 1978-79 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1856/78]

(2) वर्ष 1978-79 के लिये रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 1857/78]

रेलवे दुर्घटना के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन, प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन और सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं प्रो० मधु दण्डवते की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति—

(1) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रंगिया-रंगपारा उत्तर सेक्शन पर 30 मई, 1977 को उदलगुरी और रोबटा बगान स्टेशनों के बीच हुई 13-अप तेजपुर एक्सप्रेस की दुर्घटना से संबंधित जांच आयोग का प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

2) (क) प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही के ज्ञापन को निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने तथा (ख) प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 1858/78]

उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत पत्र तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों का पंजीकरण तथा लायसेंस देना (संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं०नि० 160(ङ) में प्रकाशित हुए थे [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 1559/78]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उपधारा (2) के अन्तर्गत मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध पर नियंत्रण जारी रखने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सां०आ० 146(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1860/78]

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(1) आयातित सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1978, जो दिनांक 3 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सं० आ० 145(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(2) कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978, जो दिनांक 8 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 169(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 1861/78]

कांडला पत्तन न्यास और पारा द्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के प्रतिवेदन

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : मैं मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 1862/78]

(2) पाराद्वीप पत्तन न्यास के वर्ष 1976-77 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। (ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल०टी० 1863/78)

नारियल जटा बोर्ड एर्नाकुलम के वर्ष 1976-77 के लेखे

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी आभा मयतो) : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एर्णाकुलम के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखती हूं :—

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1864/78)

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलिफकारुल्ला) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 356 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1865/78]**

कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति की संयुक्त बैठक

MINUTES OF JOINT SITTING OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE AND RULES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति और नियम समिति की 15 मार्च, 1978 को हुई संयुक्त बैठक के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

64वां प्रतिवेदन

श्री सी०एम० स्टीफन (इदक्की) : मैं बंगला देश के शरणार्थियों से संबंधित लोक लेखा समिति के 149 वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 64वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उड़ीसा में रेंगली बांध परियोजना के बारे में याचिका

PETITION RE. RENGALI DAM PROJECT IN ORISSA

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : मैं उड़ीसा में रेंगली बांध परियोजना के बारे में श्री बलराम साहू तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री वयालार रवि (चिरंचिकील) : समाचार पत्रों में गलतबयानी के बारे में मेरा एक नोटिस था।

अध्यक्ष महोदय : पहले भाग के लिए आप रख सकते हैं।

श्री वयालार रवि : 22 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपा है कि कांग्रेस (आई) के सदस्यों ने अशिष्ट शब्दों का प्रयोग इस समाचार में मेरा और श्री सौगत राय का नाम दिया गया है। मैंने ऐसा कोई अशिष्ट वक्तव्य नहीं दिया।

इस बारे में मेरा निवेदन है कि आपका सचिवालय इस बात को अत्यन्त गोपनीय रख रहा है कि कौन सदस्य कांग्रेस (आई) से सम्बद्ध है। यह सूची प्रकाशित की जानी चाहिए और इसे प्रेस को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आदेश दिया है कि प्रत्येक ग्रुप के सदस्यों की सूची प्रेस को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हिन्दुस्तान टाइम्स के संवाददाता से मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं।

Shri Roop Nath Singh Yadava (Partapgarh) : I rise on a point of order. There was a Starred Question No. 6506 in my name for today. I had demanded through this question that the President's Address's Hindi translation should be got reprinted because in its 10th para there is no mention about the Backward Classes Commission. Whatever the English Version contains in regard to this, the Hindi Version makes no mention thereof. Therefore it should be reprinted and recirculated.

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वसन्त साठे : मैं नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दे दूंगा।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(एक) उड़ीसा में सीमेंट, उर्वरक और लोहे की कथित कमी

श्री सरत कार (कटक) : उड़ीसा में सीमेंट और उर्वरकों की बेहद कमी है। जो माल उपलब्ध भी है वह काले बाजार में बेचा जाता है। मेरा आग्रह है कि सरकार इस बारे में हस्तक्षेप करे।

(दो) भारत की पूर्वी सीमा पर चीन द्वारा एक पक्की सड़क का कथित निर्माण

Shri S.S. Somani (Chitorgarh) : I want to draw the attention of the House to a very serious matter which concerns our national defence. I have come to know that China has constructed pucca road near our eastern border and movements of heavy vehicles has been noted there. Our Defence personnel are very much worried. I request the hon. Defence Minister to place the facts before the nation.

(तीन) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खराब किस्म के गेहूं की कथित सप्लाई

Dr. Laxminarayan Pandeye (Mandsaur) : The wheat being supplied to fair price shops from godowns of the Food Corporation of India located in various States, particularly in Rajasthan and Madhya Pradesh is so rotten that even animals would not like to eat it. It is regrettable that supply of rotten wheat is being continued in spite of repeated protests. The consumption of this wheat is likely to cause various diseases. If the supply of rotten wheat is continued the health of the poor and middle class people is likely to be adversely affected because it is mainly this class of people which consume wheat supplied by fair price shops. The Government should look into the matter and see that good quality wheat is made available there.

(चार) प्रधान मंत्री के निवास के सामने प्रदर्शनकारियों पर कथित हमला

श्री वसंत साठे (अकोला) : 19 मार्च, 1978 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर हुये शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर किये गये घातक हमले की ओर मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमन्त्री बनने से पूर्व वह कुछ और ही कहते थे। किन्तु प्रधानमन्त्री बनने के बाद वह एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन को भी सहन नहीं कर पाये। जबकि इस प्रदर्शन का घेराव करने अथवा धरना देने का कोई इरादा नहीं था। किन्तु उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज और अश्रु गैस फेंकने का आदेश दे दिया।

Shri Nathu Singh (Dausa) : It is quite wrong and false.

श्री वसंत साठे : यह प्रदर्शन सिक्किम और गोवा के भारत में एकीकरण के बारे में श्री मोरारजी द्वारा व्यक्त विचारों के विरुद्ध किया था।

प्रधान मंत्री के रूप में उन्हें व्यक्तिगत रूप से इस तरह के विचार व्यक्त नहीं करने चाहियें। देश के हित में यह उचित होगा कि वह किसी भी पद से मुक्त हो जायें ताकि वह स्वतन्त्रता से किसी भी विषय पर बोल सकें। **(व्यवधान)**

Shri Nathu Singh : A photo has been appeared in "Times of India" in which pecple have been shown lathi charging on policemen.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : यह बिल्कुल गलत है। (**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्री साठे ने एक बहुत ही गम्भीर किस्म का वक्तव्य दिया है । मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने "शिवमबू" तथा अन्य शब्दों का प्रयोग किया है। जिनका प्रयोग सभा में नहीं किया जाना चाहिये था। (**व्यवधान**)

श्री नाथू सिंह खड़े हुये ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री समर गुह : उन्होंने "शिवमबू" शब्द का प्रयोग किया है जो कि अनुचित है और यहां नहीं बोला जाना चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री वसंत साठे : वह जब इस शब्द का अर्थ नहीं जानते तो यह कैसे कह सकते हैं कि यह शब्द अपमानजनक है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस शब्द का अर्थ नहीं जानता । जब तक आप इसका अर्थ नहीं बताएंगे तब तक मैं इसे रिकार्ड से कैसे निकाल सकता हूं।

श्री समर गुह : मैं इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि यह शब्द आपत्तिजनक समझा जायेगा तो मैं इसे रिकार्ड से निकाल दूंगा। और कुछ नहीं कह सकता ।

श्री नाथू सिंह खड़े हुए ।

श्री समर गुह : सभा के नेता के विरुद्ध बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया गया है। आप सभा से नेता से वक्तव्य देने के लिए कहिए। अन्यथा इस तरह से देश में गलतफहमी पैदा होगी।

अध्यक्ष महोदय : यह संबंधित मंत्री अथवा सरकार पर निर्भर करता है कि वह नियम 377 के अन्तर्गत किसी वक्तव्य का उत्तर देना चाहता है अथवा नहीं।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि इसमें आपत्तिजनक बात क्या है (**व्यवधान**) प्रदर्शन प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के विरुद्ध किया गया था। (**व्यवधान**)

श्री सो०एम० स्टीफन (इदक्की) : आप इस पर चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं दे देते ?

अध्यक्ष महोदय : कार्य सूची के अनुसार परसों गृह मंत्री को सभा में वक्तव्य देना था। किन्तु वक्तव्य नहीं दिया गया ।

श्री कंवरलाल गुप्त : व्यवस्था का प्रश्न आप द्वारा वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करने के बारे में है (**व्यवधान**)

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा सन्तरण) विधेयक—जारी

HINDUSTAN TRACTORS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर विचार किये जाने के प्रस्ताव पर जो श्री जार्ज फर्नान्डीज़ द्वारा 21 मार्च, 1978 को पेश किया गया था, आगे चर्चा होगी।

प्रो० पी०जी० मावलंकर (गांधी नगर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ने इस विशेष विधान को पेश करने के लिये सन्तोषजनक तथा वास्तविक वक्तव्य पेश किया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो राष्ट्रीयकरण केवल राष्ट्रीयकरण के लिये चाहते हैं। हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये (**व्यवधान**) हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक तथा राष्ट्रीयहित और देश की अच्छी अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर होना चाहिए।

मैं सामाजिक न्याय तथा समतावादी समाज में विश्वास करता हूं। हम सम्पत्ति में व्याप्त असमानता से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस दिशा में यह विधेयक एक अच्छा कदम है।

गुजरात में हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड का इतिहास अनोखा है। इस ट्रैक्टर संयंत्र में न केवल 1250 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं बल्कि इस एकक के कार्यकरण, विकास तथा प्रगति पर आधारित लगभग 300 छोटे तथा मध्यम पैमाने के सहायक उद्योगों में 5000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। अतः अब आप हिन्दुस्तान ट्रैक्टर के सम्बन्ध में जो कुछ भी करेंगे उससे बड़ी संख्या में सहायक उद्योग लाभान्वित होंगे। साथ ही मुख्य संयंत्र तथा विभिन्न एककों में कार्य कर रहे श्रमिकों को भी लाभ पहुंचेगा।

जब यह एकक गैर-सरकारी हाथों में था तो इसकी स्थिति कुछ और ही थी। मन्त्री महोदय ने जिन बातों का उल्लेख किया है उनसे मैं सहमत हूं। उन्होंने उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताया है कि कुव्यवस्था और कई अन्य कारणों से इस कम्पनी में उत्पादन लगातार घट रहा था और भारी घाटा हो रहा था। इस कम्पनी की बन्द होने तक की नोबत आ चुकी थी। मन्त्री महोदय से हम आशा रखते हैं कि वह अपने उत्तर में इस भूतपूर्व गैर-सरकारी कम्पनी के कुप्रबन्ध तथा कदाचारों के बारें में सभा को अवगत करायेंगे। जब हम किसी कंपनी को गैर-सरकारी हाथों से सरकारी क्षेत्र में अन्तरण करते हैं तो उस समय हमें आर्थिक तथा व्यावहारिक दृष्टि को ध्यान में रखना होता है।

1963–68 के दौरान जब यह कम्पनी गैर-सरकारी हाथों में थी तो इसकी प्रबन्ध व्यवस्था अव्यवस्थित थी। 1973 में तो वहां काम ठप्प हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इसी लिये 1973 में सरकार को यह कम्पनी अपने नियन्त्रण में लेनी पड़ी। सरकार को गुजरात की शुभ लक्ष्मी मिल्स तथा प्रिय लक्ष्मी मिल्स को भी अपने हाथों में ले लेना चाहिये। हर्ष की बात है कि भारत सरकार ने हाल ही में गुजरात सरकार को इन मिलों की देखभाल के लिये कहा है। मन्त्री जी को अहमदाबाद की लक्ष्मी काटन मिल तथा कलौन और काडी में कुछ अन्य एककों को भी अपने नियन्त्रण में लेने का विचार करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सरकार सभी रुगण एककों को अपने हाथ में ले ले क्योंकि ऐसा करने से तो सभी मिल मालिक अपनी मिलों को रुगण कर देंगे।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुआवजा गुजरात सरकार और स्टेट बैंक आफ इंडिया को ही दिया जायेगा अथवा अन्य ऋणदाताओं को भी जो कि कठिनाइयों में हैं। मैं नहीं चाहता कि डेढ़ करोड़ रुपये का यह मुआवजा केवल गुजरात सरकार तथा स्टेट बैंक आफ इंडिया को ही मिले और अन्य संस्थाओं को इससे वंचित रखा जाय।

श्रमिकों को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि श्रमिकों को अपने अधिकार में लेने के बाद का ही नहीं बल्कि उससे पूर्व का पैसा भी दिया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध

में सभा को आश्वासन दिया जाना चाहिए। यह बात हिन्दुस्तान ट्रैक्टर कम्पनी पर ही नहीं बल्कि इस तरह के सभी एककों पर लागू होनी चाहिए।

यह विधेयक पेश करने के लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बज कर दस मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at ten minutes past Fourteen of the Clock.

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक—जारी

HINDUSTAN TRACTORS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL—Contd.

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : I would like to know the basis on which nationalisation of this company has been done. Whether any basis for its nationalisation is laid down in the report of the Commission which was set up in 1971 to look into this question and whether Government are prepared to lay that report on the Table of the House . I also want to know whether the Commission's observations were sent to the officials or owners of the Company to know their views and decision for its nationalisation was taken only after considering their replies ? What he means to say is that taking over of a Company should be on a democratic basis.

It is understood that an observation is made in the Commission's report that the high prices prescribed for the tractors are on account of the different taxes levied by the Government. If this is a fact, Government should try to bring down the prices of tractors.

The past experience has been that whatever units have been nationalised or taken over they have been running into losses. Government should ensure that this running into loss is avoided.

It should also be ensured that the manufacture of tractors by this company is done keeping in view the requirements of the country and the purchasing capacity of the agriculturists. Particularly small tractors should be manufactured in adequate number so that small farmers may purchase and use them.

Shri Ram Kishan (Bharatpur) : The previous Government brought bad name to nationalisation as all the nationalised industries under it are running in loss. This is the first industry which is running in profit which proves that if the functioning of an industry is conducted efficiently it can give good results. This should satisfy the opponents of nationalisation.

As regards this company, I would like to know from the Minister of Industry whether the profits in it have been on account of the efficient management or due to increase in the prices of tractors. I would also like that the Minister should ensure that more and more small tractors are produced in the factory as the small farmers are not in a position to purchase big tractors at the prevailing high prices.

I welcome the takeover of the company by the Government. I am of the view that while taking over the sick units the Government should not pay any type of compensation to its owners, as the major investment in those companies is of general public and not that of owners while the benefit of compensation is availed of by the owners only. Necessary amendment should be carried out in the Constitution to this effect.

Speedy action should be taken to abolish the right of property, for which a declaration has already been made by the Janata Party in its manifesto.

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडिस) : हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी विधेयक का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूं। श्री सौगत राय ने यह प्रश्न किया है कि इसे राज्य सरकार को क्यों सौंपा जा रहा है। इसके कुछ कारण हैं जो वित्तीय कारण हैं राजनीतिक नहीं। गुजरात सरकार ने गुजरात कृषि उद्योग निगम के माध्यम से इस एकक में 36.58 लाख रुपये का निवेश किया है। इस उपक्रम के लिए 154 लाख रुपये की गारंटी भी दे रखी है। वह इस एकक को समुचित ढंग से चलाने के लिए 130 लाख रुपये अतिरिक्त इक्विटी के रूप में देने के लिए तैयार है और इसकी देयताओं को पूरा करने के लिए 5.42 करोड़ रुपये तक देने के लिए भी तैयार हैं। इस एकक द्वारा उत्पादित ट्रैक्टरों का निर्माण और उनकी बिक्री आरम्भ में गुजरात में ही होगी।

रुग्ण एककों को अपने हाथ में लेने के बारे में एक नीति तैयार की जा रही है। इसे सभा में पेश करने में मुझे कुछ समय लगेगा। जहां तक रुग्ण एककों का अर्जन करने की नीति अपनाने का सम्बन्ध है, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण बिल्कुल भी नहीं अपनाया जायेगा। लेकिन संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखना होगा। वैसे मजदूरों की नौकरी कायम रखने के बारे में बहुत चिंता है। इसीलिए उपलब्ध संसाधनों की दृष्टि में रखते हुए सन्तुलन कायम रखना होगा।

छोटे-छोटे ऋणदाताओं की बकाया राशि के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया है। कुछ बकाया राशि ऐसी है जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकेंगे। यदि कोई एकक रुग्ण है और यदि उसको चलाने वाले लोगों पर कुछ वर्षों में करोड़ों रुपये का ऋण हो जाए तो फिर उस ऋण की अदायगी राजकोष से करने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती।

श्री वसंत साठे: मजदूरों के हितों की रक्षा करने हेतु नियोजकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नांडिस: यह हमारा पहला कर्त्तव्य है। इस एकक में कुप्रबन्ध और अव्यवस्था की कुछ विशेषताएं ये हैं:— गलत वित्तीय नीतियां, पूंजीगत उपकरण की वसूली में दोषपूर्ण आयोजना व्यावसायिक तथा प्रबन्ध व्यवस्था की क्षमता का अभाव, एकक में क्रय विक्रय तथा उत्पादन के मुख्य पदों पर अपने परिवार के अन्य सदस्यों की नियुक्त करना अर्थात भाई भतीजावाद का होना।

But I would like to say that attempts have been made to see that no factory goes sick. During the last few years we have set up monitoring cells in the Ministry of Finance, Reserve Bank and the Ministry of Industry which would keep a watch on the economic position of the factory.

As regards prices of tractors, it is correct that their prices have been increased several times during the last five years, but the Members will have to see that their prices are linked with many other things such as expenditure on spares, inputs, electricity, increase in wages etc. and as such no announcement regarding prices of tractors can be made on this stage. Although it is also correct that high prices of tractors are also due to different types of taxes but it should be seen that duties, taxes and prices are linked together and it will take some time for the present Government to undo what has been done by the previous Government. However, the 50 HP tractor manufactured by the Company is the cheapest tractor available in India. There has been a price rise in case of tractors, but if anybody suggests that Hindustan Tractor is today in the black because it went in for price rise, this is not correct. There has been a general price rise of all tractors in the country. There has been a certain price control i.e. voluntary price control and then some form of monitoring and regulation of price is also going on. No special favour is being shown to them.

जहां तक श्रमिकों की देय राशि का संबन्ध है इस अधिनियम में श्रमिकों की समूची देय राशि के भुगतान के लिए उपबन्ध किया गया है । यह राशि 20 लाख रुपये से अधिक होगी । इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने से पूर्व तथा बाद में श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन पर ध्यान दिए जा रहे मुआवजे के समय रखा जाएगा । अधिनियम में इसके लिए उपबन्ध किया गया है ।

सभापति महोदय: इस सम्बन्ध में 3 संशोधन है। संशोधन संख्या 1 श्री हुकमदेव नारायण यादव का है। आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी): में अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय: संशोधन संख्या 3 डा० बसन्त कुमार का है। वह यहां उपस्थित नहीं अतः मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखती हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and Negatived

सभापति महोदय: संशोधन संख्या 4 श्री विनायक प्रसाद यादव ने प्रस्तुत किया है । इसे क्या आप सभा में रखना चाहते हैं।

श्री विनायक प्रसाद यादव (साहरसा): में अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: "कि जन साधारण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड, विश्वामित्री, बदोदरा के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय: अब हम खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्तव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 to 7 were added to the Bill

खण्ड 8 से 36

सभापति महोदय: अब मैं खण्ड 8 से 36 सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 से 36 विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 8 से 36 विधेयक में जोड़ दिए गए
Clauses 8 to 36 were added to the Bill

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई
The Schedule was added to the Bill

खण्ड, अधिनियमन सूत्र 1 प्रस्तावना और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए
Clause 1, the enacting formula, the preamble and the title were added to the Bill.

श्री जार्ज फर्नांडीस: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

पब्लिक सैक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक—जारी

PUBLIC SECTOR IRON AND STEEL COMPANIES (RESTRUCTURING) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL—Contd.

श्री ए० के० राय (धनबाद) : इस विधेयक का उद्देश्य शक्तियों का केन्द्रीकरण करना है। विकेन्द्रीकरण का अर्थ है कि अफसरों का राज्य और केन्द्रीय करण का अर्थ है मंत्रियों का प्रभुत्व आकाश से गिरा और खजूर में अटका वाली बात हो गई है समझ में नहीं आ रहा कि किसको चुना जाए फिर भी हम मंत्री महोदय को ही प्राथमिकता देंगे उन्हें हम किसी भी समय संसद् में पूछ सकते हैं।

मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि वह क्यों अधिक शक्तियों की मांग कर रहे हैं। बोकारो की स्थिति क्या है। सारी धवन भट्टियां बन्द हैं और बातचीत भी नहीं हो रही। क्रेन-चालक भी हड़ताल कर रहे हैं। सारे सप्लाई कार्यकर्त्ता उद्योग भर में हड़ताल कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जो चीजें अनिश्चित काल के लिए निलम्बित होती रही हैं उन्हें समाप्त किया जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वह सारे इस्पात कारखानों में एक समान्य प्रोत्साहन का कार्यक्रम आरम्भ करने वाले हैं। भिलाई योजना को बोकारों में भी लागू किया जाएगा। लेकिन यह योजना अभी निलम्बित है। इसी प्रकार उन्होंने और भी कई बातें कहीं हैं वह हम यह बताएं कि वह अधिक शक्तियों की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं।

मंत्री महोदय ने कहा है कि 'लो ऐश कोकिंग कोल' का विदेशों से आयात करने का निर्णय किया गया है। यह सुनकर हमें बहुत आश्चर्य हुआ। आपको विदेशों से कोकिंग कोल मंगाने के लिए अधिक शक्तियां चाहिएं। यदि आप इन समस्याओं की पुनर्संरचना करना चाहते हैं तो अन्य सरकारी उपक्रमों, निगमों, कोल इंडिया लिमिटेड उर्वरक निगम इत्यादि की भी इसी प्रकार पुनर्संरचना की जानी चाहिए।

मंत्री महोदय यह बताएं कि वह किस उद्देश्य से इन समवायों की पुनर्संरचना करना चाहते हैं, अच्छी योग्यता और अच्छे प्रबंध से उनका क्या मतलब है।

Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) : The head office of Hindustan Steel Limited is kept at Ranchi after considering the question from many ponits of view. Its units are working at Bhilai, Rourkela and Durgapur which are around the headquarters. Establishment of Steel Authority of India Ltd. is not required at all, as it is doing the same work which is being done by the HSL. Establishment of SAIL by the previous Government has simply resulted in extra-expenditure.

Merger of H.S.L. is to SAIL is totally improper. Shifting of headquarter from Bihar and that too in a wrong manner is most inappropriate and unjustified, as Bihar is very rich in minerals and all these steel factories are around Ranchi and are carrying on the production work very efficiently. Shifting of Headquarters will result in extra-expenditure to the tune of crores of rupees in the form of payment of retrenchment benefit to the employees, payment of compensation to various parties and expenditure on transfer of property.

On the one hand it is claimed that Janta Government is for decentralization of power, while on the other hand centralization of power is being done in this case.

I hope that the feelings of the people of Bihar will be kept in view and neither HAL will be merged into SAIL nor the headquarters will be shifted from Ranchi.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : कहा गया है कि यह विधेयक इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इस्पात एककों पर सीधा नियंत्रण रखा जा सके। यदि सरकार उत्पादन को बढ़ाने और संयंत्र को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए यह कदम उठा रही है तो यह स्वागत योग्य बात है, किन्तु जिस ढंग से सरकार यह काम कर रही है क्या उससे समस्या हल हो जायेगी? जब स्वर्गीय कुमारमंगलम ने इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला था तो उस समय 8 इस्पात उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा था और समूचा उद्योग अव्यस्थित सा था। किन्तु उन्होंने अपनी दूरदर्शिता तथा गतिशीलता का परिचय देते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया था और इस प्रकार उद्योग में सुधार करके उन्होंने उसे सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया।

क्या आज आप यह समझते हैं कि एस० ए० आई० एल० को विभाजित करने से हमें, सहायता मिलेगी? क्या मंत्रालय द्वारा औद्योगिक एककों पर नियंत्रण करने से कुछ अधिक लाभ होगा? क्या सरकार इन संयंत्रों पर नियंत्रण करने में सफल हो जायेगी जो कि प्रायः असफल हो चुके हैं और घाटे पर चल रहे हैं। क्या सरकार सभा को आश्वासन दे सकती है कि सरकार के इस कृत्य से देश के इस्पात उत्पादन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा?

सेल इन्टरनेशनल तो निर्यात का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से कर रही है। हम काफी अच्छी कोटि का इस्पात निर्यात कर देश के लिए विदेशी मुद्रा कमा सकने में समर्थ हैं। मुझे आशंका है कि सेल का अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकरण कम हो गया है। क्या यह आशा की जा सकती है कि इन परिवर्तनों से उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

Shri R.L.P. Verma (Koderma) : I am not against the Bill if it is for the benefit of the nation, but I am of the firm opinion that shifting of the headquarters from Ranchi to Bhilai is an act of injustice for the people of Bihar. Ranchi area is rich in iron ore and the administration of steel factories around it can be run more efficiently from here, but the headquarters are being shifted from there in a planned way and in a diplomatic manner. The coal washeries are also being transferred from this area and all this will result in utter neglection of the people of Bihar and as such it can not be called a democratic action.

The Minister should give an assurance that headquarters will not be shifted from Ranchi so that the employment opportunities of the people of that area are not lessened and the people of Bihar are not neglected in any way.

Shri Yuvraj (Katihar) : My amendment to the Bill is not based on mere regionalism. It is still not clear as to what is the necessity of bringing this Bill. On the one hand we talk of decentralization of power while on the other hand we are making attempts to strengthen the hands of holding company. Can it be called a right action ?

I do not accept the justification of this bill in principle. It has been said in the statement of Reasons that the Bill has been brought keeping in view the aspects of production and efficiency. But when the HSL is already running very efficiently and is doing consultancy work also and is also earning profit of crores of rupees, how this action can be called justified ? I am of the view that to concentrate on production only will encourage corruption. HLS's property worth crores of rupees will be transferred to SAIL which has no property of its own, which also means that whole autonomy will be vested in one Ministry only. The whole control will go into the hands of bureaucracy while previously it was being looked by the technocrats. Handing over the entire management in the hands of bureaucrats is not going to yield good results.

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : विकेन्द्रीकरण और केन्द्रीकरण के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । किसी भी काम का केन्द्रीकरण नहीं किया गया है। सभी इस्पात संयंत्र "सैल" के अधिकार में हैं और 'सैल' ही उसका मालिक रहेगा तथा वे "सैल" के सक्रिय एकक के रूप में काम करेंगे । "सैल" के बोर्ड का पुनर्गठन सभी इस्पात संयंत्रों के अध्यक्ष और प्रभारी निदेशकों द्वारा किया जायेगा तथा उसमें कोई बाहर का आदमी नहीं होगा। जनता सरकार ने यह निर्णय किया है इसका प्रबन्ध विशेषज्ञों और तकनीकी आदमियों द्वारा किया जायेगा तथा "सैल" के कार्य से कोई नौकरशाह सम्बद्ध नहीं होगा।

किसी सदस्य ने कहा है कि मंत्रालय उसे अपने नियंत्रण में ले रहा है। यदि मंत्रालय को अपने नियंत्रण में लेना होता तो "सैल" की क्या आश्वकता थी । हमने "सैल" के रूप में ही विकेन्द्रीकरण का बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नहीं लिया है वरन् इस्पात मंत्रालय के अन्तर्गत एच० एम० टी०, बी० ई० एच० एल०, जैसप आदि अनेक संयंत्र हैं, जो अलग-अलग कम्पनियां हैं और उनके अध्यक्ष, प्रबन्ध निनिदेक तथा तकनीकी और वित्तीय बोर्ड अगल-अलग हैं। इनके कुछ भागों का अभी भी विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है ।

"सैल" की स्थापना करते समय "मेकोन" का काम डिजाइन बनाना और इस्पात संयंत्रों और उसके सहयोगी एककों का विकास करना है। अब हमारे पास भिलाई और बोकारो का कुछ विस्तार करने के अलावा और कोई काम नहीं है। अतः मेकोन बिना काम के है । उसे "सैल" का अंग बनाये रखना आवश्यक नहीं है इसलिए इसको सैल से अलग कर दिया गया है और एक अलग से शक्ति सम्पन्न निगम बना दिया गया है।

इसी प्रकार एच० एस० सी० एल० बड़े इस्पात संयंत्रों का निर्माण अपने हाथ में नहीं ले सकता इसलिए तत्कालीन सरकार ने इसे सरकारी निगम का रूप दे दिया था । इस्पात संयंत्रों के विस्तार का कार्य अब समाप्त हो गया क्योंकि अब कोई काम नहीं है। हमने यह निर्णय किया है कि एच० एस० सी० एल० भारतीय

इस्पात संयंत्रों से बाहर अपना कार्य करे और अपना कार्यक्षेत्र विश्व भर में बढ़ाये। "सैल" उसे काम नहीं दे सकता वह अधिक से अधिक एक दो वर्ष में बन्द हो जायेंगे और एच० एस० सी० एल० को बन्द कर दिया जायेगा। इसलिए उसे एक अलग निगम का रूप दे दिया गया है, उसे मंत्रालय की मदद से विश्व भर में अपना कारोबार फैलाने की छूट दी गई है। पिछली सरकार ने एन० एम० डी० सी० को भी "सैल" का एक अंग बना रखा है, किन्तु अब विश्व बाजार में होने के कारण उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए इसका विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है।

यह बात उठाई गई कि भारत रिफ्रेक्टरी के मुख्यालय को स्थानांतरित करके मध्य प्रदेश क्यों ले जाया जा रहा है। इसके पीछे यह विचार है कि भिलाई में सबसे बड़ी रिफ्रेक्टरी संयंत्र लगाया जाने वाला है। इस लिए उसका वहां से स्थानांतरण करना उचित समझा गया। परन्तु बिहार के सदस्यों के तर्क में कुछ दम है, इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा करने की तुरन्त आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय कार्यालय का ऐसी जगह होना अधिक उचित है जहां से वह इस्पात संयंत्रों और कोयले की सप्लाई पर निगरानी रख सकें अतः इसका स्थानांतरण शीघ्र किया जाये। परन्तु हम तुरन्त ऐसा नहीं करना चाहते। क्योंकि इससे कार्य कुशलता में कमी आयेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि पब्लिक सैक्टर की लोहा और इस्पात कम्पनियों के संकर्मी का बेहतर प्रबन्ध और उनमें अधिक दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनकी पुनर्संरचना करने का तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार चर्चा आरम्भ करेंगे।

खंड 2
Clause 2

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:—

पृष्ठ 2 पंक्ति 33:—

'Limited" (सीमित) के बाद 'या' (or) शब्द अन्तःस्थापित किया जाय।

श्री डी० एन० तिवारी : मैं अपना संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करता हूं।

Shri D.N. Tiwari (Gopalganj) : There is no force in the agreement that there is no need to bring this Bill, and so, I will not agree with it.

An apprehension is expressed that if the head office of Bharat Refractories Ltd., is shifted to Ranchi only the people of Bihar will be given employment to the exclusion of all other people. Though we want that people of Bihar should be given employment; we do not want that exclusively they should be given employment.

सभापति महोदय : आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री डी०एन० तिवारी : मंत्री जी द्वारा किए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं सभा से इसे वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस किया गया
The amendment was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : अब मैं खंड 2 का संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूं :—
प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 2, पंक्ति 33 :—

"Limited" (सीमित) के बाद "or" (या) शब्द अन्तःस्थापित किया जाये। (संख्या 20)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुए
The motion was adopted

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2, as amended, was added to the Bill.

खंड 3
Clause 3

श्री बीजू पटनायक : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 3 पंक्ति 13 :—
"deemed to be a reference to the undertaking".

(उपक्रम को निर्देश समझा जायेगा) के स्थान पर
"deemed to be a reference to so much of the undertaking"

(उपक्रम के इतने भाग को निर्देश समझा जायेगा) (संख्या 41)
पुरःस्थापित किया जाये।

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है कि :—

'पृष्ठ 3 पंक्ति 13 में
"deemed to be a reference to the undertaking"

(उपक्रम को निर्देश समझा जायेगा) के स्थान पर
"deemed to be a reference to so much of the undertaking".
उपक्रम के इतने भाग तक निर्देश समझा जायेगा (संख्या 41) प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खंड 4

सभापति महोदय : अब संशोधन संख्या 21 को लिया जाता है।

श्री बीजू पटनायक : मैं सभा से संशोधन को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : लेकिन क्या आप इसे पेश कर रहे हैं ?

श्री बीजू पटनायक : मैं इसे पेश नहीं कर रहा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 4 तथा 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गये।
Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

खंड 6

श्री ए०कै० राय (धनबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

श्री द्वारिकानाथ तिवारी (धनबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 44 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : श्री ए० के० राय अपने संशोधन पर बोलेंगे।

श्री ए० के० राय : भारत रेफ्रेक्टरीज लिमिटेड का मुख्य कार्यालय बोकारो स्टील सिटी में है इसे वहां से रांची या किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : मैं श्री राय का संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : इन दो संशोधनों के बीच काफी अंतर है।

श्री सी० एम० स्टीफन : प्रश्न यह है कि क्या यह संशोधन विधेयक का अंग बनेगा ?

सभापति महोदय : यह कानून का अंग नहीं बन सकता।

श्री बीजू पटनायक : यदि ऐसा है तो मैं श्री ए०के० राय का संशोधन स्वीकार करने को तैयार हूं।

सभापति महोदय : इसका निर्णय सभा करेगी ।

स्थगन प्रस्ताव

ADJOURNMENT MOTION

लखनऊ में 17-3-1978 को कुछ संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों पर कथितलाठी चार्ज

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव को लेते हैं ; श्री साठे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : स्थगन प्रस्ताव में "निर्दयपूर्वक लाठी चार्ज" जैसे विशेषणों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के शब्दों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि इसके साथ "क्या समाचार" शब्द भी जोड़ा होता तो भी कोई बात नहीं। इससे एक गलत पूर्वोदाहरण पैदा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न चर्चा के लिए नहीं होता।

(व्यवधान)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है जो इस प्रस्ताव से पैदा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय जैसे कि आपने कल विनिर्णय दिया था कि किसी स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत उस प्रश्न पर भी चर्चा हो सकती है जो संसद सदस्यों के संरक्षण देने से सम्बन्धित हो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार का विनिर्णय देंगे कि इस सभा में वही प्रश्न उठाया जा सकता है जो कि संसद सदस्यों को संरक्षण देने से सम्बन्धित हो। मेरा अनुरोध यही है कि आप इस बारे में स्पष्ट विनिर्णय दें।

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : मैं कोई अन्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं : यदि यह स्थगन प्रस्ताँव स्वीकृत हो भी गया तो किसकी निन्दा की जायेगी ? भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश सरकार की निन्दा की जायेगी। यदि उत्तर प्रदेश सरकार की तो यह संसद उत्तर प्रदेश सरकार की निन्दा कैसे कर सकती है ? दूसरे, आप संसद सदस्यों की सुरक्षा हेतु चर्चा पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो आप अपना विनिर्णय दें कि संसद सदस्यों के आचरण और उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में ही चर्चा की जाए। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नही और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नहीं है, अन्यथा यह माना जायेगा कि कानून और व्यवस्था की समस्या पर चर्चा की जा रही है ? इसलिए इसका उत्तर या तो प्रधान मंत्री दें या विधि मंत्री अथवा संसदीय कार्यमंत्री, क्योंकि ये ही इसके लिए उत्तरदायी हैं।

श्री विनोद भाई बी० सेठ (जामनगर) : इस स्थगन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। मुझे "निर्दयतापूर्वक लाठी चार्ज" शब्दों पर घोर आपत्ति है जो इस प्रस्ताव में प्रयोग में लाये गये हैं। इस पर यहां विचार नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि यह राज्य से सम्बन्धित विषय है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से दो आपत्तियां उठाई गई हैं। प्रथम आपत्ति यह है कि संसद सदस्यों की सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए क्योंकि घटना राज्य में घटी है। इसलिए केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सका। दूसरे प्रस्ताव की शब्दावली बहुत अधिक आपत्तिजनक है। प्रस्ताव में "निर्दयता पूर्वक लाठी चार्ज" शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः प्रस्ताव की शब्दावली में तरमीन की जाए या इस प्रस्ताव को ही रद्द कर दिया जाये।

यह तो निश्चित है कि जब तक केन्द्रीय सरकार की स्थगन प्रस्ताव के मामले में प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई जिम्मेदारी न हो संसद में स्थगन प्रस्ताव पर विचार करना उचित नहीं होगा। लेकिन

इससे पहले यह विनिर्णय दिया जा चुका है कि जब भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर आक्रमण किया गया है, चाहे वह कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न क्यों न रहा हो, संसद में चर्चा की जा सकती है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार सूचना राज्य सरकार को भेज देती है कि क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया है। ऐसे स्थमन प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं और उन पर चर्चा भी हुई है। संसद सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है, जो अप्रत्यक्ष दायित्व है। केवल इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि क्या ऐसा अप्रत्यक्ष दायित्व दिया गया है अथवा नहीं। स्थगन प्रस्ताव में इस पहलू पर चर्चा की जानी है।

मैं कल कह चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव में इसी प्रश्न पर चर्चा की जायेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार संसद सदस्यों को अपना कर्तव्य पालन करने में अपेक्षित सुरक्षा प्रदान करने में असफल रही है।

दूसरी आपत्ति शब्दों के प्रयोग के बारे में उठाई गई है। जहां तक शब्दों का सम्बन्ध है। यह संसद सदस्य का प्रस्ताव है, जिस पर कि चर्चा की जा रही है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागरा) : ऐसे मामले में सदस्य को विशेषाधिकार प्रस्ताव लाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम सदस्य द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं सदन चाहे तो इसे स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। इस पर संशोधन भी लाया जा सकता है। मैं प्रस्ताव की शब्दावली में परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः मुझे किसी भी व्यवस्था के प्रश्न में कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। वाद विवाद की सीमा मेरे आदेश के अनुसार ही सीमित रहेगी।

श्री समर गुहा : यह प्रस्ताव उद्धरण (कोटेशन) में होना चाहिए। अन्यथा इससे गलतफहमी पैदा हो जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : स्पष्टीकरण का प्रश्न है। आपने कहा है कि संसद सदस्यों की सुरक्षा की जानी चाहिए। क्या संसद सदस्य कानून से ऊपर हैं?

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा अब स्थगित हो" हम यह स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा करने के उद्देश्य से नहीं लाये हैं। हम यह प्रस्ताव सरकार को चेतावनी देने के उद्देश्य से लाये हैं कि लखनऊ में जो कुछ घटना घटी, उससे आगे होने वाली घटनाओं के खतरों से सरकार को सावधान कर दे। विश्व में व्याप्त स्थिति से यह भय है कि देश में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने से देश की एकता को खतरा पैदा हो जायेगा तथा इसी दृष्टि से यह प्रस्ताव लाया गया है। इस पर विचार किया जाना चाहिए?

लखनऊ में क्या हुआ?

प्रो० रंगा, श्री कमलापति जी, श्री राजगोपाल नायडू जैसे मान्य संसद सदस्यों और श्री दीक्षित जैसे भूतपूर्व संसद सदस्यों को वहां पीटा गया। घुड़सवार पुलिस ने उन लोगों को रौंदा; क्योंकि ये लोग गरीब किसानों के हित में आवाज उठा रहे थे? वहां जो लोग गये वे विशेषतया गन्ना उत्पादक किसान थे जिन्हें गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जलूस में अव्यवस्था फैलाने और बदनाम करने के लिए

जलूस में पत्थरों से भरे पुलिस के ट्रक लाये गये। पुलिस के ट्रकों में पत्थर भर कर क्यों लाये गये ; क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असमर्थ थी ? केन्द्रीय सरकार ने वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को भेजा । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने कई संसद् सदस्यों की पिटाई की । यह सब कुछ क्यों हो रहा है? इसका यह कारण है कि वर्तमान गृह मंत्री तथा अन्य कई मंत्रियों ने जब वे सरकार में नहीं थे हिंसा घेराव पथराव आदि का समर्थन किया था। अतः यह सरकार संसद सदस्यों की सुरक्षा प्रदान करने में विश्वास नहीं रखती है। यह सरकार संसद सदस्यों पर भी पथराव करने को बढ़ावा दे रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपका ध्यान नियम 63 की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अभी उनके पास 3 मिनट का समय है।

श्री वसंत साठे : वर्तमान नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह को सरदार पटेल की भांति लौह पुरुष बनाना हैं। लेकिन वह आज पत्थर-पुरुष बन गये हैं। आज पथराव को बढ़ावा दिया जा रहा है। पुलिस संसद सदस्यों और निरीह जनता पर निर्दयता से पथराव कर रही है इस प्रकार के दमनकारी तरीकों का उपयोग नहीं करना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि सरकार को दक्षिण में कांग्रेस की विजय से हतोत्साह नहीं होना चाहिए। इसी से यह सरकार बौखला रही है और दमनकारी तरीकों से प्रदर्शनकारियों पर अन्याय और अत्याचार कर रही है। अतः प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

राष्ट्रीय नेता हिंसा की वृद्धि की ओर ध्यान दें। लोकतंत्र के लिए अनुशासन आवश्यक है और वह बनाए रखा जाए ।

Shri Gauri Shankar Rail (Ghazipur): It is really unfortunate that through this motion the conduct of such persons is sought to be discussed who are not here to give reply. It has to be borne in mind that the U.P. State Government is not under the control of the Union Home Ministry.

A dictator believes in force, violance and terror. When a dictator is out of power he or she tries to create an atmosphere of terror and violence in the country. The government should be vigilant about this attempt to build up an atmosphere of violence in the country. We should not defect from the democrative path despite provocations from certain quarters.

There was a demonstration in Delhi recently at the residence of the Prime Minister. Press photographers shown demonstrators beating the police. This should be the tendencies which are being encouraged.

There are certain forces which want to create chaos in the country in order to show that imposition of emergency was correct step and again emergency should be imposed. They want to shake the faith of the people in democracy. We have to be vigilant about this nefarious design of those people.

When Shri Kamlapati Tripathi was in power in U.P. he had once said that government cannot garland those who violate the law. Should now the present U.P. government have garlanded those who have violated the law ?

Those who have perpetuated cruelties till the other day now want to present themselves as victimised persons. The people have not forgotten their misdeeds.

The motion has no substance I oppose this Motion.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : लखनऊ में एक राजनीतिक दल ने जो मेरा दल नहीं था गन्ना उत्पादकों का एक जलूस निकला उसमें संसद सदस्य और विधायक भी थे। ये लोग गन्ने के मूल्य में गिरावट आने का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने उन पर निर्दयतापूर्वक लाठी चार्ज किया।

सदन में विवाद का विषय यह है कि विरोधी स्वर के प्रति सरकार का क्या रवैया है? क्या सरकार इसका सामना लखनऊ के समान बल प्रयोग से करना चाहती है?

गन्ने का मूल्य गिरने और चीनी मिलों द्वारा उचित मूल्य पर न दिए जाने के कारण उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी कठिनाई में थे। अब जब उन्होंने यह मामला उठाया है सरकार क्या कार्रवाई इस सम्बन्ध में करना चाहती है? सरकार को लोगों की मांग मान कर उन्हें उचित मूल्य देने का प्रयत्न करना चाहिए उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए तथा उनके विरोध प्रदर्शन को बल प्रयोग द्वारा नहीं दबाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि लोगों का अब जनता सरकार में विश्वास रहीं रहा है। मार्च, 1977 में जो लोग कहते थे, "लाठी गोली खायेंगे, इन्दिरा को हटायेंगे," अब वही यह कह रहे हैं, "देखो जनता सरकार का खेल, 16 रुपये कड़वा तेल" लखनऊ में जो कुछ हुआ है उसे चार्ल्स डिकन्स द्वारा लिखित उपन्यास 'दी टेल आफ टू सिटीज' का संक्षिप्त रूप कहा जा सकता है। यह दो शहर---कौनसे हैं---यह शहर हैं मेरठ और इलाहाबाद और उनकी खासियत यह है कि इन दोनों शहरों से ऐसे दो नेताओं का प्रादुर्भाव हुआ है जोकि सत्तावाद के प्रतीग हैं। दोनों उस बात में विश्वास रखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नियंत्रण दिल्ली द्वारा किया जा सकता है। दोनों अपने एजेंटों के जरिए काम करने हैं। अपने समर्थन में रैली करते हैं यह वैयक्तिक पूजा नहीं तो और क्या है? आज उत्तरी भारत में जातिवाद फिर प्रबल हो रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए हमें यह सोचना चाहिए कि देश कहां जा रहा है। यदि हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं करते तो कल हम इसके शिकार होने वाले हैं।

हम पुलिस के रवैये में परिवर्तन चाहते हैं। यद्यपि पुलिस आयोग की नियुक्ति हो चुकी है परन्तू इससे पुलिस के रवैये में परिवर्तन नहीं आएगा। यह परिवर्तन आवश्यक है।

पूरी स्थिति का जायजा लिया जाना चाहिए ताकि लखनऊ जैसी घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति न हो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है। हम सबको मिलकर इस बात पर सहमत होना चाहिए कि देश में सत्तावाद फिर न सिर उठाने पाए।

Dr. Murli Manohar Joshi (Almora): It has been alleged that police resorted to lathi-charge on the peaceful demonstrations in Lucknow. This is not correct. The U.P. Government did not put any obstacles in the way of demonstrators. The district authorities had taken precautions so that no untoward incident may take place in the precincts of Vidhan Sabha. I have certain photographs which show that it were the demonstrators and not the police who indulged in violence with your permission. I would like to place those photographs on the Table of the House [**Placed in Library. Seey LT No. 1952/78**].

The district authorities had settled the route to be followed by the demonstrators. The police did not interfere so long as the procession followed the settled route peacefully.

It is said that those who were arrested were treated brutally. This is far from truth. The police behaved in a disciplined manner. They were taken in the vehicle of the superintendent of Police. When these leaders were brought to jail they did not behave properly there. They snatched away the register from a jail official and tried to destroy the jail property. They did not agree to abide by the discipline of the jail.

The former prime minister Mrs. Indira Gandhi has advised the students organisation that owes allegiance to her not hesitate to use muscle power whenever it is vital is ominous. Mrs. Gandi wants to destroy democratic values.

The incidents in U.P., legislature are reprehensible. They have shown the methods the follower of Indira Gandhi are adopting to serve their interest.

श्री एम०एम० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वह केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। देश में इस समय जो तस्वीर उभर रही है यह उनके लिए बड़े चिन्ता का विषय है जो संसदीय प्रणाली को चालू रखना चाहते हैं। इस सदन में अनेक बार गन्ना उत्पादकों का मामला उठाया गया है। क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। यदि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखना चाहती है तो उसे जनता के विचारों की ओर ध्यान देना चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र उसका हल खोजना चाहिए। यह नहीं किया जाता और इसी कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

हमें कतिपय मूल्यों को स्थापित करना चाहिए यदि हम किसी विशेष प्रणाली का पालन करना चाहते हैं तो हमें नियमों के अनुसार चलना होगा। यदि हर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उससे अराजकता फैलेगी ।

श्री समर गुहा (हावड़ा) : हम लखनऊ में हुए लाठी चार्ज का समर्थन नहीं करते। जहां तक हमारा संबंध है 'हमें जनता सरकार पिछली सरकार के पद चिन्हों पर चलती नजर आ रही है और यह उत्तेजना की शिकार हो गई है। यदि समाचारपत्रों के समाचार और यहां प्रस्तुत किए गए तथ्य सही हैं तो यह स्पष्ट है कि जो जलूस का नेतृत्व कर रहे थे वे कोई स्थिति पैदा करना चाहते थे तथा जनता सरकार ने जो कारवाई की उससे उन्हें ऐसा करने का बहाना मिल गया । जनता सरकार सत्ता में क्यों आई ? जनता पार्टी सत्ता में इसलिए आई, क्योंकि इसने अधिनायकवाद से लड़ने और लोकतंत्र की रक्षा करने का बेड़ा उठाया। अतः जनता सरकार की कार्यवाही भूतपूर्व सरकार के समान नहीं होनी चाहिए।

हमारा दल बराबर यह कहता रहा है कि तानाशाही की शक्तियों के पुनः उभरने का खतरा अभी टला नहीं है। इस घटना से यह सिद्ध हो गया है कि वह खतरा था और वह सही था। यदि जनता सरकार अपनी प्रतिज्ञा के प्रति निष्ठावान है तो उसे पुलिस और नौकरशाहों के हाथ में स्थिति को नहीं छोड़ना चाहिए। राजनीतिक नेताओं को स्थिति अपने हाथ में रखनी चाहिए। उन्हें स्थिति का ठीक प्रकार सामना कर उसे हल करना चाहिए। यदि उचित तरीका अपनाया गया होता तो यह स्थिति न बनती ।

लोगों की कोई भी समस्या हल नहीं हुई है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं । और अधिक लोग अपना असंतोष प्रकट करेंगे, कुछ तत्व ऐसे हैं जो स्थिति का लाभ उठायेंगे और अव्यवस्था पैदा करेंगे। अतः अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है साथ ही लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की भी पूर्ण रक्षा की जानी चाहिए। लोगों को विभिन्न मामलों के संबंध में जो असंतोष व्याप्त हैं उसे भी अभिव्यक्त करने का अवसर उन्हें प्राप्त होना चाहिए।

Shri Madhav Prasad Tripathi (Domariaganj): Those people who have brought dictatorial rule in the country are crying that they have been maltreated and not allowed to take out a peaceful procession. It rather looks strange.

It is well known that those who organised the demonstration had a plan to create disorder. A route to be followed by the demonstrators had been settled when the demonstrators found that the police is acting in a restrained manner they created trouble.

Those leaders who were leading the procession had a responsibility to keep their followers in check. But they failed to discharge their responsibility. It is alright to say that police should not have restored to lathi charge. But could the police be a silent spectator to an ugly situation which posed a threat to the lives the people ?

An attempt is being made to create a situation whereby government is not able to tackle the problems of the people. Certain people want to spread discontent among the people so that they may turnover the government. This attempt is not going to succeed.

डा० वी० ए० सईद मुहम्मद (कालीकट) : लोगों को असंतोष के प्रति विरोध प्रकट करने का पूरा-पूरा अधिकार है। सरकार को नागरिक अधिकारों के विरुद्ध कठोर कानून बनाकर उन्हें बलपूर्वक नहीं लागू करना चाहिए । आपात स्थिति और तानाशाही एक दिन में कायम नहीं होती । नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन तथा कई अन्य ऐसी बातों के फलस्वरूप इनका जन्म होता है । जब धीरे-धीरे नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन किया जाने लगेगा तब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जायेंगे जहां कि आपात स्थिति लागू करनी जरूरी हो जाएगी। यदि हम इन लोकतांत्रिक मूल्यों और अधिकारों के धीरे-धीरे होने वाले हनन के बारे में सतर्क नहीं होंगे तो देश में वही स्थिति पैदा हो जाएगी जिसका सामना हमें कुछ समय पहले करना पड़ा था।

जनता पार्टी ने लोगों को यह वचन दिया था कि वह नागरिक अधिकारों को पुनः कायम करेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों को फिर से स्थापित किया जाएगा और अब अगर दिये गये वचनों को पूरा नहीं किया जाता तो लोगों की राजनीतिज्ञों के वचनों से आस्था हट जायेगी और वे बिल्कुल उदासीन हो जायेंगे। देश में ऐसा वातावरण पैदा हो जाएगा जिससे तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को इस खतरे से बचना होगा। सरकार अपने तरीकों से नेतागिरी की राजनीति को, मुकाबले की राजनीति को, तथा दिखावे की राजनीति को प्रोत्साहन दे रही है।

कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने से आर्थिक और राजनतिक समस्याओं का हल नहीं हो सकता । दफा 144 तथा अन्य प्रतिबंधात्मक उपाय द्वारा सरकार कभी भी स्थिति का समाधान करने में सफल नहीं होगी।

दिखावे, नारेबाजी, और मुकाबले की राजनीति का आश्रय लेकर कुछ प्रवृत्तियां सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है हम उनका भी विरोध कर रहे हैं। हम उनसे सहमत नहीं हैं । हमने सरकार को चेतावनी दे दी है कि जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है वह देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का विनाश कर देगा और अन्ततः देश में तानाशाही स्थापित हो जाएगी।

श्री के० मायातेवर (डिण्डीगुल) : यह समस्या कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबद्ध है अतः राज्य सरकार को ही इससे निपटना चाहिए । फिर भी अध्यक्ष महोदय ने असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत इस पर चर्चा की अनुमति दे दी है।

कहा गया है प्रदर्शनकारियों पर इसलिए प्रहार किया गया क्योंकि उन्होंने दफा 144, जो इस क्षेत्र पर लगी हुई थी, का उल्लंघन किया है। लेकिन मैं उनके इस तर्क से सहमत नहीं हूं। प्रहार की भर्त्सना की ही जानी चाहिए।

प्रतिपक्ष दल के सदस्य और सत्तारूढ़ दल के सदस्य दोनों ही अलग अलग बात कह रहे हैं। वे दोनों एक दूसरे के तथ्यों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अतः मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए जो मौके पर जाकर तथ्यों का पता लगाए और सदन को उसके बारे में रिपोर्ट दे अथवा सरकार उच्चतम न्यायालय के किसी सेवा निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति कर सकती है जो कि मामले की जांच करके हमें अपना प्रतिवेदन दे। इससे संसद सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की समस्या हल हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजगोपाला नायडू केवल पांच मिनट···· (**व्यवधान**) ।

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : 19 मार्च को लखनऊ में एक किसान रैली होनी थी। हमने वहां के कलेक्टर को लिखा कि हम भी रैली में भाग लेने के लिए वहां आ रहे हैं। 1 बजे किसान रैली आरम्भ हुई। 30 हजार से अधिक किसानों तथा कांग्रेस के नेताओं ने उसमें भाग लिया। किसानों की ओर से मुख्य मंत्री को ज्ञापन देने के लिए पहले ही अनुमति दी जा चुकी थी। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : (इदक्की) : संसद सदस्य के साथ मारपीट की गई और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है गृह मंत्री की अब अनुपस्थिति है।....**(व्यवधान)**।

श्री पी० राज गोपाल नायडू : श्रीमती किदवई, श्री त्रिपाठी और श्री दीक्षित मुख्य मंत्री को मिलने गये और रंगा जी और मैं जलूस का नेतृत्व करने लगे। इतने में उनकी जीप रोकी गई और नेताओं को पीटा गया और फिर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया। जलूस को पुलिस ने दो भागों में बांट दिया और फिर पुलिस वाले किसानों का पीछा करने लगे।....**(व्यवधान)**।

कल गृह मंत्री ने कहा था कि यदि कोई संसद सदस्य कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी। किन्तु मैंने तथा श्री रंगा जी ने तो कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। इसके विपरीत स्वयं पुलिस ने कानून का उल्लंघन किया है। उन्हें शांतिपूर्ण रैली पर झपटने का कोई अधिकार नहीं था। किसान अपनी शिकायतों को सुनाने के लिए आये किन्तु पुलिस ने उन्हें पीटा। 700 से अधिक किसानों की पिटाई हुई। कई घायल हो गए....**(व्यवधान)**।

जब पुलिस वाले किसानों को पीट रहे थे तो रंगा जी ने कहा 'मत मारो' किन्तु पुलिस उन पर झपट पड़ी। किन्तु मैं बीच में पड़ गया और फिर पुलिस ने मुझे तथा रंगाजी को पीटना शुरू कर दिया। हमारा क्या दोष था? हम किसानों के हितों की रक्षा करने गए थे। जिनके बारे में श्री चरणसिंह इतना बोलत हैं....**(व्यवधान)**।

उन्हें किसानों का नेता समझा जाता है फिर उन्होंने किसानों के विरुद्ध इस तरह की कठोर कार्यवाही क्यों की? रंगाजी तथा मुझे और अन्य घायलों को औषधालय ले जाया गया। उन डाक्टरों का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें बचाया....**(व्यवधान)**।

शाम को यू०पी० महिला कांग्रेस की संयोजिका श्रीमती विद्या वाजपेयी ने बताया कि कई महिला स्वयं सेविकाएं गुम हैं। इस लाठी चार्ज से पता चल जाता है कि जनता सरकार को किसानों के प्रति कितना प्यार है.....**(व्यवधान)**

श्री सी०एम० स्टीफन : एक संसद सदस्य को वहां चोटें आई हैं और आप उनकी बातों को सही ढंग से सुनना भी नहीं चाहते हैं। क्या सभा इस तरह कार्य करेगी?.....**(व्यवधान)**।

एक माननीय सदस्य : वह भाषण पढ़ रहे हैं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मंत्री भाषण पढ़ सकते हैं, किन्तु सदस्य नहीं पढ़ सकते।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मेरा श्री चरणसिंह जी से अनुरोध है कि वे किसानों की रक्षा करें और इस सरकार पर नियंत्रण रखें।

The Minister of Home Affairs tShri Charan Singh) : The first question that arises in regard to the matter under discussion is that if a Member of Parliament violates a law or incites others to violate law, should the police remain silent ? Some member talked about

what happened in other countries. Well the conditions there are different and the people are more disciplined. In London, for example, one policeman controls the entire procession without ever using his baton. But in our country, leaders of political parties do not like the idea of an ordinary policeman daring to stop an M.P. or an ex-Minister. This is a wrong way of thinking and may lead to an undemocratic environment in the country.

What happened on that day in Lucknow? On that day section 144 was promulgated in a particular area and all demonstrations were banned there. Now some congressmen wanted to take out a procession. The District Magistrate permitted them to do so through a specified route. But the procession did not follow that route and on reaching Lalbagh crossing, instead of going towards Hazratganj, it took the road leading to the Council House. My information is that this was done under instructions from their Leaders in Delhi to seek confrontation with the police and violate section 144. The accounts and photographs published in various newspapers made it quite clear that the police took some action only when they were compelled to do so in order to maintain law and order. Even if it is admitted that there is no order under section 144 in force at that place, was it not the duty of a gentlemen to abide by the advice of the police not to proceed beyond that point ?

The fact is that there was an organised conspiracy behind these acts of lawlessness. The former Prime Minister had all along taken the stand that emergency imposed by her was quite justified. She wanted to show that law and order and people's rights can not go together. But we, the Janta Party want to establish peace through the rule of law, safeguarding the Civil liberties of the people. We believe that law is necessary for maintenance of peace and order and the two are consistent with one another. This is the real conflict between us and those people who wantd to prove that we can not have democracy and civil liberties together. These people are trying their best to prove that the country could not do without emergency. Hence all these processions and demonstrations. Not only this one very big leader of the congress has gone to the extent of advising the congress youths to use even muscle power if necessary. But they should beware that government will be firm in dealing with attempts to create chaos and disorder.

The former Law Minister made a charge that the Janta Party want to take the counrty towards dictatership. If our attempts at restoring individual liberty, freedom of the press and independence of the judiciary are interpreted as the path towards fascism, it is their way of thinking. Our belief is that this is real democracy which the government of Janta Party has established in the country in last March.

As regards the allegation about any M.P. being beaten up by the police, I have been informed by the U.P. Government that this is totally wrong.

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए.... (व्यवधान)

श्री सी०एम० स्टीफन : श्रीमान मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका क्या हुआ ? मंत्री जी को उसका उत्तर जरूर देना चाहिए। संसद सदस्य ने कहा कि हमें उस स्थान पर पीटा गया है जहां धारा 144 नहीं लगी हुई थी। यदि संसद सदस्य ने कानून का उल्लंघन किया तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

श्री के०पी० उन्नि कृष्णन (व्यवधान) आपने यह स्थगन प्रस्ताव संसद सदस्य के पीटे जाने पर स्वीकार किया है..... (व्यवधान)

श्री सी०एम० स्टीफन : सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। क्या वह यह बात स्वीकार करते हैं अथवा नहीं .....(व्यवधान)

मंत्री जी को श्री नायडू की बातों का उत्तर देना चाहिए,..... (व्यवधान)

Shri Charan Singh : According to the information received from U.P. government, no M.P. was beaten there.

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मुझे और श्री रंगाजी को औषधालय ले जाया गया। वहां हमारे अंगूठे का निशान तथा पता आदि भी लिखा हुआ है।

श्री बयालार रवि (चिरयिविल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह परम्परा रही है कि जब कोई संसद सदस्य सभा में कोई वक्तव्य देता है तो उसे सही माना जाता है। यहां संसद सदस्य ने सभा में बताया है कि मुझे पीटा गया है। मंत्री जी ने कहा है कि यू०पी० सरकार ने इस बात को गलत बताया है। हम जानना चाहते हैं कि क्या वह इस बारे में इन्कार करने की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। इसमें विशेषाधिकार भंग होने का प्रश्न भी अन्तग्रस्त है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सी०एम० स्टीफन : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संसद सदस्य ने सभा में वक्तव्य दिया है और जब उन्होंने वक्तव्य दिया है तो उसके लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार हैं। किन्तु मंत्री जी सुनी सुनाई बात पर इसका खंडन कर रहे हैं। क्या उनका कहने का मतलब यह है कि सदस्य ने झूठ बोला है इस मामले की जांच की जानी चाहिए? क्या मंत्री जी इसे झूठी बात कहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है?

अध्यक्ष महोदय। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो आप इसे विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठा सकते हैं।

श्री सी०एम० स्टीफन : सदस्य को झूठा कहा गया है। मैंने जो प्रश्न उठाया है उसी पर समूचा संकल्प आधारित है सदस्य ने सभा में वक्तव्य दिया है। अब हमें देखना है कि हम इसे स्वीकार करें अथवा नहीं? सरकार का इस बारे में क्या विचार है?

Shri Charan Singh : Hon. members should not get excited otherwise we can not have discussion. If any member says anything we cannot take as that God's truth.

श्री बयालार रवि: जब सदस्य ने सभा में वक्तव्य दिया है तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर यहां निर्णय नहीं ले सकता।

श्री पी०जी० मावलंकर : मैं आवेश में आये बिना बोल रहा हूं। जो भी माननीय सदस्य सभा में बोलते हैं वे 100 प्रतिशत जिम्मेवारी के साथ सच बोलते हैं। मेरा आप से अनुरोध है कि आप कार्यवाही वृतान्त की जांच करें कि क्या किसी माननीय सदस्य के साथ अन्याय तो नहीं हुआ क्योंकि इस सभा में हम सत्य वचन के लिए वचनबद्ध हैं इसलिए आप पता लगायें कि क्या श्री नायडू सच बोल रहे हैं या कि गृह मंत्री सच बोल रहे हैं।

श्री जगनाथ मिश्र : मैं ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की कन्वेन्शन का जिक्र करना चाहता हूं जिसके अंतर्गत जो कुछ भी मंत्री बोले उसे सभा को मानना पड़ता है। सदस्यों के लिए अन्य विकल्प भी होते हैं.....(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये।

Shri Vasant Sathe : It is sad that the Home Minister has not replied to any of the points raised by Shri Rajgopal Naidu who along with Kisan Leader Shri Ranga was subjected to lathi charge. The government has not come forward with a reply to these questions which establishes the fulfilment of basic objective for which this motion was brought.

अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

Not recorded

The Home Minister has alleged that the Hon. Member is not speaking the truth.

They have also said that a dictator creates an atmosphere of fear and panic after he is no more in power. You also created that type of atmosphere and today demonstrators are subjected to lathi charge by the mounted police. I want to know whether this is a justice ?

An attempt to tell a lie has been made and if such state continues, you may not remain in power for long. We are not in hurry to remove you but you may fall due to your own deeds and endanger the future of democracy.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

आधे घंटे की चर्चा
HALF AN-HOUR DISCUSSION

मंत्रियों के दौरों पर खर्च में मितव्ययिता

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं मंत्रियों के दौरों के खर्च में मितव्ययता के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 209 के 8 मार्च 1978 को दिये गये उत्तर से उत्पन्न बातों पर चर्चा उठाना चाहता हूं।

श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए
[Shri N.K. Shejwalkar in the Chair]

गृह मंत्री ने कहा है कि जनता पार्टी की नीति के अनुरूप मंत्री भी अनावश्यक खर्चों को रोकने की नीति अपना रहे हैं। लेकिन यह स्थिति सही नहीं है। जिस प्रकार से सरकार द्वारा गत वर्ष मंत्रियों के दौरों पर धन व्यय किया गया है वह सचमुच चिन्ता का विषय है । जनता पार्टी की मितव्ययता की नीति व्यवहार में अपनाई नहीं जा रही है।

राज्य मंत्रियों पर एक एक लाख रुपए व्यय किय गये । प्रधान मंत्री के आवास पर 1,24,350 रुपये व्यय हुए। श्री बरनाला के आवास पर 20,504 रुपए तथा श्री मोहन धारिया.....

Shri Charan Singh : The question relates to the expenditure on tours by the Ministers and the Hon. Member is asking about the expenditure on the houses of the Ministers.

श्री के० लकप्पा : सरकार ने प्रश्न का उत्तर देने से बचने की कोशिश की है। उन्होंने मात्र यह कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

मुझे पता नहीं सूचना कब एकत्र की जायेगी और कब तक सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी।

मैं श्री जगजीवन राम, श्री राजनारायण, श्री वाजपेयी, श्री जार्ज फर्नांडीस, प्रधान मंत्री और श्री चरण सिंह द्वारा गत दो महीने के दौरान किए गए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरों की ओर

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उनके साथ काफी कर्मचारी भी गये थे। साथ इन दौरों में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण भी नहीं किया गया है। इन दौरों में अत्यधिक फिजूल खर्ची हुई है।

चालू वित्तीय वर्ष में मंत्रियों के दौरों पर एक करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि व्यय हुई है। हाल ही के चुनावों में अधिकांश मंत्री विभिन्न सरकारी बंगलों और अतिथि गृहों में रहे और उन्होंने सरकारी गाड़ियों तथा अन्य सरकारी सेवाओं का प्रयोग किया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय चुनाव सम्बन्धी दौरों पर हुए व्यय के बारे में सही सूचना देने में असमर्थ क्यों है। यह दौरे सरकार द्वारा निर्धारित स्वीकार्य मार्गदर्शी सिद्धांतों और मान-दण्डों के विरुद्ध हैं। मंत्री महोदय को हमें सही जानकारी देनी चाहिए कि इन दौरों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है। उन्हें इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने चाहिए।

The Minister of Home Affairs (Shri Charan Singh) : Sir I am sorry to say that the hon. member, who has raised this discussion has levelled wild charges without collecting facts. He says, that more than a crore of rupees have been spent on tours of Ministers in one year. I would request the hon. Member to give me the source from where he has got this information.

Perhaps he has in his mind the expenditure incurred on Ministers tours by the previous government. In 1975-76 the previous government had spent Rs. 62 lakhs and 29 thousand on tours of Ministers. In 1976-77 the expenditure was rupees one crore one lakh and forty four thousands.

Keeping in view the expenditure incurred by the previous government we made a provision of Rs. 1 crore and 6 lakhs in the last years' budget. Then we revised the estimate and reduced this about to Rs. 40 lakhs. The actual expenditure from April, 77 to 22nd March, 78 comes to Rs. 24 lakhs only.

Shri Lakappa has said that although two months have elapsed the information has not been furnished to him. The notice of the discussion was given on 24th February 78 and the admitted version of the question was received by the Ministry on 23rd March and reply was given on 8th march, 78. It is not possible to collect information in 5 days. It will not be correct to say that information has not been given for the last 2 months.

श्री चित्त बसु (बारसाठ) : मंत्री महोदय ने अपने मूल उत्तर में कहा है कि इस विषय पर कोई नये अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। क्या मैं यह मानलूं कि पिछली सरकार द्वारा बनाये गए नियम अब भी लागू हैं? क्या इसका यह तात्पर्य है कि पिछली सरकार द्वारा बनाये नियमों के अनुसार ही यह व्यय किया गया है? जनता पार्टी की सरकार का रवैया पिछली सरकार से भिन्न है। क्या मंत्री महोदय नये अनुदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि जनता पार्टी नई धारणा पैदा कर सके।

मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि जनता पार्टी की नीतियों को परिलक्षित करने के लिए नये अनुदेश क्यों नहीं जारी किए गए हैं। इसमें आप जनता पार्टी और महात्मा गांधी के दर्शन के प्रति अनाचार कर रहे हैं। क्या जनता पार्टी के दर्शन के अनुरूप नई नीति निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है ?

प्रो० पी०जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस विषय को आधे घंटे की चर्चा के रूप में क्यों और कैसे गृहीत किया गया जबकि सरकार को जानकारी एकत्र करनी है ? क्या ऐसी स्थिति में हम इस पर बातचीत कर सकते हैं? गृह मंत्री महोदय 8 मार्च को दिए गए उत्तर को देखें। मैंने मार्ग दर्शी सिद्धांतों के बारे में अनुपूरक प्रश्न किया था। मंत्रियों के दौरे में और बहुत से

लोग साथ जाते हैं। इससे स्थानीय काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मंत्रियों की बापसी तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या इस मार्गदर्शी सिद्धांत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे कि स्थानीय प्रशासकों पर काम का बहुत अधिक दबाव न पड़े।

फिर मैं मार्गदर्शी सिद्धांत-5 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें यह कहा गया है कि चुनाव अभियान के निमित्त किए जाने वाले दौरों के लिए यात्रा या दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। क्या जनता सरकार इस में परिवर्तन करेगी। जब तक यहां "मुख्य उद्देश्य" शब्द रहेंगे इस बात की पूरी संभावना है कि मंत्री यह कह सकता है वहां सरकारी कार्य था। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachhwai (Ujjain) : The Minister in his reply stated that a copy of the guidelines has been placed on the table of the House and that the information is being collected. I want to know the number of tours on the eve of the last elections conducted by the Ministers of the previous government and the expenditure incurred on those tours.

Expenditure incurred on election tours by the ministers of those states in which assembly election were conducted during the month of June last ? Number of tours conducted by the Ministers on the eve of Assembly elections in this Janta Party government as well as the total expenditure incurred on them ?

It would be better if information regarding misuse of official machinery during Lok Sabha Elections by the previous government is made available to us. The comparative figures will reveal the true state of affairs.

Shri Charan Singh : I have said that an expenditure of rupees 24 lakhs was incurred during April, 1977 and 22nd March, 1978 in the period of Janata Party Government.

I would like to assure Prof. Mavalankar that efforts will be made to revise the existing guidelines prepared by the previous Government, wherever it is possible.

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 23 मार्च 1978 । 2 चैत्र, 1900 (शपक 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 23, 1978/ Chaitra 2, 1900 (Saka)

(व्यवधान)

MGIPRRND—CR III—9 LSS/78—28-8-78—210.